सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पंजाब आन्दोलन पर श्वेत पत्र

2006
1984/22

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1984

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पंजाब आन्दोलन

पर

श्वेत पत्र

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

विषय सूची

पृष्ठ

1. प्रस्तावना . . . . . 1—3

2. शिरोमणि अकाली दल की मांगें और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया . . . . . 4—16

3. पंजाब में आतंक और हिन्सा . . . . . 17—31

4. पंजाब और चंडीगढ़ में सेना की कार्रवाई . . . . . 32—39

5. कुछ मसले . . . . . 40—44

6. अनुलग्नक . . . . . 45—115

i. सितम्बर, 1981 में सरकार द्वारा अकाली दल से प्राप्त 45 माँगों की सूची . . . . 45—46

ii. अक्तूबर, 1981 में सरकार द्वारा अकाली दल से प्राप्त 15 माँगों की संशोधित सूची . . . 47

iii. सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल द्वारा अधिप्रमाणित आनन्दपुर साहिब संकल्प . . . . 48—63

iv. अकाली दल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों की सूची--1981-84 . . . . 64—70

v. 28 फरवरी, 1984 को संसद में गृह मंत्री का वक्तव्य . . . . . 71—75

vi. 2 जून, 1984 को प्रधान मंत्री का राष्ट्र के नाम प्रसारण . . . . . 76—78

vii. 1981-84 के दौरान पंजाब में हिंसा की हुई मुख्य घटनाओं की सूची . . . 79—109

viii. श्री जरनैल सिंह भिण्ड रवाले के वक्तव्यों से उद्धरण . . . . . 110—111

ix 29 अप्रैल, 1982 को संसद द्वारा पारित संकल्प 112

x. स्वर्ण मन्दिर एवं उसके साथ लगे भवनों का ले-आउट 113

xi. 30 जून, 1984 तक हताहत हुए नागरिकों और सैनिकों तथा बरामद हुए हथियारों और गोला-बारूद का विवरण . . . . . 114—115

7. फोटोग्राफ

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

1. प्रस्तावना

पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार अनेक आन्दोलन होते रहे हैं। वहां स्पष्ट रूप से चार प्रकार के तत्व सक्रिय थे। कभी-कभी ऐसा लगता था कि इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है पर आखिर में विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि ये एक ही ताने-बाने के हिस्से थे। इनसे हिंसा और आतंक का ऐसा दौर शुरू हो गया जिससे न केवल पंजाब बल्कि सारे देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया था। ये तत्व थे :--

-- शिरोमणि अकाली दल द्वारा उन कुछ मांगों के समर्थन में चलाया गया आन्दोलन जो सरकार को पेश की गई थीं और जिनके बारे में बातचीत चल रही थी;

-- एक जबरदस्त साम्प्रदायिक और उग्रवादी आन्दोलन जिसमें खुलेआम हिंसा की वकालत की जाने लगी और बेकसूर एवं असहाय नागरिकों के विरुद्ध तथा राज्य के खिलाफ जघन्य अपराध किए गए;

-- बाहरी समर्थन से सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के घोषित उद्देश्य से चलाई जा रही पृथकतावादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां; और

-- इनमें अपराधियों, तस्करों, अन्य समाज विरोधी तत्वों तथा नक्सलवादियों का शामिल होना जिन्होंने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्थिति का नाजायज फायदा उठाया।

2. एक पृथक सिख राज्य की मांग को विदेशों में रहने वाले सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने सैद्धान्तिक आधार दिया। श्री अमरीक सिंह, श्री जरनैल सिंह भिंडरांवाले और कुछ अन्य लोगों के भड़काने वाले बयानों ने भारत में पृथकतावादी गतिविधियों की आग में घी डालने का काम किया। हालांकि अकाली दल के नेताओं ने अलगाववादी किस्म की कोई विशिष्ट मांग पेश नहीं की तो भी सिख अलगाववाद के बारे में उनकी अस्पष्ट बातों से तोड़-फोड़ करने वाली तथा राष्ट्र विरोधी ताकतों को इस जानकारी के साथ काम करने के लिए एक सम्मानजनक आड़ मिल गई कि उन्हें राजनीतिक दृष्टि से अस्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके अस्पष्ट विचारों तथा उनके द्वारा कभी-कभी पृथकतावादी आन्दोलन की संकल्पना और शब्दावली के प्रयोग के कारण राज्य में राजनीतिक भ्रांति की स्थिति पैदा हो गई।

3. पृथकतावादी और आतंकवादी ग्रुपों ने जो तरीके अपना रखे थे, वे थे--सिखों और हिन्दुओं के बीच कटुता तथा नफरत पैदा करने के लिए क्रम-बद्ध अभियान, गुरमत कैंपों के बहाने से पृथकतावादी विचारधारा उत्पन्न करना, आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण, पंजाब की पुलिस तथा

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

प्रशासन में विशिष्ट लक्ष्यों के खिलाफ आतंक का उपयोग, जो असहमत हों, उनकी "हिट लिस्ट" तैयार करना और उनकी हत्याएं कराना, आतंक फैलाने तथा साम्प्रदायिक हिंसा उकसाने के उद्देश्य से समुदाय विशेष के लोगों की हत्याएं कराना, पूजा स्थलों पर हथियार, गोलाबारूद के भंडार जमा करना, हथियार, गोलाबारूद प्राप्त करने तथा बैंकों, हीरे-जवाहरात की दुकानों तथा घरों को लूटने के लिए तस्करों और समाजविरोधी तत्वों का इस्तेमाल करना और गुप्त रूप से तथा खुले तौर पर बाहरी स्रोतों से समर्थन प्राप्त करना, यह सब उन्होंने स्वर्ण मंदिर के पवित्र परिसर, पंजाब तथा अन्य जगहों पर स्थित अन्य गुरुद्वारों में रहकर किया। सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए गुरुद्वारों में पुलिस बल भेजने की सरकार की इच्छा न होने का पूरी तरह नाजायज फायदा उठाया गया। इन तत्वों ने हत्या, तोड़-फोड़, आगजनी और लूटपाट का निदेश देकर और ऐसे कार्य करके पवित्र पूजा स्थलों का दुरुपयोग किया। उनकी कार्रवाइयों से पंजाब में अव्यवस्था व अराजकता फैल गई जिसके कारण कानून का पालन करने वाले लोगों के मन में भारी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। विभिन्न समुदायों के बीच फूट पड़ जाने का खतरा सचमुच पैदा हो गया था। विद्रोह की स्थिति तेजी से पैदा होती जा रही थी जिससे देश की एकता तथा प्रादेशिक अखंडता को गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

4. पंजाब की समस्या का मूल अकाली दल द्वारा 1981 में पेश की गई मांगें नहीं, बल्कि विदेशों में कार्य कर रहे थोड़े से ग्रुपों के सक्रिय समर्थन से पृथकतावादी तथा राष्ट्र विरोधी आन्दोलन का बल पकड़ना था। अकाली दल के नेताओं के हाथ से आन्दोलन की बागडोर छूट गई। सरकार द्वारा पेश किए गए किसी तर्कसंगत प्रस्ताव के आधार पर किसी समझौते पर पहुंचने की उनकी इच्छा नहीं थी। हिचकिचाहट, विचार बदलते रहना, आदान-प्रदान की भावना का अभाव तथा निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने की अनिच्छा और घोर साम्प्रदायिक उग्रवादी तत्वों के दबाव का सामना न कर पाना, उनके रवैये की विशेषताएं रही हैं। जब कभी समझौते की संभावना नजदीक दिखाई दी, बातचीत को विफल कर दिया गया। नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना बुलाए जाने से एक सप्ताह पहले भी सरकार ने समझौते पर पहुंचने के लिए अकाली दल के नेताओं से बातचीत करने का एक और प्रयास किया परन्तु उनका रवैया पहले से भी अधिक सख्त हो गया।

5. आतंकवादियों ने अपनी हिंसात्मक गतिविधियां तेज कर दी। दिन-प्रति-दिन स्थिति बिगड़ती गई। स्वर्ण मन्दिर परिसर के अन्दर रहने वाले ग्रुपों की तोड़फोड़ संबंधी गतिविधियों से भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया था। भारत की अखंडता को छिन्न-भिन्न करने में गहरी रुचि रखने वाली विदेशी ताकतों का प्रभाव साफ जाहिर होने लगा था। सरकार को यह विश्वास हो गया था कि देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए इस चुनौती का मुकाबला राज्य की कानून और व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य एजेन्सियां नहीं कर सकतीं। इन्हीं परिस्थितियों में सेना को बुलाने का निर्णय किया गया।

सभी प्रकार की अलगाववादी प्रवृत्तियों के खतरे से राष्ट्रीय अखण्डता को बचाने के लिए सरकार के सामने केवल यही रास्ता रह गया था।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

6. इस पत्र का आशय शिरोमणि अकाली दल द्वारा पेश की गई विभिन्न मांगों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया, पंजाब में आतंकवाद तथा हिंसा की बढ़ती हुई गतिविधियों, विदेशों में सिख पृथकतावादियों की गतिविधियों और पवित्र पूजा स्थलों से आतंकवादियों, अपराधियों और उनके हथियारों को हटाने के लिए सेना द्वारा की गई कार्रवाइयों का लेखा-जोखा देना है। इस संदर्भ में जो कुछ मसले उठे हैं, उन पर भी यहां संक्षेप में चर्चा की गई है।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

2. शिरोमणि अकाली दल की मांगें और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया

अकाली दल द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन शुरू में कुछ मांगों के समर्थन में था। सितम्बर, 1981 में अकाली दल ने सरकार को 45 मांगों की एक सूची (अनुलग्नक–I) भेजी। अक्तूबर, 1981 में उन्होंने 15 मांगों की एक संशोधित सूची (अनुलग्नक–II) पेश की।

2. इनमें से कुछ मांगों की शुरूआत अकाली दल की 16 और 17 अक्तूबर, 1973 को आनन्दपुर साहिब में हुई एक बैठक में स्वीकार किए संकल्प से हुई है जिसे आमतौर पर आनन्दपुर साहिब संकल्प के नाम से जाना जाता है। इस संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है :—

> "जिन क्षेत्रों को पंजाब से ले लिया गया है या जानबूझकर अलग रखा गया है, उन्हें एक प्रशासनिक इकाई के रूप में तुरन्त पंजाब में मिला दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ये क्षेत्र हैं, जिला गुरदासपुर से डलहौजी, चंडीगढ़, पिन्जौर, कालका और जिला अम्बाला में अम्बाला सिटी, होशियारपुर जिले की पूरी ऊना तहसील, नालागढ़ का देश इलाका, जिला करनाल का शाहबाद ब्लाक, गुहला और टोहाना की उप-तहसीलें, हिसार जिले का रतिया ब्लाक, और सिरसा तहसील, राजस्थान के जिला गंगानगर की 6 तहसीलें और आसपास के पंजाबी-भाषी सिखों की आबादी वाले क्षेत्र।"

संकल्प में आगे यह कहा गया है :—

> "इस नए पंजाब में केन्द्र का हस्तक्षेप, रक्षा, विदेशी-मामलों, डाक व तार, करेंसी तथा रेलवे तक ही सीमित रहना चाहिए।"

3. अप्रैल, 1981 में आनन्दपुर साहिब में हुए विश्व सिख सम्मेलन में अकाली दल (तलवंडी ग्रुप) द्वारा आनन्दपुर साहिब संकल्प का एक भिन्न रूप पेश किया गया था। इस संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है :—

> "उत्तर भारत में एक ऐसा स्वायत्त प्रदेश तुरन्त स्थापित किया जाना चाहिए जहां सिखों के हितों को प्रमुख तथा विशेष महत्व के हितों के रूप में संवैधानिक मान्यता दी जाए।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

और

"सिख स्वायत्त प्रदेश की बात मान ली जाए और उसे अपना संविधान बनाने और विदेश संबंधों, रक्षा, तथा सामान्य संचार को छोड़कर, सभी शक्तियां अपने लिए और अपने से प्राप्त करने का आधार बनाने का हकदार घोषित किया जाए।"

4. आनन्दपुर साहिब संकल्प का एक और रूपान्तर नवम्बर, 1982 में जारी किया गया जिसे अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था (अनुलग्नक-III)। इस रूपान्तर में यह मांग की गई है कि सभी पंजाबी-भाषी क्षेत्रों का विलय करके एक ऐसी प्रशासनिक इकाई बनाई जाए जहां सिखों और सिख धर्म के हितों को विशेष संरक्षण मिल सके ।

5. अकाली दल की मांगें प्राप्त होने पर, प्रधान मंत्री ने अकाली दल के प्रतिनिधियों को 16 अक्तूबर, 1981 को, बैठक के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद, प्रधान मंत्री उनसे फिर नवम्बर, 1981 और अप्रैल 1982 में दो बार मिलीं। तबसे परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया में सरकार ने कोई रुकावट नहीं डाली है। सरकार के प्रतिनिधियों और अकाली दल के नेताओं के बीच खुली और गुप्त दोनों तरह की वार्ताओं के अनेक दौर हुए । त्रिपक्षीय विचार-विमर्श भी हुए जिनमें संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने भी भाग लिया (अनुलग्नक-IV)।

6. इस विचार-विमर्श के दौरान सरकार का रवैया, जैसाकि प्रधानमंत्री ने 2 जून, 1984 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा, सभी जायज मांगों को मान लेने का रहा। सरकार ने वार्ताओं के दौरान पार्टी के हित का संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया। सरकार ने देश की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित रखने के व्यापक राष्ट्रीय हितों के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाया। जहां कहीं मांगों का अन्य राज्यों से संबंध नहीं था अथवा जहां उन्हें किसी व्यापक ढांचे में सम्मिलित किया जा सकता था, उन मांगों को मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी।

7. अकाली दल के प्रतिनिधियों के साथ जिन मुख्य मसलों पर विचार-विमर्श किया गया वे इन तीन मुख्य श्रेणियों में आते हैं, अर्थात् :—

(i) वे मसले जिनका एक धार्मिक ग्रुप के रूप में सिख समुदाय से संबंध है ;

(ii) वे मसले जिनका संबंध पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से है ; और

(iii) सामान्य मसले ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(i) वे मसलें जिनका एक धार्मिक समुदाय के रूप में सिख समुदाय से संबंध है

8. अकाली दल द्वारा अन्तिम रूप से पेश की गई धार्मिक मांगें ये थीं :—

(क) हरिद्वार, काशी और कुरूक्षेत्र की तरह अमृतसर को "पवित्र शहर" का दर्जा दिया जाना ;

(ख) कीर्तन के प्रसारण के लिए स्वर्ण मन्दिर में "हरमंदिर रेडियो" की स्थापना करना ;

(ग) हवाई जहाज से यात्रा करने वाले सिखों को देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में कृपाण धारण करने की अनुमति दी जानी ; और

(घ) अखिल भारतीय गुरूद्वारा अधिनियम बनाया जाना ।

(क) अमृतसर को "पवित्र शहर" का दर्जा दिया जाना

9. अमृतसर को "पवित्र शहर" का दर्जा दिए जाने की मांग के बारे में अकाली दल के प्रतिनिधियों को शुरू में ही यह बताया गया था कि उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वे मौजूद नहीं हैं क्योंकि सरकार ने उल्लिखित शहरों को अथवा अन्य किसी शहर को "पवित्र शहर" का दर्जा नहीं दिया है । तथापि हरिद्वार और कुरूक्षेत्र जैसे शहरों के सीमांकित क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकारियों व राज्य सरकारों ने, तीर्थ यात्रियों की भावनाओं का आदर करते हुए, मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ हैं। काशी में ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं हैं। यह सूचित किया गया था कि इन्हीं आधारों पर अमृतसर के बारे में भी कार्रवाई की जा सकती है । प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया कि एक समिति इस प्रश्न पर गौर करके कार्रवाई की उपयुक्त दिशा के बारे में सुझाव दे सकती है । शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस०जी०पी०सी०) ने इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने में कोई रुचि नहीं दिखाई ।

10. 27 फरवरी 1983 को धार्मिक मांगों के बारे में कुछ घोषणाएं करते समय प्रधान मंत्री ने कहा कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर तथा दुर्गियाना मन्दिर के आसपास के सीमांकित क्षेत्र में तम्बाकू, शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा । इस घोषणा के अनुसरण में हरमंदिर साहिब और दुर्गियाना मन्दिर के 200 मीटर के घेरे में तम्बाकू, शराब और मांस बेचने वाली दुकानों को पहले ही वहां से हटाया जा चुका है । इस आशय के साइन-बोर्ड भी लगा दिए गए हैं । इसके बावजूद, अकाली दल ने हाल ही में फिर से यह मांग उठायी है कि अमृतसर को "पवित्र शहर" का दर्जा दिया जाए और यह भी मांग की है कि पुराने अमृतसर शहर (वाल्ड सिटी) के उस पूरे क्षेत्र में जो दीवार से घिरा हुआ है, तम्बाकू, शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए । इस तरह किसी शहर को "पवित्र शहर" का दर्जा दिया जाना हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुकूल नहीं होगा ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(ख) स्वर्ण मंदिर में ट्रांसमीटर स्टेशन स्थापित किया जाना

11. अकाली दल के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सरकार ने यह बताया कि राष्ट्रीय नीति के रूप में देश में कहीं भी किसी ग्रुप को प्राइवेट रेडियो प्रसारण करने की सुविधाएं देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथापि, सरकार ने आकाशवाणी के जालंधर स्टेशन के जरिए स्वर्ण मन्दिर से शबद कीर्तन के सीधे प्रसारण का प्रस्ताव किया। अकाली दल के प्रतिनिधियों ने तब यह आग्रह किया कि यह प्रसारण सुबह दो घंटे और शाम को एक घंटे का होना चाहिए। सरकार ने सुबह $1\frac{1}{2}$ घंटे के लिए और शाम को $\frac{1}{2}$ घंटे के लिए कीर्तन का प्रसारण किए जाने की घोषणा की और आकाशवाणी के प्राधिकारियों को अनुदेश दिया कि इस प्रयोजन के लिए शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के परामर्श से आवश्यक प्रबंध किए जाएं। परन्तु, शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं और इसी बात का आग्रह किया कि यह प्रसारण कम-से-कम तीन घंटे की अवधि तक के लिए होना चाहिए। गृह मंत्री ने 22 जून, 1983 के अपने बयान में यह सुझाव दिया कि समय और अवधि के प्रश्न पर बातचीत की जा सकती है, परन्तु सुबह $1\frac{1}{2}$ घंटे के प्रसारण से तत्काल शुरूआत कर दी जाए। लेकिन, शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्राधिकारियों से सहयोग न मिलने पर कोई प्रगति नहीं हो पाई। हरमंदिर साहिब से कीर्तन का प्रसारण 8 जून, 1984 से शुरू कर दिया गया है।

(ग) उड़ानों में कृपाण ले जाना

12. अकाली दल ने यह मांग की कि हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने वाले सिखों को देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि सरकार ने सिखों के द्वारा कृपाण धारण किए जाने संबंधी सांवैधानिक उपबंध का हमेशा आदर किया है, तो भी 1981 की विमान अपहरण की घटना के बाद उड़ानों में कृपाण साथ ले जाने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तथापि, सिख समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुए, फरवरी 1983 में ये अनुदेश जारी किए गए कि देशीय उड़ानों में सिख यात्रियों को ऐसे कृपाण ले जाने की अनुमति दी जाए जिनकी लम्बाई 22.8 से०मी० (9″) से अधिक न हो और जिनके फलक की लम्बाई 15.24 से०मी० (6″) से अधिक न हो। अकाली दल के प्रतिनिधि इससे सहमत हो गए।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का संबंध है, यह स्पष्ट किया गया था कि एयर इंडिया अलग से इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वह हथियारों को ले जाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों और परिपाटियों से बंधा हुआ है।

(घ) अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम

13. देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी ऐतिहासिक गुरूद्वारों को एक ही प्रशासन के क्षेत्र के अधीन लाए जाने के लिए अखिल भारतीय गुरूद्वारा अधिनियम बनाने की अकाली दल की मांग के दूरगामी प्रभाव होंगे। विभिन्न बैठकों में सरकार ने अकाली दल के नेताओं को बताया कि

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

वे अन्य सम्बन्धित पक्षों तथा शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ परामर्श के आधार पर सुझाव पर विचार करने के इच्छुक हैं । 27 फरवरी, 1983 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ऐसा कोई कानून बनाने के लिए आवश्यक सर्वसम्मति प्राप्त करने की दृष्टि से जिन राज्यों में गुरूद्वारे स्थित हैं उन राज्यों की सरकारों तथा गुरूद्वारों के प्रबंधकों से परामर्श किया जायेगा । अकाली दल ने उन ऐतिहासिक गुरूद्वारों की कोई निश्चित सूची नहीं दी जिन्हें इस कानून के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव था । विभिन्न बैठकों में इन गुरूद्वारों की संख्या भिन्न-भिन्न दी गई जो 10 से 30 के बीच थी ।

14. सरकार को अनेक वर्गों के लोगों से ऐसे किसी कानून के खिलाफ बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । पंजाब से बाहर स्थित ऐतिहासिक गुरूद्वारों का प्रबंध करने वाली कुछ कमेटियों ने इन गुरूद्वारों को शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियंत्रण में लाए जाने के प्रति अपनी अनिच्छा भी व्यक्त की है । ऐसा कोई कानून बनाते समय, सरकार को संबंधित अन्य पार्टियों तथा राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखना होगा । लेकिन इसमें आने वाली दिक्कतों को महसूस किये बिना अकाली दल देरी के लिए सरकार को ही दोषी ठहराता आया है ।

(ii) वे मसलें जिनका संबंध पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से है

(क) नदी जल

15. रावी-व्यास के अतिरिक्त पानी के आवंटन के बारे में दिसम्बर, 1981 का समझौता पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के फलस्वरूप हुआ था । पानी के बहाव की बाद की शृंखला से पता चला कि रावी-व्यास का अतिरिक्त पानी पहले की अनुमानित—15.85 एम०ए०एफ० की मात्रा के मुकाबले अब 17.17 एम० ए० एफ० था । इसका अर्थ यह हुआ कि विभाजन-पूर्व के पंजाब के हिस्से में अतिरिक्त पानी की और ज्यादा मात्रा उपलब्ध हो गई जिसे पंजाब और हरियाणा में बांटा जा सकता था । 1981 के समझौते में, विभाजन-पूर्व के पंजाब को आवटित किया जाने योग्य यह ज्यादा पानी, केवल पंजाब को ही दिया गया । 1981 के समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच किये गये आवटन में पंजाब का हिस्सा बढ़ाकर 4.22 एम०ए०एफ० कर दिया गया और हरियाणा का हिस्सा 3.50 एम०एम०एफ० ही रखा गया । इसके अतिरिक्त, राजस्थान के हिस्से में से पानी की उस मात्रा को भी जो राजस्थान की जरूरतों से फालतू था, तब तक पंजाब को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई जब तक राजस्थान अपने हिस्से के पूरे पानी को इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं होता ।

16. जनवरी-फरवरी 1983 में नई दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान अकाली दल के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि 1955 के समझौते के तहत विभाजन-पूर्व पंजाब और राजस्थान के बीच हुआ पानी का ऑवटन इस आधार पर फिर से किया जाए कि राजस्थान को उसके हक से अधिक पानी आबंटित किया गया था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

17. अकाली दल के प्रतिनिधियों को यह बताया गया कि भारत के विभाजन के बाद पंजाब की नदियों के पानी के बटवारे का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझा मामला रहा और पाकिस्तान ने यह दलील दी थी कि भारत ने पानी की जितनी मात्रा का दावा किया है वह उसे इस्तेमाल कर सकने की स्थिति में नहीं है। सिन्धु नदी के पानी में भारत के हिस्से के बारे में समझौता भारत के इस दावे की वैधता, कि इस पानी का इस्तेमाल राजस्थान की सिंधु बेसिन की रेगिस्तानी तथा शुष्क भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा, को स्वीकार करने के बाद हुआ। 1955 के समझौते के आधार पर राजस्थान ने 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की एक विशाल आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण किया है और इस लिए यह स्पष्ट किया गया कि समझौते के लगभग तीस वर्ष बाद इस मसले को फिर से खोलना सही नहीं होगा। फरवरी 1983 के शुरु में हुई त्रिपक्षीय बैठकों में, जिनमें अकाली दल के प्रतिनिधि भी एक पार्टी थे इस बात पर सर्वसम्मति हुई थी कि किसी भी मामले में जो पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल विवाद के निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए, 1955 के समझौते को फिर से न खोला जाए।

18. नदी जल विवाद पर चर्चा के दौरान अकाली दल के प्रतिनिधि इस बात पर जोर देते रहे हैं कि यमुना के पानी को भी इसमें शामिल किया जाए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अधीन भूतपूर्व अविभक्त पंजाब के उत्तराधिकारी के रूप में पंजाब के अधिकारों का विवरण दिया गया है जिसमें यमुना के पानी को शामिल नहीं किया गया है और इसलिए सरकार की राय यह रही कि यमुना का जल ट्रिब्यूनल का विचारार्थ विषय नहीं हो सकता।

19. कई लम्बी चर्चाओं के बाद और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए नदी जल संबंधी मसलों का निपटान करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला अकाली दल के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया :—

(1) रावी-व्यास के अतिरिक्त पानी के आवंटन के बारे में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच 31 दिसम्बर 1981 को हुए करार को रद्द हुआ समझा जाएगा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार कृषि और सिंचाई मंत्रालय सिंचाई विभाग की 24 मार्च 1976 की अधिसूचना को वापस लिया गया समझा जाएगा।

(2) पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-व्यास के अतिरिक्त जल के बारे में विवाद एक ट्रिब्यूनल को सौंपा जाएगा जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। उसे अन्तः राज्य जल-विवाद अधिनियम 1956 के अधीन नियुक्त किया जाएगा। यह ट्रिब्यूनल इन दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का नये सिरे से निर्धारण करेगा।

(3) ट्रिब्यूनल का अंतिम निर्णय होने तक पंजाब और हरियाणा के बीच जल का बटवारा उक्त ट्रिब्यूनल द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर तय किया जाएगा।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(4) ट्रिब्यूनल से अपना निर्णय दो वर्ष की अवधि के अन्दर देने का अनुरोध किया जाएगा। ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और दोनों राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा ।

(5) पंजाब सतलुज-यमुना नहर के निर्माण के तत्काल उपाय करेगा और इसे दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करेगा ।

(6) उपर्युक्त के कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त कानूनी और प्रशासनिक उपाय तेजी से किए जाएंगे । ।

20. परन्तु बाद में अकाली दल के प्रतिनिधि पहले हुई सर्व सम्मति से पीछे हट गए और उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ट्रिब्यूनल के विचारार्थ विषय के क्षेत्र में राजस्थान के साथ 1955 का समझौता और यमुना जल का प्रश्न शामिल किया जाए । स्पष्टतया यह बात केन्द्र सरकार को और साथ ही हरियाणा तथा राजस्थान की सरकारों को अस्वीकार्य थी ।

21. अकाली दल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में से एक में प्रधान मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि पंजाब के हित को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और सुझाव दिया कि 'वेसिन' में पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के सम्पूर्ण प्रश्न का विशेषज्ञों की एक समिति अध्ययन करेगी और सरकार उसकी सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी । इस मसले पर अकाली दल के प्रतिनिधियों का कड़ा रुख बदलने में इन आश्वासनों का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ ।

ख. क्षेत्र संबंधी मसला

22. क्षेत्र संबंधी मांग सबसे अधिक विवादास्पद सिद्ध हुई । यह स्मरण होगा कि 1966 में शाह आयोग ने सिफारिश की थी कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए । लेकिन 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधान मंत्री के रूप में यह घोषणा की थी कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा । इस निर्णय के अनुसार--

(1) चंडीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र पंजाब को जाएगा ;

(2) पंजाब के फिरोजपुर जिले की फाजिल्का तहसील का एक भाग (अबोहर सहित) हरियाणा को हस्तान्तरित किया जाएगा; और

(3) अंतः राज्य सीमाओं के पुनर्समायोजन के लिए अन्य दावों तथा प्रतिदावों के बारे में एक आयोग नियुक्त किया जाएगा ।

बाद में राज्य के रुख में बदलाव के कारण उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

23. मौजूदा मांग यह है कि चंडीगढ़ तो तत्काल पंजाव को हस्तान्तरित किया जाए परन्तु अबोहर और फाजिल्का से संबंधित दावों और प्रतिदावों सहित सभी अन्य और दावों प्रतिदावों को आयोग को सौंपा जाना चाहिए ।

24. सरकार ने किसी भी राज्य के प्रति भेदभाव किए विना पूरी तरह सहायता करने के सभी प्रयत्न किए हैं और निम्नलिखित चार विकल्पों में से किसी एक को मानने की अपनी इच्छा व्यक्त की है :—

1. 1970 के निर्णय का कार्यान्वयन ;

2. चंडीगढ़ सहित सभी विवादों और दावों को एक नए आयोग को सौंपना ;

3. चंडीगढ़ को पंजाव और हरियाणा में वांटना, जिसमें वड़ा हिस्सा पंजाव को देना और शेष विवादों को किसी आयोग को सौंपना ; या

4. दोनों राज्यों को मान्य कोई और विकल्प अपनाना ।

उपर्युक्त रूपरेखा के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न कई फार्मूले प्रस्तावित किए गए थे । परन्तु अकाली दल के नेतृत्व को उनमें से कोई भी मान्य नहीं हुआ । प्रधानमंत्री ने संसद में वार-वार घोषणा की कि सरकार अपने इस निर्णय पर अडिग है कि चंडीगढ़ पंजाव को जाना चाहिए वशर्ते कि हरियाणा को इसकी समुचित पूर्ति कर दी जाए ।

25. अभी हाल में 2 जून, 1984 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में इस वात पर पुनः जोर दिया कि चंडीगढ़ पंजाव को मिलेगा वशर्ते कि हरियाणा को कुछ हिन्दी-भाषी क्षेत्रों का जो इस समय पंजाव में हैं अपना हिस्सा मिलता है । अकाली दल के प्रतिनिधियों का रवैया इस मुद्दे पर अपरिवर्तित रहा है अर्थात् सरकार चंडीगढ़ पंजाव को दे दे, तथा बाकी सभी दावे-प्रतिदावे, जिनमें अवोहर-फाजिल्का के दावे-प्रतिदावे शामिल हैं, एक आयोग को सौंप दिये जाएं । इनपर गांव को एक यूनिट तथा भाषा और क्षेत्र की संलग्नता के सिद्धान्त के आधार पर निर्णय किया जाए । हरियाणा सरकार चंडीगढ़ पर अपना दावा छोड़ देने को तैयार थी, परन्तु वह 1970 के निर्णय के आधार पर या किसी अन्य आधार पर जिसके बारे में परस्पर सहमति हो, पंजाव से कुछ क्षेत्रों का हस्तान्तरण चाहती थी । इस मसले पर गतिरोध बना हुआ है ।

26. इस पत्र में पहले उल्लिखित आनन्दपुर साहिव प्रस्ताव के उद्धरणों से देखने में आएगा कि अकाली दल ने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर इस आधार पर अपना दावा किया है कि वे "पंजावी-भाषी, सिख आवादीवाले इलाके" हैं । अकाली दल के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हरियाणा के साथ क्षेत्रीय विवादों के बारे में कोई भी समझौता

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

उनकी इस वचनवद्धता पर किया जाएगा कि वे अन्य राज्यों के इलाकों के वारे में कोई और दावों पर जोर नहीं देंगे ।

(iii) सामान्य मसले

(क) केन्द्र-राज्य संबंध

27. केन्द्र राज्य सम्वन्धों पर अकाली दल की मांग इस प्रकार है :--

"आनन्दपुर साहिव संकल्प के अनुसार, शिरोमणि अकाली दल को पक्का यकीन है कि केन्द्र की समृद्धि के लिए राज्यों की प्रगति आवश्यक है, जिसके लिए राज्यों को अधिक अधिकार और प्रान्तीय स्वायत्ता देने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिए । केन्द्र को अपने पास विदेशी मामले, रक्षा, मुद्रा और संचार (यातायात के साधनों सहित) विषय रखने चाहिए जबकि शेप विभाग राज्यों के पास होने चाहिए । इसके अलावा, सिखों को एक राष्ट्र के रूप में विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए" ।

28. केन्द्र-राज्य सम्वन्धों का प्रश्न एक व्यापक, सम्पूर्ण भारत पर प्रभाव डालने बाला प्रश्न है और इसकी चर्चा केवल पंजाव के सन्दर्भ में नहीं की जा सकती है । इस वात को जनवरी-फरवरी 1983 में त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान विपक्षी नेताओं ने भी व्यापक रूप से स्वीकार किया था । उन वार्ताओं के दौरान यह विशेप रूप से उल्लेख किया गया था कि इस वारे में किसी निर्णय को आनन्दपुर साहिव संकल्प से जोड़ने की कल्पना नहीं की जा सकती ।

29. विषय के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार ने जून 1983 में न्यायमूर्ति श्री रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया । यह आयोग, भारत संघ और राज्यों के वीच सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के वारे में मौजूदा सम्वन्धों की व्यावहारिकता की जांच और समीक्षा करेगा, और ऐसे परिवर्तनों तथा अन्य उपायों की सिफारिश करेगा, जो उचित समझे जाएं । आयोग, देश की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए वनाये गये संविधान के ढांचे और उसके स्वरूप को भी ध्यान में रखेगा । केन्द्र-राज्य सम्वन्धों की ऐसी व्यापक समीक्षा करने के सरकार के निर्णय से अकाली दल को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए था, जैसे कि अन्य विपक्षी दल भी इससे सन्तुष्ट हो गये थे, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था । परन्तु अकाली दल इस बात पर अड़ा रहा कि सरकार को सरकारिया आयोग को मामला भेजते समय आनन्दपुर साहिव संकल्प का विशिष्ट उल्लेख करना चाहिए ।

दरअसल, त्रिपक्षी बैठक में अकाली दल के प्रतिनिधि इस वात से सहमत हो गये थे कि वे आनन्दपुर साहिव संकल्प के विशिष्ट उल्लेख पर जोर नहीं देंगे परन्तु वाद में अकाली दल के अध्यक्ष, सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने गृह मंत्री को भेजे गए अपने पत्र में इस मांग पर फिर से आग्रह किया ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

30. सरकार का इस सन्दर्भ में मत कई अवसरों पर स्पष्ट किया जा चुका है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर आनन्दपुर साहिब संकल्प में जिन प्रस्तावों का उल्लेख है वे राष्ट्र की एकता और अखण्डता की बुनियादी संकल्पना से कतई मेल नहीं खाते जो हमारे संविधान में बतायी गयी हैं। इन्हें विचार-विमर्श के आधार के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

31. भारत के लोग इस धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं कि भारत एक बहुराष्ट्रीय समाज है। भारत के लोग एक राष्ट्र के रूप में गुंथे हैं। भारत ने युगों से चली आ रही अपनी सभ्यता में भाषा, धर्म आदि की भिन्नता में भी निहित अपनी आधारभूत एकता प्रदर्शित की है। साम्राज्यवाद के साथ एक लम्बे और ऐतिहासिक संघर्ष के बाद प्राप्त भारत के पुष्ट राष्ट्रत्व के विरुद्ध किसी भी प्रकार की चुनौती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तथापि, सरकार ने अकाली दल के प्रतिनिधियों से यह स्पष्ट कर दिया है कि अकाली दल की इस बात की पूरी छूट है कि वह अगर चाहे तो सरकारिया आयोग के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत अपना दृष्टिकोण रख सकता है।

(ख) अन्य मांगें

32. अपनी अन्य मांगों में अकाली दल के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके लिए निम्नलिखित दो मुद्दे विशेष महत्व के हैं :—

(i) हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देना;

(ii) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से पंजाबी किसानों को हटाने से रोकना।

(i) पंजाबी भाषा के लिए दूसरी भाषा का दर्जा

33. अकाली दल यह मांग करता रहा है कि हरियाणा और राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहां पंजाबी भाषी जनसंख्या काफी संख्या में हैं, पंजाबी को स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। वार्ता के दौरान अकाली दल के नेताओं ने विस्तार से यह बात कही कि जबकि पंजाब के स्कूलों में हिन्दी भाषा पांचवीं कक्षा से पढ़ाई जाती है, हरियाणा में त्रिभाषा फार्मूले के अधीन तेलुगु या संस्कृत जैसी भाषाएं चुनी गई हैं।

जब उन्होंने यह मसला उठाया तभी उन्हें, 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किए गए त्रिभाषा फार्मूले को स्पष्ट करके बताया गया और यह सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित मुख्य मंत्री स्वयं इसका कोई व्यावहारिक हल निकाल सकते हैं।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

34. राज्यों ने पहले ही विभिन्न उपाय किए हैं और स्थिति निम्न प्रकार है :—

प्राइमरी स्तर

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति करके प्राइमरी स्तर पर पंजाबी पढ़ाने की व्यवस्था के लिए आदेश विद्यमान हैं, बशर्ते कि पूरे स्कूल में इस भाषा को पढ़ने के इच्छुक छात्रों की संख्या 40 से कम न हो या एक कक्षा में 10 से कम न हो ।

सेकेण्डरी स्तर

राज्य सरकारें मुख्य मंत्रियों द्वारा यथास्वीकृत त्रिभाषा फार्मूले का अनुसरण कर रही हैं । इस फार्मूले के अधीन पंजाबी भाषा पढ़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में राज्य सरकारों के अनुदेश विद्यमान हैं ।

(ii) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पंजाबी किसान

35. अकाली दल के प्रतिनिधियों ने यह शिकायत की कि तराई में सिख किसानों को "हटाया", "बेदखल" और "गिरफ्तार" किया जा रहा है । राज्य सरकार ने इस बात से इन्कार किया है । राज्य सरकार ने कहा है कि उनकी नीति जनजाति जमीन, पर से अनधिकृत कब्जे को हतोत्साहित करने की है और कानून सम्मत भूमिधारियों को, चाहे वे किसी भी मूल के हों, बेदखल करने या हटाने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं । उन्होंने यह बताया है कि लगभग 7860 अनधिकृत कब्जा करने वालों में से 5000 से अधिक तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, और ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में एक समान नीति अपनायी जा रही है । इस विषय पर राज्य के कानून का मुख्य उद्देश्य जनजातियों की भूमि के और हस्तान्तरण को रोकना और जिस भूमि को वे खो चुके हैं उसे उन्हें वापिस दिलाना है । 1947 से पहले जिला नैनीताल के तराई भाबर क्षेत्र में थारू और बक्सर जनजातियां लगभग 2.25 लाख एकड़ भूमि पर खेती करती थीं । धीरे-धीरे यह स्थिति बदलकर उनके अहित में चली गयी है और अब रिकार्ड के अनुसार वे केवल 0.80 लाख एकड़ भूमि के पट्टेदार रह गये हैं जिसमें से भी वे 16,500 एकड़ भूमि पर से अपना अधिकार गैर-जनजातियों के पक्ष में खो चुके हैं । राज्य सरकार ने इसी सन्दर्भ में जनजातीय लोगों के हित में कार्रवाई की ।

36. अकाली दल के नेताओं को यह स्पष्ट किया गया कि प्राय: प्रत्येक राज्य ने जनजाति भूमि के हस्तान्तरण को रोकने की सर्व-सम्मत नीति के अनुसार कानून बनाए हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष रूप से अनुदेश दिए थे कि वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों तथा काननी तन्त्र के अनुसार ही कार्रवाई करें ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(ग) संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ख) का संशोधन

37. अकाली दल द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई विभिन्न मांगों पर बातचीत चल ही रही थी कि अकाली दल ने जनवरी, 1984 में एक बिलकुल नई मांग रख दी, जिसमें संविधान* के अनुच्छेद 25(2)(ख) में संशोधन करने के लिए कहा गया और इस मांग को रखने के करीब-करीब साथ ही एक आन्दोलन की घोषणा कर दी जिसमें भारत के संविधान को जलाना और विकृत करना शामिल था ।

38. मार्च, 1984 में भी जब अकाली दल ने सरकार को भेजे गए पत्र में इस मांग का पहली बार उल्लेख किया था, उसमें चाहे गए संशोधन का आशय स्पष्ट नहीं किया गया था । वास्तविकता यह है कि अकाली दल ने अपना स्वयं का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तय नहीं किया था । यह बात 1 मई 1984 के अखबारों की इस खबर से जाहिर होती है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष ने 21 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जो अनुच्छेद 25 से सम्बन्धित संशोधनों का सुझाव देगी ।

39. सरकार का यह मत है, कि अनुच्छेद 25(2)(ख), सिख समुदाय की विशिष्ट पहचान को कमज़ोर करने की बात तो दूर रही, वास्तव में उस पहचान को मान्यता देता है । फिर भी, चूंकि सन्देह उठाये गये थे, इसलिए गृह मंत्री ने 31 मार्च, 1984 को एक वक्तव्य जारी किया कि सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी और सिख समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों तथा कानूनी विशेषज्ञों से भी परामर्श करने के लिए तैयार रहेगी तथा ऐसे सन्देहों को हटाने के लिए यथावश्यक संशोधन द्वारा कानून बनाने का काम हाथ में लेगी । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को इस बारे में अपने सुझाव या प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित भी किया गया ताकि सरकार आगे और विचार कर सके । अनुच्छेद 25 के संशोधन के लिए आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए अकाली नेताओं को जेल से रिहा किया गया था ताकि वार्ता के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सके ।

---

*भारत के संविधान का अनुच्छेद 25(2)(ख) इस प्रकार है:—

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो:—

(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बन्धन करती है ;

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार का उपबन्ध करती है या सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए खोलती है ।

स्पष्टीकरण:—(1) कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—(2) खण्ड (2) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अकाली दल ने अनुच्छेद 25 के संशोधन की मांग के साथ सिखों के लिए अलग वैयक्तिक कानून (पर्सनल लॉ) को जोड़ने की मांग भी की पर, सरकार को विचार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिए गए, और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा कानूनों में क्या और किन कारणों से परिवर्तन अपेक्षित हैं ।

40. संविधान के अनुच्छेद 25 के संशोधन की मांग स्वीकार कराने के लिए सरकार पर दबाव डालने के वास्ते जो समय व तरीका चुना गया, वह अकाली दल द्वारा विचार-विनिमय करने का एक अपना ही ढंग है । अनुभव यह रहा है कि लम्बे विचार-विमर्श के बाद जब कुछ मुद्दों पर समझौता होने की उम्मीद दिखाई देने लगी तो नए मुद्दे उठाए गए, इससे समझौते की किसी भी सम्भावना को विफल किया गया । बहुधा मांगों को इस बात पर ध्यान रखे बिना रखा जाता था कि स्वयं सिख समुदाय पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे । अकाली दल किसी-किसी मुद्दे पर आन्दोलन जारी रखने का इच्छुक प्रतीत होता था । प्रत्येक कुछ महीनों के बाद नएं मोर्चों या बन्द का आह्वान होता था; प्रत्येक नया आन्दोलन पिछले आन्दोलन से अधिक हिंसक और खतरनाक होता था ।

41. अकाली दल के साथ बातचीत के बारे में गृह मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 1984 को दिया गया विस्तृत वक्तव्य और 2 जून, 1984 को प्रधान मंत्री का राष्ट्र को प्रसारण क्रमशः अनुलग्नक V और VI पर है ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

3. पंजाब में आतंक व हिंसा

16 पंजाब में दुखद घटनाओं की शुरूआत कुछ कट्टरपंथी सिखों और निरंकारियों के बीच साम्प्रदायिक विद्वेष की वारदातों से हुई। अप्रैल, 1978 में झड़पों में हुई हत्याओं की चरम परिणति 24 अप्रैल, 1980 को निरंकारियों के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या के रूप में हुई। इसके बाद आतंक और हिंसा से लैस धर्मान्धता और उग्रवाद पंजाब के राजनीतिक जीवन पर छा गया। समाज पर हुए इस जबरदस्त हमले का परिणाम केवल मारे गये या घायल हुए लोगों की संख्या से नहीं आंका जा सकता। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य पंजाब के लोगों में अलगाव पैदा करना और उनकी सांझी संस्कृति को नष्ट करना था।

हिंसा का स्वरूप / 20

2. यह विरोधाभास ही है कि साम्प्रदायिक पृथकतावाद उस आन्दोलन का अभिन्न अंग बन गया जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी पंजाबियों की शिकायतें दूर करने के नाम पर आरंभ किया गया था। वहां जो ताकतें काम कर रही थीं, उनके कारण ही यह स्थिति पैदा हुई। अकाली दल आन्दोलन, उग्रवाद से उत्पन्न विषाक्त साम्प्रदायिकता तथा एक छोटे से समूह जिसे मुख्यतः बाहरी तत्वों का समर्थन प्राप्त था, की पृथकतावादी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बीच सहजीवन संबंध कायम हो गया। इसके साथ ही भिन्न-भिन्न किस्म के लोग या समूह जैसे कि तस्कर, अपराधी, नक्सलवादी भी अनिश्चित स्थिति का फायदा उठाने लगे। जो बहुत से लोग यह सोचते थे कि राजनीतिक पक्ष को पृथकतावाद और उग्रवाद से अलग रखा जा सकता है संभवतः उपरोक्त तत्वों के पारस्परिक संबंधों के जटिल और बदलते हुए स्वरूप को नहीं देख पाये। पर उग्रवादी हिंसा की राजनीति का अपना ही गतिशास्त्र है। कुछ समय बीतते ही ये लोग अन्य प्रवृत्तियों पर हावी हो जाते हैं। पहले भी ऐसा ही होता रहा है और इसलिए आश्चर्य नहीं कि पंजाब में भी यही हुआ जहां हिंसा और आतंकवाद शीघ्र ही हावी हो गया।

3. अकाली दल ने हत्या, आगजनी व लूटपाट के उद्देश्यों और तरीकों से असहमत लोगों की निर्मम हत्याओं को न केवल अनुचित नहीं ठहराया बल्कि आन्दोलनकारी कार्यक्रम और ऐसी हिंसा के बीच जो सारे राज्य को अपनी चपेट में ले रही थी, कोई गहरा संबंध होने से भी इन्कार करते रहे। हिन्दू सिख सौहार्द के समर्थक होने का दावा करने के बावजूद इस दल ने साम्प्रदायिक कट्टरपंथियों द्वारा फैलाये जा रहे जहरीले प्रचार की निन्दा नहीं की। स्वर्ण मंदिर परिसर तथा अन्य पूजा-स्थलों का बड़ी भारी मात्रा में अस्त्रशस्त्र व गोला बारूद जमा करने, हत्यारों और अपराधियों को शरण देने तथा तोड़फोड़ और विद्रोह की विस्तृत तैयारी करने के लिए दुरूपयोग किये जाने की अकाली दल के नेताओं ने निन्दा नहीं की, बल्कि इस तरह की गतिविधियों के अस्तित्व से भी इन्कार किया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

4. पंजाब में एक आक्रामक ग्रुप द्वारा हिंसा का ढांचा धीरे-धीरे खड़ा किया गया, जिसे पता था कि उसकी मन्शा क्या है, और जिसे विश्वास था कि इस आन्दोलन के अग्रणी राजनीतिक नेता उनसे कुछ नहीं कहेंगे ।

5. अकाली दल द्वारा सरकार को अपनी मांगें प्रस्तुत किये जाने से पहले, अखिल भारतीय सिख छात्र संघ (ए०आई०एस०एस०एफ०) तथा अन्य संगठन अमृतसर में रैलियों तथा जुलूसों का आयोजन कर रहे थे । 'खालिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाए जाते थे और साम्प्रदायिक तनाव जानबूझ कर पैदा किया जाता था। उसके बाद सितम्बर, 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या की गई थी क्योंकि उन्होंने निरंकारियों को मारे जाने की आलोचना की थी । श्री भिन्डरांवाले की हत्या के सिलसिले में 20 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किया गया था । बहुत अधिक पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें मेहता चौक के पास पुलिस पर घातक हथियारों से हमला किया गया। पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसे न्यायिक जांच में उचित पाया गया । उसी दिन मोटर-साइकिल पर सवार एक गिरोह ने जालन्धर में चार व्यक्तियों की हत्या कर दी और कई व्यक्तियों को घायल कर दिया । इस प्रकार मोटर-साइकिल सवारों द्वारा बेबात हत्याएं करने का दौर शुरू हो गया जिसका आतंक अगले तीन वर्षों तक पंजाब में छाया रहा। 29 सितम्बर, 1981 को इण्डियन एयरलाइन्स के एक हवाई जहाज को कुछ सिख आतंकवादी अपहरण करके लाहौर ले गए । ये आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान में हैं, हालांकि पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया जा चुका है ।

इन सब बातों से, अकालियों के आन्दोलन की शुरूआत की पृष्ठभूमि बनी ।

अकाली दल आन्दोलन

8. प्रधान मंत्री अकाली दल के नेताओं से अक्तूबर 1981, फिर नवम्बर 1981 तथा अप्रैल 1982 में मिली और विचार-विमर्श आगे बढ़ रहा था कि अकाली दल ने सतलुज-यमुना लिंक नहर की खुदाई में रुकावट डालने तथा सरकारी ऋण न अदा करने संबंधी कार्यक्रम की घोषणा की । आन्दोलन पहले 24 अप्रैल, 1982 को और फिर 24 मई, 1982 को किया गया ।

9. अकाली दल आन्दोलन से उत्पन्न तनाव उन विभिन्न आतंकवादी ग्रुपों के अनुकूल था जो इसमें भाग ले रहे थे । दल खालसा ने खुले आम साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काया । 26 अप्रैल 1982 को इन्होंने हिन्दू मन्दिरों को अपवित्र करने की गंभीर कार्रवाइयां की और जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और घोषणा की कि उनका इरादा आगे भी ऐसा बार-बार करने का है। गो-हत्या आन्दोलन की धमकी दी, जिससे साम्प्रदायिक तनाव के बिगड़ने की बहुत आशंका थी । 1 मई, 1982 को दल खालसा तथा राष्ट्रीय खालिस्तान परिषद को गैर-कानूनी संघ घोषित किया गया ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

उग्रवाद में वृद्धि / 20

8. एक हत्या के प्रयास के मामले में ए०आई०एस०एस०एफ० के अध्यक्ष श्री अमरीक सिंह, तथा अन्य लोगों की 19 जुलाई, 1982 को गिरफ्तारी के बाद श्री भिन्डरांवाले ने अपना मुख्यालय चौक मेहता से स्वर्ण मन्दिर के परिसर के भीतर गुरू नानक निवास में स्थानान्तरित कर दिया । इस कार्रवाई के पीछे क्या अभिप्राय था, बाद यह में हुई घटनाओं के रूप में दिखाई पड़ा । श्री अमरीक सिंह को बिना शर्त रिहाई के लिए एक मोर्चा शुरु किया गया ।

9. इस तनावपूर्ण वातावरण के बावजूद, अकाली दल ने 4 अगस्त, 1982 से अपना मोर्चा और तेज कर दिया और इसे एक 'धर्म युद्ध' की संज्ञा दी । इसके बाद इण्डियन एयर लाइन्स के हवाई जहाज के अपहरण की दो घटनाएं हुईं । 20 अगस्त, 1982 को जालन्धर जिले में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री दरबारा सिंह की हत्या करने की कोशिश की गई ।

10. श्री भिन्डरांवाले तथा अन्य व्यक्ति जो अब सीधे स्वर्ण मन्दिर परिसर से कार्रवाई कर रहे थे, उन्होंने हिंसा की प्रशंसा की तथा लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काना शुरु कर दिया । उग्रवादियों तथा आतंकवादियों ने स्वर्ण मन्दिर परिसर का खुलकर उपयोग करना शुरु कर दिया। राष्ट्रीय खालिस्तान परिषद् के श्री बलबीर सिंह सन्धु भी वहां आ पहुंचे । राज्य प्राधिकारियों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अनुरोध किया कि वे उन अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दें जिनकी उन्हें तलाश है। यह विफल रहा ।

11. 11 सितम्बर, 1982 को तरन तारन में रेलवे क्रासिंग पर जहां कोई कर्मचारी तैनात नहीं था, एक रेल दुर्घटना हुई, जिसमें अकाली दल के कुछ ऐसे व्यक्तियों की जानें गईं, जिनके मामले अदालत में विचाराधीन थे, अकाली दल ने इसे जानबूझकर मारने की कोशिश बताया । मृतकों के अन्तिम संस्कार के बाद नई दिल्ली में 11 अक्तूबर, 1982 को संसद के समक्ष हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ ।

सरकार की चेष्टा तथा अकाली दल की प्रतिक्रिया / २०

12. सरकार ने सद्भावना के तौर पर तथा बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्तूबर 1982 में अकाली दल के गिरफ्तार सभी आन्दोलनकारियों को रिहा कर दिया । पर अकाली दल के नेताओं ने आन्दोलनकारियों को निदेश दिये कि वे जेलों से न निकलें । 26 अक्तूबर 1982 को रामनवमी के एक जुलूस पर हथगोले फेंके गए और उत्तेजनात्मक भाषणों से अमृतसर में नई हिंसात्मक घटनाएं भड़क उठीं। 4 नवम्बर, 1982 को गृह मंत्री ने लोक सभा में आन्दोलन को वापस लेने या स्थगित करने की अपील की । इसके उत्तर में अकाली दल ने मुख्य मंत्री का घेराव करने का एक नया कार्यक्रम शुरु कर दिया। ध्यान देने योग्य महत्वपुर्ण बात यह है कि अकाली दल ने आन्दोलनों के लिए गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों को विशेष रूप से चुना या फिर आन्दोलन उन मौकों पर आयोजित किये जब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा का सवाल था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

नवम्बर-दिसम्बर 1982 में एशियाई खेलों के अवसर पर प्रदर्शन करने की धमकी दी गई और नवम्बर 1983 में राष्ट्र मंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अवसर पर अकाली दल की ओर से पैम्फलेट बांटा गया, जिसमें सरकार की बदनामी करते हुए निराधार आरोप लगाए गए ।

13. अकाली दल ने घोषणा की थी कि यदि उसकी मांगें 21 फरवरी, 1983 तक स्वीकार नहीं की गई तो यह लड़ाई गली-कूचों तक पहुंच जायेगी । बड़ी संख्या में सिखों, को "करो या मरो" कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया और शहीदी स्वयंसेवकों को भर्ती शुरू कर दी गयी ।

14. बातचीत अभी चल ही रही थी, इसलिए 31 मार्च, 1983 को अकाली दल के नेताओं से आन्दोलन समाप्त करने की नई अपील की गई । इसका जवाब पंजाब में 4 अप्रैल, 1983 को "रास्ता रोको" आन्दोलन के रूप में दिया गया जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसा तथा आगजनी की घटनाएं हुई ।

15. 30 मई, 1983 को गृह मंत्री ने संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल को एक पत्र लिखा जिसमें बातचीत पुनः शुरू करने का सुझाव दिया गया, अकाली दल ने 17 जून, 1983 को "रेल रोको" कार्यक्रम की घोषणा कर दी । 29 अगस्त, 1983 को "काम रोको" आन्दोलन चलाया गया, जिसमें फिर हिंसक घटनाएं हुई ।

आतंक का विस्तार

16. इस पूरी अवधि में उग्रवादी उन कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर आक्रमण करते रहे जो कानून व व्यवस्था कायम रखने का दायित्व निभा रहे थे । इन सभी अपराधों में सबसे संगीन अपराध 25 अप्रैल, 1983 को श्री ए० एस० अटवाल, उप महानिरीक्षक पुलिस, जालन्धर रेंज, का कायरतापूर्ण ढंग से उस समय हत्या किया जाना है, जब वह प्रार्थना करने के बाद दरबार साहिब से बाहर आ रहे थे । आक्रमणकारी स्वर्ण मंदिर के अन्दर से आए थे और अपराध करने के बाद उसमें पनाह लेने के लिए वापस भाग गए । पुलिस और उग्रवादियों के बीच अनेक मुठभेड़ें हुई जिनमें कई पुलिस कर्मी मारे गए । बहुत से लोग विस्फोटों में मारे गए । निरंकारियों और अन्यों को चुन चुन कर मारने की घटनाएं भी जारी रही ।

17. अखिल भारतीय सिख छात्र संघ पर जिसे शुरू में सन् 1944 में सिख युवकों के मन में महान गुरुओं के उपदेशों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया और इसके सदस्यों ने हत्याएं और अन्य हिंसक वारदातें करनीं शुरू कर दीं । जून, 1983 के बाद से उग्रवाद तथा सांम्प्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तथा हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए गुरमत कैंपों का संगठित ढंग से प्रयोग किया गया । अनेक कैंपों में पाकिस्तान तथा खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

सांप्रदायिक आयाम

18. सितम्बर, 1983 में हिन्दू समुदाय के लोगों को जानबूझ कर मारने की योजना से बढ़ती हुई हिंसा को एक नया स्वरूप दिया गया । 28 सितम्बर, 1983 को लुधियाना जिले में जगराव में सवेरे सैर करते हुए व्यक्तियों पर अन्धाधुन्ध गोलीबारी की गई । इसके बाद 5 अक्तूबर, 1983 को कपूरथला जिले में धिलवां के नजदीक एक बस का अपरहण किया गया और छह हिन्दू यात्रियों को अन्य यात्रियों से अलग करके निर्मम हत्या कर दी गई ।

19. 21 अक्तूबर, 1983 को तोड़फोड़ के कारण सियालदा-जम्मू तवी एक्सप्रेस गाड़ी पटरी से उतर गई जिसके कारण 19 यात्रियों की मृत्यु हो गई । 18 नवम्बर, 1983 को बस में यात्रा कर रहे अन्य चार हिन्दू यात्रियों की अमृतसर जिले में हत्या कर दी गई ।

20. राज्य में घटनाओं का दौर उस सीमा तक पहुंच गया था कि उसका असर देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर पड़ रहा था। इसे देखते हुए पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया । 6 अक्तूबर, 1983 से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और आतंकवाद को दबाने के लिए अनेक प्रशासकीय और कानूनी उपाय किए गए। 7 अक्तूबर, 1983 को पंजाब अशांत क्षेत्र अध्यादेश, 1983 और चंडीगढ़ अशान्त क्षेत्र अध्यादेश, 1983 की घोषणाएं की गयीं। 15 अक्तूबर, 1983 को सशस्त्र बल (पंजाब और चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1983 प्रख्यापित किया गया । इन अध्यादेशों को बाद में संसद के अधिनियमों के रूप में पारित कर दिया गया। पंजाब में अतिरिक्त केन्द्रीय बलों को तैनाती की गई। प्रशासकीय उपायों के अतिरिक्त, गैर-कानूनी हथियारों और गोला-बारूद को बरामद करने के लिए छापे मारे गए तथा खोजबीन की कार्रवाई की गई, फलस्वरूप कुछ नतीजे भी सामने आए।

अकाल तख्त का दुरुपयोग

21. 15 दिसम्बर, 1983 को श्री भिंडरांवाले अपने हथियारबन्द संगीसाथियों सहित गुरु नानक निवास से अकाल तख्त पहुंच गए। इस पवित्र स्थान से, भिंडरांवाले और उसके सहयोगियों ने हिंसा और सांप्रदायिक घृणा भड़काने वाली गतिविधियां तेज कर दीं। गिरफ्तार किए गए अनेक व्यक्तियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने हिंसक अपराध, उनके विशेष निर्देशों पर किए थे ।

22. उग्रवादियों का एक मुख्य उद्देश्य उन सिखों को समाप्त करना था जो उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ थे। कानून का पालन करने वाले लोगों को, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए डराने के उद्देश्य से बड़ी भारी संख्या में सिखों, पुलिस कर्मियों, राजनीतिज्ञों, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गुरुओं की हत्याएं की गईं। यही हाल स्वर्ण-मंदिर के भीतर उन लोगों का हुआ जिन पर संदेह था या जिनके बारे में यह समझा गया कि उन्होंने आतंकवादियों

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

की अवहेलना की थी, लोगों को यातनाएं दीं गईं और कष्टपूर्ण मौत का शिकार बनाया गया। बाद में उनकी लाशों को खुली नालियों में फेंक दिया गया इसके अलावा अन्य निन्दनीय तरीकों से भी मंदिर को अपवित्र किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने इन निर्मम हत्याओं व तरीकों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और न ही उन्होंने इनकी निन्दा की। लाखों सिखों और हिन्दुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले इस मंदिर को इस प्रकार अपवित्र करने की कार्रवाई के प्रति उन्होंने कोई चिन्ता नहीं दिखाई ।

23. इस तथ्य को जानते हुए कि मोर्चा या बंद के लिए किए गए प्रत्येक आह्वान से हिंसा की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, अकाली दल ने 26 जनवरी, 1984 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 को जलाने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 8 फरवरी, 1984 को पंजाब बन्द की अपील की गई। दूसरी ओर एक नये संगठन अर्थात् हिन्दू सुरक्षा समिति ने जिसका गठन 1981 में हुआ था, 14 फरवरी, 1984 को बन्द का आह्वान किया। इसके कारण, फिर विभिन्न स्थानों पर गंभीर झड़पें तथा हिंसक घटनाएं हुईं जिनमें 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उग्रवादी हिन्दू संगठनों के कुछ सदस्यों ने स्वर्ण मंदिर के माडल को क्षतिग्रस्त करके और अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लगे गुरु रामदास के चित्र को नुकसान पहुंचा कर अनुचित आचरण किया।

24. इसके बाद स्वर्ण मंदिर परिसर में रहने वाले उग्रवादियों तथा उन्होंने जो पूरे पंजाब में फैल चुके थे, सुरक्षा बलों से मुकाबला करने का दुस्साहस करना शुरू किया। स्वर्ण मंदिर के नजदीक के भवनों से पुलिस कर्मियों पर बार-बार गोलीबारी होती रही।

लोग निरन्तर भयभीत रहने लगे। केवल इस बात का संदेह होने पर ही कि किसी ने उग्रवादियों की आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी है, तत्काल बदले की कार्रवाई की आशंका व्याप्त हो जाती थी। अदालतों में गवाही देना तो दूर रहा, लोग उन अपराधों के बारे में बात करने से भी डरते थे जो उन्होंने अपनी आंखों से होते देखे थे। न्यायपालिका तक को डराया-धमकाया गया था। इस तरह, कानून लागू करने वाली एजेंसियां बुरी तरह से अक्षम पड़ गई थीं। इस प्रकार गिरफ्तार लोग छूट जाते और अभियुक्तों को सजा नहीं हो पाती । स्वर्ण मंदिर के समीप रहने वाले किराएदारों और मकान मालिकों को उनके मकानों से जबरदस्ती निकाल दिया गया। ब्रह्म बूटा अखाड़े के महन्त को उग्रवादियों द्वारा पद से हटाकर बन्दी बना लिया गया और भवन को अर्द्ध सैनिक बलों पर आक्रमण करने के लिए एक मोर्चाबंद चौकी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों को स्वर्ण मंदिर में विभिन्न राष्ट्र विरोधी ग्रुपों का संरक्षण मिलता रहा। इस अंतहीन अराजकता से लोगों का मनोबल टूट गया और वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगे।

फरवरी, 1984 का विचारविमर्श

25. सरकार ने 14 फरवरी, 1984 को एक और त्रिपक्षीय बैठक बुलाई। एक बार फिर. बातचीत शुरू होने के साथ ही, पंजाब में हिंसा की नई लहर शुरू हो गई। हरियाणा में भी हिंसा की अनेक घटनाएं हुईं। 19 फरवरी, 1984 को पानीपत में 8 सिखों समेत कई निर्दोष जानें गईं।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

26. त्रिपक्षीय बैठक 15 फरवरी को स्थगित हो गई थी और कुछ दिन बाद वह फिर होने वाली थी। परन्तु अकाली दल के नेता बातचीत के लिए फिर नहीं आए। आतंकवादी गिरोह सारे राज्य में लोगों की बेबात हत्या करने लगे। 21 फरवरी, 1984 को नौ व्यक्तियों की, 22 फरवरी को 12 व्यक्तियों, 23 फरवरी को 11 व्यक्तियों तथा फिर 24 फरवरी को 3 व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष, श्री वेदपाल तथा पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री दरबारा सिंह की हत्या करने के प्रयास किये गये। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष, श्री एच० एस० मनचन्दा की 28 मार्च, 1984 को दिल्ली में और संसद सदस्य तथा पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० बी० एन० तिवारी की, जिन्होंने पंजाबी भाषा के लिए बहुत योगदान दिया था, 3 अप्रैल, 1984 को चंडीगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

27. संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने 2 अप्रैल, 1984 से मनाये जाने वाले "पंथ आज़ाद सप्ताह" के लिए एक .नया आह्वान किया। इसे गृहमंत्री के इस वक्तव्य के बाद वापस ले लिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ख) के संशोधन की मांग पर विचार किया जा सकता है। परन्तु पंजाब में स्थिति को काफी अधिक क्षति पहले ही पहुंच चुकी थी।

28. पंजाब में सामान्य जीवन को पूरी तरह से अस्तव्यस्त करने के सुनियोजित प्रयासों के और अधिक सबूत मिलने लगे। आतंकवादी आन्दोलन से संबद्ध समाज विरोधी तथा अन्य अपराधिक तत्वों द्वारा बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों की लूट अधिक सुनियोजित और व्यापक स्तर पर की जाने लगी। 1 अक्तूबर, 1983 से 31 मई, 1984 तक की अवधि में 24 बैंकों में डाके डाले गये। भारी मात्रा में नकदी लूटी गई और गार्ड तथा अन्य कार्मिक मारे गये। 14 और 16 अप्रैल, 1984 के बीच 39 रेलवे स्टेशनों को, जिनमें से अधिकांश पर कर्मचारी नियुक्त नहीं थे, आग लगाने का बड़ा अभियान स्पष्टतया शक्ति प्रदर्शन के रूप में शुरू किया गया।

29. 4 अगस्त, 1982 से जब से अकाली मोर्चा शुरू हुआ था, 3 जून, 1984 तक 1200 से अधिक हिंसक घटनाएं हुईं जिनमें 410 व्यक्ति मारे गये और 1180 से अधिक घायल हुए। 1 जनवरी, 1984 से 3 जून, 1984 तक 775 से अधिक हिंसक घटनाएं हुईं जिनमें 298 व्यक्ति मारे गये और 525 से अधिक घायल हुए।

× × ×

अप्रैल-मई, 1984 में हुई हत्याएं

30. हत्याओं, आगजनी और लूट-पाट की लगातार घटनाओं का ब्यौरा वर्षवार और महीनेवार अनुलग्नक-7 में दिया गया है जो 1981--84 के दौरान भिन्न-भिन्न चरणों में प्रचण्डता तथा कटुता की पराकाष्ठा पर पहुंची। लेकिन, अप्रैल-मई, 1984 की मुख्य घटनाओं पर विशेष प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि वे आतंकवादियों के वास्तविक स्वरूप तथा मंसूबों को जाहिर करती हैं। फिरोजपुर में एक कालेज के प्रिंसिपल की 1 अप्रैल, 1984 को गोली मार कर हत्या कर दी गई। अखिल भारतीय सिख छात्र संघ परीक्षाओं को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर आगजनी के कार्यों में लग गया। 2 अप्रैल, 1984 को भूतपूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के नेता

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

श्री हरवंसलाल खन्ना की स्वयं उनकी दुकान के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 अप्रैल, 1984 को श्री सुरिन्दर सिंह सोढी की हत्या ने अकाली दल के नेताओं और श्री भिंडरांवाले के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न कर दिया, परन्तु इस समय तक श्री भिंडरांवाले जो चाहे उसे करवाने की स्थिति में हो गए थे। हत्यारा तुरन्त मारा गया और श्रीमती वलजीत कौर को भी जिसका श्री सोढी की हत्या में हाथ बताया जाता है, मार डाला गया और उसके क्षत-विक्षत शव को एक बोरी में बन्द कर के बाहर फैंक दिया गया।

~~31.~~ 26 अप्रैल, 1984 को सुरक्षा बलों पर मोगा में गुरुद्वारे के भीतर से गोली चलाई गई। अत्यन्त सम्माननीय आध्यात्मिक नेता और श्री अकाल तख्त साहिब के भूतपूर्व जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी परताप सिंह की 10 मई, 1984 को हत्या कर दी गई। महन्त गोपाल दास और उनके शिष्य की 14 मई को हत्या कर दी गई; गुरुद्वारा टोट साहिब के श्री निरंजन सिंह, ग्रन्थी की 14 मई, 1984 को हत्या कर दी गई, मजोली गांव के ग्रंथी सूरत सिंह की 16-17 मई की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई और ग्राम वालटोहा में एक गुरुद्वारे के ग्रंथी श्री जरनैल सिंह की 17-18 मई, 1984 को हत्या कर दी गई। पुजारियों और धार्मिक नेताओं को, श्री भिंडरांवाले के निर्देश बिना कोई आपत्ति किये स्वीकार करने के लिए डराया धमकाया जा रहा था। समाचार पत्रों के हिन्द समाचार ग्रुप के सम्पादक और लाला जगत नारायण (जिनकी पहले हत्या कर दी गई थी) के पुत्र श्री रमेश चन्द्र की 12 मई, 1984 को हत्या कर दी गई।

~~32.~~ सुरक्षा बलों ने, 11 मई, 1984 को एक "कार सेवा" ट्रक की तलाशी ली और स्टेन गनें, हथियार और गोलाबारूद बरामद किया। ट्रक श्री जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नाम में रजिस्टर्ड पाया गया। आतंकवादी स्वचालित हथियारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमला करते रहे।

~~33.~~ अब तक आतंकवादियों ने अपनी सामरिक स्थिति को सुधारने के ध्येय से स्वर्ण मंदिर के आसपास के कुछ प्राइवेट मकानों पर कब्जा कर लिया था। उग्रवादी जबरदस्ती धन खसोटने लगे और श्री भिंडरांवाले ने औद्योगिक तथा भूमि विवादों और व्यक्तिगत मामलों का भी निर्णय करना शुरू कर दिया।

सरकार को संत लोंगोवाल और श्री भिंडरांवाले के अनुयायियों समेत स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर रह रहे विभिन्न ग्रुपों के बीच हिंसक झगड़ों के बारे में विश्वस्त सूचना भी मिली थी। मंदिर के भीतर हत्याओं और यातनाओं को रोकने के लिए दोनों ग्रुपों को सहमत करने के वास्ते मई, 1984 में अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी की अध्यक्षता में प्रमुख ग्रंथियों द्वारा एक प्रयास किया गया था।

~~34.~~ सरकार को यह सूचना मिली थी कि श्री भिंडरांवाले ने पंजाब में हिन्दुओं की हत्या करने की वकालत की थी ताकि वे अपने आप वहां से चले जाएं। किसी किसी दिन एक दर्जन तक हत्याएं की जाने की सूचना मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में आतंकवादियों को यह हिदायतें दी गई थीं कि कोई सरकारी कार्रवाई होने की स्थिति में वे हिन्दुओं और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मारना शुरू कर दें और भारी संख्या में स्वर्ण मंदिर की ओर प्रस्थान करें। यद्यपि सिख जनता इन

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

गतिविधियों से मोटे तौर पर अप्रभावित रही, फिर भी, यह स्पष्ट था कि प्राधिकारियों की खुली अवज्ञा के साथ विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी । श्री भिंडरांवाले का दृष्टिकोण उनके अपने ही वक्तव्यों में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, ~~जिसके कुछ उद्धरण अनुलग्नक VIII में दिये गये हैं।~~

अकाली दल का 3 जून से एक नये आन्दोलन के लिए आह्वान / ८०

35. अप्रैल और मई, 1984 में हिंसा के इस अभूतपूर्व दौर से अकाली दल पर कोई असर नहीं पड़ा। इतनी देरी के बाद भी अकाली दल अराजकता के कगार से पीछे हट सकता था । परन्तु इसने 3 जून, 1984 को एक अन्य आंदोलन शुरू करने के लिए आह्वान किया । आंदोलन से अराजकता व हिंसा की चपेट में संपूर्ण राज्य के आ जाने की आशंका थी। अकाली दल के नेताओं ने लोगों से पंजाब से अन्य राज्यों को खाद्यान्न ले जाये जाने को जबरन रोकने और करों तथा सरकार को बकाया रकम की अदायगी न करने के लिए आह्वान किया।

36. सरकार अपनी ओर से अकाली दल के साथ समझौते करने का हर प्रयास करती रही । यहां तक कि मई, 1984 में भी वार्ता के कई दौर हुए । 14 मई, 1984 को बंदी नेताओं को रिहा किया गया और उन्हें गृह मंत्री द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया । इसके पहले भी तीन बैठक हो चुकी थीं । उसके बाद, वार्ता का एक दौर मई के अंत में हुआ । 3 जून, 1984 से घोषित आंदोलन को वापस लेने के लिए अकाली दल के नेतृत्व को राजी करने के लिए एक और प्रयास किया गया। दुर्भाग्य से अकाली दल का रवैया सख्त हो गया था और कोई समझौता नहीं हो सका । 2 जून, 1984 को राष्ट्र-व्यापी प्रसारण में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अंतिम अपील भी ठुकरा दी गई।

संसद में चिन्ता / ८१

37. संसद के दोनों सदनों में पंजाब की स्थिति पर अनेक बार चर्चा हुई। देश भर के लाखों लोगों की चिंता व्यक्त करते हुए सदस्यों ने दल-गत सीमाओं से ऊपर उठकर, बढ़ती हुई हिंसा, व आतंकवादियों की सांप्रदायिक तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की भर्त्सना की। 29 अप्रैल, 1982 को संसद ने एक संकल्प में, जो प्रधान मंत्री ने प्रस्तुत किया था और सर्वसम्मति से पारित हुआ था, इन गतिविधियों के प्रति राष्ट्र का दुख और तथा क्षोभ व्यक्त किया था । संकल्प का पाठ अनुलग्नक-IX में दिया गया है। आतंकवाद, उग्रवाद और सांप्रदायिकता के खतरे का सामना करने और देश की एकता तथा अखंडता बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय संकल्प के प्रति संसद दृढ़ बनी रही है।

विदेशों से संचालित पृथकतावाद / ८२

38. विदेशों में काफी संख्या में बसे या काम कर रहे भारतीयों में सिख, भी हैं जिनके स्वदेश-प्रेम के बारे में कभी कोई संदेह नहीं रहा । तथापि, निहित स्वार्थों वाले पक्षों द्वारा उनमें से कुछ व्यक्तियों को गलत जानकारी दी जाती है या गुमराह किया जाता है, जबकि कुछ अन्य उन देशों में

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

दवाव में आ सकते हैं । विदेशों में बसे समृद्ध लोगों द्वारा भारत में मेहनतकश सिख जनता के मूलभूत सामाजिक आर्थिक हितों से अपने आप को सम्बद्ध करना सदा आसान काम नहीं है । पंजाब की इन घटनाओं के बहाने कुछ के लिए अपने आपको सिख समुदाय का नेता बताने का मौका हाथ लग गया ।

विदेशों में कुछ पृथकतावादी सिख संगठन क्रियाशील हैं। "खालिस्तान" या एक "पृथक् सिख राज्य" का नारा लगाने वाले संगठनों में से मुख्य संगठन हैं नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान, दल खालसा, बब्बर खालसा और अखण्ड कीर्तनी जत्था। "नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान", जिसके अध्यक्ष डा० जगजीत सिंह चौहान हैं, यू० के०, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा और यू० एस० ए० में सक्रिय हैं। दल खालसा की गतिविधियां मुख्यत: यू०के० और पश्चिम जर्मनी में हैं जबकि बब्बर खालसा अधिकांश रूप में कनाडा में वैंकूवर से संचालन करता है । अखण्ड कीर्तनी जत्था की यूनिट यू० के० और कनाडा में है ।

नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान

39. कथित खालिस्तान आंदोलन के स्वयंभू नेता डा० जगजीत सिंह चौहान, जिन्होंने बाद में अपने आप को "नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान का प्रेसीडेंट" घोषित कर दिया, सार्वजनिक जीवन में कम्युनिस्ट पार्टी के स्टुडैंट विंग के जरिये आए। पहले उन्होंने लंदन में सितम्बर, 1971 में हुई प्रेस कान्फरेंस में "खालिस्तान" का नारा लगाया। 12 अप्रैल, 1980 को उन्होंने "नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान" के गठन की घोषणा की जिसमें उन्होंने अपने आपको उसका प्रेसीडेंट और श्री बलबीर सिंह संधु को उसका महासचिव घोषित किया। इसके तीन महीने बाद उन्होंने लंदन से "खालिस्तान" के गठन की घोषणा की और इसी तरह घोषणा भारत से बलबीर सिंह संधु ने की। तब से डाक्टर चौहान भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत-विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वह खालिस्तान के पासपोर्ट, डाक टिकट और करेंसी नोट जारी करके प्रचार का नाटक करते रहे हैं। उनका इरादा यह था कि कनाडा और पश्चिम जर्मनी में निवास कर रहे उन सिखों की भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया जाए जिन्हें वहां के आप्रवासन प्राधिकारियों से दिक्कत पेश आ रही है। अप्रैल, 1981 में डा० चौहान का भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और उनके विरुद्ध अगस्त, 1981 में राजद्रोह और विभिन्न समुदायों के बीच घृणा फैलाने का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने अपना पासपोर्ट वापिस नहीं किया है और यू० के० में रहने का तथा कनाडा, यू० एस० ए० और कुछ यूरोपीय देशों में आने-जाने का प्रबंध कर लिया है। वह प्रदर्शन करने, भारतीय राष्ट्रध्वज को जलाने और भड़काने वाले वक्तव्य देने जैसे काम करते रहे हैं। अक्तूबर, 1982 में लंदन में उनकी अध्यक्षता में एक ग्रुप की बैठक हुई जिसमें कर अदा न करने, नागरिक अवज्ञा का कार्यक्रम चलाने और पंजाब में निर्वाचित सरकार के साथ पूरी तरह असहयोग करने के लिए अकाली नेताओं से अनुरोध किया गया।

40. डा० चौहान ने मार्च, 1983 में नेपाल और बंगलादेश से होकर भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया परन्तु वह ऐसा करने में सफल नहीं हुए। पता चला है कि 15 मार्च को लंदन में उन्होंने यह

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

कहा कि भारत में खास-खास ठिकानों पर हमला करने के लिए 10,000 लोगों का एक छापामार दल संगठित करने का यह उपयुक्त मौका है। उन्होंने दावा किया कि "खालिस्तान" के सैनिक शीघ्र ही भारतीय सुरक्षा बलों से युद्ध करना शुरू कर देंगे । 18 मई, 1983 को उन्होंनें दावा किया कि युनाइटिड स्टेट्स इस तथाकथित खालिस्तान आंदोलन में सहायता कर रहा है और उन्हें आशा है कि चार साल के अंदर वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने यू० एस० प्राधिकारियों से अनुरोध किया कि भारत को गेहूं बेचना बन्द कर दें और कहा कि पाकिस्तानी सैनिक सिखों के वेश में अमृतसर स्थित उस गुरु रामदास सराय में ठहरे हुए हैं जो श्री भिंडरांवाले के नियंत्रण में है।

41. 13 जुलाई, 1983 को श्री बलबीर सिंह संधु को लिखे एक पत्र में उन्होंने सलाह दी कि संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल और श्री भिंडरांवाले को एक पूर्ण सरकार और संसद का गठन करना चाहिए और यदि वे ऐसा करने में झिझकते हैं तो "नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान" अपने ढंग से कार्रवाई करेगी। दिसम्बर, 1983 में ऐसी ही सलाह अकाली दल के नेताओं को दी गई। 29 दिसम्बर, 1983 को उन्होंने घोषणा की कि 26 जनवरी, 1984 "विश्वासघात दिवस" के रूप में मनाया जाएगा जब राष्ट्रीय ध्वज को जलाया जाएगा और खालिस्तान ध्वज फहराया जाएगा । इसके अनुसरण में वलबीर सिंह संधु ने उस दिन हरमंदिर साहिब के पास एक भवन पर वह ध्वज फहरा दिया जिसे उसने खालिस्तान का झंडा बतलाया । इस काउंसिल ने एक संकल्प प्रचारित किया जिसमें यह कहा गया था कि वे भारत में एक अलग होमलैंड और संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी खुद की आवाज चाहते हैं। उन्होंने एक नक्शा जारी किया जिसमें तथाकथित खालिस्तान राज्य की सीमाएं दिखाई गई थीं। डा० चौहान इस बात का दावा करते रहे हैं कि उनके मामले को विदेशों के महत्वपूर्ण नेताओं का समर्थन प्राप्त है और वह यू० एस० कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में रहे हैं । भारत सरकार के विरोध के बावजूद वह 1982 में और पुनः मार्च, 1983 में युनाइटेड स्टेट्स के लिए प्रवेश वीजा प्राप्त करने में सफल हुए। डा० चौहान ने वाशिंगटन के हेरीटेज फाउंडेशन और अन्य संगठनों से संपर्क बना रखे हैं।

42. डा० चौहान भारत मूल के अमरीकी नागरिक और वाशिंगटन की ननकाना साहिब फाउंडेशन के अध्यक्ष, श्री गंगा सिंह ढिल्लों के निकट संपर्क में काम करते रहे हैं। हाल में ही डा० चौहान ने दल खालसा के सदस्यों और अन्यों के साथ यू० के० में जम्मू व कश्मीर मुक्ति मोर्चा के नेताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं। "आजाद" जे० एंड के० मुस्लिम कान्फ्रेंस के अध्यक्ष, सुलतान मोहम्मद चौधरी की ओर से दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार डा० चौहान ने उद्देश्यों के लिए प्राप्त समर्थन के प्रत्युत्तर में इस संगठन के उद्देश्यों को समर्थन प्रदान किया । वास्तव में 1981 में ही, डा० चौहान ने दावा किया कि उनके आंदोलन को पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर की जे०ई० आई० का समर्थन प्राप्त था। इन ग्रुपों के कुछ सदस्यों का दावा है कि वे नियमित रूप से पाकिस्तान जाया करते हैं। श्री ढिल्लों भी इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि सिख लोग एक अलग राष्ट्र हैं और वह यू०एस० सिनेट के सदस्यों एवं पाकिस्तान प्रशासन के उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क रखते रहे हैं ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

दल खालसा

43. स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न सिख राज्य के निर्माण की मांग करने के प्रकट उद्देश्य से दल खालसा की स्थापना मूलरूप से भारत में 13 अप्रैल, 1978 को की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दल बरमिंघम के नक्सलाइट-समर्थक नेता, स्वर्गीय ज्ञानी बख्शीश सिंह के विचारों पर आधारित था। दल खालसा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग की वकालत करता है। इसके अनुसार, "मात्र आतंक ही हमें अपना उद्देश्य प्राप्त कराने में सहायक होगा। 20वीं सदी केवल यही भाषा समझती है"। यू०के० स्थित दल खालसा के मुख्य पंच, जसवंत सिंह ठेकेदार ने कहा कि "राजनीतिक शक्ति किसी व्यक्ति को कठौती में नहीं दी जाती, न ही यह "भक्ति" द्वारा प्राप्त की जा सकती है। गुरिल्ला युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के बिना हमारे उद्देश्य की प्राप्ति असंभव है। राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नली से निकलती है। सशस्त्र युद्ध ही खालिस्तान प्राप्त करने का एकमात्र साधन हैं"। 29 सितम्बर, 1981 को इंडियन एयरलाइन्स के एक वायुयान का अपहरण करके लाहौर ले जाने और 26 अप्रैल, 1982 को अमृतसर में अपवित्रीकरण के कारनामों के लिए यह संगठन जिम्मेवार था। प्रतिकूल क्रियाकलापों के कारण इसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत 1 मई, 1982 को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया।

44. दल खालसा ने 4 जनवरी, 1983 को यू० के० में एक शाखा स्थापित की और पश्चिम जर्मनी में एक शाखा जून, 1983 में स्थापित की।

45. यू० के० स्थित दल खालसा और वैंकूवर स्थित बब्बर खालसा की लदन में मई, 1983 में हुई एक संयुक्त बैठक में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल, अमृतसर के नेताओं को सरकार के साथ बात करने के लिए उनकी रजामन्दी के कारण दोषी पाया तथा उनको यह चेतावनी दी कि यदि उन्होंने भारत सरकार के साथ कोई समझौता किया तो उनका भी वही हाल होगा जो निरंकारियों का हुआ। कथित सुप्रीम कार्उसिल आफ दल खालसा के सदस्य ठेकेदार और इसी संगठन की कथित सुप्रीम एग्जिक्युटिव काउंसिल के सदस्य देविन्दर सिंह परमार के नाम से 29 मई, 1983 को प्रचारित किए गए पैम्फलैट में भारतीय संविधान के बारे में बताया गया कि जहां तक सिखों का संबंध है यह एक बेकार दस्तावेज है और यह कहा गया कि दल खालसा इन्टरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में भारत को चुनौती देना चाहता है और "सिख होमलैंड छोड़ने के लिए" भारत पर दवाव डलवाने के वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता लेगा। 12 जून, 1983 को हुई सभा में श्री ठेकेदार ने लाला जगत नारायण और पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री अटवाल की हत्याओं के लिए दल खालसा के जिम्मेदार होने का दावा किया और इस बात के लिए चेतावनी दी कि अकाली मोर्चा के दौरान सिखों की मौत के लिए पुलिस अधिकारियों से इसी तरह बदला लेंगे। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने हिंसा के प्रयोग की वकालत की और घोषणा की कि यह संगठन सिखों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना से कम किसी भी बात से सन्तुष्ट नहीं होगा। श्री ठेकेदार ने, पश्चिम जर्मनी के प्राधिकारियों द्वारा श्री तलविंदर सिंह परमार की गिरफ्तारी पर, भारत सरकार को धमकी दी। जुलाई, 1983 में साउथहाल में हुई बैठक में, श्री ठेकेदार ने कहा कि दल

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

ख़ालसा पंजाब में सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है और पंजाब के अनेक उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संगठन को अपना गुप्त समर्थन प्रकट किया है यहां तक कि सेना के अधिकारी भी विद्रोह में आगे आने के लिए तैयार हैं। तथाकथित "समाज के गद्दारों" को सजा देने की भी धमकी दी गई।

46. 14 अगस्त, 1983 को दल खालसा द्वारा आयोजित "राजनीतिक शिक्षा शिविर" (पालिटिकल एजुकेशन कैंप) में विदेशी राष्ट्रिकता वाले कुछ सिखों को संबोधित करते हुए, श्री ठेकेदार ने घोषणा की कि संगठन छापामार संघर्ष शुरू करेगा। सितम्बर, 1983 के तीसरे सप्ताह में लंदन के दौरे के समय श्री सुर्जन सिंह गिल ने, वैंकूवर में खालिस्तान के तथाकथित कांसुल-जनरल ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उनके संघर्ष में उनकी सहायता करने का वचन दिया था और कि यदि एक बार खालिस्तान बन गया तो पाकिस्तान "ननकाना साहिब" को वही दर्जा देगा जो वैटिकन को दिया गया है। दल खालसा, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को, सामरिक महत्व के मित्र राष्ट्र के रूप में मानता है। नवम्बर 1983 के पहले सप्ताह में श्री ठेकेदार द्वारा पंजाबी में लिखी गई "खालसा राज" पुस्तक यू० के० में बिक्री के लिए जारी की गई। उसमें यह कहा गया है कि (1) खालसा राज की स्थापना के लिए दल खालसा बचनबद्ध है (2) सिखों में धार्मिक जागरूकता तैयार करने और संसार के उन अन्य समुदायों के साथ सहयोग करने के लिए योजना बनाई है जो इसी प्रकार स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और (3) कि एक नया संगठन "तख्त खालसा" बनाया जाएगा जिसका काम खालसा पंथ को स्वच्छ करना और स्वतंत्रता के लिए सरकार के विरूद्ध संघर्ष करना होगा। यह संघर्ष यहूदियों की तरह होगा। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया हैं कि राजनीतिक शक्ति केवल शारीरिक शक्ति, छापामार युद्ध और सशस्त्र विद्रोह से प्राप्त की जा सकेगी।

47. संगठन के कुछ सदस्यों ने ऐसे सिख युवक कार्यकर्त्ताओं का एक ग्रुप तैयार करने की इच्छा प्रकट की जो आत्मघाती मिशनों को पूरा करने के इच्छुक हों।

48. अप्रैल, 1984 में, श्री मनमोहन सिंह बजाज, दल खालसा के मुख्य पंच, पश्चिम जर्मनी ने सर्वश्री हरबंस सिंह मनचंदा और विश्वनाथ तिवारी की हत्याओं को उचित बताया और दावा किया कि ये "गुरू साहब" के हुक्म पर की गई थीं। 11 जून, 1984 को यह घोषणा की गई कि इसने एक निर्वासित गुप्त सरकार की स्थापना कर ली है। श्री जसवंत सिंह ठेकेदार को रक्षा मंत्री कहा गया है जबकि श्री मनमोहन सिंह बजाज को गृह मंत्री। डा० हरजिन्दर सिंह दिलगिर को विदेश मंत्री कहा गया है जबकि गजिन्दर सिंह (हवाई जहाज का एक अपहरणकर्त्ता) को कृषि और उद्योग मंत्री कहा गया।

बब्बर खालसा और अखंड कीर्तनी जत्था

49. अखंड कीर्तनी जत्था मुख्य रूप से धार्मिक ग्रुप के रूप में शुरु हुआ, परन्तु यह अन्य सिख राजनीतिक, और उग्रवादी संगठनों, विशेषकर बब्बर खालसा की सहायता करता है। बीबी हरशरन कौर और फौजा सिंह की विधवा बीवी अमर जीत कौर, (फौजा सिंह अप्रैल 1978 में सिख-निरंकारी

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

के बीच हुए झगड़ में मारा गया था), इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्त्ता है। इसका मत है कि सिख, तब तक अपनी शुद्धता को बनाए नहीं रख सकते, जब तक वे स्वतंत्र राज्य प्राप्त नहीं कर लेते यू० के० और कनाडा में इसकी शाखाएं हैं।

50. बब्बर खालसा, अखण्ड कीर्तनी जत्थे की एक राजनीतिक शाखा है। बब्बर खालसा दल अपनी गतिविधियों के लिए यहूदियों के इस्राइल की स्थापना के संघष, और कुर्द लोगों द्वारा अपनी राष्ट्रीय आजादी के लिए किए जा रह संघर्ष को अपना आदर्श मानता हैं।

51. भारत में बब्बर खालसा की स्थापना सन् 1978 में हुई। कनाडा में इसकी शाखा सन् 1981 में खोली गयी। विदेशों में इसकी यूनिटों के जत्थेदार श्री तलविन्दर सिंह परमार हैं। बब्बर खालसा, अमेरिका, ब्रिटेन, हालैंड और पश्चिम जर्मनी तक अपनी गतिविधियों को फैलाने की कोशिश कर रहा है।

52. बब्बर खालसा के अनुसार पाकिस्तान सिखों के लिए एक सहज और सांस्कृतिक पड़ोसी है, जो भारत सरकार के खिलाफ उनके आन्दोलन में मदद करने को तैयार है। बब्बर खालसा इस बात पर जोर देता है कि विदेशों में रह रहे सिख समुदाय के लोगों को 'खालिस्तान' की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

53. इस संगठन के सदस्य 'खालिस्तान मुक्ति सेना' बनाने के लिए और उनके स्वंयसेवकों को सशस्त्र प्रशिक्षण देने की जरूरत की बात कर रहे हैं।

54. फरवरी 1982 में, "वेंकूवर सन" में एक रिपोर्ट छपी थी जो कनाडा में ब्रिटिश कोलम्बिया में सिख आतंकवादी तत्वों द्वारा सिखों की भर्ती करने और रोडशिया की लड़ाई के एक अनुभवी मर्सीनरी द्वारा इन सिख सिपाहियों को ट्रेनिंग दिलाने के बारे में थी। इस समाचार में जोहन वैंडरहर्स्ट नाम के व्यक्ति द्वारा दिए गये एक विज्ञापन का हवाला दिया हुआ था जिसमें सेना का अनुभव रखने वाले युवा स्वयंसेवकों को यू० एस० डालर 1,250 के मासिक वेतन पर भर्ती होने की पेशकश की गयी थी। जोहन वेंडरहर्स्ट ने समाचार पत्र के संवाददाता को बताया कि कुछ भारतीयों ने सेना का अनुभव वाले व्यक्तियों का एक दल गठित करने के लिए उसे रखा है ताकि वह ब्रिटिश कोलम्बिया में सिखों को अग्नि-अस्त्रों और युद्ध कला की ट्रेनिंग दे। खबर में उसने यह दावा किया था कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सिखों को पंजाब पर कब्जा करने में उनकी मदद करना है।

55. 20 मई 1983 को लन्दन के 'देश-परदेश' को दिए गये साक्षात्कार में श्री तलविन्दर सिंह परमार ने यह दावा किया कि बब्बर खालसा, पंजाब में लाला जगत नारायण, निरंकारियों तथा अन्य लोगों की हत्याएं करने के लिय जिम्मेदार है और रेल लाइनों की तोड़ फोड़ की घटनाओं के लिए अखिल भारतीय सिख छात्र संघ जिम्मेदार है।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

56. फरवरी, 1984 में श्री सुर्जन सिंह गिल ने पंजाब के सिख नेताओं को एक 'खुला-पत्र' लिखा जिसमें उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे सिख कौम के मूल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्थात् स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू करें। उसने राय दी कि पंजाब में स्थिति को बदलने के लिए आत्मघाती दस्तों (सुसाइड स्क्वैड) के प्रयोग का वह सही समय है और साथ ही यह चेतावनी दी कि कौम, उस नेता को माफ नहीं करेगी जो इस 'नाजुक समय' में कोई कमजोरी दिखाएगा।

57. मई 1984 में हुई बैठक में यू० के० में सिखों द्वारा एयर इंडिया उड़ानों का बहिष्कार करने के विषय पर विचार किया गया और एक संकल्प पास किया जिसके अनुसार एक समिति बनाई जाए जो एयरपोर्टों पर जाकर सिखों को एयर इंडिया द्वारा यात्रा न करने के लिए कहेगी। जत्थेदार गुरमंज सिंह ने भी यह चेतावनी दी कि उन सिख यात्रियों और यू० के० में कार्य कर रहे सिख यात्राएजेंटों के नाम जो समिति को सहयोग नहीं देते, पंजाब और नई दिल्ली में वब्बर खालसा को भेज दिए जाएंगे ताकि उन्हें कत्ल करवा दिया जाए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

4. पंजाब और चंडीगढ़ में सेना की कार्रवाई

2 जून, 1984 को सरकार ने नागरिक प्राधिकारियों की मदद के लिए, पंजाब में सेना बुलाए जाने का निर्णय किया । सेना को निम्नलिखित कार्य सौंपा गया था :—

पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघशासित क्षेत्र में उग्रवादी, आतंकवादी और साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना और नियंत्रित करना, तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करना व सामान्य स्थिति बहाल करना;

तस्करी और सीमापार से अनधिकृत आवाजाही को रोकने के लिए पंजाब के राज्य क्षेत्र से लगने वाली भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की उपस्थिति में वृद्धि करना ।

2. पंजाब और चण्डीगढ़ में तैनात अर्द्ध सैनिक बलों तथा पंजाब सशस्त्र पुलिस यूनिटों को सेना की कमान तथा नियंत्रण के अधीन रखा गया । चूंकि संघशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ भी आतंकवाद की कार्रवाई से प्रभावित था, इसलिए समन्वित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से पंजाब के राज्यपाल को दो महीने की अवधि के लिए इस संघशासित क्षेत्र का भी प्रशासक नियुक्त किया गया ।

3. 3 जून, 1984 को विदेशी अधिनियम के अधीन पंजाब में विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई । बाद में, 15 जून, 1984 को यू०के० और कनाडा के पारपत्रधारियों तथा 18 जून, 1984 को अन्य राष्ट्रमण्डल देशों और आयरलैंड के राष्ट्रिकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता लागू कर दी गई । ऐसे नियम दूसरे देशों के राष्ट्रिकों के लिए भी मौजूद हैं । अस्थायी तौर पर, अटारी चैकपोस्ट के आर-पार आवाजाही पर रोक लगा दी गयी ।

4. पंजाब प्रेस (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम के अधीन पंजाब सरकार ने ऐसी सामग्री के प्रकाशन और भेजे जाने पर रोक लगा दी जिससे साम्प्रदायिक भावना भड़क सकती हो और सार्वजनिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हो ।

सैनिक कार्रवाई की योजना

5. पंजाब और चण्डीगढ़ में कानून और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की सेना की कार्रवाई में आतंकवादियों की धरपकड़ करना, आतंकवादियों के छिपने के ज्ञात स्थानों से उन्हें बाहर निकालना, अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद करना और लोगों की सुरक्षा और उनके विश्वास को कायम करना शामिल था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

6. 3 जून, 1984 को तड़के तक सेना के दस्ते पंजाब और चण्डीगढ़ में प्रवेश कर गए और उन्हें सभी जिलों में उपयुक्त तरीके से तैनात कर दिया गया ।

7. तब तक भारत-पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों को भी सेना के प्रचालन कमान में ले लिया गया था ताकि सीमापार से गैर-कानूनी आवाजाही तथा तस्करी के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रभावकारी समन्वय तथा नियंत्रण रखा जा सके ।

8. पंजाब के साथ लगने वाले राज्यों ने भी पंजाब से उनके क्षेत्र में आ सकने वाले आतंकवादियों को रोकने के लिए कार्रवाई की ।

9. यद्यपि यह सूचना उपलब्ध थी कि आतंकवादियों के पास भिन्न-भिन्न प्रकार के भारी मात्रा में हथियार हैं और उन्होंने मज़बूत किलेबन्दी की हुई है, पर आतंकवादियों की संख्या तथा उनके द्वारा बनाए गए मोर्चों के बारे में प्राप्त सूचना नाकाफी थी । तथापि, स्थिति को ज्यादा खराब होने से बचाने के लिए तेज गति से सैनिक कार्रवाई किए जाने की नितान्त आवश्यकता थी ।

10. सैन्य दलों को विशेष रूप से ये आदेश दिए गए थे कि कम-से-कम ताकत का इस्तेमाल किया जाए, सभी पवित्र स्थानों के प्रति अत्यधिक आदरभाव दिखाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वर्ण मन्दिर के सबसे अधिक पवित्र स्थल हरमन्दिर साहिब को, और अन्य गुरुद्वारों के दरबार साहिब को, कोई नुक्सान न पहुंचे । प्रक्षेपक ढंग के और प्रज्जवलनशील हथियारों व गोला-बारूद के इस्तेमाल की पूरी तरह मनाही थी । सैन्य दलों को खास तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि पवित्र स्थानों में चमड़े की कोई चीज़ पहनकर न जाएं और पकड़े गए सभी व्यक्तियों के प्रति आदर तथा नम्रता का व्यवहार किया जाए । सभी कमाण्डरों को यह हिदायत दी गई थी कि वे उन सभी स्थानों पर जहाँ आतंकवादियों के छिपे होने का सन्देह हो, लाउडस्पीकर आदि से उन्हें हथियार डाल देने के लिए काफी समय तक लगातार चेतावनी दी जाए ताकि उन्हें पकड़ने के लिए बल प्रयोग करने से पहले खून-खराबा न हो और पवित्र स्थानों को नुक्सान न पहुंचे ।

11. 3 जून, 1984 को रात के 9 बजे से पंजाब सरकार तथा चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा 36 घन्टे का कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसे बाद में आवश्यकतानुसार बढ़ाया गया । स्वर्ण मन्दिर तथा आतंकवादियों के छिपे होने के ज्ञात स्थानों के इर्द-गिर्द पुलिस के घेरे को सेना की यूनिटों द्वारा और अधिक मजबूत बना दिया गया और सेना ने यह भी सुनिश्चित किया कि कर्फ्यू का उल्लंघन न होने पाए ।

स्वर्ण मंदिर क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई

12. एक नक्शा जिसमें स्वर्ण मन्दिर और उसके साथ की इमारतों दिखाई गई हैं एवं संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक–X पर है ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

13. इस क्षेत्र में आतंकवादियों ने अपनी तैनाती, सैनिक व्यूहरचना के अनुसार की थी, ताकि इन इमारतों का रक्षात्मक दृष्टि से पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा सके । आतंकवादियों ने अकाल तख्त की इमारत को सर्वाधिक महत्व की इमारत चुना क्योंकि श्री भिण्डरांवाले इसी इमारत में थे और इनका मख्यालय भी यहीं था । ये इमारत उनकी दृष्टि में सामरिक महत्व की थी । अकाल तख्त तक पहुंचने के सभी सस्तों पर कड़ी रक्षा व्यवस्था की गई थी ।

निगरानी तथा पूर्व-चेतावनी चौकियां

14. आतंकवादियों ने असैनिक आवासीय इलाकों में सत्रह मकानों को चुनकर, जो मन्दिर के बाहरी परिसर से 500 से 800 मीटर की दूरी पर थे, लगभग 10-10 व्यक्तियों की चौकियां बनाई हुई थीं । ये निगरानी तथा पूर्व-चेतावनी चौकियां वास्तव में हल्की मशीन गनों और अन्य स्वचालित तथा अर्द्ध-स्वचालित हथियारों और गोला-बारूद के भण्डार थे । इन चौकियों को समान संचार उपकरण दिए गए थे ताकि वे अपनी कमाण्ड चौकियों से तत्काल सम्पर्क कायम कर सकें । इसके अतिरिक्त, अन्य ऐसी इमारतों पर भी चौकियां बनाई गई थीं जो आसपास की इमारतों से काफी ऊंची थीं जैसे कि गुरु रामदास सराय के पूर्व में ओवर हैड वाटर टैंक, लंगर के साथ पश्चिम की ओर के दो टावर जिनकी अपनी-अपनी सीढ़ियां भी हैं और इन सीढ़ियों के वातायनों के स्थानों को बन्दूकों की पोजिशन लेने के रूप में इस्तेमाल किया गया । छतों, छज्जों और दीवारों पर तीन तरफ से रेत के बोरे लगाकर मशीन गन रखने के स्थान बना दिए गये थे । बरामदों, के महराबों को चिनाई करके भर दिया गया और उनमें छोटे-छोटे छेद रखे गए, ताकि उन छेदों से देखकर गोली चलाई जा सके । इन्हें फायरिंग चौकियों के रूप में इस्तेमाल किया गया ।

तैनातियों की प्रथम पंक्ति

15. पूरब की ओर जिधर से वे सबसे अधिक खतरा महसूस करते थे सभी इमारतों की छतों पर हथियार जमा किए गए थे । इसके अतिरिक्त, उन इमारतों के हर तले की खिड़कियों पर रेत के बोरे लगाकर गोलीबारी के मोर्चे बना लिए थे ।

तैनातियों की द्वितीय पंक्ति

16. इसी तरह मंन्दिर परिसर के आसपास की सभी इमारतों की छतों तथा बीच की मंजिलों पर हथियार जमाए गए थे और बहुत से वैकल्पिक मोर्चे तैयार किए गए थे ।

अकाल तख्त पर प्रमुख तैनाती

17. चूंकि अकाल तख्त पश्चिमी स्कन्ध में परिक्रमा के पीछे की ओर स्थित है, इसलिए इसके पूरब में स्थित खुले स्थान को "किलिंग ग्राउण्ड" के रूप में विकसित किया गया था और

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

स्वयं अकाल तख्त से यहां कारगर गोलीबारी की गई । गोलीबारी अकाल तख्त से दायीं तथा बायीं ओर की इमारतों व तोशाखाना से भी की गई । अकाल तख्त की इतनी अच्छी तरह से किलेबन्दी की गई थी मानो वह किसी आधुनिक सेना का मोर्चा हो । तहखाने से ऊपर की ओर बन्दूकें लगाने की जगह बना ली गई थी और ये बन्दूकें फर्श, खिड़कियों, छत, रोशनदानों, पहली मंजिल और ऊपर की मंजिलों पर भी लगा दी गई थी । आतंकवादियों ने बन्दूकें तान रखने के लिए दीवारों तथा संगमरमर को काट-काटकर छेद बना रखे थे ।

आतंकवादियों के प्रतिरोध का स्वरूप :

18. सैनिक कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों ने जिस तरह का प्रतिरोध प्रदर्शित किया उसका नमूना इस प्रकार है :

> निगरानी चौकियों की घेरेबंदी द्वारा पूर्व चेतावनी और आक्रामक कार्रवाई ; और गोलाबारी पर चतुराईपूर्ण नियंत्रण तथा पहली और दूसरी रक्षा पंक्तियों की वैकल्पिक स्थितियों का उपयोग ।

19. यह बिल्कुल साफ था कि हथियारों को बड़ी चतुराई से जमाया गया तथा गोलीबारी की गई । उदाहरण के लिए, जबकि राइफलों और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल निगरानी चौकियों से किया गया, पहली और दूसरी रक्षा पंक्तियों में स्टैन मशीन कारबाइनें ही मुख्य हथियार थे क्योंकि मुख्य परिसर के इर्द-गिर्द 25–30 गज से ज्यादा की दूरी शायद ही कहीं थी । गोलीबारी का बहुत प्रभावशाली तालमेल रखा गया । चुने गए मारक-स्थान (किलिंग ग्राउंड) पर सभी तरफ से गोलीबारी की जाती रही । सीमित टैंक-भेदी साधनों को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था और उनका इस्तेमाल केवल तभी किया गया जब कोई यांत्रिक वाहन उसकी रेंज में आया ।

20. आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को वास्तव में एक ऐसे किले में बदल दिया था जहां से वे उन्हें चुनौती देने वाले किसी भी अर्द्ध-सैनिक अथवा सैनिक बलों पर आक्रमण कर सकें । उन्होंने सैनिक कार्रवाई और विस्फोटक पदार्थों तथा उन्नत हथियारों के प्रयोग का व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था । उन्होंने अपनी ही संचार व्यवस्था बना रखी थी और कई महीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज जमा कर रखा था । भूतपूर्व अनुभवी सैनिकों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था और युद्ध की योजना बड़े कौशल से बनाई गई थी, जिससे कि मंदिर परिसर के तहखानों, भूमिगत रास्तों, गुप्त जगहों, घुमावदार सीढ़ियों, निगरानी चौकियों तथा टावरों का सामरिक दृष्टि से अधिक-से-अधिक उपयोग किया जा सके । कई प्रकार की वर्दियां पहने ये आतंकवादी अच्छे नियमित सैनिकों की तरह प्रशिक्षित तथा हथियारबंद थे । पंजाब में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं, बैंक डकैतियों और आगजनी के तरीके से पता चलता है कि वे हथियारों के इस्तेमाल में कितना अच्छा प्रशिक्षण पाए हुए थे । उन्हें भाग निकलने और पूजा-स्थानों में शरण प्राप्त करने का व्यापक संरक्षण प्राप्त था ।

21. 5 जून, 1984 को अपराह्न में लाऊड-स्पीकरों आदि के माध्यम से आतंकवादियों को हथियार डालने तथा प्राधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बार-बार अपील की गई

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

ताकि खून-खराबा न हो और मंदिर परिसर की इमारतों को नुकसान न पहुंचे। 129 व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण किया । 5 जून को शाम के 7 बजे सेना ने उन महत्वपूर्ण इमारतों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की, जो स्वर्ण मंदिर के उस क्षेत्र की परिधि में थीं जहां आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ था।

22. सेना की यूनिटों ने रात के 10.30 बजे स्वर्ण मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू किया। इसपर आतंकवादियों ने नजदीकी रेंज से, तंग गलियों में भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों ने अकाल तख्त सहित अन्य स्थानों पर जो पोजीशनें ली हुई थीं, उन पर सैनिकों ने आंसू गैस के अनेक गोले छोड़े, जिनका असर नहीं हुआ, क्योंकि सभी खिड़कियों और दरवाज़ों में ईंट, पत्थर तथा रेत के बोरों की भारी रुकावटें बना रखी थीं। हताहतों के बावजूद, तथा बहुत ही भारी एवं सुसंगठित प्रतिरोधक कार्रवाई पर काबू पाने के बाद सैनिक धीरे-धीरे निकट पहुंचते गए और उन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ के क्षेत्र में कार्रवाई शुरू कर दी।

23. सैनिकों ने सरोवर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में उत्तरी द्वार और दक्षिण में पुस्तकालय भवन से प्रवेश किया। पुस्तकालय भवन के क्षेत्र में, पुस्तकालय भवन में मशीन गन के अनेक ठिकानों से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे, और दियासलाई की तीलियों से जलाकर देशी हथगोले फेंक रहे थे। कार्रवाई के इस चरण में पुस्तकालय में आग दिखाई दी। इस आग को बुझाने के लिए, सैनिक अग्निशमन दल बार-बार दौड़े, लेकिन आतंकवादियों की मशीनगनों की भारी गोलीबारी से, ये कोशिशें नाकाम हो गयीं। जब तक आतंकवादियों की गोलीबारी के ठिकानों पर काबू पाया गया, पुस्तकालय जल चुका था।

24. सुदृढ़ किले की तरह खड़े अकाल तख्त से गोलियों की जबरदस्त बौछार का सामना करना पड़ रहा था। अकाल तख्त जाने वाले सभी रास्तों पर मशीनगनों से लगातार घातक गोलीबारी की जा रही थी, जिस कारण हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही थी ।

25. अकाल तख्त से जो गोलीबारी हो रही थी, उसे आतंकवादियों को आउटर लाइन पोजिशनों से भी सहायता मिली, और यह स्थान स्वचालित हथियारों का गढ़ बन गया। इसी समय, हरमन्दिर साहिब से की जा रही मशीनगनों से गोलियों की बौछार परिक्रमा तथा आस-पास के भवनों पर होने लगी, जहां से सैनिकों ने आतंकवादियों को पीछे हटा दिया था। इस सब के बावजूद, सैनिकों ने बहुत ही संयम से काम किया, और हरमन्दिर साहिब की तरफ किसी तरह की गोलीबारी नहीं की।

26. 6 जून को बड़े तड़के, एक बज, सत हरचंद सिंह लोंगोवाल और श्री जी० एस० टोहरा ने, लगभग 350 लोगों के साथ गुरु नानक निवास के समीप आत्मसमर्पण कर दिया। उनके आत्मसमर्पण को रोकने के लिए आतंकवादियों ने उनपर गोलियां बरसायी और हथगोले भी फेंके । परिणामस्वरूप, 70 व्यक्ति मारे गए, जिनमें 30 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे। मारे जाने वालों में श्री गुरुचरण सिंह भी था, जिस पर आतंकवादियों का यह आरोप था कि उसने श्री सोढी और श्री बग्गा सिंह की हत्या करने की साजिश की थी,। श्री बग्गा सिंह ने श्री भिंडरांवाला द्वारा प्रचार किए जा रहे धार्मिक आतंकवाद की खुले शब्दों में नुक्ताचीनी की थी।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

27. 6 जून को सवेरे 4 बजकर 10 मिनट पर, आरमर्ड परसोनल कैरियर (ए० पी० सी०) में कुछ सैनिकों ने अकाल तख्त में प्रवेश करने की कोशिश की, जिन पर अकाल तख्त से टैंक भेदी राकेटों द्वारा आक्रमण किया गया, जिससे ए० पी० सी० को नुकसान पहुंचा, और वह रुक गया। इसके बाद सर्चलाइट लगे एक टैंक को इस क्षेत्र में लाया गया ताकि अकाल तख्त में मोर्चों पर तैनात आतंकवादियों को चकाचौंध से कुछ न दिखाई दे, और फिर उनकी गोलीबारी से जूझा जाए। 6 जून की सुबह तक, सैनिक अकाल तख्त में बन्दूकधारी सभी आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में प्रभावी रूप से सफल हो गए। अकाल तख्त में आतंकवादियों के कुछ मशीनगन ठिकानों को शांत करने के बाद सैनिक अकाल तख्त के अन्दर प्रविष्ट हुए। इसके बाद, प्रत्येक कमरे में मुठभेड़ शुरू होगयी। उस समय, कुछ आतंकवादी पहली तथा नीचे की मंजिल की ओर भागते हुए देखे गए, जहां पर थोड़ी देर बाद एक धमाका हुआ और आग लग गयी। सैनिकों ने स्वयं आतंकवादियों के बीच निचली मंजिल तथा तहखाने में आपस में गोलीबारी करने की आवाजें सुनी।

28. कुछ आतंकवादियों ने अकाल तख्त से बाहर दौड़ने की कोशिश की, ताकि वे कुछ भागों को सैनिकों के कब्जे से छुड़ा लें, लेकिन उन्हें पीछे हटा दिया गया। इसके बाद 10 आतंकवादियों की एक टोली ने, सफेद झंडा लिए हुए आत्मसमर्पण कर दिया। अकाल तख्त में एक-एक कमरे में मुठभेड़ें चलती रहीं और 6 जून को दोपहर 12.30 बजे तक अकाल तख्त को आतंकवादियों से मुक्त करा लिया गया हालांकि नीचे की मंजिल और तहखानों से मुकाबला चलता रहा।

29. उसी दिन दोपहर बाद, सेना द्वारा आतंकवादियों से आत्मसमपर्ण करने के लिए लाउड-स्पीकरों पर कई बार फिर अपील की गई। फलस्वरूप 200 आतंकवादियों ने आत्मसमपर्ण कर दिया, जिनमें 22 आतंकवादी हरमन्दिर साहिब से आये। इस समय, प्रमुख ग्रंथी तथा दो अन्य ग्रंथी हरमन्दिर साहिब के अन्दर सकुशल पाये गये।

30. अकाल तख्त के तहखाने और निचली मंजिल से लगातार की जा रही प्रतिरोधी कार्रवाई पर 6/7 जून की रात को काबू पा लिया गया। इस प्रतिरोधक कार्रवाई पर काबू पा लेने के बाद, सैनिकों ने नीचे की मंजिल और तहखाने की पूरी तरह तलाशी लेनी शुरू की। अकाल तख्त के नीचे की मंजिल पर श्री भिंडरांवाले, और अमरीक सिंह के सहित, 34 शव पाए गए।

31. कुछ आतंकवादी, आस-पास की इमारतों और स्वर्ण मन्दिर क्षेत्र की बहुत सी सुरंगों का उपयोग करते हुए, 7 जून को बड़े सवेरे तक भी कार्रवाई करते रहे। बचे खुचे आतंकवादियों को बाहर निकालने की कार्रवाई के अन्तर्गत कई दिन तक तलाशी चलती रही, इन बचे खुचे आतंकवादियों ने सैनिकों को काफी बर्बरतापूर्वक हताहत किया था। सेना की कार्रवाई में कोई महिलाएं अथवा बच्चे नहीं मारे गये।

स्वर्ण-मन्दिर क्षेत्र में भवनों का नुकसान :

32. इस कार्रवाई की योजना बनाते समय ही शुरू से इस बात का ख्याल रखा गया था कि भवनों को नुकसान न पहुंचे और इस संबंध में सख्त हिदायतें दी गयी थीं। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का मारा जाना ही इस बात का सबूत है कि हमारे सैनिकों ने बड़े संयम व सूझबूझ

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

से काम लिया और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हरमन्दिर साहिब तथा अकाल तख्त को कोई नुकसान न पहुंचे । हालाँकि इन्हीं भवनों से हमारे सैनिकों पर छोटे तथा स्वचालित हथियारों से घातक गोलीबारी की जा रही थी । अकाल तख्त की ओर गोली तब चलानी पड़ी जब सैनिक बहुत अधिक संख्या में हताहत होने लगे और जब आतंकवादियों ने इस भवन से टैंक-भेदी हथियारों का प्रयोग करना शुरु कर दिया ।

33. भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए, जिसमें स्वचालित और टैंक-भेदी हथियार शामिल थे । स्वर्ण मन्दिर परिसर के भीतर से हथगोले और स्टेनगन बनाने की एक छोटी फैक्टरी भी पाई गई । सेना अभी भी हथियार बरामद करने के कार्य में लगी है । सेना इस काम को पूरा करने में कुछ समय और लेगी । 30 जून, 1984 तक बरामद किये गये हथियारों की सूची अनुलग्नक XI पर दी है ।

आतंकवादियों की बर्बरता :

34. सेना के प्रवेश करने से पहले बेकसूर सिखों और हिन्दुओं पर आतंकवादियों द्वारा किये गये अत्याचार सर्वविदित हैं । सैनिक कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों द्वारा, जिनका स्वर्ण मन्दिर पर नियंत्रण था, और जघन्य तथा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की घटनाएं प्रकाश में आई हैं । 5/6 जून की रात्रि को जब सेना की अपील पर गुरु नानक निवास और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भवन से महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों सहित बहुत से नागरिक आत्म-समर्पण करने के लिए बाहर आये, तो आतंकवादियों ने उनपर गोलियाँ चलाई और हथगोले फेंके और 30 महिलाओं तथा 5 बच्चों सहित 70 व्यक्तियों की हत्या की । आतंकवादियों ने दो जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों को बंदी बनाया और घोर अमानवीय तरीके से उन्हें यातना दी तथा क्रूरतापूर्ण ढंग से उनकी हत्या की । उन्होंने एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी की चमड़ी काट कर उसके शरीर में विस्फोटक पदार्थ भरे और आग लगा कर अकाल तख्त की ऊपरी मंजिल से फेंक दिया । 8 जून 1984 को उन्होंने एक निहत्थे सैनिक डाक्टर की हत्या कर दी जो कुछ हताहतों का इलाज करने के लिए तहखाने में गया था ।

35. ऐसे कुल 42 धार्मिक स्थानों का पता लगाया गया जहाँ आतंकवादियों के अड्डे थे । 5 जून को शाम को इन सभी स्थानों पर आतंकवादियों से प्राधिकारियों के समक्ष आत्म-समर्पण करने के लिए सार्वजनिक तौर पर लाउडस्पीकरों आदि प्रणाली से बार-बार अपील की गई । जब उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्हें निकालने के लिए सेना अलग-अलग चरणों में इन परिसरों में घुसी । इनमें से अधिकाँश स्थानों पर मामूली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा हालाँकि आतंकवादियों ने मोगा और मुक्तसर के गुरुद्वारों में कड़ा मुकाबला किया और सुरक्षा बलों पर गोलियाँ चलाईं । इसके अतिरिक्त उन्होंने फरीदकोट, पटियाला, रोपड़ और चौक मेहता में भी गोलियाँ चलाईं । हथियारों और गोलाबारूद की अधिकाँश बरामदगी चौक मेहता, पटियाला और रोपड़ में धार्मिक स्थानों से हुई । सेना द्वारा मुक्तसर गुरुद्वारे को आतंकवादियों से मुक्त करा लेने के बाद 6 जून को शाम 5 बजे तक आखिरी कार्रवाई पूरी कर ली गई ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

इन कार्रवाइयों में नौसेना और वायुसेना का प्रयोग :

36. सेना ने कतिपय सहायक सेवाओं के लिए नौसेना और वायुसेना की मदद ली ।

37. नौसेना ने उन हथियारों, गोलाबारूद और उपकरणों की तलाश करने के लिए गोताखोरों की एक टुकड़ी दी जिन्हें आतंकवादियों ने अमृत सरोवर तथा स्वर्ण मन्दिर के चारों ओर के कुओं और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न तालाबों तथा कुओं में फेंक दिया था । इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद, उपकरण और मूल्यवान वस्तुएं मिली हैं ।

38. वायु सेना ने दूसरे राज्यों से कुछ सैनिकों को शीघ्रता से लाने के लिए विमान परिवहन की सहायता प्रदान की । इस सेवा द्वारा प्रभावी हैलिकोप्टर संचार तथा टोह उड़ानें आयोजित की गईं ।

हताहतों की संख्या और हथियारों, गोला बारूद तथा उपकरणों की बरामदगी :

39. 30 जून, 1984 तक नागरिक तथा सैनिक हताहतों और बरामद किये गये हथियारों तथा गोलाबारूद के ब्यौरे अनुलग्नक-XI में दिये हैं ।

सैनिक सिविल कार्रवाई :

40. कर्फ्यू के दौरान सिविल आबादी की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से सेना ने यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन से सहयोग करके रचनात्मक कदम उठाए जिससे कि पूरे समय आवश्यक वस्तुएं सदैव मिलती रहें । कुछ प्रभावित इलाकों में रक्षक कानवाय चलाए गए और आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने का प्रबंध किया गया । बहुत से क्षेत्रों में सैनिक चिकित्सा डाक्टरी दलों ने जनता को डाक्टरी सहायता भी प्रदान की । भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिवारों को कैन्टीन सुविधाएं प्रदान की गईं ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

5. कुछ मसले

1983 के लगभग मध्य तक राष्ट्र-विरोधी और आतंकवादी समूहों का स्वर्ण मन्दिर पर पूरा नियंत्रण हो गया था और उन्होंने इसे अपनी कार्रवाइयों का मुख्य अड्डा बना लिया था। स्वर्ण मन्दिर तथा अनेक अन्य गुरुद्वारों की किलाबंदी से, उनके उद्देश्यों तथा तरीकों से असहमत व्यक्तियों का सुव्यवस्थित ढंग से सफाया करने, और "पंथ खतरे में है" का झूठा नारा लगाने से यह स्पष्ट हो गया था कि आतंकवादियों के इरादे कुछ मांगे स्वीकार कराने तक ही सीमित नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा थे। आक्रमणकारी हथियारों तथा संचार उपकरणों की भारी मात्रा तथा स्वर्ण मन्दिर में हथियारों की फैक्टरी का पता लगने से यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि अन्ततः उनका उद्देश्य पूर्ण विद्रोह का था। आतंकवादियों और अलगाववादियों के इस मजबूत किले-बन्दियों को नष्ट करने में यदि सरकार द्वारा कोई विलम्ब किया जाता तो यह सम्पूर्ण देश के लिए विनाशकारी होता।

2. पंजाब की घटनाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं जिनपर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है :—

— क्या लाखों लोगों के लिए श्रद्धास्पद पूजा-स्थलों का शस्त्रागार के रूप में प्रयोग करना ठीक है ?

— क्या ऐसे स्थानों को अपराधियों और तोड़-फोड़ करने वाले तत्वों को शरण देने के स्थान बना देना ठीक है ?

और सबसे बड़ी बात यह है कि

— हम अपने गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष आधार को क्षति पहुंचने से कैसे रोकें ?

3. पंजाब में एक छोटे से ग्रुप ने धर्म की आड़ में साम्प्रदायिक अलगाव पर आधारित पृथकतावादी आन्दोलन को बढ़ाने के लिए आतंक को एक शस्त्र के रूप में अपनाया। स्वर्ण मन्दिर और अन्य गुरुद्वारों का प्रयोग उन अपराधियों और व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया जिन्होंने देश की एकता को भंग करने की चेष्टा की थी। यह भारत के हाल के इतिहास में धर्म और धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग का अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण है।

4. यह बात सोची भी नहीं जा सकती कि अकाली दल तथा स्वर्ण मन्दिर के प्रभारी प्रबन्धक, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को, उनके अपने नियमों की अवहेलना करके स्वर्ण मन्दिर के पवित्र परिसर को खुल्लमखुल्ला अपवित्र किये जाने और उसका दुरुपयोग किये जाने

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

के बारे में जानकारी नहीं थी । अकाली दल तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई । यही नहीं, बल्कि अकाली दल ने अपने आन्दोलन के लिए धार्मिक प्रतीकों और अनुष्ठानों का पूरी तरह प्रयोग किया । इस वातावरण में धार्मिक मतान्धवादी और कट्टरपंथी ताकतें बल पकड़ती रहीं । क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी जिस पर इन धार्मिक स्थानों के प्रबन्ध का कानूनी उत्तरदायित्व है, अपनी अज्ञानता व्यक्त कर सकती है और इनके दुरुपयोग के बारे में अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकती है ?

5. पंजाब में हाल ही में हुई घटनाओं को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है । पिछले तीन वर्षों में भारत का सुरक्षा वातावरण काफी बिगड़ा है । शक्तिशाली ताकतें भारत की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को कमजोर बनाने के लिए काम कर रही हैं । सुरक्षा की दृष्टि से नाजुक सीमावर्ती राज्य जिसका कि कृषि और औद्योगिक विकास का रिकार्ड शानदार रहा है, स्पष्टत: तोड़फोड़ की कार्रवाई का लक्ष्य हो सकता है । इस संदर्भ में विदेशों में रहने वाले ग्रुपों की गतिविधियों का विशेष महत्व हो जाता है । विदेशी जन संचार साधनों का एक भाग जानबूझ कर पंजाब की स्थिति को पूरी तरह तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है, जिनमे पृथकतावादियों की गतिविधियों को प्रोत्साहन और उन्हें जारी रखने के लिए बल मिल रहा है ।

6. भारत की एकता के लिए मूलभूत चुनौतियां साम्प्रदायिक कट्टरपंथी और अन्य फूट डालने वाली शक्तियों से उत्पन्न हुई हैं जिन्हें बाहर का शक्तिशाली समर्थन प्राप्त है । अब लक्ष्य भारत की एकता के मूल आधार धर्म निरपेक्षता को बनाया गया है । बार-बार हुए बाहरी आक्रमण और अन्य दबाव भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने में असफल रहे हैं । अब धर्म की आड़ लेकर आतंरिक तोड़-फोड़ व विघटन की कोशिशें की जा रही हैं । पंजाब में हाल ही की घटनाओं से राष्ट्र को यह चेतावनी मिलती है ।

7. अन्य ये प्रश्न उठाये जा रहे हैं :

(i) किस प्रकार इतनी अधिक मात्रा में आधुनिक हथियार स्वर्ण मन्दिर और अन्य गुरुद्वारों के अन्दर ले जाए गए ?

(ii) क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस किस्म के हथियार आदि स्वर्ण मन्दिर और अन्य गुरुद्वारों के अन्दर जमा किये जा रहे थे ? क्या यह आसूचना तंत्र की विफलता नहीं थी ?

(iii) क्या आतंकवादियों को बाहरी देशों और स्रोतों से कोई सहायता व समर्थन प्राप्त था ?

8. सरकार को उन हथियारों की मात्रा और किस्म के बारे में कुछ जानकारी थी जिन्हें आतंकवादियों द्वारा प्राप्त किया गया था और स्वर्ण मन्दिर तथा अन्य गुरुद्वारों में जमा किया गया

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

था । घटनाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि जो सूचना प्राप्त हुई थी, वह सही थी । सरकार को आतंकवादियों की मंशा और कार्रवाई की व्यूहरचना व योजना की भी जानकारी थी । आतंकवादी किस प्रकार बल पकड़ते जा रहे हैं, उसकी जानकारी सरकार ने स्वयं समय-समय पर दी । स्वर्ण मन्दिर और अन्य गुरुद्वारों के अन्दर हथियार और गोलाबारूद "कार सेवा", या खाद्य सामग्री और अन्य सामान ले जाने के काम में लाए जाने वाले अन्य वाहनों में चोरी छिपे ले जाए गए थे । शुरू-शुरू में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाहनों की तलाशी नहीं ली जाती थी । प्रतिदिन सैकड़ों और अमावस्या जैसे खास दिन हजारों व्यक्ति गुरुद्वारों में जाया करते थे और यात्रियों की भीड़ में घुलमिलकर आतंकवादियों द्वारा आसानी से कुछ हथियार अन्दर ले जाए जा सकते थे । यात्रियों को परेशानी में डाले बिना इतनी भारी संख्या में लोगों की जांच-पड़ताल करना व तलाशी लेना संभव नहीं था ।

9. फिर भी यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें सरकारी आसूचना कमजोर थी, वह था "आधारभूत" (ग्राउंड) सूचना । उदाहरण के लिए सरकार को यह जानकारी थी कि किसी खास अवधि के दौरान आतंकवादी रेलवे ट्रैकों, रेलवे स्टेशनों और पोस्ट आफिसों के खिलाफ कुछ बड़ी और आकस्मिक कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं । पर आक्रमण के ठीक-ठीक स्थानों और आतंकवादियों के गिरोह विशेष के बारे में, जिन्हें आक्रमण करना था, जानकारी उपलब्ध नहीं थी । यह आधारभूत सूचना से संबंधित था । इसके परिणामस्वरूप, जब पूरे राज्य में रेलवे ट्रैकों की व्यापक पैट्रोलिंग की गई, तो ट्रैकों के तोड़फोड़ की कई कार्रवाइयों का पता चला और कई रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सका, पर अधिकाँश छोटे रेल स्टेशनों और दूर-दूर स्थित फ्लैग स्टेशनों पर हमले रोकना संभव नहीं हो सका ।

10. जहाँ तक हथियारों की सप्लाई का संबंध है, शुरू-शुरू में आतंकवादियों को ये हथियार शस्त्रागारों पर कुछ अचानक छापे मारने (इनमें से फिरोजपुर स्थित होम गार्ड का शस्त्रागार प्रमुख है) और पुलिस कार्मिकों से यदा-कदा छीनने से मिले हैं । बाद में, वे बाहर के स्रोतों से और देश के अन्दरूनी स्रोतों से गुप्त संपर्क स्थापित करके अधिक आधुनिक हथियार प्राप्त करने में सफल हुए । विदेशों के उच्च प्राधिकारियों ने सीमा पार से भारत में भारी मात्रा में अवैध हथियारों की सप्लाई की संभावनाओं के बारे में कहा है । इस बारे में अधिक तथ्य तब उपलब्ध होंगे जब हिरासत में लिए गए आतंकवादियों के खिलाफ मामलों में जाँच पूरी हो जायेगी । पर एक तथ्य स्पष्ट है कि आतंकवादी गिरोहों को हथियार बाँटने का प्रमुख केन्द्र स्वर्ण मन्दिर के अन्दर था ।

11. सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि आतंकवादियों को कुछ विदेशी स्रोतों से विभिन्न प्रकार का सक्रिय समर्थन मिल रहा था। आजकल की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अंतर्गत तोड़फोड़ की बाहरी और आन्तरिक शक्तियों में विशिष्ट संबंध रहना एक सुपरिचित तथ्य है । पर पंजाब में आतंकवाद के इस पक्ष पर सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है, उसे प्रकट करना लोकहित में नहीं है। जो लोग हमारी आंतरिक स्थिति का अपने स्वार्थपूर्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, उनके इरादों को नाकाम करने के लिए पूर्ण सतर्कता आवश्यक है । हमारे राजनीतिक जीवन के इस पक्ष के प्रति भारत के लोगों ने अपनी पूर्ण सजगता कई बार प्रदर्शित की है ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

12. सरकार को पंजाब में जो कार्रवाई करनी पड़ी, वह न तो सिखों के खिलाफ थी और न ही सिख धर्म के खिलाफ । वह कार्रवाई तो आतंक व विद्रोह के खिलाफ थी । सिख पूरी तरह से भारतीय राष्ट्र का एक अभिन्न अंग हैं । देश को आजादी दिलाने और उसकी रक्षा करने में तथा स्वतंत्र भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में अपने योगदान में वे किसी से भी कम नहीं हैं । सिख समुदाय, शेष राष्ट्र के साथ देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसे सुदृढ़ करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है ।

13. सरकार ने पिछले दो वर्षों से पंजाब में आन्दोलन से निपटने के लिए व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा है । इन दुखद घटनाओं के बाद भी जिनका पूर्ववर्ती पृष्ठों पर उल्लेख किया गया है, सरकार अपने इस इरादे पर दृढ़ है कि कोई स्थाई हल विचार-विमर्श की लोक-तांत्रिक प्रक्रिया के जरिए निकाला जाना चाहिए । यह स्पष्ट है कि ऐसा विचार-विमर्श शाँति व पारस्परिक विश्वास के वातावरण तथा आदान-प्रदान की भावना से ही लाभप्रद हो सकता है । यदि एक पक्ष इस बात पर अड़ जाए कि उसकी सभी माँगें पूर्णत: मानी जानी चाहिएं जबकि उन माँगों में ऐसी माँगें भी शामिल हों जिनका अन्य राज्यों से संबंध है, उस स्थिति में समझौता संभव नहीं । ऐसा कोई समझौता स्थायी नहीं हो सकता जिसमें किसी एक राज्य या ग्रुप की माँगों को स्वीकार करते समय अन्य राज्यों या ग्रुपों के वैध हितों की उपेक्षा कर दी जाए । किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए कुछ आदान-प्रदान आवश्यक होता है । सबसे मुख्य बात इस बुनियादी सिद्धान्त के प्रति कृत संकल्प रहना है कि सम्पूर्ण देश का हित, किसी भी राज्य या ग्रुप के हित से अधिक महत्वपूर्ण है ।

14. सरकार को पूर्ण आशा है कि सभी वर्गों के लोग पारस्परिक विश्वास व सद्भाव का वातावरण बनाने में योगदान करेंगे ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अनुलग्नक --I

सितम्बर, 1981 में सरकार द्वारा अकाली दल से प्राप्त 45 मांगों की सूची

क. धार्मिक

1. सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप।
2. पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के प्रबंध पर सिखों के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाना।
3. विदेशों में तथा भारत के अन्य राज्यों में बसे हुए सिखों के जान-माल की सुरक्षा के प्रति उदासीनता।
4. 1971 में दिल्ली गुरुद्वारों पर जबरदस्ती कब्जा किया जाना।
5. हरियाणा में गुरुद्वारों पर अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम लागू किया जाना।
6. किसी ट्रेन का नाम गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस रखने में असफल होना जबकि 15 ट्रेनों का नाम अन्य धार्मिक स्थानों के नाम पर रखा गया है।
7. अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा देने में विलम्ब।
8. स्वर्ण मंदिर में ट्रांसमीटर लगाने की अनुमति न देना।
9. अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम का न बनाया जाना।
10. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सिखों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता न दिया जाना।
11. पाकिस्तान में तीर्थयात्रियों को भेजने के क्षेत्र में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्राधिकार को हड़पना।
12. सिख सिद्धांतों में हस्तक्षेप और सिख परम्पराओं की पवित्रता का उल्लंघन।
13. पुलिस की सहायता से दिल्ली गुरुद्वारों पर गैर-कानूनी और जबरदस्ती कब्जा।
14. सिखों द्वारा राष्ट्रीय विमान सेवाओं में कृपाण (तलवार) साथ रखने पर प्रतिबंध।

ख. राजनीतिक

1. एक स्वायत्त क्षेत्र के लिए सिखों को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन और इसके बजाय सिखों को अपराधी घोषित करना।
2. "पंजाबी सूबा" नारे पर प्रतिबंध लगाना।
3. चंडीगढ़ तथा अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब से बाहर रखना और वाटर-हेड वर्क्स तथा नदी-जल वितरण का नियंत्रण छीन लेना।
4. राज्य को आन्तरिक स्वायत्तता प्रदान करने से इन्कार करना।
5. अकाली सरकारों को गैर-कानूनी भ्रष्ट तरीके से गिराना।
6. पड़ोसी राज्यों में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा देने से इन्कार करना।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

7. पंजाबियों पर विश्वास की कमी व्यक्त करना और लाइसेंस शुदा शस्त्र वापस लेकर उन्हें निःशस्त्र करना ।
8. आनंदपुर साहिब संकल्प को अस्वीकार करना और साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना।

ग. आर्थिक

1. सशस्त्र बलों में सिखों की भर्ती का कोटा 20% से घटाकर 2% करना।
2. पंजाब और सिन्ध बैंक का राष्ट्रीयकरण करना।
3. अमृतसर में ड्राई-पोर्ट स्थापित करने में असफलता।
4. पंजाब को कम से कम केन्द्रीय सहायता मंजूर किया जाना।
5. 5% लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण।
6. पंजाब का आर्थिक शोषण।
7. मूल्यों में वृद्धि होना।
8. पंजाब में भारी-उद्योगों की कमी ।
9. उत्तर प्रदेश से पंजाबी किसानों की बेदखली।
10. 7 हेक्टेयर की अधिकतम भूमि सीमा निर्धारित करना, किन्तु शहरी सम्पत्ति की कोई सीमा निर्धारित न करना।
11. पंजाब में सामूहिक बीमा योजना लागू न करना।
12. किसानों को ऋण उद्योगपतियों को दी गई दरों पर देने से इन्कार करना।
13. कृषि उत्पादों के लिए अलाभकारी-मूल्य।
14. कृषि उत्पादों को सस्ते भावों पर खरीदना, परन्तु उन्हें उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्यों पर बेचना।
15. हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में असफलता।
16. पंजाब में भारत-पाकिस्तान युद्धों के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान न करना।
17. बेरोजगारी भत्ते की अदायगी न करना।
18. उत्पादन को मूल्य सूचकांक से जोड़ना।
19. रोजगार बीमा स्कीम के अधीन किसानों और कामगारों को सुविधाएं प्रदान करने से इन्कार करना।
20. शहरी कृषि भूमि को सस्ते दामों पर जबर्दस्ती अधिग्रहण करना।
21. निगम सीमाओं के 5 कि० मी० अर्ध व्यास के भीतर ग्रामीण भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध।

घ. सामाजिक

1. सिख पर्सनल लॉ को मान्यता न देना।
2. फ़िल्मों और टी० वी० आदि में सिखों को अनुचित ढंग से प्रदर्शित करना, सिख-विरोधी साहित्य को बढ़ावा देना और रेडियो/टी०वी० पर सिख साहित्य के प्रसारण के लिए पर्याप्त समय न देना।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अनुलग्नक---II

अक्तूबर, 1981 में सरकार द्वारा अकाली दल से प्राप्त 15 मांगों की संशोधित सूची

धार्मिक मांगें

1. सन्त जरनैल सिंह भिण्डरांवाले की बिना शर्त रिहाई और दिल्ली रैली (सितम्बर, 7), चौक मेहता और चन्दो कलां के बारे में पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच।
2. दिल्ली गुरुद्वारों के प्रबंध में सरकार की कथित मनमानी को हटाना, "सरकार के हाथ में कठपुतली बने व्यक्ति" द्वारा किये गये बलात नियंत्रण को हटाने के बाद लोकतांत्रिक चुनाव करना।
3. तीर्थ यात्री दलों को पाकिस्तान भेजने और स्थानीय सिख पवित्र स्थानों के रख-रखाव के लिए सेवादार रखने के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकार को बहाल करना।
4. विमान से यात्रा करने वाले सिखों को देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में कृपाण धारण करने की अनुमति।
5. एक अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया जाना चाहिये।
6. हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और काशी की तरह अमृतसर को पवित्र शहर की हैसियत प्रदान करना।
7. कीर्तन प्रसारित करने के लिए स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर में "हरिमन्दिर रेडियो" की स्थापना।
8. फ्लाइंग मेल का नाम बदल कर हरिमन्दिर एक्सप्रेस रखना।

राजनितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक

9. आनन्दपुर साहिब संकल्प के अनुसार शिरोमणि अकाली दल को इस बात का पूरा विश्वास है कि राज्यों की प्रगति से केन्द्र समृद्ध होगा, जिसके लिए राज्यों को और अधिक अधिकार और प्रान्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के वास्ते संविधान में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिये। केन्द्र के पास विदेशी मामले, रक्षा, मुद्रा और संचार (परिवहन के साधनों सहित) होने चाहिये और बाकी विषय राज्यों के पास होने चाहिये। इसके अतिरिक्त, सिखों को एक राष्ट्र के रूप में विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिये।
10. पंजाबी भाषी क्षेत्रों और चण्डीगढ़ को पंजाब में मिलाना।
11. राज्य में डैमों और हेडवर्कस को पंजाब को सौंपना और नदी जल का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार फिर से वितरण।
12. पंजाबी भाषा को हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में दूसरी भाषा का दर्जा देना।
13. उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से पंजाबी किसानों के उखाडे जाने को रोकना।
14. अमृतसर में एक ड्राई पोर्ट स्थापित करना।
15. पंजाब सिंध बैंक के बदले में एक नये बैंक का लाइसेंस मंजूर किया जाना चाहिये, जो सिखों के नियंत्रण में होना चाहिये और कृषि उत्पादों की, इसे औद्योगिक उत्पादन के इन्डेक्स से जोड़ते हुए, लाभकारी कीमतें निश्चित की जानी चाहिए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल द्वारा अधिप्रमाणित आनन्दपुर साहिब संकल्प हिन्दी रूपान्तर

शिरोमणि अकालीदल के नयी नीति कार्यक्रम का मसौदा

जो कार्यकारी समिति द्वारा 16-17 अक्तूबर, 1973 को श्री आनन्दपुर साहिब में हुई बैठक में स्वीकृत किया गया जिसका अकाली दल की आमसभा द्वारा 28-8-1977 को लुधियाना में होने वाले अधिवेशन में अनुमोदन किया जाना है ।

(बाद में 12 संकल्पों के रूप में पारित किया गया)

1-9-1977

ज्ञानी अजमेर सिंह

सचिव

शिरोमणि अकाली दल

खालसा पंथ के शिक्षा संबंधी लक्ष्य

शिरोमणि अकाली दल का लक्ष्य सिखों को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार करना है जो ऊंची शिक्षा प्राप्त हों, अपने मूल अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूक हों, विभिन्न कलाओं में बहुत अच्छी तरह निपुण हों और जो अपने अधिक उत्कृष्ट सपूतों का सम्मान करने के लिए हमेशा तत्पर हों ।

शिरोमणि अकाली दल सिख राष्ट्र के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कवियों, लेखकों और कलाकारों को इसकी सबसे अधिक मूल्यवान सम्पत्ति समझता है ।

शिरोमणि अकाली दल ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी सहायता देगा ।*

---

* यह ममौदे में उप-शीर्ष शिक्षा और संस्कृति से लिया गया उद्धरण है ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अकाली दल की कार्यकारी समिति द्वारा आनन्दपुर साहिब में स्वीकृत संकल्प के पाठ के बारे में काफी भ्रान्ति और गलत-फहमी रही है। शिरोमणि अकाली दल उक्त संकल्प की भावना और विषय वस्तु को स्पष्ट करने की लगातार कोशिश करता रहा है। अब पंजाबी न जानने वाले देशवासियों के लाभ के लिए एक प्रामाणिक अंग्रेजी पाठ जारी किया जा रहा है।

ह०

(सन्त) हरचन्द सिंह लोंगोवाल
अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

प्रस्तावना

शिरोमणि अकाली दल निस्संदेह एक महान संगठन है, इसका अस्तित्व में आना सिक्खों के लिए गर्व की बात है। इसका समस्त इतिहास संघर्षों व आन्दोलनों, विजयों और उपलब्धियों का एक शानदार रिकार्ड है, जिसपर गौरव करना इसके लिए न्यायोचित है। इस पार्टी का पिछला इतिहास यह बताता है कि जब कभी किसी ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की है, उसका अन्ततः विनाश हुआ है। देश के स्वतन्त्रता संग्राम में इसने जो अत्यन्त महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा इतिहास का एक अमिट अंग रहेगा।

शिरोमणि अकाली दल सिखों के अधिकारों के लिए और देश की संरचना में उनकी सम्मानपूर्ण हैसियत के लिए परिस्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार उनका मार्गदर्शन करता रहा है। इसका उद्देश्य सिख पंथ को उन्नत करना रहा है और इस महान आदर्श की प्राप्ति के लिए शिरोमणि अकाली दल अनेक और विभिन्न तरीके अपनाता रहा है।

कांग्रेस सरकार की सिख विरोधी नीतियों और देश में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए, शिरोमणि अकाली दल ने सिख पंथ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को फिर से तैयार करने एवं उनकी प्राप्ति के लिए और तेजी से अग्रणी कार्य करने का निर्णय किया है ताकि ऐसा करते हुए वह पंथ, पंजाब तथा देश के भी और अधिक हितों के लिए कार्य कर सके और सिखों की आशाओं के अनुकूल बना रहे।

इस प्रयोजन के लिए, शिरोमणि अकाली दल ने 11-12-1972 को हुई अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में एक नीति कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए सिख बुद्धिजीवियों और विचारकों की एक उप-समिति गठित की थी जिसके अध्यक्ष, पार्टी के महासचिव, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला थे और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष, संसद सदस्य सरदार गुरचरन सिंह तोहरा, जत्थेदार जीवन सिंह उमरानंगल, भूतपूर्व मंत्री, सरदार गुरमीत सिंह, भूतपूर्व मंत्री, डा० भगत सिंह, भूतपूर्व वित्त मंत्री, सरदार बलवंत सिंह, सरदार ज्ञान सिंह रोड़ेनाला, सरदार प्रेम सिंह लालपुरा, महासचिव शिरोमणि अकाली दल, सरदार जसविन्दर सिंह बरार, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, सरदार भागसिंह, मेजर जनरल गुरबक्श सिंह वधनी और ऐडवोकेट सरदार अमर सिंह अम्बालवी इसके सदस्य थे।

इस उप-समिति की ग्यारह बैठकें हुई, और पहली बैठक 23-12-1972 को अमृतसर में हुई थी। इसकी अधिकांश बैठक शान्तिपूर्ण और अनुकूल वातावरण होने से चंडीगढ़ में हुई।

उप-समिति के सभी सदस्यों ने इसके कार्य में अत्यधिक रुचि दिखाई और बहुत दिलचस्प एवं उपयोगी विचार विमर्शों में भाग लिया जो देखने व भाग लेने योग्य थे। मामलों के हर पहलू पर बहुत सावधानी व बारीकी से विचार करने के बाद अन्त में एक सर्वसम्मत रिपोर्ट तैयार की गई। सिख पंथ के प्रति प्यार की भावना से प्रेरित होकर इसके अनेक आर्मी जनरलों, विधि विशेषज्ञों, डाक्टरों, राजनीतिक विचारकों, अनुभवी राजनीतिज्ञों और धार्मिक नेताओं ने एक साथ मिलकर पंथ के भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बनाने के लिए इस योजना को तैयार करने में सहायता प्रदान की। विचार-विमर्श के दौरान पंथ व देश के प्रति इनका सन्तुलित प्यार एवं सिखों और देश के हितों की रक्षा के प्रति इनकी तत्परता पूर्णतया प्रत्यक्ष और स्पष्ट थी।

जब अत्यन्त सावधानी से तैयार की गई सरदार सुरजीत सिंह उप-समिति की यह रिपोर्ट, दसवें गुरु की पवित्र और ऐतिहासिक गद्दी श्री आनन्दपुर साहिब में हुई शिरोमणि अकाली दल की कार्यकारी समिति की बैठक में पेश की

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

गई तो दो दिन तक सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद महासभा के सामने रखे जाने के लिए इसका अनुमोदन किया गया ।

इसलिए यह मसौदा आपको भेजा जा रहा है ताकि आप इसका गहन अध्ययन कर सकें और महासभा की बैठक आपके अमूल्य राय से लाभान्वित हो सके ।

पंथ के प्रति प्यार व आदर सहित,

विनीत,

अजमेर सिंह

सचिव,

शिरोमणि अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल का कार्यालय,

श्री अमृतसर

1-8-1977

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

संकल्प

जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी की अध्यक्षता में 28-29 अक्तूबर, 1978 को लुधियाना में हुए 18वें अखिल भारतीय अकाली सम्मेलन के खुले अधिवेशन में आनन्दपुर साहिब संकल्प को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत संकल्प निम्न प्रकार है :—

(इन संकल्पों को पारित करने के बाद ही शिरोमणि अकाली दल ने उनके लिए संघर्ष शुरू कर दिया)

संकल्प सं० 1

यह संकल्प शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष, सरदार गुरचरण सिंह टोहरा द्वारा प्रस्तुत किया गया और पंजाब के मुख्यमंत्री, सरदार प्रकाश सिंह बादल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया ।

शिरोमणि अकाली दल यह मानता है कि भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की एक संघीय लोकतन्त्रीय भौगोलिक इकाई है । धार्मिक और भाषाजात अल्प संख्यकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने, लोकतंत्रीय परम्पराओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करने के वास्ते यह अपरिहार्य हो गया है कि केन्द्र और राज्य सम्बन्धों तथा अधिकारों की उपयुक्त सिद्धान्तों एव उद्देश्यों के अनुसार फिर से व्याख्या करते हुए भारतीय सांविधानिक ढांचे को एक वास्तविक संघीय रूप दिया जाए ।

लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित पूर्ण क्रान्ति की संकल्पना भी शक्तियों के प्रगामी विकेन्द्रीकरण पर आधारित है । कांग्रेस सत्ता के दौरान संविधान में लगातार संशोधनों के जरिए राज्यों की शक्तियों के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया की चरमसीमा देशवासियों के समक्ष आपातस्थिति के रूप में आई, जब सभी नागरिकों के समस्त मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था । उसी समय शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के कार्यक्रम को, जिसकी वकालत शिरोमणि अकाली दल ने भी की थी, खुलेतौर पर स्वीकार किया गया था और जनता पार्टी, सी०पी०आई० (एम०), ए०डी०एम०के० आदि सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार किया था ।

शिरोमणि अकाली दल सदा इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहा और इसी कारण से काफी सोच-विचार के बाद उसने सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया, पहले अखिल भारतीय अकाली सम्मेलन बटाला में और फिर श्री आनन्दपुर साहिब में, जिसमें संघीय प्रणाली के अनुरूप राज्य स्वायत्तता के सिद्धान्त का समर्थन किया गया है ।

इस प्रकार शिरोमणि अकाली दल जनता सरकार से दृढ़ता पूर्वक यह आग्रह करता है कि विभिन्न भाषाई व सांस्कृतिक वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं लाखों लोगों की आवाज को ध्यान में रखा जाए तथा राष्ट्र की एकता एवं देश की अखंडता को किसी खतरे की संभावना को दूर करने के लिए वास्तविक एवं अर्थपूर्ण संघीय सिद्धान्तों के आधार पर देश के संविधानिक ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाए ताकि राज्य अपनी शक्तियों का वास्तविक उपयोग करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में भारतीय लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए उपयोगी भूमिका निभा सकें ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

संकल्प सं० 2

शिरोमणि अकाली दल की यह महत्वपूर्ण सभा भारत सरकार से यह आग्रह करती है कि वह पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा विशेषकर आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों, गलतियों, गैर कानूनी कार्यों की लम्बी कहानी की जांच करे और निम्नलिखित समस्याओं का शीघ्र हल ढूंढने की कोशिश करे :--

(क) चंडीगढ़ को जिसका निर्माण मूलतः पंजाब की राजधानी के रूप में किया गया था, पंजाब को सौंप दिया जाना चाहिए ।

(ख) गांव को इकाई मानते हुए भाषाई विशेषज्ञों द्वारा, जिन पंजाबी भाषी क्षेत्रों का पता लगाया जाना है उनको पंजाब में मिलाने की शिरोमणि अकाली दल की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को स्वीकार किया जाए ।

(ग) हैड वर्क्स का नियंत्रण पंजाब में ही बना रहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए ।

(घ) रावी-व्यास के पानी के बटवारे के संबंध में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आपात स्थिति के दौरान दिये गये मनमाने तथा अनुचित अधिनिर्णय को सर्वमान्य मानदण्डों और सिद्धान्तों के आधार पर संशोधित किया जाए और पंजाब के साथ न्याय किया जाए ।

(ङ) सिखों की विशेष रूचि तथा उनके सैन्य गुणों को ध्यान में रखते हुए, थल सेना में उनकी संख्या के वर्तमान अनुपात को बनाए रखा जाए ।

(च) भूमि सुधार के नाम पर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसे हुए लोगों पर की जा रही ज्यादतियों को, केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर अधिकतम भूमि सीमा कानून में उचित संशोधन करके, समाप्त किया जाए ।

संकल्प सं० 3

(आर्थिक नीति संबंधी संकल्प)

शिरोमणि अकाली दल की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रम के मुख्य प्रेरणा स्रोत श्री गुरु नानक देव और श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की सर्वधर्म समभाव की भावना तथा लोकतांत्रिक तथा समाजवादी विचारधाराएं ही हैं । हमारा आर्थिक कायक्रम तीन मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित है :--

(क) श्रम का आदर ।

(ख) एक ऐसा आर्थिक और सामाजकि ढांचा जिसमें गरीब तथा समाज के दलित वर्गों के उत्थान की व्यवस्था हो ।

(ग) पूंजीपतियों के हाथों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति केन्द्रित होने का निरन्तर विरोध करना ।

आर्थिक नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करते समय, शिरोमणि अकाली दल ने आनन्दपुर साहिब के अपने ऐतिहासिक संकल्प में, भारत में कांग्रेस शासन के 30 वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर पूंजीपतियों के एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया । इस पूंजीवादी अधिपत्य से केन्द्रीय सरकार ने मुगल साम्राज्यवाद की तरह सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली । इससे राज्यों की आर्थिक प्रगति में रुकावट आना और लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचना लाजमी था । शिरोमणि अकाली दल, गुरु नानक देव जी के पवित्र उपदेशों का पालन करने का संकल्प करते हुए सिख धर्म के अनुसार जीने पर पुनः जोर देता है ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

केवल वही सही रास्ते को समझ सकता है जो ईमानदारी से काम करता है और उस मेहनत के फल का भागीदार होता है ।

इस प्रकार का जीवन तीन मूल सिद्धान्तों पर आधारित है :—

(1) ईमानदारी से काम करना;

(2) इस मेहनत के फल का भागीदार होना; और

(3) प्रभु के नाम का चिन्तन ।

शिरोमणि अकाली दल केन्द्र और राज्य सरकारों से यह आग्रह करता है कि बेरोजगारी को अगले दस वर्षों में समाप्त करने के प्रयास किए जाएं । इस उद्देश्य के लिये कार्य करते हुए कमजोर वर्गों, अनुसूचित और दलित वर्गों, कामगरों, भूमिहीनों और गरीब किसानों तथा शहर के गरीब लोगों की स्थिति सुधारने पर विशेष जोर दिया जाए । सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए ।

शिरोमणि अकाली दल पंजाब सरकार से यह आग्रह करता है कि वे राज्य के लिए ऐसी आर्थिक योजनाएं तैयार करे जिससे यह राज्य अगले दस वर्षों में एक अग्रणी राज्य बन जाए और ऐसा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर 3000/– रुपए करते हुए और राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक 4% की आर्थिक वृद्धि दर के मुकाबले इसकी आर्थिक वृद्धि दर 7% वार्षिक करते हुए किया जा सकता है ।

शिरोमणि अकाली दल कर संबंधी ढांचे का इस प्रकार फिर से तैयार करने के कार्य को पहली अग्रता देता है जिससे कर का भार गरीबों से हटकर केवल अमीरों पर पड़े और राष्ट्र की आय का समान वितरण सुनिश्चित हो जाए।

शिरोमणि अकाली दल के आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य आधार स्तम्भ यह है कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग राष्ट्रीय आय का लाभ पाने के भागीदार बन पाएं।

शिरोमणि अकाली दल, केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करता है कि अमृतसर में एक अन्तर्राष्ट्रीय एयर फील्ड बनाया जाए जिसमें ड्राई पोर्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध हों। इसी प्रकार लुधियाना में एक स्टाक एक्सचेंज खोला जाए ताकि राज्य में औद्योगिकीकरण और आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में तेजी आए। शिरोमणि अकाली दल यह भी चाहता है कि विदेशी मुद्राओं के मुक्त विनियम के लिए विदेशी मुद्रा नियमों में उचित संशोधन किये जाएं और इस प्रकार भारतीय प्रवासियों के सामने आ रही कठिनाइयां दूर की जाए।

शिरोमणि अकाली दल भारत सरकार से यह आग्रह करता है कि वह कृषि उपज और उद्योगों के लिये कच्चे माल की कीमतों में समता लाएं ताकि ऐसे राज्यों के प्रति भेदभाव समाप्त हो सके जहां उक्त कच्चे मालों की कमी है।

शिरोमणि अकाली दल यह मांग करता है कि कपास, गन्ने, तिलहन जैसी नकदी फसलों के उत्पादकों का व्यापारियों द्वारा शोषण तत्काल रोका जाए और इसके लिए इन फसलों को सरकार द्वारा इनके लिए लाभकारी मूल्यों पर खरीदने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, सरकार द्वारा कपास निगम के माध्यम से कपास खरीदने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिऐ।

शिरोमणि अकाली दल की दृढ़ भावना है कि अनुसूचित जातियों के लाखों शोषित लोगों की दशा को सुधारना अति तात्कालिक राष्ट्रीय समस्या है। इस प्रयोजन के लिए शिरोमणि अकाली दल केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से विशेष निधियां निर्धारित करने की मांग करता है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूखण्ड देने के लिए राज्य सरकारों को अपने-अपने बजटों में पर्याप्त निधियां आबंटित करनी चाहिए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

खेतीबाड़ी में शीघ्र विविधता लाने के लिए भी शिरोमणि अकाली दल मांग करता है। भूमि सुधार कानूनों में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर किया जाए, राज्य के तेजी से औद्योगिकरण को सुनिश्चित किया जाए, मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए ऋण की सहूलियतें बढ़ाई जाए और जो लोग बैरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । लाभकारी कृषि के लिए ट्रैक्टरों, जल कूपों जैसे कृषि यन्त्रों के साथ-साथ अन्य निवेशों के मूल्यों में इतनी कमी की जाए जो महसूस न हो।

संकल्प सं० 4

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर आदि पड़ौसी राज्यों में पंजाबी भाषा के साथ जो भेदभाव बरता जा रहा है उस पर शिरोमणि अकाली दल का यह बृहत अधिवेशन खेद प्रकट करता है। इसकी यह दृढ़ मांग है कि नेहरू भाषा सूत्र के अनुसार, पंजाब के पड़ोसी राज्यों में पंजाबी भाषा को "दूसरी भाषा" का दर्जा दिया जाए। वहां की आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग पंजाबी भाषी है।

संकल्प सं० 5

सभा इस बात पर खेद प्रकट करती है कि देश के विभाजन के फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर में बसे शरणार्थियों के दावों पर इतने लम्बे समय के बाद भी उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और ये अभागे शरणार्थी तभी से तम्बुओं में ही सड़ रहे हैं।

इसलिए अकाली दल का यह अधिवेशन दृढ़तापूर्वक मांग करता है कि उनके दावों को जल्दी निपटाया जाए और उनके पुनर्वास के लिए तत्काल उपाय किए जाएं, चाहे इसके लिए धारा 370 में संशोधन करना पड़े।

संकल्प सं० 6

अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और जिस प्रकार से उनके हितों के प्रति लापरवाही बरती जाती है, अखिल भारतीय अकाली सम्मेलन का 18वां अधिवेशन उनका पुरजोर विरोध करता है ।

इसलिए यह सम्मेलन मांग करता है कि अन्य राज्यों में सिखों के प्रति अन्याय को दूर किया जाए और उन्हें सरकारी सेवा, स्थानीय निकायों/राज्य विधान मण्डलों में, यदि आवश्यक हो तो मनोनयन द्वारा उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

संकल्प सं० 7

अखिल भारतीय अकाली सम्मेलन का 18वां अधिवेशन इस बात से सन्तुष्ट है कि देश में कृषि यंत्रीकरण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

तथापि, अधिवेशन यह महसूस करता है कि गरीब किसान कृषि का यंत्रीकरण करने में इसलिए असमर्थ है कि इसमें लगने वाली लागत अधिक है।

इसलिए शिरोमणि अकाली दल भारत सरकार से अनुरोध करता है कि ट्रैक्टरों पर से उत्पाद-शुल्क हटा दिया जाए, ताकि उनकी कीमत में कमी होने पर आम कृषक भी कृषि यंत्र का लाभ उठा सकें तथा देश के कुल कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अपना योगदान दे सके।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

संकल्प सं० 8

शिरोमणि अकाली दल की बैठक गरीब और श्रमिक वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुरोध करती है, और यह मांग करती है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में समुचित संशोधन करने के साथ-साथ श्रमिक वर्ग की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए समुचित कानूनी उपाय किए जाएं ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें और देश के तेजी से औद्योगिकरण में उपयोगी भूमिका निभा सकें।

संकल्प सं० 9

यह अधिवेशन भारत सरकार से स्वर्ण मंदिर अमृतसर में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की अनुमति चाहता है, ताकि जो सिख विदेशों में रहते हैं उनकी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए गुरवाणि-कीर्तन प्रसारित किया जाए।

यह अधिवेशन इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि प्रस्तावित प्रसारण केन्द्र को स्थापित करने का पूरा खर्च खालसा पन्थ द्वारा वहन किया जाएगा और इसका समग्र नियंत्रण भारत सरकार में निहित होगा। हमें पूरी आशा है कि उचित रूप से विचार करने के बाद सरकार को इस मांग को मानने में कोई झिझक नहीं होगी।

संकल्प सं० 10

शिरोमणि अकाली दल का यह वृहत अधिवेशन भारत सरकार से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करता है कि उन कृषक वर्गों के लाभ के लिए निम्नलिखित कानून बनाए जाएं जिन्होंने राष्ट्र के व्यापक हितों के लिए कठिन मेहनत की है:—

1. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की संबद्ध धारा में उचित संशोधन करके एक स्त्री को उसके पिता की जायदाद के बजाए उसके ससुर की जायदाद में उत्तराधिकारी होने के अधिकार दिए जाने चाहिएं।

2. कृषकों की कृषि भूमि को सम्पत्ति कर (वैल्थ टैक्स) और सम्पदा शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए।

संकल्प सं० 11

शिरोमणि अकाली दल का वृहत अधिवेशन भारत सरकार से जोर देकर कहता है कि अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उनकी आबादी के अनुपात में बजट में प्रावधान किए जाएं, जिनका उपयोग उनके कल्याणार्थ किया जाए। आरक्षण के आधार पर उनको न्याय देने के लिए, व्यावहारिक उपाय के रूप में केन्द्र में एक विशेष मंत्रालय की स्थापना की जाए।

यह सम्मेलन सरकार से यह भी मांग करता हैं कि पहले हो हो चुके समझौते के मुताबिक देश के किसी भी भाग में सिख हरिजनों और हिन्दु हरिजनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

संकल्प सं० 12

कांग्रेस सरकार से यह भी मांग है कि रावी-व्यास जल के वितरण में पंजाब के साथ किए गए घोर अन्याय और भेदभाव को दूर किया जाए। पंजाब में चीनी के छः कारखानों और चार वस्त्र कारखानों की तत्काल स्थापना के लिए भी केन्द्रीय सरकार अपनी स्वीकृति दे ताकि पंजाब राज्य अपनी कृषि-उद्योग नीति को कार्यान्वित कर सके।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

शिरोमणि अकाली दल के बुनियादी सिद्धान्त

अकाली दल के बुनियादी सिद्धान्त श्री आनन्दपुर साहिब में 16-17 अक्तूबर, 1973 को शिरोमणि अकाली दल की कार्यकारी समिति की बैठक में यथास्वीकृत।

(क) सिद्धान्त

1. शिरोमणि अकाली दल सिख राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं का मूर्तरूप है और इस प्रकार इसे अपने प्रतिनिधित्व का पूरा अधिकार है। इस संगठन के मूल सिद्धान्त हैं मानव सहअस्तित्व, मानव उन्नति और अन्ततः सभी मानवों को परमात्मा से एकत्व।

2. ये सिद्धान्त, श्री गुरू नानक देव जी के तीन महान सिद्धान्तों पर आधारित हैं, अर्थात् परमात्मा के नाम का चिन्तन, मेहनत की गरिमा और इस मेहनत का भागीदार होना। (नाम जपो, कीरत करो, वंड चखो)

(ख) उद्देश्य

शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करता रहेगा :—

1 सिख धर्म और इसकी आचरण संहिता का प्रचार, और नास्तिकवाद की निन्दा।

2. पंथ के स्वतन्त्र एवं पृथक स्वरूप की विचारधारा को कायम तथा जीवित रखना और ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं और सिख पंथ की आकांक्षाओं को पूरी अभिव्यक्ति मिले, उसकी तुष्टि और अभिवृद्धि हो।

3. गरीबी और भूखमरी को दूर करना—उत्पादन को बढ़ाकर, तथा धन सम्पत्ति का बेहतर समान वितरण करके, तथा एक न्यायप्रद ऐसी सामाजिक व्यवस्था करके जिसमें किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा।

4. जाति, धर्म या अज्ञानता के आधार पर भेदभाव को, सिखधर्म के बुनियादी सिद्धान्तों के अनुरूप दूर करना।

5. रोगों तथा बीमारियों को दूर करने के प्रयत्न, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की भर्त्सना तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयारी व उत्साह पैदा करने के लिए जिस्मानी बहादुरी की सहूलियतों को बढ़ाना।

पहला भाग

शिरोमणि अकाली दल अपना यह बुनियादी फर्ज समझता है कि सिखों में धार्मिक **गर्मजोशी**, तथा उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा की जाए जिसके लिए अकाली दल निम्नलिखित कार्यक्रम पर अमल करना चाहता है :—

(क) एकेश्वरवाद (ईश्वर एक है) के सिद्धांत पर आग्रह उसी के नाम का ध्यान, गुरबानी का गायन, सिखों के दस पवित्र गुरूओं तथा श्री गुरू ग्रंथ साहिब में नया विश्वास जगाना तथा इस उद्देश्य से दूसरे समुचित उपाय करना।

(ख) देश-विदेश में, स्कूल और कालिजों में गांव तथा शहरों में बल्कि हर स्थान पर सिख धर्म, सिख दर्शन, सिख आचार संहिता में विश्वास तथा कीर्तन आदि के और अधिक प्रभावकारी प्रतिपादन के लिए सिख मिशनरी कालिज में निपुण प्रचारकों, रागियों, ढाडियों और कवियों को तैयार करना।

(ग) बड़े पैमाने पर अमृत प्रचार, जिसमें विशेष जोर स्कूल और कालिजों पर दिया जाएगा, जहां पर छात्र और शिक्षक दोनों वर्गों में नियमित अध्ययन मण्डलों के जरिए प्रेरणा दी जाएगी।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(घ) सिखों में दसौंध (अपनी आय के 1/10 भाग को समुदाय के कल्याण के लिए देना) की धार्मिक प्रथा को दोबारा जगाना ।

(ङ) सिख बुद्धिजीवियों, लेखकों, प्रचारकों, ग्रंथियों आदि के प्रति आदर भाव पैदा करना, और फिर इनकी भी यह प्रेरणा जागृत करना कि उन्हें भी, सिख धर्म के बुनियादी उसूलों और रवायत को मानकर चलते हुए अपने-अपने हुनर में सुधार लाना होगा ।

(च) कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर गुरुद्वारा प्रबंध को सुचारू बनाना । गुरुद्वारों, भवनों को सही हालत में रखने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे । इस उद्देश्य से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में तथा स्थानीय कमेटियों में पार्टी प्रतिनिधियों को समय-समय पर अपना पूरा प्रभाव डालने के लिए कहा जाएगा ।

(छ) गुरबानी के शुद्ध पाठ को प्रकाशित करने के लिए उचित प्रबंध करना; प्राचीन तथा आधुनिक सिख इतिहास में शोध-कार्य को बढ़ावा देना, तथा उसका प्रकाशन, गुरबानी का अन्य भाषाओं में अनुवाद कराना, तथा सिख धर्म पर उच्च कोटि का साहित्य निकालना ।

(ज) देशभर में गुरुद्वारों के प्रशासन में सुधार लाने, तथा सिख धर्म के पुराने प्रचारक पंथ जैसेकि उदासी तथा निर्मल पंथों को उनके अपने-अपने मठों की जायदाद पर किसी किस्म की मंदाखलत किए बगैर, सिख धर्म की मुख्य धारा में फिर से घुल-मिलाने के लिए, एक अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम को पारित कराने के लिए उचित कदम उठाना ।

(झ) विश्व भर के गुरुद्वारों को एक ही प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए आवश्यक उपाय करना, ताकि गुरुद्वारों को बुनियादी सिख सिद्धांतों के अनुसार चलाया जा सके, और सिख धर्म के व्यापक तथा अधिक प्रभावशाली प्रचार के उद्देश्य से गुरुद्वारों के साधनों को संचित किया जा सके ।

(ञ) तीर्थयात्रा तथा उचित रख-रखाव के वास्ते ननकाना साहिब समेत उन सभी अन्य पवित्र सिख मंदिरों तक निर्बाध पहुंच के लिए प्रयत्न करना, जिनसे सिख पंथ को दूर कर दिया गया है ।

राजनैतिक लक्ष्य

पंथ का राजनैतिक लक्ष्य निस्संदेह दसवें गुरु के धर्म आदेशों, सिख इतिहास के पन्नों तथा खालसा पंथ के अन्दर ही समाया हुआ है, जिसका अन्तिम उद्देश्य है खालसा सर्वोपरि है ।

शिरोमणि अकाली दल की बुनियादी नीति, स्वस्थ अनुकूल वातावरण व राजनैतिक तंत्र की स्थापना करके खालसा के जन्म सिद्ध अधिकार का प्राप्त करना है ।

इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए

1. शिरोमणि अकाली दल, हर संभव तरीकों से, निम्नलिखित प्रयासों के लिए कटिबद्ध है :

(क) उन सभी पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब में मिलाने के लिए जिन्हें जानबूझकर पंजाब से बाहर रखा गया है, जैसेकि जिला गुरदासपुर में डलहोजी, चंडीगढ़ अम्बाला जिले में पिंजौर, कालका और अम्बाला सदर आदि, होशियारपुर जिले की ऊना तहसील; नालागढ़ का देश इलाका; करनाल जिले के शाहाबाद और गुलहा ब्लाक; टोहान सब तहसील; रतिया ब्लाक, तथा हिसार जिले की सिरसा तहसील, तथा राजस्थान में गंगानगर जिले की छः तहसीलें, ताकि एक मात्र ऐसी प्रशासनिक इकाई स्थापित की जा सके, जहां पर सिखों और सिख धर्म के हितों की विशेष रूप से रक्षा की जा सके ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(ख) इस नये पंजाब में, तथा अन्य राज्यों में, केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप केवल रक्षा, विदेशी मामलों, मुद्रा तथा सामान्य संचार मामलों तक सीमित रहेगा तथा अन्य सभी विभाग, पंजाब (तथा अन्य राज्यों) के क्षेत्राधिकार में होंगे, और उन्हें इन विषयों पर प्रशासन की दृष्टि से, अपने ही कानून बनाने का पूरा हक होगा: केन्द्र के ऊपर बनाये गये विभागों के लिए पंजाब तथा अन्य राज्य, संसद में अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात के अनुसार, धन देंगे।

(ग) पंजाब से बाहर रहने वाले सिखों तथा अन्य धर्मों के अल्पसंख्यक समुदायों की हर प्रकार के भेदभाव से समुचित रक्षा की जाए।

2. शिरोमणि अकाली दल यह भी प्रयास करेगा कि भारतीय संविधान को, सही सच्चे संघीय सिद्धांतों पर फिर से नया रूप दिलाया जाए; सभी राज्यों को केन्द्र में बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

3. शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी द्वारा बनायी गयी विदेश-नीति का पुरजोर खण्डन करता है। यह नीति बेकार है, निराशाजनक है तथा देश, राष्ट्र व मनुष्यमात्र के हितों के लिए बहुत ही हानिकारक है। शिरोमणि अकाली दल अपना समर्थन भारत की केवल उसी विदेश नीति को देगा, जो शांति तथा राष्ट्रीय हित के सिद्धांतों पर आधारित होगी। शिरोमणि अकाली दल सभी पड़ोसी देशों, विशेषकर उन देशों के साथ जहां पर सिख लोग रहते हैं, और सिखों के धार्मिक स्थान हैं, के साथ अमन की नीति की पुरजोर हिमायत करता है। अकाली दल का दृढ़ विचार है कि हमारी विदेश नीति को किसी दूसरे देश की नीति के इशारे पर किसी भी सूरत में नाचना नहीं चाहिए।

4. शिरोमणि अकाली दल, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के सिख कर्मचारियों (अथवा अन्य कर्मचारियों के भी) के विरुद्ध किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी दृढ आवाज उठायेगा। रक्षा विभाग के सभी स्कंधों में सिखों के रवायती स्थान को कायम रखने के लिए प्रयास करेगा, और पंथ सिख सैनिकों की जरूरतों की तरफ विशेष ध्यान देगा। शिरोमणि अकाली दल यह देखेगा कि "किरपान" को सेना में सिखों की वर्दी का अभिन्न अंग स्वीकार किया जाए।

5. शिरोमणि अकाली दल का यह परम कर्त्तव्य होगा कि वह रक्षा विभाग के भूतपूर्व सैनिकों का नागरिक जीवन में पुनःस्थापना के लिए मदद करे, इस उद्देश्य के लिए यह उन्हें संगठित करने में उनकी पूरी-पूरी मदद करेगा ताकि वे सम्मान एवं गौरवपूर्ण जीवन के लिए समुचित रियायतें और समुचित संरक्षण प्राप्त कर सकें।

6. शिरोमणि अकाली दल की यह दृढ़ राय है कि वे सभी लोगों को, चाहे पुरुष हों अथवा महिलाएं, जिन्हें किसी कानूनी अदालत द्वारा किसी फौजदारी अपराध में सजा नहीं हुई है, सभी तरह के छोटे छोट हथियार, जैसेकि रिवाल्वर, बन्दूक, पिस्तौल, राइफलें, कारबाइन आदि, बगैर किसी लाइसेंस के रखने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी सिर्फ उन हथियारों को पंजीकृत कराने की होगी।

7. शिरोमणि अकाली दल, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन की मांग करता है, और सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों के सेवन तथा धूम्रपान की मनाही के लिए जोर डालेगा।

शिरोमणि अकालीदल की आर्थिक नीति और कार्यक्रम

श्री आनन्दपुर साहिब में 17 अक्टूबर, 1973 को हुई उसकी कार्यकारिणी द्वारा अपनी बैठक में यथा स्वीकृत।

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, इस सत्य से वे सभी राजनीतिक शक्तियां भी मुंह नहीं मोड़ सकतीं जो न्याय के आधार पर सामाजिक ढांचे के निर्माण का दावा करती हैं, फिर भी यह कटु सत्य है कि आर्थिक शक्तियां बड़े व्यापारियों, पूंजीपतियों और इजारे-दारियों के हाथ में बनी हुई हैं। अन्य वर्गों को थोड़ा बहुत

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

लाभ मिला होगा परन्तु आजादी के बाद पिछले 26 वर्षों के दौरान आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ इन्हीं वर्गों ने प्राप्त किया। इन वर्गों ने राजनीतिक शक्ति का गलत प्रयोग किया है जिसे वे अपने फायदे के लिए अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं। इस प्रकार सामाजिक न्याय के नये युग में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार के शान्तिपूर्ण प्रयास से लोगों की इन वर्गों की राजनीतिक किलेबंदी को तोड़ना होगा।

शिरोमणि अकालीदल मजबूती से इस बात की वकालत करता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती हुई खाई को पाटा जाना चाहिए परन्तु इसका पक्का विचार है कि इस प्रयोजन के लिए पहले उन वर्गों पर चोट की जानी चाहिए जिन्होंने सम्पूर्ण आर्थिक सत्ता को अपने हाथों में ले रखा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अकाली दल अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूमिहीन पट्टेदारों, साधारण मजदूरों, गरीब और मझोले किसानों जैसे कमजोर वर्गों को मदद देने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे प्रयोजनों के लिए यह ऐसे सार्थक भूमि सुधार का हिमायती है जिसमें मानक अधिकतम सीमा 30 एकड़ होगी और फालतू जमीन का वितरण गरीब किसानों में किया जाएगा।

शिरोमणि अकाली दल का उद्देश्य सभी को रोजगार, सभी को आवश्यक भोजन और वस्त्र, रहने के लिए मकान, उपयुक्त परिवहन प्रदान करना है और सभ्य जीवन निर्वाह के लिए उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन पैदा करने हैं जिनके बिना जीवन अधूरा दिखाई देता है।

इस प्रकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आर्थिक नीति में निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा :—

कृषि क्षेत्र

हाल ही के वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार और हरित क्रान्ति देखी है। शिरोमणि अकाली दल प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर हरित क्रान्ति को समृद्ध बनाने का वायदा करता है। यह सभी ग्रामीण वर्गों खासतौर पर गरीब और मध्य वर्गी किसानों और भूमिहीन मजदूरों के भी रहन-सहन के स्तर में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करेगा। इसके लिए वह निम्नलिखित दिशा में काम करेगा :—

(क) भूमि सुधार कार्यक्रमों तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों को शुरू करना ताकि गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती हुई खाई को पाटा जा सके। इस उद्देश्य से, भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी मौजूदा कानून में परिवर्तन करना होगा और एक परिवार के लिए तीस स्टेंडर्ड एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा का दृढ़ता से पालन करना होगा, जिसमें वास्तविक काश्तकार को स्वामित्व के अधिकार होंगे। फालतू भूमि को भूमिहीन काश्तकारों और गरीब किसानों में बांटा जाएगा, जबकि काश्त योग्य, किन्तु बेकार पड़ी सरकारी जमीन को भूमिहीन वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों में बांटा जाएगा। ऐसी जमीन को बांटते समय हरिजनों तथा भूमिहीन मजदूरों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अकाली दल ऐसी संभावनाओं पर भी विचार करेगा कि टेनेन्ट किसानों को अपनी जोत भूमि को गिरवी रखकर कृषि-ऋण लेने दिए जाएं और इस बात पर भी विचार करेगा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों में बांटी गई भूमि को रहन रखने की मनाही हो।

(ख) शिरोमणि अकाली दल कृषि कार्य के आधुनिकीकरण का प्रयास करेगा और यह भी कोशिश करेगा कि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋणों और निवेश दिलाने में मंझले वर्ग के तथा गरीब किसानों की मदद की जाए।

(ग) शिरोमणि अकाली दल कृषि पैदावार की कीमतें मंझले वर्ग के किसानों की भूमि से आय के आधार पर तय कराने की कोशिश करेगा। ये कीमतें, बुवाई के मौसम से बहुत पहले अधिसूचित की जाएंगी, और इन कीमतों को निश्चित करने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को ही होगा।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(घ) शिरोमणि अकाली दल की नीति, खाद्यान्न के व्यापार के सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण की है। अतः अकालीदल, राजकीय एजेन्सियों के माध्यम से, खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास करेगा।

(ड.) शिरोमणि अकाली दल खाद्यान्नों के भिन्न-भिन्न अंचलों (जोन्स) को रखने, और उसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की आवाजाई पर रोक का पुरजोर विरोध करता है। सम्पूर्ण देश खाद्यान्न का एक मात्र अकेला क्षेत्र होना चाहिए।

अकाली दल थीन डैम और भटिंडा ताप बिजली यंत्र (थर्मल प्लांट) को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए विशेष प्रयास करेगा, ताकि सस्ती बिजली और सिंचाई-सुविधाएं उपलब्ध हों। राज्य में एक प्रमाणुऊर्जा संस्थान की स्थापना कराने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। उन सभी क्षेत्रों में जहां नहरी पानी उपलब्ध नहीं है छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

औद्योगिक क्षेत्र

शिरोमणि अकाली दल इस बात की पुरजोर हिमायत करता है कि सभी प्रमुख उद्योग सरकारी क्षेत्र के अधीन लाये जाएं।

अकाली दल की यह भी राय है कि आधारभूत उपभोक्ता उद्योगों का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि खपत की वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो जाएं और उपभोक्ताओं को उद्योगपतियों और बिचोलियों के शोषण से बचाया जा सके। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इस तरह स्थापित किया जाए कि भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच आपसी असंतुलन दूर हो जाए।

शहरी क्षेत्रों में आबादी के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए, कृषि उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जाने चाहिएं। औद्योगिक प्रबंध में मजदूरों को अपनी बात मनवाने का अधिकार देकर तथा उद्योगपतियों और मजदूरों में लाभों के समान वितरण के जरिए, औद्योगिक प्रबंध को लोकतंत्रीय बनाया जाए। क्रैडिट एजेन्सियों, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिया जाए कि वे अपनी जमा राशि का एक निश्चित अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में लगाएं। एक करोड़ मूल्य से ऊपर की परिसंपत्तियों वाले प्रत्येक औद्योगिक यूनिट को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अकाली दल परिवहन के प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण के हक में है।

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों को पूरी तरह स्वायत्त होना चाहिए और उसमें केन्द्रीय प्रतिभाशाली पूल से लिये गए सक्षम युवा व्यवस्थापक होने चाहिएं।

आर्थिक नीति

शिरोमणि अकाली दल यह मांग करता है कि कर ढांचे को इस तरह बदला जाए कि कर-अपवंचन और काले धन के आवागमन का पूरी तरह उन्मूलन हो जाए। इसका उद्देश्य कराधान-प्रणाली को सरल तथा स्पष्ट बनाना है। कराधान के वर्तमान ढांचे का भार गरीब आदमी पर अधिक पड़ता है और यह अमीर आदमी को इसकी उपेक्षा करने का मौका प्रदान करता है। दल का इस संबंध में अधिक वास्तविक नीति अपनाने का विचार है ताकि समानान्तर अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाले काले धन का उपयोगी ढंग से इस्तेमाल किया जा सके।

कामगार, मध्यम वर्गीय कर्मचारी तथा कृषि मजदूर

उनकी भलाई के लिए शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित उपाय करने के भरसक प्रयास करेगा :—

1. औद्योगिक कामगारों के लिए आवश्यकता पर आधारित मजदूरी नियत करना।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

2. सरकारी कर्मचारियों के जीवन-स्तर में उत्तरोत्तर सुधार लाना।

3. कृषि मजदूर की न्यूनतम मजदूरी का पुनः मूल्यांकन करना तथा आवश्यकतानुसार उसमें उचित सुधार लाना।

4. श्रमिकों के जीवन स्तर में उचित सुधार लाने के लिए श्रमिक-ऋण की खामियों को दूर करना।

5. ग्रामीण तथा शहरी गरीब व्यक्ति के लिए छतदार आवास प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

बेरोजगारी

शिरोमणि अकाली दल देश में पूर्ण रोजगार चाहता है। इस उद्देश्य के लिए इसका दृढ़ मत है कि सरकार को शिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को तत्काल रोजगार दिलाना चाहिए। अन्यथा उन्हें उचित बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इस राशि के भुगतान में केन्द्र तथा राज्य सरकार को हिस्सेदार होना चाहिए। ऐसे भत्ते की न्यूनतम दरें इस प्रकार होनी चाहिए :—

1 मैट्रिक तथा प्रशिक्षित व्यक्ति	50/- रु० प्रति मास
2. बी०ए०	75/-रु० प्रति मास
3. एम०ए०	100/-रु० प्रति मास
4. इंजीनियर तथा डाक्टर	150/-रु० प्रति मास
*5. अन्य प्रशिक्षित श्रमिक	50/-रु० प्रति मास

*ये दरें 1973 में निर्धारित की गई थीं।

65 वर्ष से ऊपर आयु वाले सभी व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए।

कमजोर वर्ग तथा पिछड़े वर्ग

शिरोमणि अकाली दल, समाज के कमजोर वर्गों तथा पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार तथा अन्य रियायतें दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करेगा ताकि वे समाज के अन्य वर्गों के बराबर हो सकें। सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उन्हें उपलब्ध करायी जायगी।

शैक्षिक तथा सांस्कृतिक

शिरोमणि अकाली दल का लक्ष्य सिखों को शक्तिशाली और मजबूत राष्ट्र के लिए तैयार करना है जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होंगे जिन्हें अपने मूल अधिकारों का पूरा एहसास होगा और जो विभिन्न कलाओं में पूरी तरह निपुण होंगे तथा जो अपने अधिक विशिष्ट सपूतों का आदर करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे।
इस उद्देश्य के लिए :—

1. शिरोमणि अकाली दल सिख राष्ट्र के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कवियों, लेखकों तथा कलाकारों को अपनी अत्यधिक अमूल्य निधि मानता है।

2. शिरोमणि अकाली दल मैट्रिक स्तर तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के हक में है।

3. बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर को रोकने के लिए, शिरोमणि अकाली दल ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रयास करेगा जिनसे उनके विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने पर शीघ्र रोजगार मिल सके।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

4. शिरोमणि अकाली दल ग्रामीण तथा कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए प्रबंध करेगा और उनमें से अधिक होनहार विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करेगा।

5. मैट्रिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों के लिए पंजाबी अनिवार्य विषय होगी।

6. विश्वविद्यालयों में न्यूक्लियर फिजिक्स तथा अन्तरिक्ष विज्ञान के अध्ययन पर विशेष बल देते हुए, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7. शिरोमणि अकाली दल खेलों के स्तर में भी सुधार लाने की कोशिश करेगा और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लायेगा।

ह०/-

ज्ञानी अजमेर सिंह

सचिव

शिरोमणि अकाली दल

दिनांक 1-8-1977

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अनुलग्नक-IV

अकाली दल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों की तालिका-1981-84

क. प्रधान मंत्री द्वारा की गई बैठकें

तारीख	स्थान	बैठक में भाग लेने वाले
1. 16-10-1981	साउथ ब्लाक, नई दिल्ली	सर्वश्री एच० एस० लोंगोवाल जी० एस० टोहरा पी० एस० बादल एस० एस० बरनाला बलवंत सिंह श्रीमती इंदिरा गांधी श्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब मंत्रिमंडल सचिव श्री पी० सी० ऐलिग्जेन्डर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्री टी० एन० चतुर्वेदी गृह सचिव
2. 26-11-81	संसद भवन, नई दिल्ली	सर्वश्री एच० एस० लोंगोवाल जी० एस० टोहरा पी० एस० बादल एस० एस० बरनाला बलवंत सिंह श्रीमती इन्दिरा गांधी श्री पी० वी० नरसिंह राव (केन्द्रीय मंत्री) सर्वश्री सी० आर० कृष्णास्वामी राव साहिब पी० सी० ऐलिग्जेंडर टी० एन० चतुर्वेदी

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

तारीख	स्थान	बैठक में भाग लेने वाले
3. 5-4-82	संसद भवन, नई दिल्ली	सर्वश्री एच० एस० लोंगोवाल जी० एस० टोहरा पी० एस० बादल बलवंत सिंह भान सिंह आर० एस० भाटिया पी० एस० ओबेराय रवि इन्दर सिंह श्रीमती इन्दिरा गांधी सर्वश्री जैल सिंह प्रणव मुखर्जी (केन्द्रीय मंत्रीगण) सर्वश्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब पी० सी० एलिग्जेंडर टी० एन० चतुर्वेदी

ख. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा की गई बैठकें

1. 23-10-1981 2. 24-10-1981	विदेश मंत्री का कार्यालय, नई दिल्ली।	सर्वश्री एस० एस० बरनाला, बलवंत सिंह, अजीत सिंह सरहदी, भान सिंह श्री पी० वी० नरसिंह राव
3. 11-1-1983 4. 18-1-1983	राज भवन, चंडीगढ़	सर्वश्री एस० एस० बरनाला, सुखजिन्दर सिंह, बलवंत सिंह जी० एस० टोहरा, पी० एस० बादल, जे० एस० तलवंडी, रवि इन्दर सिंह, सर्वश्री पी० सी० सेठी, आर० वेंकटरमण, शिवशंकर (केन्द्रीय मंत्रीगण) श्री टी० एन० चतुर्वेदी

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

तारीख	स्थान	बैठक में भाग लेने वाले
ग. गुप्त बैठकें		
1. 16-11-1982 2. 17-11-1982	27, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली	सर्वश्री पी० एस० बादल बलवंत सिंह रवि इन्दर सिंह आर० एस० भाटिया सर्वश्री आर० वेंकटरामन पी० सी० सेठी शिवशंकर (केन्द्रीय मंत्रीगण) श्री अमरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य सर्वश्री पी० सी० ऐलिग्जेंडर टी० एन० चतुर्वेदी
3. 17-1-1983	27, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली	सर्वश्री जी० एस० टोहरा पी० एस० बादल रवि इन्दर सिंह सर्वश्री राजीव गांधी, संसद सदस्य अमरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य सर्वश्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब पी० सी० एलिग्जेंडर
4. 24-1-1984	नई दिल्ली में एक गेस्ट हाऊस	सर्वश्री जी० एस० टोहरा पी० एस० बादल रवि इन्दर सिंह सर्वश्री राजीव गांधी, संसद सदस्य अमरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य सर्वश्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब पी० सी० एलेग्जेंडर
5. 27-3-1984	चंडीगढ़ में एक प्राइवेट मकान	सर्वश्री जी० एस० टोहरा एस० एस० बरनाला बलवंत सिंह रामूवालिया आर० एस० चीमा श्री पी० वी० नरसिंह राव सर्वश्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब पी० सी० एलेग्जेंडर एम० एम० के० वली, गृह सचिव

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

तारीख	स्थान	बैठक में भाग लेने वाले
6. 28-3-1984	नई दिल्ली में एक गेस्ट हाउस	श्री० पी० एस० बादल श्री पी० वी० नरसिंह राव सर्वश्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब पी० सी० एलेग्जेंडर एम० एम० के० वली
7. 29-3-1984	चंडीगढ़ में एक प्राइवेट मकान	सर्वश्री जी० एस० टोहरा, पी० एस० बादल, एस० एस० बरनाला, बलवंत सिंह रामूवालिया आर० एस० चीमा श्री पी० वी० नरसिंह राव सर्वश्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब पी० सी० एलेग्जेंडर एम० एम० के० वली प्रेम कुमार (विशेष सचिव, गृह)
8. 21-4-1984	हवाई अड्डा विश्राम कक्ष, चंडीगढ़	सर्वश्री जी० एस० टोहरा पी० एस० बादल एस० एस० बरनाला बलवंत सिंह रामूवालिया आर० एस० चीमा सर्वश्री पी० वी० नरसिंह राव प्रणव मुकर्जी सर्वश्री सी० आर० कृष्णस्वामी राव साहिब पी० सी० एलेग्जेंडर एम० एम० के० वली प्रेम कुमार
9. 26-5-1984	नई दिल्ली में एक गेस्ट हाऊस	सर्वश्री जी० एस० टोहरा पी० एस० बादल एस० एस० बरनाला सर्वश्री पी० वी० नरसिंह राव प्रणव मुकर्जी शिव शंकर

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

तारीख	स्थान	बैठक में भाग लेने वाले
घ. त्रिपक्षीय बैठकें		
1. 24-1-1983	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्वश्री एस०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह और रवि इन्दर सिंह। सर्वश्री राम विलास पासवान, के० पी० उन्नीकृष्णन, एच० एस० सुरजीत, योगेन्द्र शर्मा, सी०टी० दण्डपानी, मधु दण्डवते, चन्द्रजीत यादव, रामलाल राही, इब्राहीम सुलेमान सेट, भाई महावीर, सरूप सिंह और गुलाम रसूल कोचक (विपक्षी नेता) सर्वश्री पी०सी० सेठी, आर० वेंकट रमन, पी०वी० नरसिंह राव, सी० एम० स्टीफन, शिव शंकर और भीष्म नारायण सिंह। सर्वश्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, पी०पी० नय्यर, विशेष सचिव (गृह) एम०जी० पाध्ये, सचिव (सिंचाई)
2. 25-1-1983	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्वश्री एस०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह, रवि इन्दर सिंह। सर्वश्री रामविलास पासवान, के०पी० उन्नीकृष्णन, एच०एस० सुरजीत, योगेन्द्र शर्मा, सी०टी० दण्डपानी, चन्द्रजीत यादव, मधु दण्डवते, राम लाल राही, क्यू०एम० बनातवाला, भाई महावीर, सरूप सिंह, गुलाम रसूल कोचक (विपक्षी नेता) सर्वश्री पी०सी० सेठी, आर० वेंकटरमन, सी०एम० स्टीफन, शिव शंकर, भीष्म नारायण सिंह । सर्वश्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेंण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, एम०जी० पाध्ये।
3. 8-2-1983	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्वश्री एस०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह, रवि इन्दर सिंह । सर्वश्री सुशील चन्द मोहन्ता, योगेन्द्र शर्मा, भाई महावीर, एल०के० अडवाणी, सरूप सिंह, मधु दण्डवते, गुलाम रसूल कोचक, एच०एस० सुरजीत, चन्द्रजीत यादव, हरिकेश बहादुर (विपक्षी नेता)। सर्वश्री पी० सी० सेठी, आर० वेंकटरमन, पी०वी० नरसिंह राव, शिव शंकर, बूटा सिंह, भीष्म नारायण सिंह। सर्वश्री कृष्णास्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेंण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, एम०जी० पाध्ये।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

तारीख	स्थान	बैठक में भाग लेने वाले
4. 10-2-1983	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्वश्री एस०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह, रवि इन्दर सिंह। सर्वश्री सुशील चन्द मोहन्ता, योगेन्द्र शर्मा, एल० के० अडवाणी, सरुप सिंह, मधु दण्डवते, एच०एस० सुरजीत, चन्द्रजीत यादव, हरिकेश बहादुर, श्रीमती एस० मुथु। (विपक्षी नेता) सर्वश्री पी०सी० सेठी, आर०वेंकटरमन, शिवशंकर, बूटा सिंह, भीष्म नारायण सिंह। सर्वश्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेंण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, एम०जी० पाध्ये।
5. 15-2-83	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्वश्री एस०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह, रवि इन्दर सिंह। सर्व/श्री सुशील चन्द्र मोहन्ता, के०पी० उन्नीकृष्णन, एच० एस० सुरजीत, योगेन्द्र शर्मा, चन्द्रजीत यादव, मधु दण्डवते, हरिकेश बहादुर, एल०के० अडवाणी, सरूप सिंह, गुलाम रसूल कोचक। (विपक्षी नेता) सर्व/श्री पी०सी० सेठी, आर० वेंकटरमन, पी०वी० नरसिंह राव, बूटा सिंह। सर्व/श्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेंण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, पी०पी० नय्यर, एम०जी० पाध्ये।
6. 18-2-1983	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्व/श्री एस०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह, रवि इन्दर सिंह। सर्व/श्री चित्त बसु, के० पी० उन्नीकृष्णन, एच०एस० सुरजीत, योगेन्द्र शर्मा, मधु दण्डवते, चन्द्रजीत यादव, हरिकेश बहादुर, एल०के० अडवाणी, सरुप सिंह। (विपक्षी नेता) सर्व/श्री पी०सी० सेठी, आर० वेंकटरमन, शिव शंकर। सर्व/श्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेंण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, एम०जी० पाध्ये।
7. 19-2-1983	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्व/श्री एच०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह, रवि इन्दर सिंह। सर्व/श्री के०पी० उन्नीकृष्णन, एच०एस० सुरजीत, योगेन्द्र शर्मा, चन्द्रजीत यादव, चित्त बसु, मधु दण्डवते, सुशील चन्द मोहन्ता, हरिकेश बहादुर, एल०के० अडवाणी, सरूप सिंह। (विपक्षी नेता) सर्व/श्री पी०सी० सेठी, आर० वेंकटरमन, शिव शंकर, बूटा सिंह। सर्व/श्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, एम०जी० पाध्ये, पी०पी० नय्यर।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

तारीख	स्थान	बैठक में भाग लेने वाले
8. 20-2-1983	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्व/श्री एस०एस० बरनाला, बलवन्त सिंह, रवि इन्दर सिंह । सर्व/श्री के०पी० उन्नीकृष्णन, एच०एस० सुरजीत, योगेन्द्र शर्मा, चन्द्रजीत यादव, मधु दण्डवते, सरूप सिंह, चित्त बसु, सुशील चन्द मोहन्ता, हरिकेश बहादुर, एल०के० अडवाणी । (विपक्षी नेता) सर्व/श्री पी०सी० सेठी, प्रणव मुखर्जी, बूटा सिंह । सर्व/श्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलैग्जेण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, एम०जी० पाध्ये, पी०पी० नय्यर ।
9. 14-2-1984	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्व/श्री एस०एस० बरनाला, जी०एस० टोहरा, पी०एस० बादल, बलवन्त सिंह, आर०एस० चीमा । सर्व/श्री जगजीवन राम, ए०बी० वाजपेयी, एल०के०अडवाणी, चन्द्र शेखर, बीजू पटनायक, एस०सी० मोहन्ता, मधु दण्डवते, एस०एन० मिश्रा, सरूप सिंह, एच०एस० सुरजीत, चन्द्रजीत यादव, लोक नाथ जोशी, धर्म वीर सिन्हा, गुलाम रसूल कोचक, चित्त बसू । (विपक्षी नेता) सर्व/श्री पी०सी० सेठी, प्रणव मुखर्जी, शिव शंकर, बूटा सिंह । सर्व/श्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलैग्जेण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, पी०पी० नय्यर, प्रेम कुमार ।
10. 15-2-1984	संसदीय सौध, नई दिल्ली	सर्व/श्री एस०एस० बरनाला, जी०एस० टोहरा, पी०एस० बादल, बलवन्त सिंह, आर०एस० चीमा । सर्व/श्री जगजीवन राम, एल०के० अडवाणी, चन्द्र शेखर, बीजू पटनायक, मधु दण्डवते, एस०सी० मोहन्ता, एस०एन० मिश्रा, सरूप सिंह, एच०एस० सुरजीत, समर मुखर्जी, लोक नाथ जोशी, धर्मबीर सिन्हा, गुलाम रसूल कोचक, इन्द्रदीप सिन्हा, चित्त बसु । सर्व/श्री पी०सी० सेठी, पी०वी० नरसिंह राव, प्रणव मुखर्जी, बूटा सिंह, शिव शंकर । सर्व/श्री कृष्णस्वामी राव साहिब, पी०सी० एलेग्जेण्डर, टी०एन० चतुर्वेदी, पी०पी० नय्यर, प्रेम कुमार ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अनुलग्नक --V

28 फरवरी, 1984 को संसद में गृह मंत्री का वक्तव्य

पंजाब की स्थिति

महोदय,

सदन में, निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार हिंसा की शोकपूर्ण पृष्ठभूमि में पंजाब की स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह अत्यन्त खेदपूर्ण बात है कि यह हिंसा जानबूझ कर हिन्दुओं और सिक्खों के बीच कटुता और अविश्वास उत्पन्न करने के लिए की जा रही है। सरकार ही नहीं बल्कि समस्त देश इन प्रवृत्तियों के बारे में चिन्तित है जो राष्ट्रीय एकता को दूषित कर रही है। अतः यह आवश्यक है कि सदन में एकता को ध्यान में रखकर बहस की जाए ताकि जो समस्याएं आजकल हमारे सामने हैं उनके समाधान में यह सहायक हो सकें।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

इससे पहले कि मैं पंजाब की हाल की दुखद घटनाओं के बारे में विचार व्यक्त करूं, मैं सदन को उन वार्ताओं की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा जो सरकार शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधियों के साथ उनकी विभिन्न मांगों के बारे में करती रही है।

सरकार काफी समय से शिरोमणि अकाली दल से उनकी विभिन्न मांगों के बारे में विचार-विमर्श करती रही है। मांगें तीन मुख्य श्रेणियों में आती हैं जैसे (1) वे जो सिक्ख समुदाय से एक धार्मिक दल के रूप में संबंधित हैं (2) वे जिनका संबंध पंजाब राज्य तथा अन्य राज्यों से हैं और (3) वे जिनका संबंध कुछ सामान्य विवादों से है।

धार्मिक मांगें स्वीकृत

सरकार ने वास्तव में अकाली दल की सभी धार्मिक मांगों को स्वीकार किया है। सरकार ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि अमृतसर नगर में जिसमें हरमन्दर साहिब, दुर्गियाना मंदिर के आस-पास के क्षेत्र शामिल हैं, तम्बाकू, शराब, मांस पर एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर रोक रहेगी। सरकार ने आकाशवाणी के जालन्धर केन्द्र से स्वर्ण मंदिर से प्रातः 1½ घण्टे तथा सायं आधे घण्टे गुरवाणी को सीधे तौर पर रिले करना मान लिया है। सिक्खों द्वारा स्थानीय उड़ानों के दौरान कुछ विशिष्टताओं के अनुसार कृपाण ले जाना भी मान लिया गया है। अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम जिसका संबंध पंजाब के अतिरिक्त अन्य राज्यों तथा उन राज्यों में सिक्ख समुदाय से है, सरकार ने विधेयक जिसमें विशिष्ट ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी आते हैं, को बनाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, संबंधित राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके, विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। किन्तु अकाली इस बात पर जोर दे रहे हैं कि परामर्श केवल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ ही किया जाए और विधेयक को अधिनियमित करने से पहले अन्य सभी संबंधित दलों की सहमति प्राप्त करना सरकार का कार्य है। अकाली दल ने ऐतिहासिक गुरुद्वारों की सूची प्रस्तुत नहीं की है और भिन्न-भिन्न बैठकों में 10 से 30 तक के भिन्न-भिन्न आंकड़े दिए गए हैं।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

जहां तक स्वर्ण मंदिर से गुरवाणी को रिले करने का संबंध है, अकाली अधिक समय की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने गुरुवाणी को रिले करने के लिए स्थापन की सुविधाओं के लिए प्रबंध कर लिए हैं और इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया है फिर भी सरकार को उपकरण की स्थापना में अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है।

नदी जल विवाद

जहां तक नदी जल विवाद का संबंध है सरकार का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि यह पंजाब तथा हरियाणा के सभी लोगों से संबंधित है और इसलिए इस विवाद को दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर तय करना है।

सरकार पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल विवाद को अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम के अधीन नियुक्त किए जाने वाले उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण को सौंपना चाहती है । अकाली दल ने इस विवाद पर सामंजस्य की स्थिति बनाये नहीं रखी है। एक समय यह केवल रावी-व्यास जल का ही प्रश्न था। बाद में अकाली दल द्वारा यमुना जल का प्रश्न उठाया गया । उन्होंने राजस्थान को आवंटन के प्रश्न पर पुनःविचार करने की भी मांग की है, जिसके संबंध में सदन को याद होगा, यह काफी समय पहले तय किया जा चुका था। सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। यह सिर्फ पंजाब व हरियाणा के बीच रावी-व्यास के अतिरिक्त जल से संबंधित विवाद है, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था। इसका फैसला एक न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राजस्थान के हिस्से और यमुना जल के संबंधित मसलों पर प्रत्यक्षतः विचार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्रीय विवाद

जहां तक क्षेत्रीय विवादों का संबंध है सदस्यों को स्मरण होगा कि शाह आयोग ने चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया था और 1970 में यह हुआ कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में यह निर्णय किया कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाना चाहिए और अबोहर तथा फाजिल्का हरियाणा को और अन्य सभी दावे तथा प्रतिदावे शाह आयोग को भेजे जाएंगे। अकाली दल की मांग है कि चण्डीगढ़ तुरंत पंजाब को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए और अबोहर तथा फाजिल्का समेत अन्य सभी दावे तथा प्रतिदावे किसी आयोग को भेजे जाने चाहिएं। हरियाणा के लोगों के सभी वर्ग, इसका विरोध करते हैं।

सरकार ने किसी राज्य का पक्षपात किए बिना सहायता करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और निम्नलिखित चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प को मानने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की है :--

(1) 1970 के निर्णय का कार्यान्वयन।

(2) चण्डीगढ़ के प्रश्न समेत सभी विवादों तथा दावों को एक नए आयोग को सौंपना।

(3) पंजाब और हरियाणा के बीच चण्डीगढ़ का विभाजन और शेष विवादों को एक आयोग को भेजना, और

(4) दोनों राज्यों को स्वीकार्य कोई अन्य विकल्प अपनाना।

अकाली दल इन विकल्पों में से किसी भी विकल्प को मानने के लिए इच्छुक नहीं है।

केन्द्र राज्य सम्बन्ध

सामान्य विवादों के अंतर्गत अकाली दल की मुख्य मांग यह रही है कि केन्द्र राज्य संबंधों के प्रश्न का पुनरीक्षण करने के लिये कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति को नियुक्ति की जाए, जैसी कि उनके आनन्दपुर साहिब संकल्प द्वारा

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

मांग की गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की अपेक्षाओं के अनुरूप केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित मसलों की जांच करने के लिए उपयुक्त विचारार्थ विषयों सहित सरकारिया आयोग की नियुक्ति कर दी है। अकाली दल इस बात पर दृढ़ है कि सरकार को यह मामला सरकारिया आयोग को भेजते समय आनन्दपुर साहिब संकल्प का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आनन्दपुर साहिब संकल्प की बातों का उन लोगों द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता जिनके मन में राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता की भावना है। एक समय अकाली दल इस मांग को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर उठाया है। अकाली दल कोई भी अनुरोध सरकारिया आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है जिसे वे चाहते हैं और जो उसके विचारार्थ विषयों में आते हैं।

अकाली दल द्वारा आश्वासन नहीं

बातचीत के दौरान सरकार ने अकाली दल से यह आश्वासन मांगा है कि धार्मिक स्थानों का प्रयोग हथियार जमा करने और जिन लोगों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जरूरत है, उन्हें शरण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये आश्वासन भी मांगे गये थे कि धार्मिक वर्गों के विवाद शांतिपूर्ण तथा बिना हिंसा के तय किये जाने चाहिए। ऐसे आश्वासन नहीं दिये गए हैं। इसके विपरीत हिंसा भड़क उठी है और स्वर्ण मंदिर के परिसर को कथित खालिस्तान झंडा फहराने के लिए प्रयोग की अनुमति दी गई है। राजद्रोह कार्य करने वालों को अभी आत्मसमर्पण करना है ताकि उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

अब अकाली दल ने एक नई मांग उठाई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन करने के लिये कहा गया है। इससे भी अधिक, संवैधानिक तरीकों के माध्यम से कोई संशोधन की मांग करने के बजाय उन्होंने संविधान के भाग को जलाने के कार्यक्रम का सहारा लिया है। जानबूझकर संविधान के अनादर से सारे राष्ट्र को धक्का लगा है।

बातचीत के लिए सरकार तैयार

सरकार ने सदैव वार्ताओं के जरिये समाधान ढूंढने की अपनी सहमति व्यक्त की है। इसी भावना से सरकार ने अकाली दल से वार्ताओं में भाग लेने के लिये विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था। 14 फरवरी को हुआ त्रिपक्षीय सम्मेलन इस दिशा में उठाया गया एक ऐसा और कदम था।

त्रिपक्षीय बैठक में जिस मुख्य मुद्दे पर विचार किया गया था वह क्षेत्रों से संबंधित था। कुछ उपयोगी सुझाव दिये गए थे और बैठक को अगले दिन के लिए उन पर आगे विचार विमर्श करने के लिये स्थगित कर दिया गया था। इस बीच पंजाब के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी थी और बैठक को विपक्षी नेताओं तथा अकाली प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार थोड़े समय के लिये स्थगित कर दिया गया था ताकि अकाली नेता पंजाब को लौट सकें और उस राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता कर सकें।

आम उम्मीद थी कि बैठक तीन या चार दिन बाद पुनः होगी। वास्तव में बैठक 20 ता० को बुलाने का प्रस्ताव था लेकिन सरकार को उस दिन अकाली दल के कथित निर्णय को जान कर दुख हुआ कि वे आगे त्रिपक्षीय वार्ता में भाग नहीं लेंगे। इसी दौरान पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसक वारदातें होती रहीं। हरियाणा के अनेक स्थानों पर अचानक हिंसा होने से स्थिति और बिगड़ गई।

आंदोलन जारी

माननीय सदस्यों को मालूम है कि अकाली दल ने अपने लगातार आन्दोलन के एक भाग के रूप में 8 फरवरी को पंजाब बंद का आह्वान किया था। हालांकि जान की कोई क्षति नहीं हुई लेकिन बंद से सड़क और रेल यातायात अत्यधिक अस्तव्यस्त हुआ और जनता को पर्याप्त असुविधा हुई।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

हिन्दू रक्षा समिति द्वारा 14 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बंद का आह्वान किया गया जिसका कुछ अन्य संगठनों ने समर्थन किया । कुछ संगठनों ने बंद का विरोध किया और अनेक झड़पें और हिंसा की घटनाएं हुईं । इनमें से अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भीड़ द्वारा गुंडागर्दी की एक घटना हुई जिसके कारण वस्तुओं का नुकसान हुआ, जिसके एक समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची । दूसरी घटना में स्वर्ण मंदिर परिसर के अन्दर मे अकारण गोलीबारी हुई जिसमें एक पुलिस कर्मी सहित चार व्यक्तियों की जानें गयीं ।

उस दिन हुई झड़पों में 11 व्यक्ति मारे गए और 18 पुलिस कार्मिकों सहित 76 व्यक्ति जख्मी हुए । हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में स्थिति अधिकतर शांत रही ।

पंजाब और हरियाणा में अन्य स्थानों पर कुछ वारदातें हुईं । कई स्थानों मे बंद, हड़ताल और छुट-पुट हिंसा की घटनाएं सूचित की गयी हैं । 17 ता० को अमृतसर में एक बहुत गम्भीर घटना हुई । स्वर्ण मंदिर के परिसर से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों पर अकारण गोलियां चलाई गयीं । पुलिस कार्मिकों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलियां चलायीं । काफी समय तक रुक-रुक कर गोलियां चलायी गईं जिसके कारण बस्ती के लोगों में गम्भीर तनाव और भय व्याप्त हो गया । गृह सचिव को हरियाणा और पंजाब में अत्यधिक गम्भीर रूप से प्रभावित स्थानों का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

19 ता० को पानीपत में दो समुदायों के बीच झड़पों की एक अन्य गम्भीर घटना हुई जिसमें 8 व्यक्ति मारे गए । पूजा के स्थान से पुलिस द्वारा 46 व्यक्तियों को बचाया गया । स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी । हरियाणा को अर्ध सैनिक बलों की कुमुक भेजी गयी । मैंने 20 ता० को हरियाणा का दौरा किया और मुख्य मंत्री और जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ स्थिति की समीक्षा की । ऊर्जा मंत्री ने अमृतसर का दौरा किया और वहां इस प्रकार का विचार विमर्श किया ।

उग्रवादी तत्व

दुर्भाग्यवश उग्रवादी तत्वों द्वारा की गयी हिंसा और हत्या के लगातार कार्यों से पंजाब में स्थिति और उग्र हो गयी । 21 फरवरी से लगभग प्रत्येक दिन हत्याओं की कई घटनाएं हुईं और अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 44 व्यक्तियों की जानें गयीं । जख्मी व्यक्तियों की संख्या 58 से अधिक है ।

महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष व्यक्तियों की निरर्थक हत्याओं से राष्ट्र को धक्का लगा है । मुझे विश्वास है कि यह सदन मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के साथ एक बार फिर सहानुभूति व्यक्त करने और आतंक फैलाने की कोशिश करने वाली ताकतों की निन्दा करने में मेरा साथ देगा । मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह सदन शस्त्रों को रखने और कानून-प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अपेक्षित अपराधियों को शरण देने के लिए धार्मिक स्थानों के प्रयोग के प्रति अपनी घृणा को पुनः दोहराएगा ।

साम्प्रदायिक हिंसा की निन्दा

साम्प्रदायिक हिंसा, सम्पत्ति का विनाश और पूजा के स्थानों को अपवित्र करना चाहे वह हिंदुओं द्वारा किया गया हो अथवा सिक्खों द्वारा, की कड़ी निन्दा की जानी चाहिए । प्रतिहिंसा अथवा बदले के लिए की गई हिंसा का कोई भी औचित्य नहीं है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार क्रूर हिंसा को समाप्त करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो । पंजाब में कानून और व्यवस्था तंत्र को सुदृढ़ और सुप्रवाही बनाने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और हिंसा चाहे पंजाब, हरियाणा अथवा अन्य कहीं पर हो, उससे पूरी सख्ती

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

से निपटने के लिए कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं । हरियाणा में स्थिति में सुधार हुआ है और मुझे विश्वास है कि यह शांतिपूर्ण रहेगी ।

सरकार ने बातचीत द्वारा कोई समझौता करने के लिए सदैव अपनी तत्परता व्यक्त की है । फिर भी मुझे पक्का विश्वास है कि सदन और राष्ट्र इस बात से सहमत होगा कि विवादों का समाधान करने में आंतक और हिंसा से कोई लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

2 जून, 1984 को प्रधान मंत्री का राष्ट्र के नाम प्रसारण

प्रिय देशवासियो,

जब अपार दुःख होता है तो उसे प्रकट करना कठिन होता है।

इन पिछले महीनों से मेरा दिल दुःख से भरा है। हर दिन पीड़ा बढ़ती है। सब का ध्यान पंजाब की तरफ लगा है। सारा देश चिंतित है। इस मसले पर पार्लियामेंट में और बाहर कई बार चर्चा हुई है। तब भी ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, मैंने और मेरे साथियों ने संसद में और उसके बाहर यह साफ कहा कि हम उन सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं जो अकाली दल ने आन्दोलन शुरू करने से पहले पेश की थीं। लेकिन बाद में नयी-नयी मांगें सामने आती गईं। दुर्भाग्य से इस आन्दोलन के नेतृत्व को आतंकवादियों ने अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे लोगों ने जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए हत्या, आगजनी और लूटपाट का सहारा ले रहे हैं।

पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इन समस्याओं को गहराई से देखिये। 1981 में अकाली दल ने बहुत सी मांगें रखीं। जैसे ही यह हमें प्राप्त हुईं वैसे ही मैंने अकाली नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। तब से, सलाह-मशविरा और बातचीत का सिलसिला सरकार की ओर से कभी नहीं छूटा। शुरू से ही हमने इन समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा है।

हमने विरोधी पार्टियों को भी विश्वास में लिया और बातचीत में शामिल किया ताकि कोई ऐसा हल निकल जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वीकार हो। इस बातचीत में हमारा रवैया बराबर यही रहा कि मुनासिब मांगों को स्वीकार किया जाए। पंजाब में अशांति और हिंसा से किसी का भी फायदा नहीं है, सिवाय उनका जो भारत की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्र के इन्हीं व्यापक हितों को मद्दे-नजर रखते हुए हम दावों और प्रतिदावों पर एक आम राय बनाने की कोशिश करते रहे।

कुछ लोग पूछते हैं कि यह सब होते हुए कोई अंतिम समाधान क्यों नहीं निकला। यह सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो मोर्चों और बंधों का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसी मांगें, जिनका दूसरे राज्यों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता या जहां इन मांगों को एक व्यापक ढांचे में रखा जा सकता था, वहां इन्हें स्वीकार करने में सरकार ने कभी संकोच नहीं किया। मिसाल के तौर पर, सरकार ने अकाली दल की वह सभी मांगें स्वीकार कर लीं जिन्हें आम तौर से "धार्मिक" कहा जाता है, और निर्णयों पर अमल की कार्यवाही शुरू की। अमृतसर शहर की चारदीवारी के अन्दर निर्धारित क्षेत्रों में तम्बाकू, शराब और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गयी और गोल्डन टैम्पल (स्वर्ण मंदिर) में होने वाले कीर्तन को आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) पर सीधा प्रसारित करने को माना।

लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस प्रसारण के लिए आवश्यक सुविधायें नहीं दीं। सरकार ने सिख यात्रियों को घरेलू हवाई उड़ानों में निर्धारित लम्बाई की कृपाण, जिससे सभी सहमत थे, ले जाने की अनुमति दी। सरकार ने भारत में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के लिए एक अखिल भारतीय गुरुद्वारा बिल तैयार करने पर विचार करने को भी मंजूर किया और इस सिलसिले में विभिन्न सम्बद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श शुरू किया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन की मांग पहले नहीं थी लेकिन इस मामले को हमने कानूनी निगाह से नहीं देखा। जब इस मांग को पेश किया, हालांकि साथ ही संविधान की प्रतियां जलाने का निंदनीय आन्दोलन किया गया, तब भी सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी तथा सिख समुदाय के दूसरे प्रतिनिधियों से और कानून के विशेषज्ञों से परामर्श करने की तथा अनुच्छेद 25(2)(बी) में संशोधन करके ऐसे कानून बनाने की पेशकश की थी जो इस संबंध में गलतफहमी दूर करने के लिए जरूरी हो।

केन्द्र और राज्य के संबंधों के सवाल पर विचार करने के लिए जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया के अधीन एक आयोग की स्थापना पहले की जा चुकी है। हमने अकाली दल से कहा है कि आयोग के विचाराथ विषयों के अन्तर्गत वे अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं।

दूसरी दो मांगों और दावों की बात भी आई जिनका संबंध पंजाब के अलावा दूसरे और राज्यों से भी है। ये मांगे नदी जल और कुछ क्षेत्रों की हैं। नदियों के जल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अधीन एक ट्राइब्यूनल (न्यायाधिकरण) को सौंपने पर सहमति हो गई थी। अकाली दल और विरोधी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक त्रि-पक्षीय बैठक में इस बात पर सहमति भी हो गई थी। लेकिन, अकाली दल अब उन सभी फैसलों को फिर से खोलना चाहता है, जो नदी जल में राजस्थान की साझेदारी के बारे में बहुत पहले, उन्नीस सौ पचपन में हुये थे, और यमुना जल की बात भी उठायी है।

क्षेत्र संबंधी झगड़ों के बारे में मैंने बार-बार स्पष्ट कहा है कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलेगा बशर्ते कि हरियाणा को हिन्दी भाषी इलाकों का अपना उचित हिस्सा मिले, जो आज पंजाब में हैं। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद, बदले में दिये जाने वाले इलाकों के बारे में पंजाब और हरियाणा के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। सरकार ने सुझाव दिया था कि चण्डीगढ़ व अबोहर फाजिल्का सहित, क्षेत्र संबंधी इस सम्पूर्ण झगड़े को, एक आयोग को दे दिया जाए, जिसका फैसला दोनों राज्यों को मानना होगा। दुर्भाग्य से, चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को ऐसे क्षेत्र देने या इस सम्पूर्ण झगड़े को किसी आयोग को देने के सुझाव को अकाली दल ने नहीं माना।

मैं अकाली दल की मांगों के बारे में और उन पर सरकार के रवैये की विस्तार से चर्चा इसलिए कर रही हूं कि वह गलत धारणा दूर हो जाए जो कुछ लोगों के मन में है कि सरकार ने हल निकालने के लिए कुछ नहीं किया। आप गंभीरता से सोचें कि जब झगड़ों का संबंध एक से ज्यादा राज्यों से हो तो कोई भी सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है ? जो असलियत उभरी है वह यह नहीं कि अकाली दल की विभिन्न मांगों पर सरकार ने जो सुझाव रखे वे काफी हैं या नहीं। सच्चाई तो यह है कि यह आन्दोलन अब उन चन्द लोगों के हाथ में हैं| जिन्हें हमारे देश की एकता और अखण्डता का कोई आदर नहीं है, जिन्हें साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव या पंजाब की आर्थिक उन्नति से कोई सरोकार नहीं है।

हर तीसरे या चौथे महीने एक नया मोर्चा शुरू किया जाता है और पजाब में दुःख और झगड़ों का वातावरण छा जाता है। आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी तत्व इसका लाभ उठाते हैं। पंजाब में दुःख, अशांति और भय फैलाते हैं। मासूम लोग, सिख और हिन्दू दोनों ही, मारे जा रहे हैं। आगजनी, लूट और तोड़-फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। पवित्र स्थान अपराधियों और हत्यारों के छिपने की जगह बन गये हैं। इन पूजा के स्थानों की पवित्रता अपमानित की गयी है; हिन्दुओं और सिखों के बीच जान-बूझ कर कटुता फैलाई जा रही है। सब से बुरा यह है जो चन्द लोग इन पवित्र स्थानों में छिपे हैं वे खुले रूप से देश की एकता और अखण्डता को चुनौती दे रहे हैं।

इस दूषित वातावरण के बावजूद, समझौते की उम्मीद में हमने अकाली नेताओं के साथ बातचीत जारी रखी। लेकिन हमें बड़ी निराशा हुई कि बातचीत के दौरान कोई फैसला नहीं हो सका। जब भी समाधान करीब लगता था या तो कोई नई मांगें पेश की जाती थीं या उन मामलों पर भी जिन पर पहले सहमति हो चुकी थी, उनका रवैया सख्त हो जाता था। ऐसा लगता है कि जिन नेताओं ने यह आन्दोलन शुरू किया था उनमें इसके परिणामों पर काबू करने की न क्षमता और शायद न इच्छा है।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

इस नई स्थिति में हम क्या करें ? दो बातें मैं साफ करना चाहूंगी । पहली तो यह, कि पिछले दो वर्षों में अकाली नेताओं के साथ बातचीत में तमाम निराशाओं के बावजूद मैं अब भी उनसे यही अनुरोध करती हूं कि इसके समाधान का हमने जो ढांचा बनाया उसे वे स्वीकार करें । अगर किसी मसले के बारे में कोई गलतफहमी या शंका रह जाए तो उसे भी हम बातचीत से तय कर सकते हैं । लोकतंत्र में किसी भी समस्या को सुलझाने का सही और एकमात्र तरीका यही होता है कि उसे बातचीत के द्वारा तय किया जाए ।

दूसरी बात यह है कि सरकार सभी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध अवश्य है लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी सरकार हिंसा और आतंकवाद को समाधान का तरीका नहीं मान सकती । जो ऐसे समाज विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कार्य करते हैं, उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ।

मैं अपने सिख भाई बहनों से खास तौर पर कहना चाहूंगी, चाहे वे पंजाब में रहते हों या भारत के दूसरे प्रान्त में या विदेशों में । भारत सब का बराबर है । चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, ईसाई या सिख, बौद्ध या जैन, पारसी अथवा किसी और धर्म के मानने वाले, सबको बराबर के अधिकार हैं तथा सबको बराबर की इज्जत और सुरक्षा मिलनी चाहिए । स्वयं सिख धर्म की स्थापना विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने के लिए की गई थी । गुरु नानक देव जी का जीवन ही सहिष्णुता का प्रतीक था । महान गुरुओं ने हमें प्यार और भाईचारे की शिक्षा दी थी । गुरु ग्रन्थ साहिब से भी हमें सच्चाई और दया भाव का सन्देश मिलता है ।

हमारे राष्ट्र की आजादी का एक लम्बा और शानदार इतिहास है, जिसमें पंजाब और सिखों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया । सिख धर्म बहुत सी सभ्य बातों के लिए प्रसिद्ध है । आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि कुछ थोड़े से लोग इस बहादुर और देशभक्त कौम की छवि को बिगाड़ न सकें तथा उन ऊंची मर्यादाओं को, जिनके लिए सिख धर्म प्रसिद्ध है, किसी भी प्रकार से कुचल न पायें ।

समय क्रोध का नहीं है । काफी खून बह चुका है । हिंसा के बदले में हिंसा हो रही है और कुछ हिन्दू शायद सोच सकते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने का यही एक तरीका है । इससे ज्यादा खतरनाक ना-समझी की बात क्या हो सकती है । हम भूले नहीं कि भविष्य की जिम्मेदारी हम सब की है, ऐसा भविष्य जिस पर गर्व हो ।

आज मेरा हर देशवासी से अनुरोध है कि वे ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए काम करें । पंजाब के लोगों पर इतिहास ने बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है । उन्हें आगे का सोचना है । क्या आप भी उन लोगों का साथ देना चाहेंगे, जिनका इरादा भारत को कमजोर करने का है और जो चाहते हैं कि भारत अंधेरे और अस्थिरता में डूब जाए ? सरकार की जिम्मेदारियों का मुझे पूरा अहसास है लेकिन ऐसे समय, जब जजबात भड़क उठे हों और हम खतरों से घिरे हों, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह हिंसा को रोकने और आतंकवादियों का हिम्मत से मुकाबला करने में सरकार को सहयोग दें और संयम से काम लें ।

इतना समय गुजर जाने पर भी, मैं अकाली नेताओं से अपील करती हूं कि वे अपने आन्दोलन को वापिस ले लें । एक और आन्दोलन इस समय छेड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि उससे राष्ट्रविरोधी तत्वों को मजबूती मिलेगी । शांतिपूर्ण हल के लिए जो पेशकश हमने की है उसे वे स्वीकार करें ।

आइए, हम सब मिलकर जख्मों पर मरहम लगायें । जिनकी जानें गई हैं उनके प्रति ही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम पंजाब में सामान्य स्थिति और सद्भाव को फिर से बहाल करें । विकास, उन्नति और समृद्धि के पथ पर पंजाब को फिर से ले चलें ।

जयहिन्द

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पंजाब में हिंसा की मुख्य घटनाओं की सूची (1981-84)

20 मार्च, 1981	.	आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ में होला मौहल्ला मेले के अवसर पर एक केसरी झंडा फहराया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नये खालिस्तान गणराज्य का झंडा था। उस समय एक निहंग द्वारा सलामी के तौर पर पांच गोलियां चलाई गईं।
8 अप्रैल, 1981	.	दो व्यक्ति, हजारा सिंह और उजागर सिंह, श्री बलवीर सिंह संधु द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार-पत्र लेकर पाकिस्तान गए। समझा जाता है कि यह पत्र बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान के पंजा साहिब जा रहे सिख तीर्थ यात्रियों के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए था।
13 अप्रैल, 1981	.	श्री बलवीर सिंह संधु ने अकाल तख्त, अमृतसर के सामने श्री गोपाल सिंह शहीद को एक दस्तावेज दिया। कहा जाता है कि यह तथाकथित "खालिस्तान गणराज्य" के नाम में पासपोर्ट था।
16 अप्रैल, 1981	.	आनन्दपुर साहिब में शिरोमणि अकाली दल (तलवन्डी ग्रुप) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में रुपिन्दर सिंह ने भारतीय संविधान के पृष्ठ फाड़े।
31 मई, 1981	.	अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के स्वयं सेवकों, श्री भिंडरांवाले के अनुयायियों और अन्यों ने एक जलूस निकाला। कुछ शरारती तत्वों ने हिंसक वारदातें कीं और कुछ खोखों को आग लगा दी।
26 जुलाई, 1981	.	शिरोमणि अकाली दल (लोंगोवाल ग्रुप) ने अमृतसर में विश्व सिख सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें सिखों के प्रति कथित भेदभाव पर विशेष जोर दिया गया।
5 अगस्त, 1981	.	श्री शादीलाल आंगरा, म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष और आनन्दपुर साहिब के निरंकारी प्रमुख की आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ में हत्या।
9 सितम्बर, 1981	.	पटियाला से जालन्धर जाते समय लाला जगत नारायण की हत्या।
13–14 सितम्बर, 1981	.	लाला जगत नारायण की हत्या से संबंधित मामले के संबंध में श्री भिंडरांवाले को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चन्दूकलां गई, किन्तु श्री भिंडरांवाले पहले ही वहां से जा चुके थे। बाद में वहां हिंसक वारदात उस समय हुई जब श्री भिंडरांवाले के कुछ अनुयायियों ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। वहां एक-दूसरे पर गोलीबारी हुई और आगजनी की घटनाएं हुईं।
20 सितम्बर, 1981	.	लाला जगत नारायण की हत्या से संबंधित मामले के संबंध में श्री भिंडरांवाले को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् श्री भिंडरांवाले के अनुयायी हिंसा पर उतर आए और हथियारों के साथ पुलिस पर हमला किया और आगजनी और लूटमार की। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

20 सितम्बर, 1981 . चौक मेहता में श्री भिंडरांवाले की गिरफ्तारी के बाद, जालन्धर के बाजार में मोटर साइकिल पर सवार तीन सिख युवकों ने हिन्दुओं पर गोली चलाई। चार व्यक्ति मारे गए और 12 घायल हुए।

21 सितम्बर, 1981 . तरन तारन में बाजार में छह अज्ञात सिख युवकों ने गोली चलाई जिससे एक हिन्दू की मृत्यु और दो सिखों सहित 13 अन्य घायल ।

26 सितम्बर, 1981 . पटियाला के केन्द्रीय तारघर में एक बम विस्फोट ।

26 सितम्बर, 1981 . अमृतसर जिले के राय्या और बुटारी रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पटरी की तोड़ फोड़ जिसके परिणाम स्वरूप एक सेक्शन मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। उसी दिन हिमाचल प्रदेश (पठानकोट-जालन्धर सैक्शन) में मिरथल रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल पटरी क्षतिग्रस्त।

28 सितम्बर, 1981 . होशियारपुर जिले में नसराला और शाम चौरासी रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पटरी काटी गई।

29 सितम्बर, 1981 . इंडियन एयरलाइंस के एक हवाई जहाज का अपहरण करके लाहौर ले जाया गया।

3 अक्तूबर, 1981 . सरहिन्द-नंगल सेक्शन में रोपड़ जिले के नागावारी रेलवे स्टेशनों के नजदीक रेल पटरी की तोड़-फोड़ ।

6–7 अक्तूबर, 1981 . विभिन्न स्थानों पर विस्फोट की घटनाएं, जिनमें अमृतसर में चार स्थान, जिला अमृतसर के तरनतारन में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, खंड विकास अधिकारी, भटिंडा का आवास, सब-डिविजनल आफीसर (सिविल) होशियारपुर का आवास और जिला फरीदकोट के मोगा के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट का आवास शामिल हैं।

9–10 अक्तूबर, 1981 . अमृतसर के उपायुक्त के सामान्य सहायक के आवास पर दो देसी बम फेंके गए। जिला फरीदकोट के मोंगा में एक पुलिस सहायक सब-इंस्पैक्टर के मकान पर एक विस्फोट हुआ। गुरुदासपुर जिले के चूमा में एक पैट्रोल पम्प पर विस्फोट ।

15 अक्तूबर, 1981 . श्री भिंडारांवाले हिरासत से रिहा।

16 अक्तूबर, 1981 . एक निरंकारी, श्री निरंजन सिंह, आई ए एस पर हमला और चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार सचिवालय कार्यालय में उसके भाई को मार दिया गया।

23 अक्तूबर, 1981 . कपूरथला जिले के ग्राम पंचवटा के एक हिन्दू सरपंच, मोहिन्दर पाल की हत्या।

1 नवम्बर, 1981 . पुलिस उप-महानिरीक्षक पटियाला रेंज के कार्यालय में विस्फोट।

14 नवम्बर, 1981 चंडीगढ़ में पिकाडिली सिनेमा के शौचालय में बम विस्फोट।

16 नवम्बर, 1981 . कपूरथला में दो सिख मोटर साइकिल सवारों द्वारा एक निरंकारी प्रमुख, प्रहलाद चंद तथा उसके पिता की गोली मार कर हत्या तथा प्रहलाद चन्द का भाई घायल ।

19 नवम्बर, 1981 जिला लुधियाना में ग्राम डाहेरू में एक पुलिस दल पर गोली चलाई गई जिससे एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मारा गया।

29 नवम्बर, 1981 गुरुद्वारा चौक मेहता में एक भारी विस्फोट हुआ, जिसमें गुरुद्वारे में रहने वाले तीन व्यक्ति मारे गए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

27 दिसम्बर, 1981	पुलिस स्टेशन जंडियाला, जिला अमृतसर के ग्राम मच्छाल में एक निरंकारी गोली चलाये जाने से घायल ।
21 जनवरी, 1982	जिला गुरदासपुर के ग्राम महेश में, गुरुद्वारा राम सरण में एक विस्फोट हुआ।
23 फरवरी, 1982	फरीदकोट जिले में मोगा में गोली चलाने से एक निरंकारी सूरज प्रकाश गंभीर रूप से घायल ।
30 मार्च, 1982	दो सिखों द्वारा एक निरंकारी प्रकाश सिंह पर गोली चलाई गई जिसकी चोटों के कारण बाद में उसकी मृत्यु ।
13 अप्रैल, 1982	आनन्दपुर साहिब संकल्प और इस विषय पर विचार करने के लिए कि सिख एक अलग राष्ट्र हैं, शिरोमणि अकाली दल (तलवन्डी ग्रुप) द्वारा विश्व सिख सम्मेलन का आयोजन ।
24 अप्रैल, 1982	शिरोमणि अकाली दल द्वारा 'नहर रोको' आन्दोलन ।
25-26 अप्रैल, 1982	कुछ शरारती तत्वों द्वारा अमृतसर के मंदिरों के सामने गायों के कटे हुए सिर डाले गए। इस घटना की जिम्मेदारी दल खालसा ने अपने ऊपर ली।
27 अप्रैल, 1982	जिला अमृतसर के चौरस्ता अट्टारी स्थित गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब को आग लगाने की खबर ।
1 मई, 1982	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन दल खालसा और नेशनल कौंसिल आफ खालिस्तान को गैर-कानूनी संगठन घोषित ।
मई, 1982	इस महीने के दौरान विशेषतौर पर अमृतसर जिले में गुरुद्वारों और हिन्दु मंदिरों को अपवित्र करने की अनेक घटनाएं।
22 मई, 1982	अमृतसर जिले के पट्टी में मुख्य बाजार में चार सिखों ने अन्धाधुन्ध गोली बारी की जिससे चार व्यक्तियों की मृत्यु और कई अन्य घायल ।
24 मई, 1982	शिरोमणि अकाली दल द्वारा पुन : 'नहर रोको' आन्दोलन।
17 जून, 1982	अमृतसर में मोटर साईकिल पर सवार तीन सिख युवकों ने तीन हिन्दुओं पर गोली चलाई।
27 जून, 1982	धाबूजी, जिला अमृतसर में गोली चलाये जाने से निरंकारी मंडल के प्रचार सचिव, जोगिन्दर सिंह शान्त घायल ।
18 जुलाई, 1982	जिला अमृतसर के पुलिस स्टेशन ब्यास की एक पुलिस टुकड़ी द्वारा एक जीप को चैकिंग के लिए रोकने पर जीप में बैठे व्यक्तियों द्वारा जिनमें चौक मेहता के गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश का रसोइया, श्री जागीर सिंह भी था, पुलिस पर हमला, हमलावार गिरफ्तार ।
19 जुलाई, 1982	श्री जोगिन्दर सिंह शान्त की हत्या के प्रयास से संबंधित मामले में अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के अध्यक्ष, भाई अमरीक सिंह अमृतसर में गिरफतार । श्री भिंडरांवाले ने अपने अनुयायियों सहित गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश छोड़ दिया और अमृतसर आ गए। उन्होंने उपायुक्त के आवास के सामने स्वयं सेवकों की गिरफ्तारी देने के साथ एक मौर्चे की घोषणा की।
21 जुलाई, 1982	मोगा, जिला फरीदकोट के मुख्य बाजार में कुछ सिख युवकों ने एक बम फैंका। एक रिक्शा चलाने वाला मारा गया और पांच अन्य घायल।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

22 जुलाई, 1982	श्री भिंडरांवाले के अनुयायियों द्वारा पंजाब पुलिस के एक हैड कांस्टेबल को गुरू राम दास सराय, अमृतसर की ओर ले जाकर पीटा गया।
22-23 जुलाई, 1982	पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री दरबारा सिंह के जन्मस्थान ग्राम जडियाला, जिला जालन्धर के मकान पर दो देशी बम फैंके गए। एक बम फटा जिसके कारण भवन को थोड़ा-सा नुक्सान पहुंचा।
4 अगस्त, 1982	शिरोमणि अकाली दल द्वारा व्यापक मोर्चा शुरू और उसे धर्मयुद्ध की संज्ञा दी। श्री भिंडरांवाला द्वारा उसी दिन की घोषित अपना मोर्चा समाप्त।
4 अगस्त, 1982	अमृतसर होते हुए दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान पर जाते हुए इंडियन एयर लाइन्स के एक हवाई जहाज का अपहरण इसमें 126 यात्री थे। हवाई जहाज को लाहौर की तरफ ले जाया गया पर वहां उतरने की अनुमति न मिलने पर उसे अमृतसर हवाई अड्डे पर लाया गया जहां अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।
20 अगस्त, 1982	जोधपुर से दिल्ली के लिए उड़ान कर रहे इंडियन एयर लाइन्स के अन्य हवाई जहाज का अपहरण कर लिया गया। इसे लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए यह अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा जहां गोलीबारी में अपहरणकर्ता मारा गया।
20 अगस्त, 1982	राहोन, जिला जालन्धर में दो उग्रवादियों द्वारा हथगोलों से तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री दरबारा सिंह पर हमला किया गया। श्री दरबारा सिंह को कोई चोट नहीं आई किन्तु 18 व्यक्तियों को चोटें आईं, जिनमें शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री के मार्गरक्षण दल के कुछ सदस्य शामिल थे।
11 सितम्बर, 1982	तरन तारन में विना गेटमैन वाले रेलवे क्रासिंग पर उस समय एक दुर्घटना हुई जब एक रेलगाड़ी की उस वाहन से टक्कर हुई जिसमें कुछ अकाली आन्दोलनकारियों को ले जाया जा रहा था। कई आन्दोलनकारी मारे गये।
11 अक्तूबर, 1982	11 सितम्बर, की रेल दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों की अस्थियों को लेकर आनन्दपुर साहिब से गुरुद्वारा रकाव गंज, नई दिल्ली आये मातमी जलूस की समाप्ति पर संसद भवन के सामने शिरोमणि अकाली दल द्वारा हिंसक प्रदर्शन।
26 अक्तूबर, 1982	राम नवमी के जलूस के समय स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के नजदीक चौक पर दो हथगोले फेंके गए। एक हथगोला फटा जिससे एक हिन्दू युवक और सी आर पी का एक कांस्टेबल मारा गया और कई अन्य व्यक्ति घायल हो गए।
27 अक्तूबर, 1982	नंगल-खन्ना, जिला होशियारपुर में मोटर-साईकिल सवार तीन सिखों ने निरंकारी रेशम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी।
29 अक्तूबर, 1982	जालन्धर में सैदा गेट के नजदीक, गुरु नानक के जन्म दिवस के संबंध में निकाले गए जलूस की समाप्ति के बाद एक पटाखे का विस्फोट हुआ। नौ व्यक्ति घायल हुए, जिनमें स्त्रियां और बच्चे शामिल थे।
12-13 नवम्बर, 1982	कई स्थानों पर विस्फोट। इनमें जिला जालन्धर में राहोन में पुलिस चौकी बिल्डिंग, अथवाल, श्री हरगोबिन्दपुर में कैनॉल रैस्टहाऊस, चुमन में निरंकारी, श्री अजायब सिंह का मकान, जिला फरीदकोट के मोगा के पुशोक प्लैस मुख्य बाजार में, लुधियाना की सुन्दर नगर कालौनी में मोहिन्दर पाल का मकान, जिला गुरदासपुर के कादियां का डी० ए० वी० हाई स्कूल और एस० डी० एम० जालन्धर के न्यायालय का रिटायरिंग रुम शामिल हैं।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

14 नवम्बर, 1982	तरन तारन, जिला अमृतसर में सी० आर० पी० के एक ट्रक के नजदीक एक विस्फोट हुआ पर उससे कोई नुकसान नहीं हुआ ।
14-15 नवम्बर, 1982	एक बम विस्फोट के कारण जिला अमृतसर में तरसिक्का गांव में श्री दिलबाग सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हुआ ।
22-23 नवम्बर, 1982	पंजाब के तत्कालीन शिक्षामंत्री, श्री हरचरण सिंह अजनाला के आवास पर देशी बम फैंके गए, जिससे कुछ नुकसान हुआ ।
16-17 दिसम्बर, 1982	ग्राम सुल्तानविंड, जिला अमृतसर में कांग्रेस (आई) के एम० एल० ए० श्री लखा सिंह के मकान के अहाते में एक देसी बम का विस्फोट हुआ ।
24 दिसम्बर, 1982	निरंकारी मिशन, भटिंडा के सचिव, प्रभु दयाल की तलवन्डी साबो, भटिंडा में हत्या ।
10 जनवरी, 1983	श्री स्वर्ण सिंह लहरी निरंकारी का शव घोल भाटिया, गुरदासपुर में पाया गया ।
26 जनवरी, 1983	अमृतसर में बम विस्फोट की चार वारदातें । एक लकड़ी के खोखे को आग लगा दी गई और आंशिक रूप से जला हुआ तिरंगा झंडा एक दुकान के सामने फैंका गया । अमृतसर में, गणतंत्र दिवस समारोह स्थल गुरु नानक स्टैडियम से एक हथगोला बरामद ।
27 जनवरी, 1983	सिंडिकेट बैंक, अमृतसर की एक शाखा में 7,80,000 रुपए की बैंक डकैती ।
31 जनवरी, 1983	कांग्रेस (आई) एम० एल० ए० श्री जोगिन्द्र नाथ के बड़े भाई, श्री मोहिन्द्र पाल की अमृतसर में गोली मार कर हत्या ।
16 फरवरी, 1983	ग्राम किरयाली, जिला अमृतसर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मार कर हत्या ।
8 मार्च, 1983	दिल्ली में पालिका बाजार और अन्तर्राज्यीय बस अड्डा पर बम विस्फोट ।
16 मार्च, 1983	अमृतसर के नजदीक उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक पुलिस अधीक्षक गंभीर रूप से जख्मी । एक उग्रवादी की लाश, जिसकी मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी, एस० जी० पी० सी० अमृतसर द्वारा पुलिस के हवाले की गई । तीन अन्य उग्रवादियों ने, जो घायल हो गए थे, गुरु नानक निवास में शरण ली ।
21 मार्च, 1983	कुछ निहंग रात्रि के लगभग 8.30 बजे जिला गुरदासपुर में कादियां के बाजार में गए और अन्धाधुन्ध गोलियां चलानी शुरू कर दीं । इसके परिणाम-स्वरूप 9 व्यक्ति घायल हो गए ।
23 मार्च, 1983	पटियाला के एक जज, श्री के० के० गर्ग के मकान के अहाते में दो बम फेंके गए । एक बम फटा जिसके कारण खिड़कियों के शीशे टूटे ।
30 मार्च, 1983	मुकेरियां में तीन अलग-अलग स्थानों पर बम फैंके गए जिसके परिणामस्वरूप, पंजाब के एक भूतपूर्व वित्त मंत्री के पुत्र और एक अन्य व्यक्ति अपनी दुकानों में जख्मी ।
4 अप्रैल, 1983	अकाली दल द्वारा आयोजित "रास्ता रोको" आन्दोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंसा तथा आगजनी की वारदातें की और पुलिस पर आक्रमण किया। दो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और 175 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को चोटें आईं। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा जिसमें लाठी चार्ज, अश्रु गैस और गोलीबारी शामिल था। इसमें 21 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
6 अप्रैल, 1983	फिरोजपुर, शस्त्रागार से हथियारों की चोरी की वारदात। कई राइफलें, स्टैनगन और गोलाबारूद चोरी किया गया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

17 अप्रैल, 1983	.	. एक निरंकारी की हत्या के मामले में एक गवाह की जालन्धर के एक अस्पताल में गोली मारकर हत्या ।
18 अप्रैल, 1983	.	. एक निरंकारी, श्री अमर सिंह पर ग्राम नागोके, जिला अमृतसर में गोली चलाने से जख्मी ।
20 अप्रैल, 1983	.	. जिला जालन्धर में पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा से 3 लाख रुपए लूटे गए।
21 अप्रैल, 1983	.	. सुल्तानपुरी लोदी, कपूरथला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या ।
22 अप्रैल, 1983	.	. श्री प्रेम नाथ किरयाना व्यापारी और म्युनिसिपल कमीशनर की मंडी रोड, सुल्तान-पुर लोदी, जिला कपूरथला स्थित एक दूकान में गोली मारकर हत्या ।
25 अप्रैल, 1983	.	. दरबार साहिब, अमृतसर के मुख्य प्रवेशद्वार के बाहर पुलिस डी० आई० जी०, जालन्धर, श्री ए० एस० अटवाल की गोली मार कर हत्या। एक ग्यारह वर्ष के लड़के की भी गोली मारकर हत्या और एक अन्य व्यक्ति जख्मी।
29 अप्रैल, 1983	.	. चेतनपुर , जिला अमृतसर में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से 22,000 रुपए और एक बन्दूक लूटी गई।
4 मई, 1983	.	. स्वर्ण मंदिर के नजदीक से एक लाश मिली।
21 मई, 1983	.	. जिला होशियारपुर में बुल्लोवाल में, निरंकारी करतार सिंह की गोली मारकर हत्या ।
23 मई, 1983	.	. गुरु नानक निवास के पीछे एक नाली से एक लाश मिली।
28 मई, 1983	.	. जिला गुरदासपुर में ग्राम पाटन में एक अध्यापक की गोली मारकर हत्या ।
30 मई, 1983	.	. सुल्तानपुर लोदी, जिला कपूरथला स्थित स्टेट बैंक आफ पटियाला को लूटने का प्रयास । एक सहायक पुलिस सब-इंस्पेक्टर की मृत्यु और एक कांस्टेबल तथा दो गनमैन जख्मी ।
6 जून, 1983	.	. जिला अमृतसर के ग्राम मुच्चाल में एक निरंकारी को मारा गया।
10 जून, 1983	.	. जिला गुरदासपुर में बहरामपुर स्थित पंजाब नैशनल बैंक से 27,000/- रुपए लूटे गए।
11 जून, 1983	.	. गुरु नानक निवास में सीवर से एक लाश मिली।
15 जून, 1983	.	. जिला जालन्धर में न्यू बैंक औफ इंडिया, लैंगरोआ से लगभग 98,000/- रुपए लूटे गए।
15 जून, 1983	.	. जिला जालन्धर में सहकारी बैंक, उरापुर से 70,000/- रुपए लूट लिए गए ।
16 जून, 1983	.	. फरीदकोट में निरंकारी भवन पर एक बम फैंका गया।
17 जून, 1983	.	. अकाली दल ने "रेल रोको" कार्यक्रम आयोजित । यात्रियों और रेलवे सम्पत्ति की रक्षा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पंजाब में रेल यातायात निलंबित । राज्य सड़क परिवहन की बसें भी नहीं चली । आन्दोलनकारियों ने तोड़फोड़ की वारदात की जिनमें सिगनलों और टेलीफोन/टेलीग्राफ की तारों को काटना, फिश-प्लेटों को हटाना, लकड़ी के लट्ठे रखकर रेल पटरियों पर बाधा खड़ी करना और नहरों के किनारों को काटकर रेल पटरियों को बहाना शामिल था।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

18 जून, 1983	फगवाड़ा, जिला कपूरथला में पुलिस इंस्पेक्टर, श्री रतन चन्द शारदा को गोली मारकर हत्या।
20 जून, 1983	ग्राम नागोके, जिला अमृतसर में एक निरंकारी गोली चलाये जाने से घायल।
24 जून, 1983	जालन्धर स्थित "दैनिक प्रताप" के कार्यालय में एक पार्सल बम का विस्फोट जिससे दो कर्मचारी मारे गए और एक अन्य घायल।
25 जून, 1983	अमृतसर में एक निरंकारी हमले से घायल।
25 जून, 1983	जिला कपूरथला में सुलतानपुर लोदी स्थित एक मंदिर के पुजारी की किसी तेज धार वाले हथियार से हत्या। मंदिर का नौकर भी घायल।
27 जून, 1983	शक्ति नगर, जालन्धर में एक बम विस्फोट जिसके कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु। इस स्थान से पुलिस द्वारा गोला-बारूद बरामद।
28 जून, 1983	अमृतसर में एक निरंकारी की हत्या।
28/29 जून, 1983	भटिंडा के नजदीक रेलवे पटरी से फिश-प्लेटें हटाने के प्रयास। रेल यातायात में बाधापड़ी।
1 जुलाई, 1983	अमृतसर में दो निरंकारियों की हत्या।
2 जुलाई, 1983	निहंगों ने बाबा बकाला पुलिस चौकी पर आक्रमण किया। पुलिस ने गोली चलाई। निहंग एक पुलिस राइफल ले कर भाग गए। पुलिस उनके डेरे पर गई। एक दूसरे पर गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु और दो व्यक्ति घायल। पुलिस द्वारा डेरे से बड़ी मात्रा में हथियार और गोलबारूद बरामद।
2 जुलाई, 1983	पंजाब नैशनल बैंक, बुचोखुर्द, जिला भटिंडा से 30,000/- रुपए की लूट।
7 जुलाई, 1983	जिला लुधियाना के कटनीकलां से न्यू बैंक आफ इंडिया से लगभग 44,000/- रुपए की लूट।
13 जुलाई, 1983	ग्राम फातूधिंगा, कपूरथला में एक हैड-कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों की हत्या। आक्रमणकारी पुलिस की तीन राइफलें और 100 कारतूस ले भागे।
15 जुलाई, 1983	ग्राम धारार, तरन तारन, जिला अमृतसर में एक निरंकारी गोली चलाने से जख्मी।
28 जुलाई, 1983	अमृतसर में बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मृत्यु।
2 अगस्त, 1983	जिला अमृतसर में ग्राम छनुपुर काले में एक निरंकारी पर गोली चलाये जाने से गंभीर रूप से घायल जिसकी बाद में मृत्यु।
2 अगस्त, 1983	खुरदा, जिला अमृतसर में न्यू बैंक ऑफ इंडिया से एक लाख रुपए की लूट।
3 अगस्त, 1983	अमृतसर में एक निरंकारी की हत्या।
4 अगस्त, 1983	सिंधी होटल, अमृतसर के मैनेजर, श्री प्रीतम सिंह की हत्या।
5 अगस्त, 1983	जिला गुरदासपुर में कटली सूरत मालही के पंजाब एंड सिंध बैंक से 1,10,706 रुपए लूटे गए।
8 अगस्त, 1983	एक उर्वरक एजेंट अमृतसर में जंडियाला गुरू में गोली चलाये जाने से गंभीर रूप से घायल।
8 अगस्त, 1983	मुक्तसर में एक निरंकारी की दुकान पर बम फैंका गया।
15 अगस्त, 1983	मुक्तसर में पुलिस सब-इंस्पेक्टर को गोली मार कर हत्या तथा एक कांस्टेबल घायल।
16 अगस्त, 1983	स्टेट बैंक आफ इंडिया, जंदोके सरहाली, जिला अमृतसर से 22,000/- रुपए लूटे गये।
16 अगस्त, 1983	अमृतसर में एक निरंकारी की हत्या।
16 अगस्त, 1983	एक निरंकारी जिला अमृतसर के गांव कुकरांवाला में हमले से घायल।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

29 अगस्त, 1983	.	पंजाब के सभी जिलों में "काम रोको" आंदोलन आयोजन। कुछ हिंसक घटनाएं।
3 सितम्बर, 1983	.	सराय गुरू रामदास, अमृतसर के पीछे नाली से एक शव बरामद।
5 सितम्बर, 1983	.	बैंक ऑफ इंडिया, चाब्बा जिला अमृतसर से 80,000- रु० लूटे गये।
10 सितम्बर, 1983	.	अमृतसर में एक निरंकारी को गोली मार कर हत्या।
21 सितम्बर, 1983	.	श्री डी० आर० भट्टी, एस० एस० पी०, लुधियाना पर कार्यालय में प्रवेश करते समय गोली चलाई गई। उनके गनमैन की घटना स्थल पर ही मृत्यु। श्री भट्टी घायल। एक आक्रमणकारी की भी मृत्यु।
21 सितम्बर, 1983	.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पुतलीघर, अमृतसर से लगभग 73,000/- रुपए लूटे। उसी दिन पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बस स्टैंड अमृतसर से 27,000 रुपए से अधिक की लूट।
22 सितम्बर, 1983	.	निरंकारी बताये जाने वाले एक व्यक्ति पर उस समय गोली चलाई गई जब वह जिला अमृतसर में अपने गांव मुछल जा रहा था।
23 सितम्बर, 1983	.	स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निकट तीन पुलिस मैन घायल।
26 सितम्बर, 1983	.	एक पुलिस हैड कांस्टेबल की अमृतसर के पुतलीघर क्षेत्र में गोली मार कर हत्या।
28 सितम्बर, 1983	.	जिला लुधियाना के लालटन स्थित यूनाइटिड कमर्शियल बैंक से 1,30,000 रुपए लूट लिए गए।
28 सितम्बर, 1983	.	जिला लुधियाना के जगरांऊ में सवेरे सैर करते हुए पांच व्यक्तियों पर गोली चला कर उन्हें घायल कर दिया।
29 सितम्बर, 1983	.	जिला फिरोजपुर के गुरू हर सहाय स्थित पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड के कार्यालय से 1,13,000 रुपए लूटे गए।
29 सितम्बर, 1983	.	अमृतसर में पुलिस के एक उप निरीक्षक की गोली मार कर हत्या।
29 सितम्बर, 1983	.	एक व्यक्ति की, जो जिला होशियारपुर के गांव शाम चौरासी में डेरा शामी शाह को जा रहा था, गोली मार कर हत्या।
30 सितम्बर, 1983	.	डा० सुदर्शन की जिला अमृतसर के पट्टी में रेलवे रोड स्थित उनके क्लीनिक में गोली मार कर हत्या। एक महिला सहित दो मरीजों को भी घायल।
1 अक्तूबर, 1983	.	जिला जालंधर के भटनूरा लबाना में स्थित न्यू बैंक आफ इंडिया से 76,000 रुपए लूट लिए गए। इसके बाद सशस्त्र मुठभेड़ में चार लुटेरे मारे गए। एक स्टेनगन, एक पिस्तौल, एक रिवाल्वर, एक राईफल, 3 हथगोले और गोलाबारूद की बहुत बड़ी मात्रा बरामद। बैंक से लूटे गए करैंसी नोट भी बरामद।
4 अक्तूबर, 1983	.	श्री मदन मोहन धवन पर, जो जनडियाला में अपनी दुकान पर अपने पुत्र और एक रिश्तेदार के साथ बैठे थे, गोली चलाई गयी। श्री मदन मोहन बहुत बुरी तरह घायल, बाद में उनकी मृत्यु।
5 अक्तूबर, 1983	.	जालन्धर के एक बैंक कर्मचारी, श्री एस० के० मित्तल को गोली मार कर घायल कर दिया गया।
5 अक्तूबर, 1983	.	कपड़ा व्यापारी, श्री राजपाल पर उस समय गोली चलाई गई जब वह तरन तारन में गुरुद्वारे के सामने अपनी दुकान बन्द कर रहा था। वह घायल हो गया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

5 अक्तूबर, 1983	.	तरन तारन के निकट पंजाब रोडवेज बस से उतर रहे यात्रियों पर एक हथगोला फैंका गया । एक व्यक्ति बुरी तरह घायल ।
5 अक्तूबर, 1983	.	रात्रि के 10 बजे, एक प्राइवेट बस दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हुई । ढिलवान में बस का अपहरण करके नूरपुर लबाना की ओर ले जाया गया । जाति के आधार पर यात्रियों को अलग-अलग किया गया। 6 हिन्दू यात्रियों की गोली मार कर हत्या और एक हिन्दू गम्भीर रूप से घायल ।
6 अक्तूबर, 1983	.	मानावाला रेलवे स्टेशन के निकट हावड़ा एक्सप्रेस में पंजाब पुलिस के एक सब-इन्स्पैक्टर श्री प्यारा सिंह और उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क निरीक्षक श्री सतपाल सूरी की गोली मार कर हत्या । कुछ यात्री भी घायल ।
6 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर में बन्दूक दिखाकर ,एक व्यापारी से 3,000 रुपए छीन लिए गए ।
6 अक्तूबर, 1983	.	पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू ।
7 अक्तूबर, 1983	.	पंजाब अशान्त क्षेत्र अध्यादेश, 1983 के अधीन पंजाब अशान्त क्षेत्र घोषित ।
8 अक्तूबर, 1983	.	स्वर्णमंदिर में माथा टेकने गये एक सहायक अधीक्षक (जेल) को अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के सक्रिय कार्यकर्ता ने पकड़ कर पीटा । उन्हें गुरू नानक निवास ले जाया गया और बाद में छोड़ दिया गया ।
8 अक्तूबर, 1983	.	जिला जालन्धर के गोगोरियां गांव के निवासी, श्री करतार सिंह की, दो व्यक्तियों ने गोली मार कर हत्या कर दी ।
8 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर के जगजीत कुमार पर गोली चलाकर घायल किया गया ।
8 अक्तूबर, 1983	.	जगरांव में बन्दूक की नोक पर एक हिन्दू की दुकान लूटी ।
9 अक्तूबर, 1983	.	कपूरथला में कुछ व्यक्तियों ने उस समय गोलियां चलाईं जब माता का जागरण हो रहा था ।
10 अक्तूबर, 1983	.	जिला पटियाला में पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड बादली अला सिंह के कार्यालय से 8,000 रु० लूटे गये । एस० डी० ओ० घायल हो गया ।
10 अक्तूबर, 1983	.	नाभा में श्री बृजलाल से 75,000 रु० छीन लिए गये ।
10 अक्तूबर, 1983	.	जिला अमृतसर के चोला साहिब टाऊन के मुख्य बाजार के 7/8 दुकानदारों पर गोली चलाई गई । पांच व्यक्ति घायल ।
12 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर में एक रिक्शा चालक गोली चलाये जाने से घायल ।
12 अक्तूबर, 1983	.	जिला अमृतसर के कल्हा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 6,000 रुपये लूटे गये ।
14 अक्तूबर 1983	.	पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 4 उग्रवादी मारे गए और एक पकड़ा गया ।
15 अक्तूबर 1983	.	श्री किशन चन्द को उस समय गोली मार कर बुरी तरह घायल कर दिया, जब वह जिला अमृतसर के गांव तरसिक्का से अपने घर वापिस जा रहा था ।
15 अक्तूबर, 1983	.	चण्डीगढ़ में रामलीला के दौरान एक हथगोला फैंका गया। परिणामस्वरूप 3 व्यक्तियों की मृत्यु और अन्य 22 घायल ।
16 अक्तूबर, 1983	.	लुधियाना में माता रानी मन्दिर में हुए बम विस्फोट से श्री हरबंस लाल और श्री जुगल किशोर घायल ।
16 अक्तूबर, 1983	.	तरनतारन में बस कंडक्टर और यात्रियों को लूटा ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

16 अक्तूबर, 1983	.	जिला संगरूर में कृष्णानन्द महन्त के डेरा में कुछ व्यक्ति घुस गए । महन्त की पत्नी को डरा धमका कर वे एक बन्दूक, 20 कारतूस और लाइसेंस ले गये।
17 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर में बन्दूक दिखा कर पेट्रौल पैम्प के कैशियर को लूटा गया ।
17 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर जिला में बस में यात्रा करते समय पुलिस के एक उप-निरीक्षक की हत्या और एक हैड कांस्टेबल घायल।
18 अक्तूबर, 1983	.	एक्स-सर्विसमैन एम्पलाइज एसोसिएशन के श्री मोहिन्द्र सिंह की अमृतसर में गोली मार कर हत्या ।
20 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर में एक जौहरी की दुकान लूट ली गयी । एक लुटेरा मारा गया ।
21 अक्तूबर, 1983	.	संदिग्ध तोड़फोड़ के कारण सियालदा-जम्मू तवी एक्सप्रैस गोविन्दगढ़ रेलवे स्टेशन के के पास पटरी से उतर गई और 19 व्यक्ति मारे गये और 129 व्यक्ति घायल हुये।
24 अक्तूबर, 1983	.	जिला संगरूर की पंजाब और सिंध बैंक ब्रांच से 76,000 रुपये लूटे गये ।
25 अक्तूबर, 1983	.	जिला लुधियाना के पाखूवाल स्थित पंजाब एण्ड सिंध बैंक के गनमैन को गोली मार कर हत्या। बैंक से 35,000 रुपए लूटे गए ।
29 अक्तूबर, 1983	.	भूतपूर्व जिला पुलिस अधीक्षक, श्री बचन सिंह जब अपने पुत्र की दुकान पर बैठे थे तो उन पर हमला। एक सैल्समैन और एक कांस्टेबल की मृत्यु। घटना स्थल पर एक कांस्टेबल घायल बाद में उसकी मृत्यु।
29 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर में एक हैड कांस्टेबल गम्भीर रूप से घायल । बाद में उसकी मृत्यु ।
31 अक्तूबर, 1983	.	अमृतसर में महन्त सुरेन्द्र सिंह की भतीजी, परमजीत कौर पर गोली चलाई गई और उसे घायल कर दिया।
1 नवम्बर, 1983	.	जिला फरीदकोट में एक व्यक्ति से कार छीन ली गई । बाद में शरारती तत्वों ने गांव बिलासपुर (फरीदकोट) स्थित एक पैट्रोल पम्प को लूटा ।
1 नवम्बर, 1983	.	फगवाड़ा, मीतियाना स्थित ट्रेडर्स बैंक से 80,000 रुपए लूटे गए ।
2 नवम्बर, 1983	.	शम्भू कलां में स्थित स्टेट बैंक आफ पटियाला से लगभग 36,000 रुपए लूटे गए।
5 नवम्बर, 1983	.	तरन तारन में पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक से एक सर्विस रिवाल्वर छीन लिया गया ।
9 नवम्बर, 1983	.	चण्डीगढ़ में स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच से 3.5 लाख रुपए लूटे गए ।
9 नवम्बर, 1983	.	अमृतसर के जगदेव कलां में स्थित पंजाब एण्ड सिंध बैंक से 40,000 रुपए लूटे गए ।
11 नवम्बर, 1983	.	कांग्रेस (आई) के प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री सुर्जन सिंह की अमृतसर जिला के गांव नगोके में हत्या ।
18 नवम्बर, 1983	.	मोगा जा रही पंजाब रोडवेज की एक बस का रसूलपूर गांव के निकट अपहरण। चार हिन्दू यात्रियों की हत्या ।
21 नवम्बर, 1983	.	यमुनानगर के हनुमान मन्दिर के परिसर में दो बम फैंके गए ।
21 नवम्बर, 1983	.	श्री बलराम, कृष्ण तथा सुभद्रा की मूर्तियों और भगवान शिव की मूर्ति और अन्य देवी-देवताओं के चित्रों को क्षतिग्रस्त किया गया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

23 नवम्बर, 1983	.	जिला जालन्धर के गोराया में स्थित लक्ष्मी कमर्शियल बैंक से एक लाख रुपए लूटे गए ।
23 नवम्बर, 1983	.	मुक्तसर के सुनार, श्री राम प्रकाश सिंह की गोली मार कर हत्या और उसका पुत्र घायल ।
23 नवम्बर, 1983	.	अमृतसर में श्री शरणजीत सिंह गोली चलाने से घायल ।
26 नवम्बर, 1983	.	नई दिल्ली, करोल बाग स्थित जेवरात की एक दुकान से 15 लाख रुपए के जेवरात लूटे गये।
26/27 नवम्बर, 1983	.	चुरू (राजस्थान) में गुरुद्वारे को आग लगाने का प्रयत्न । गुरुद्वारे के दरवाजे को कुछ नुकसान ।
28 नवम्बर, 1983	.	अमृतसर के नगर निगम आयुक्त, श्री के० के० धीर अपने घर जाते समय गोली चलाये जाने से घायल ।
29 नवम्बर, 1983	.	अमृतसर में पिस्तौल दिखाकर नानक चन्द, सीताराम और आर०सी० ट्रैडर्स की दुकानों से 40,000 रु० लूटे गये ।
1 दिसम्बर, 1983	.	अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता चुरू जा रही एक रेल-गाड़ी में श्रीगंगानगर से चढ़े और उन्होंने नारे लगाए । वहां हिन्दुओं की भीड़ एकत्र हो गई और उन्होंने भी जवाबी नारे लगाए । हिन्दुओं और सिखों के बीच हाथापाई हो गई और इस हाथापाई में दोनों ओर के लोग घायल हुए । अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रेल के एक डिब्बे में घुस गए और उन्होंने अन्दर से चटखनी लगा दी । पुलिस ने उनमें से 15 व्यक्तियों को गिरफतार किया और शान्ति स्थापित की ।
3 दिसम्बर, 1983	.	श्री बलराम, कृष्ण और सुभद्रा की मूर्तियां तोड़ी गईं और अमृतसर के रामतीर्थ होली कम्पलैक्स स्थित मन्दिरों में से एक मन्दिर की मूर्तियों की पोषाकें जलाई गईं ।
5 दिसम्बर, 1983	.	अमृतसर के चटटी विंड गेट के पान-बीड़ी विक्रेता की हत्या ।
7 दिसम्बर, 1983	.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में स्थित पंजाब एण्ड सिंध बैंक से 1.50 लाख रुपए लूटे गए ।
9 दिसम्बर, 1983	.	पटियाला की एक फ्लोर मिल के श्री बृजलाल गुप्ता की हत्या ।
16 दिसम्बर, 1983	.	मोगा स्थित एक पैट्रोल पम्प के मालिक, श्री सुरेन्द्र कुमार की गोली मार कर हत्या ।
18 दिसम्बर, 1983	.	जिला फिरोजपुर के गुरु हर सहाय पुलिस स्टेशन के एस०एच०ओ०, श्री बिच्छू राम की अनाज मण्डी में गोली मार कर हत्या ।
19 दिसम्बर, 1983	.	सिविल सप्लाई विभाग का एक निरीक्षक जब अमृतसर जा रहा था तो बन्दूक दिखाकर उसका स्कूटर और कुछ नकदी छीनी गई ।
20 दिसम्बर, 1983	.	जिला लुधियाना के गांव वस्सयां में डा० बलबीर सिंह निरंकारी की उनकी दुकान में गोली मार कर हत्या ।
20 दिसम्बर, 1983	.	अमृतसर में, वब्बर खालसा के श्री सुखदेव सिंह ने सन् 1981 से 35 निरंकारियों की हत्या करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली ।
25 दिसम्बर, 1983	.	जालन्धर स्थित नरिन्द्र सिनेमा के मालिक, श्री कुलदीप सिंह की गोली मार कर हत्या ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

25 दिसम्बर, 1983	. जिला लुधियाना के गांव सेनसोवाल के सरपंच, श्री शावाज सिंह की हत्या कर और उसके परिवार के 8 अन्य सदस्य घायल।
5 जनवरी, 1984	. जालन्धर जिला के नवां शहर में श्री दर्शन सिंह और उनकी पत्नी गोली चलाये जाने से घायल ।
7 जनवरी, 1984	. पटियाला, खेड़ा गोकू में स्थित सहकारिता बैंक से 46,000 रुपए की चोरी।
9 जनवरी, 1984	. अमृतसर में गुरु रामदास सराय की तीसरी मंजिल पर एक निहंग की लाश मिली।
11 जनवरी, 1984	. अमृतसर में श्री केदार नाथ की गोली मार कर हत्या।
15 जनवरी, 1984	. गांव घुम्मन (जिला गुरदासपुर) के एक निरंकारी श्री अजायब सिंह की गोली मार कर हत्या ।
18 जनवरी, 1984	. अमृतसर के चित्रा सिनेमा में विस्फोट और परिणामस्वरूप 12 व्यक्ति घायल।
24 जनवरी, 1984	. अमृतसर में सूतासिंह रोड पर स्थित न्यू बैंक आफ इंडिया से लगभग 1.27 लाख रुपए लूटे गए ।
24 जनवरी, 1984	. निगम आयुक्त और चड्ढा चावल मिल, अमृतसर के मालिक को पिस्तोल दिखाकर उनसे 10,000 रुपए और उनकी जीप छीन ली।
26 जनवरी, 1984	. जिला अमृतसर के गांव बंगला राय के निकट, पिस्तोल दिखाकर एक बस के यात्रियों और कंडक्टर को लूट लिया गया और बस को आग लगा दी गयी।
26 जनवरी, 1984	. जिला अमृतसर के गांव एला राय के निकट एक बस में आग लगा दी गई।
27 जनवरी, 1984	. जिला जालन्धर, नवां शहर के सतलुज सिनेमा के परिसर में बम विस्फोट होने के कारण तीन व्यक्ति मारे गए और 15 या 16 व्यक्ति घायल।
28 जनवरी, 1984	. अमृतसर के चट्टी विंड गेट पर स्थित सीमा सुरक्षा दल की (बी०एस०एफ०) चौकी पर एक हथ गोले से हमला। दो नागरिक घायल।
28 जनवरी, 1984	. जिला संगरूर में स्थित रेलवे स्टेशन हांडया को आग लगा दी गई और इससे रिकार्ड और भवन को नुकसान पहुंचा ।
28 जनवरी, 1984	. जिला संगरूर में स्थित रेलवे स्टेशन तापा को आग लगाई गई और इससे रिकार्ड और बिल्डिग को नुकसान पहुंचा और 452.70 रुपए भी लूटे गए।
28 जनवरी, 1984	जिला संगरूर में स्थित रेलवे स्टेशन शिखा को आग लगा दी गई। रिकार्ड जल गया।
28 जनवरी, 1984	. जिला संगरूर में रेलवे स्टेशन गुरनी की टेलीग्राफ की तारें काटी गईं ;
31 जनवरी, 1984	. मलेर कोटला में निहंगों के साथ हुई एक मुठभेड़ में श्री गुरभजन सिंह को मृत्यु। एक निहंग भी मारा गया ।
31 जनवरी, 1984	. बस स्टेण्ड बरीटा (भटिंडा) के निकट एक निरंकारी श्री जसवंत सिंह मारा गया ।
1 फरवरी, 1984	. तरन तारन के मदन मोहन मन्दिर से चांदी के एक किलो भार के "मुकुट" चुराए गए ।
3 फरवरी, 1984	. स्वर्ण मंदिर परिसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय के निकट इण्डियन एक्सप्रेस के संवाददाता, श्री संजीव गोड की जांघ में छुरा घोंपा गया।
3 फरवरी, 1984.	. अमृतसर के दूर-दर्शन केन्द्र में एक हथगोले का विस्फोट जिससे खिड़की के शीशे को क्षति पहुंची ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

5 फरवरी, 1984	.	जालन्धर में श्री केसर सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निरंकारी गोली चलाने से घायल।
6 फरवरी, 1984 .	.	जिला होशियारपुर के पुलिस स्टेशन गढ़शंकर के गांव समुंद्रण में स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया को लूटने का एक विफल प्रयत्न। दो लुटेरे, एक बैंक कर्मचारी, एक कांस्टेबल और एक हैड कांस्टेबल की मृत्यु ।
8 फरवरी, 1984	.	हरचोवाल, गुरदासपुर, के श्री केवल कृष्ण को मारने का प्रयत्न। एक हमलावर सुरक्षा गार्ड द्वारा मारा गया।
8 फरवरी, 1984	.	जिला गुरदासपुर के गांव जापोवाल में तीन व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या।
8 फरवरी, 1984	.	अमृतसर में श्री नारायण दास की बारात पर, जिसमें उनके रिश्तेदार व दोस्त थे, एक बम फैंका गया, जिससे 4 व्यक्ति घायल हुए।
8 फरवरी, 1984 .	.	अमृतसर में स्कूटर पर घर जा रहे श्री अमरजीत सिंह पर आक्रमण करके उन्हें घायल किया गया।
8 फरवरी, 1984 .	.	शिरोमणि अकाली दल द्वारा पंजाब बंद।
11 फरवरी, 1984 .	.	अमृतसर में एक व्यक्ति की जलती हुई लाश मिली । आग बुझाकर लाश हिरासत में ली गई।
12 फरवरी, 1984 .	.	लुधियाना में एक व्यक्ति को रिक्शा में मार दिया गया।
13 फरवरी, 1984 .	.	अमृतसर में श्री हीरा सिंह की गोली मार कर हत्या और एक अन्य व्यक्ति घायल।
14 फरवरी, 1984 .	.	दिल्ली सियासी जंग समाचारपत्र, बाजार हंसली, अमृतसर के श्री यशपाल विल्ला को गोली चलाकर घायल किया गया। उनके गन मैन कांस्टेबल, मोहिन्दर सिंह की गोली मार कर हत्या।
14 फरवरी, 1984 .	.	हिन्दू सुरक्षा समिति और अन्य ने पंजाब वन्द का आयोजन किया। हिंसा की घटनाएं हुईं। 11 व्यक्ति मारे गए (5 व्यक्ति पुलिस की गोली से और 6 अन्यों द्वारा)।
16 फरवरी, 1984 .	.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक दल जब जिला गुरदासपुर के हरचोवाल से अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था तो उन पर हथ-गोले से आक्रमण हुआ। एक कांस्टेबल मारा गया और एक घायल।
17 फरवरी, 1984 .	.	जिला अमृतसर के गांव भंगला के निकट पंजाब रोडवेज़ की एक बस को जलाया गया।
17 फरवरी, 1984 .	.	स्वर्ण मन्दिर से उग्रवादियों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बीच हुई गोलीबारी में 2 नागरिक मारे गए और एक अन्य घायल हुआ। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान भी घायल हो गया।
15-20 फरवरी, 1984	.	पंजाब में हुई घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में, हरियाणा में 15, 18, 19, 20 फरवरी, 1984 को क्रमशः करनाल, कैथल, पानीपत और जींद में कुछ हिंसक घटनाएं हुईं। पुलिस ने हिंसा पर काबू पाने के लिए अश्रुगैस छोड़ी, लाठी चार्ज किया, गोली चलाई और फायरिंग की। पानीपत, कैथल और जींद में हुई घटनाओं में 11 व्यक्तियों की जानें गईं।
21 फरवरी, 1984 .	.	भटिण्डा में तीन मन्दिरों को क्षति पहुंचाई गई।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

21 फरवरी, 1984	.	अमृतसर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बल के एक दल पर दो हथगोले फैंके गए।
21 फरवरी, 1984	.	जिला गुरदासपुर कलनूवान के मुख्य बाजार में हुई गोली बारी की घटना में 6 हिन्दू घटना स्थल पर ही मारे गए और अन्य 8 घायल हुए।
21 फरवरी, 1984 .	.	जिला गुरदासपुर भईनी मियां खान में हुई गोली वारी की वारदात में 2 व्यक्ति मारे गए और दो घायल हो गए।
21 फरवरी, 1984 .	.	अमृतसर के मन्दिरवाला गेट के निकट दो व्यक्तियों ने श्री सुरेन्द्रपाल और कृष्ण कुमार पर गोली चलाई।
21 फरवरी, 1984 .	.	पटियाला में श्री शिव राम के घर में एक बम विस्फोट हुआ जिससे दरवाजे खिड़की के शीशों को क्षति हुई।
21 फरवरी, 1984 .	.	श्री दलबीर बहादुर गोरखा, चौकीदार, रेलवे गोदाम, मलोट, जिला भटिण्डा, की हत्या।
22 फरवरी, 1984 .	.	जिला होशियारपुर के शाम चौरासी में श्री मोहन लाल और कुन्दनलाल की गोली मार कर हत्या की गई और सुरिन्दर कुमार गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हुआ।
22 फरवरी, 1984 .	.	श्री हरगोविन्दपुर, जिला गुरदासपुर में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या।
22 फरवरी, 1984 .	.	जिला अमृतसर के लोपोके के एक बाजार में गोली चलने की घटना में 4 व्यक्ति मारे गए और 2 घायल हुए।
22 फरवरी, 1984 .	.	अमृतसर में श्री अशोक कुमार की हत्या और श्री कृष्ण लाल घायल।
22 फरवरी, 1984	.	अमृतसर के पुलिस स्टेशन बिछुआ के बाजार में गोली चलने की घटना में 3 व्यक्तियों (अर्थात् गुलजारी लाल, मनोहर लाल और सुभाष कुमार) की हत्या और 4 अन्य व्यक्ति घायल। जिला अमृतसर के पुलिस स्टेशन भिकीविंड क्षेत्र में, खेतों से खेमकरन के एक मेडिकल प्रैक्टिशनर श्री कैलाश चन्द की लाश भी मिली जिस पर गोली के घाव थे।
22 फरवरी, 1984 .	.	जिला फरीदकोट के रेलवे स्टेशन जैतों के समीप एक निहंग द्वारा गोली चलाने से चार व्यक्ति घायल हुए।
23 फरवरी, 1984 .	.	पुलिस स्टेशन राजपुरा के ग्राम खानडोली में श्री रामेश्वर ऋषिदेव, उसके लड़के और 18 महीने के एक बच्चे की हत्या। एक महिला गम्भीर रूप से घायल।
23 फरवरी, 1984 .	.	जिला फिरोजपुर के गुरू हर सहाय की अनाज मंडी में चार व्यक्तियों की हत्या की गई और एक महिला और एक बच्चे सहित 6 अन्य गोलीबारी की घटना में घायल हुए।
23 फरवरी, 1984 .	.	बटाला में श्री बनारसी दास की गोली मार कर हत्या।
23 फरवरी, 1984 .	.	गांधी चौक बटाला के समीप एक बम विस्फोट के फलस्वरूप 10 व्यक्ति घायल हुए, उनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई।
23 फरवरी, 1984 .	.	जिला अमृतसर के ग्राम रूपावली के समीप श्री राजिन्दर लाल और श्री ज्ञान चंद पर गोली चलाकर उन्हें घायल किया गया, उनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

23 फरवरी, 1984	.	जिला अमृतसर के ग्राम खिलचियां के समीप कुछ व्यक्तियों द्वारा गोली चलाने से श्री माधव मारा गया और श्री सुरेन्द्र घायल हुआ ।
23 फरवरी, 1984	.	जिला अमृतसर के ग्राम तारसिका के दुकानदार श्री बृजलाल को घायल किया गया ।
23 फरवरी, 1984	.	जिला भटिण्डा में मंसा में सशस्त्र व्यक्ति द्वारा श्री मूल चंद से 18,500 रुपए मूल्य के जेवरात छीने गए ।
24 फरवरी, 1984	.	जिला अमृतसर के छेहरता में श्री धर्मपाल की गोली मार कर हत्या और सर्वश्री सरदारी लाल और कंवलजीत गम्भीर रूप से घायल ।
24 फरवरी, 1984	.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के दो कर्मचारी जब सब स्टेशन उदोकी, जिला अमृतसर से अपने घर वापस आ रहे थे, उनको हमला करके घायल किया गया ।
24 फरवरी, 1984	.	जिला गुरदासपुर के ग्राम मांड में श्री ओम प्रकाश, दुकानदार की गोली मार कर हत्या ।
24 फरवरी, 1984	.	जिला फिरोजपुर में श्री शमशेर मसही की हत्या ।
25 फरवरी, 1984		जिला अमृतसर के ग्राम मिलोवाल में तीन हिन्दुओं के शव खेतों में पड़े हुए पाए गए जिन पर छुरों के घाव थे ।
25 फरवरी, 1984	.	जिला अमृतसर के ग्राम सोहियां के एक मंदिर के पुजारी, श्री वेदप्रकाश के पुत्र श्री पवन कुमार की मन्दिर में हत्या ।
25 फरवरी, 1984	.	श्री यशपाल शर्मा, लाइनमैन, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की गोली मार कर हत्या और बोर्ड के चपरासी श्री विजय कुमार, मुखु, जिला फिरोजपुर गम्भीर रूप से घायल ।
25 फरवरी, 1984	.	जिला फिरोजपुर के गांव हामद के श्री ज्ञान चन्द, पुत्र श्री शोनकी राम की उसके घर में हत्या ।
25 फरवरी, 1984	.	अमृतसर में श्री राम चन्द गोली चलाये जाने से घायल ।
26 फरवरी, 1984	.	जिला अमृतसर के गांव भोड़ावाल में एक बच्चे सहित तीन व्यक्तियों को उनके घर में गोली चलाकर मार दिया गया। एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल ।
26 फरवरी, 1984	.	जिला गुरदासपुर के दीना नगर में श्री बचन सिंह की गोली मार कर हत्या ।
26 फरवरी, 1984	.	जालन्धर में श्री करनेल सिंह के घर में बम विस्फोट से दो बच्चे घायल ।
27 फरवरी, 1984	.	जिला अमृतसर में, हिन्दू सुरक्षा समिति के प्रधान श्री साधू राम के घर में बम विस्फोट के कारण एक महिला सहित दो व्यक्ति घायल ।
27 फरवरी, 1984	.	फरीदकोट में श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री चरणजी लाल की गोली मार कर हत्या ।
27 फरवरी, 1984	.	लुधियाना के पुराना बाजार के मीजीवान मन्दिर में श्री हनुमानजी की मूर्ति टूटी हुई पाई गई ।
27 फरवरी, 1984	.	दिल्ली और चण्डीगढ़ में अकाली दल ने संविधान के अनुच्छेद 25 के पृष्ठ फाड़कर जलाये ।
28 फरवरी, 1984	:	25 तोले का सोने का एक कलस और 2000 रु० की कीमत की दो घड़ियां जिला लुधियाना के जगराउं के जैन समद से चुराई गई ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

29 फरवरी, 1984 . . शिवरात्रि उत्सव के अवसर पर अमृतसर में शिवालय मन्दिर के नजदीक एक भीड़ में हथगोला फैंका गया।

1 मार्च, 1984 . . रेलवे रोड, तरन तारन स्थित ओरिन्टिल बैंक से 4.28 लाख रु० लूटे गए।

1 मार्च, 1984 . . मोगा में ए० एस० आई० जगदीश प्रसाद की गोली मार कर हत्या। हमलावर उसकी पिस्तौल ले गए।

1 मार्च, 1984 . . पट्टी के नजदीक पुलिस तथा निहंगों के बीच एक मुठभेड़ में 4 निहंग मारे गए। उनसे एक पिस्तौल, एक बन्दूक तथा एक राइफल बरामद।

2 मार्च, 1984 . . नकोदर तथा सिधवान रेलवे स्टेशनों के बीच रेल में सफर करने वाले यात्रियों को लूटा गया।

2 मार्च, 1984 . . मोगा शहर में बन्दूक दिखाकर एक कार छीनी गई।

2 मार्च, 1984 . . फरीदकोट जिले में उग्रवादियों तथा पुलिस के बीच एक मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया। एक स्टैनगन तथा दो रिवाल्वर बरामद किये गए।

3 मार्च, 1984 . . भटिन्डा जिले के मौर में श्री मदन लाल को गोली मार दी गई।

3 मार्च, 1984 . . भटिन्डा जिले के रामा के नजदीक श्री देवराज की हत्या।

5 मार्च, 1984 . . फिरोजपुर जिले के बकवाला ग्राम के नजदीक दो व्यक्तियों की लाशें बरामद।

7 मार्च, 1984 . . ग्राम चित्तावाला ड्रेन, नाभा के नजदीक गश्त करते समय ए० एस० आई० अजमेर सिंह तथा कांस्टेबल बसंत सिंह पर गोली चलाई गई और उनको घायल किया गया। बाद में श्री बसन्त सिंह की मृत्यु हो गई।

8 मार्च, 1984 . अमृतसर के काका कंडिआला ग्राम के नजदीक एक लाश पाई गई, जिस पर गोलियों के निशान थे।

8 मार्च, 1984 . . चीतनवाला, पुलिस स्टेशन धूरी, संगरूर को स्कूटर पर जाते हुए दो व्यक्तियों को रोककर गोली मार दी और जख्मी कर दिया। उनसे उनका स्कूटर छीन लिया गया।

8 मार्च, 1984 . . लुधियाना में एक बम विस्फोट में श्री राम बहादुर मारा गया और श्री अली मोहम्मद जख्मी हो गया।

9 मार्च, 1984 . . श्री वेदपाल उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, श्रीमती शांति देवी, एम० एल० ए० के साथ कार में दिल्ली से करनाल जा रहे थे। मधुबन और करनाल के बीच, मोटर साइकिल पर सवार कुछ हथियारबंद व्यक्तियों ने कार पर स्टेनगन से गोली चलाई। कार का ड्राइवर मारा गया और गनमैन गंभीर रूप से घायल हुआ। श्री वेदपाल को कोई चोट नहीं आई।

10 मार्च, 1984 . . उचा भटाला, खन्ना स्थित पैट्रोल पम्प पर श्री जरनैल सिंह को गोली मार दी गई।

11 मार्च, 1984 . . कलांवाली (हरियाणा) तथा रामामण्डी, जिला भटिंडा के बीच रेलवे लाइन पर एक विस्फोट। एक मीटर लम्बी रेलवे लाइन को क्षति पहुंची।

12 मार्च, 1984 . गुरुद्वारा रविदास, फगवाड़ा के ग्रंथी पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। वे गुरु ग्रंथ साहिब के रुमाल भी ले गए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

13 मार्च, 1984 . . पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री दरबारा सिंह की उस समय हत्या करने की कोशिश की गई जब वे सन्त मोहिंदर सिंह के दाह-संस्कार के मौके पर नंगल स्थित गुरुद्वारा भाबौर साहिब गए थे। श्री दरबारा सिंह को कोई चोट नहीं आई । इस घटना में एक दूसरे पर गोलीबारी से एक महिला तथा आक्रमणकारी मोहिंदर सिंह सहित 6 व्यक्ति घायल।]

14 मार्च, 1984 . . अमृतसर-अजनाला रोड पर कैनाल ब्रिज, कुकनवाला के नजदीक एक वायु-सेना के कार्मिक से एक वाकी-टाकी सेट छीना । अपराधियों के पास स्टेनगन तथा रिवाल्वर थे।

15 मार्च, 1984 . . अमृतसर के एक न्यायालय में लाये गए 4 उग्रवादियों के समर्थकों ने उन्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने आत्म रक्षा में गोली चलाई। जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु।

15 मार्च, 1984 . . गुरदासपुर, जिले के दोरंगला ग्राम के डेरा परमहंस के पुजारी मोहिंदर सिंह को घायल किया गया ।

15 मार्च, 1984 . किशोर सिनेमा, पानीपत की बुकिंग खिड़की के बाहर हुए विस्फोट में एक हिंदू जख्मी।

16 मार्च, 1984 . . कुछ निहंगों ने लुधियाना-फिरोजपुर लाइन पर एक ट्रेन के यात्रियों को लूटा और चलती ट्रेन में गोलियां चलाई। परिणामस्वरूप, तीन यात्रियों की मृत्यु और दो यात्री जख्मी।

17 मार्च, 1984 . . आनन्दपुर साहिब, रोपड़ में हुए अकालियों के सम्मेलन में बड़ी संख्या में सिखों को, संविधान के अनुच्छेद 25 की अनेक प्रतियों को जलाकर, 2 अप्रैल से 7 अप्रैल, 1984 तक "पंथ आजाद सप्ताह" मनाने के लिए कहा गया। बाद में यह कार्यक्रम वापिस ले लिया गया।

18 मार्च, 1984 . . आनन्दपुर साहिब में एक पुलिस कैम्प में एक बम फैंका गया, इसके परिणामस्वरूप एक पुलिस निरीक्षक और एक महिला कांस्टेबल सहित तीन कांस्टेबल घायल हुए।

19 मार्च, 1984 . . चौक प्रागदास, अमृतसर स्थित पंजाब तथा सिंध बैंक से 53,872 रु० लूटे गए।

19 मार्च, 1984 . . जिला होशियारपुर के पाल्दी स्थित पंजाब नेशनल बैंक को लूटने की कोशिश की गई। बैंक के गनमैन ने एक लुटेरे को गोली मार दी। कारतूसों सहित एक पिस्तौल तथा एक बम बरामद हुए।

21 मार्च, 1984 . . फिरोजपुर जिले के गुरुद्वारा मालनवाला के ग्रंथी, श्री अजीत सिंह की गुरुद्वारा में गोली मार कर हत्या।

23 मार्च, 1984 . . जिला अमृतसर के दयालपुर ग्राम के नजदीक पुलिस उपनिरीक्षक, श्री सुरिंदर कुमार पर गोली चलाई गई। हालांकि वे बच गए किंतु उसकी मोटर साइकिल को क्षति पहुंची।

23 मार्च, 1984 . . कपूरथला जिले के फगूंधिगा के नजदीक सरपंच, करतारसिंह की गोली मार कर हत्या ।

23 मार्च, 1984 . . मानसा तथा सदासिंहवाला रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन का एक टुकड़ा बम विस्फोट से नष्ट ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

25 मार्च, 1984	.	जिला होशियारपुर के दसुआ में डा० कमल अपनी दुकान पर गोली चलाये जाने से घायल।
26 मार्च, 1984	.	मोगा बस स्टैण्ड पर खड़ी तीन बसों को आग लगाई गई।
26 मार्च, 1984	.	जिला रोपड़ के ग्राम सिधुपुर कलां के शिवालय से शिव की मूर्ति चुराई गई।
26 मार्च, 1984	.	ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर के दुकानदार, श्री मुनीलाल चाकू मारने से घायल।
27 मार्च, 1984	.	संगरूर जिले में ग्राम दोलतपुर के पास रेल की पटरी काटी हुई पाई गई।
27 मार्च, 1984	.	संगरूर जिले के धनौला में हुए निरंकारी समागम में भाग लेकर लौटते समय श्री वेद प्रकाश, डा० जोगिंदर सिंह तथा श्री रूपलाल पर हमला। इसके परिणामस्वरूप श्री वेदप्रकाश की मृत्यु तथा अन्य दो लोग घायल।
27 मार्च, 1984	.	कैरों पुलिस चौकी के ए० एस० आई० गुरजीत सिंह जिला अमृतसर के ग्राम भल्ला के नजदीक हुए एक हमले से घायल।
28 मार्च, 1984	.	जिला फरीदकोट के बघनी कलां को स्कूटर पर जाते समय श्री चमनलाल गोली चलाये जाने से घायल।
28 मार्च, 1984	.	दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष, श्री हरबंस सिंह मनचंदा की नई दिल्ली में गोली मारकर हत्या।
29 मार्च, 1984	.	धरमकोट स्थित सी० आर० पी० एफ० के कैम्प में एक बम फेंका गया। परिणामस्वरूप, एक कांस्टेबल मारा गया और एक घायल।
29 मार्च, 1984	.	जिला अमृतसर के जलालाबाद ग्राम के नजदीक पिस्तौल दिखाकर एक टैक्सी छीनी।
29 मार्च, 1984	.	फिरोजपुर-जालंधर लाइन पर रेल की पटरी पर गिराये गये एक पेड़ का पता एक रेलवे गश्ती दल ने लगाया। इससे एक दुर्घटना रोकी गई।
31 मार्च, 1984	.	मोगा में निरंकारी, सर्वश्री सूरज प्रकाश तथा हुकम चन्द पर उस समय गोली चलाई गई, जब वे अपनी दुकान बन्द करके घर जा रहे थे। उन्होंने भी आत्म-रक्षा में गोली चलाई। किसी को भी चोटें नहीं आई।
31 मार्च, 1984	.	अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर श्री गुरप्रीत सिंह की कार चुराई गई।
31 मार्च, 1984	.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर की परीक्षा शाखा में कुछ सशस्त्र व्यक्ति आए और वहां के कर्मचारियों को बाथरूम में बन्द कर दिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम का ताला खोला और वहां आग लगा दी।
1 अप्रैल, 1984	.	श्री आर० एन० शर्मा, प्रिंसिपल, आर० एस० डी० कालेज, फिरोजपुर की गोली मार कर हत्या।
1 अप्रैल, 1984	.	राष्ट्रीय लिंक रोड स्थित ग्राम चम्बा के एक निरंकारी भवन में सत्संग के समय 2 हथगोले फैंके गए। विस्फोट से दो महिलाओं तथा एक लड़की की मृत्यु और 21 व्यक्ति घायल।
1 अप्रैल, 1984	.	श्री भारत भूषण पुत्र, श्री सरदारीलाल भाट्टी, वाल्मिकी की कादियां, जिला गुरदास पुर में गोली मार कर हत्या।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

2 अप्रैल, 1984	श्री हरबंस लाल खन्ना, भूतपूर्व विधायक तथा जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अमृतसर और उसके गनमैन की अमृतसर में उसकी दुकान पर गोली मार कर हत्या ।
2 अप्रैल, 1984	एक पुलिस निरीक्षक और उसके अंग रक्षक को उस समय राज गेस्ट हाउस में शरण लेनी पड़ी जब एक बेकाबू भीड़ द्वारा उनका पीछा किया गया । भीड़ ने एक स्कूटर, 3000/-रुपये नकद तथा कपड़ों का एक थैला तथा गेस्ट हाउस का नाम पट्ट व फर्नीचर जला डाला ।
2 अप्रैल, 1984	एस० डी० महिला कालेज मोगा का रिकार्ड जलाया गया ।
2 अप्रैल, 1984	कुछ बदमाश गुरु नानक कालेज, रोड, फरीदकोट से विश्वविद्यालय प्रश्न-पत्र तथा उत्तर पुस्तिकाएं उठा ले गए ।
2 अप्रैल, 1984	अमृतसर में स्वर्गीय श्री हरबंस लाल खन्ना की दुकान के पास एक पुलिस की जीप को आग लगाई ।
3 अप्रैल, 1984	अमृतसर के मडाला कलां के सरकारी हाई स्कूल के परीक्षा अधीक्षक श्री तिलकराज गोली चलाये जाने से घायल । आक्रमणकारी प्रश्न-पत्रों का बंडल उठा ले गए ।
3 अप्रैल, 1984	स्वर्गीय श्री हरबंस लाल खन्ना की शव यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में 8 व्यक्तियों की मृत्यु व 9 व्यक्ति घायल ।
3 अप्रैल, 1984	अमृतसर के ग्राम मियांविंड के नजदीक ईटों के भट्टे के मुंशी, श्री जवाहरलाल पर गोली चलाई गई और वे घायल ।
3 अप्रैल, 1984	डा० वी० एन० तिवारी, एम० पी०, को चण्डीगढ़ स्थित उनके निवास स्थान पर गोली मारी गई और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया । अपनी चोटों के कारण उनकी मृत्यु ।
3 अप्रैल, 1984	चण्डीगढ़ में सफाई निरीक्षक, श्री धनसिंह मारे गये ।
4 अप्रैल, 1984	श्री अनन्त राम अपनी दुकान बन्द करके लौटते समय गोली से घायल ।
4 अप्रैल, 1984	सहकारी बैंक, फिरोजपुर के प्रबंधक श्री अंग्रेज सिंह की कार छीनी गयी ।
4 अप्रैल, 1984	मैजेस्टिक चौक, मोंगा के नजदीक एक बम विस्फोट में 5 व्यक्ति घायल ।
5 अप्रैल, 1984	जालन्धर जिले के विलगा में श्री शंकर दास मारे गये ।
6 अप्रैल, 1984	पटियाला में श्री जालम सिंह पर गोली चला कर उन्हें घायल किया ।
6 अप्रैल, 1984	भटिन्डा में डी० ए० वी० कालेज का कार्यालय-कक्ष और रिकार्ड, फर्नीचर, आदि जला दिये गये ।
6 अप्रैल, 1984	जिला भटिन्डा के टी० पी० डी० मलवा कालेज, फूल के रिकार्ड-कक्ष में आग लगाई गई ।
8 अप्रैल, 1984	भटिन्डा जिले के पुलिस थाना कोटफट्टा स्थित मैसूर खन्ना मंदिर के द्वार पर एक बम विस्फोट में एक महिला सहित तीन व्यक्तियों को घायल किया गया ।
8 अप्रैल, 1984	सरकारी हाई स्कूल, मेहता नंगल के विद्यार्थियों के प्रश्न-पत्र तथा उत्तर-पुस्तिकाएं जलाई गईं ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

8 अप्रैल, 1984	.	सरकारी कालेज, रोपड़ की खिड़कियां तथा लाइब्रेरी-कक्ष जलाये गये ।
8 अप्रैल, 1984	.	भटिन्डा स्थित सन्तोषी माता मन्दिर के प्रांगण में बम विस्फोट में एक होमगाड/ स्वयंसेवक चन्दर भूषण की मृत्यु तथा भगत बहादुर चौकीदार घायल ।
8 अप्रैल, 1984	.	खालसा हाई स्कूल, मुक्तसर के परीक्षा भवन से प्रश्न-पत्रों के बंडल छीने गये ।
8 अप्रैल, 1984	.	पटियाला के भुनेरहेरी केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक से प्रश्नपत्र तथा अन्य कागजात छीने गए ।
9 अप्रैल, 1984	.	कादियां में बाबा गुरुदेव दास को गोली मार कर घायल किया गया ।
9 अप्रैल, 1984	.	जिला फिरोजपुर के डेरी आनन्दपुर चूरचाक के बाबा स्वर्ण सिंह की हत्या ।
10 अप्रैल, 1984	.	तरन तारन में सेवा निवृत्त सैनिक श्री इन्दर सिंह की हत्या ।
10 अप्रैल, 1984	.	टाण्डा में श्री दुर्गादास के मकान में एक बम फैंका गया, जिससे मकान को क्षति पहुंची ।
10 अप्रैल, 1984	.	खरार स्थित पंजाब व्यापार मण्डल तथा हिन्दू सुरक्षा समिति के नेता श्री निरंजन दास की किरयाना दुकान तथा एक चीनी डिपो को आग लगाई गई ।
10 अप्रैल, 1984	.	अमृतसर जिले के चाविन्डा देवी मन्दिर से एक हथगोला बरामद ।
10 अप्रैल, 1984	.	फिरोजपुर में श्री रमेश कुमार के मकान की छत पर बम विस्फोट ।
10 अप्रैल, 1984	.	फिरोजपुर में श्री सुरजीत सिंह को गोली मार कर घायल किया गया ।
10 अप्रैल, 1984	.	जलन्धर' जिले के राहों के पास श्री रघुबीर चन्द और श्री जोगिन्दर पाल की गोली से मार कर हत्या ।
10 अप्रैल, 1984	.	फरीदकोट जिले में पाक्की तथा काब्बरवाला रेलवे स्टेशनों के बीच गंगानगर जाने वाली ट्रेन के यात्री लूटे गये ।
11 अप्रैल, 1984	.	अमृतसर जिले के ग्राम वल्लार के नजदीक श्री दरशन कुमार की गोली मार कर हत्या ।
11 अप्रैल, 1984	.	जिला अमृतसर के साथियाला स्थित गुरु तेग बहादुर सरकारी कालेज के कार्यालय में आग लगाई गई ।
11 अप्रैल, 1984	.	जालंधर में बाबूराम तथा हंसराज के लकड़ी के खोखे जलाये गये ।
11 अप्रैल, 1984	.	भटिंडा जिले में सशस्त्र व्यक्तियों के हमले से श्री गुरुचरण सिंह घायल ।
11 अप्रैल, 1984	.	गुरदासपुर जिले में सी० पी० एम० एल० के कार्यकर्ता श्री सुखराज सिंह को उसके घर पर गोली चला कर घायल किया । बाद में उसकी मृत्यु हो गई ।
11 अप्रैल, 1984	.	फरीदकोट जिले में भतसर रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरी का कुछ भाग हटा पाया गया ।
11 अप्रैल, 1984	.	पटियाला में श्री अरुण नारंग पर गोली चला कर उन्हें जख्मी किया । बाद में उनकी मृत्यु ।
11 अप्रैल, 1984	.	हुसैनीपुरा रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में आग लगाई गई ।
12 अप्रैल, 1984	.	फिरोजपुर में श्री भोला को गोली मार कर घायल किया गया ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

12 अप्रैल, 1984 . .	अमृतसर के नजदीक कैरों तथा जनदोके रेलवे स्टेशन के बीच चलती गाड़ी में कुछ यात्रियों को लूटा।
13 अप्रैल, 1984 . .	भटिंडा में श्री निरंजन सिंह पर गोली चलाकर उन्हें घायल किया ।
14 अप्रैल, 1984 . .	अमृतसर की गुरु रामदास सराय के सामने सिंधी होटल में बठे श्री सुरिन्दर सिंह सोंधो की गोली मार कर हत्या । श्री कुलदीप सिंह गोली से जख्मी ।
14 अप्रैल, 1984 . .	खेमकरण के नजदीक एक बस में गोली चलाने से दो महिलाएं तथा 3 पुरुष घायल।
14 अप्रैल, 1984 . .	जिला फिरोजपुर में अपने स्कूटर पर रेलवे स्टेशन को जाते समय एक निरंकारी श्री गुरदियाल सिंह की गोली मार कर हत्या।
14 अप्रैल, 1984 . .	14/15 अप्रैल, 1984 की रात्रि को 38 रेलवे स्टेशनों को रेल सम्पत्ति जलाने के प्रयत्न किये गये।
15 अप्रैल, 1984 . .	15 और 16, अप्रैल 1984 की रात्रि को चुटोली रेलवे स्टेशन की रेल सम्पत्ति क्षतिग्रस्त ।
15 अप्रैल, 1984 . .	पटियाला जिले में समाना पोस्ट आफिस की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और पोस्ट आफिस को आग लगाई गई । कुछ रिकार्ड जल गया।
15 अप्रैल, 1984 . .	एक शव जलाया गया । वह अमृतसर के बाजार मोचियां में मिला।
16 अप्रैल, 1984 . .	श्री मलिक सिंह तथा बरजिंदर सिंह की स्वर्ण मंदिर में गोली मार कर हत्या।
16 अप्रैल, 1984 . .	अमृतसर में मानावाला कलां के नजदीक एक व्यक्ति का शव मिला।
16 अप्रैल, 1984 . .	पटियाला जिले के ग्राम कौली में पोस्ट आफिस को आग लगाई गई।
16 अप्रैल, 1984 . .	घड़याल रेलवे स्टेशन पर गश्ती ड्यूटी देते समय गनमैन श्री काबल सिंह तथा श्री जोगिंदर सिंह पर गोली चलाई गई । श्री जोगिंदर सिंह घायल हो गय।
17 अप्रैल, 1984 . .	अमृतसर जिले के वाला ग्राम के नजदीक एक महिला का शव मिला । शव को पहचान करने पर पता चला कि यह शव सुरिंदर सिंह सोंधी की कथित हत्यारी बलजीत कौर का था ।
17 अप्रैल, 1984 . .	हिन्दू सुरक्षा समिति चंडीगढ़ के प्रधान श्री इंदरपाल की हत्या।
17 अप्रैल, 1984 . .	फरीदकोट जिले में बारीवाली रेलवे स्टेशन के नजदीक 3 होमगार्ड जवानों की हत्या।
19 अप्रैल, 1984 . .	कासुबेगू तथा कन्नान रेलवे स्टेशनों के बीच रेल की पटरी उड़ा दी गयी।
19 अप्रैल, 1984 . .	होशियारपुर जिले के गिरदीवाला में एक निरंकारी श्री मदनलाल की दुकान को आग लगाई गई ।
19 अप्रैल, 1984 . .	डी०ए०वी० कालेज, बटाला के श्री एस० एल० बावा के कार्यालय को आग लगाई गई।
19 अप्रैल, 1984 . .	फरीदकोट जिले के पुलिस थाने बाघापुराना में रोड़े पोस्ट आफिस के रिकार्ड तथा फर्नीचर जला दिया गया।
20 अप्रैल, 1984 . .	जोगीवाला रेलवे स्टेशन को आग लगाई गई।
20 अप्रैल, 1984 . .	धर्मकोट के श्री रघुवीरसिंह पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में उसकी मृत्यु ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

21 अप्रैल, 1984	.	. बटाला की एक फ्लोर मिल के एक कमरे में सोये हुए श्री बाल मुकुन्द पर गोली चलाकर उन्हें घायल किया गया।
21 अप्रैल, 1984	.	. होशियारपुर जिले में भोगपुर के नजदीक एक बस के हिन्दू यात्रियों तथा कंडक्टर से नकदी तथा हाथ घड़ियां छीन ली गई।
22 अप्रैल 1984	.	. कपूरथला जिले के नंगलमाजा ग्राम में श्री सुखदेव पाल शर्मा, सरपंच तथा सरदारा सिंह की हत्या कर दी गई और दो अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया गया।
22 अप्रैल, 1984	.	. अमृतसर में गुरू राम दास सराय के पास एक व्यक्ति का शव मिला।
23 अप्रैल, 1984	.	. अमृतसर के लोपोक थाना क्षेत्र के प्रीतलड़ी गांव में स्केवड्रन लीडर परमजीत सिंह की हत्या ।
23 अप्रैल, 1984	.	. अमृतसर के मजीठा रोड स्थित पंजाब व सिंध बैंक से 44,583 रुपये लूटे गये।
23 अप्रैल, 1984	.	. अमृतसर जिले के ग्राम शहीद के श्री ठाकुरसिंह की हत्या ।
23 अप्रैल, 1984		. अबोहर जाने वाली एक बस के यात्रियों से उनका सामान लूट लिया । गोली चलने से तीन व्यक्ति घायल ।
23 अप्रैल, 1984	.	. गुरूद्वारा चौक, मुक्तसर में श्री भाग सिंह की दुकान पर आग लगा दी । आग से 50,000/- रुपये की अनुमानित हानि हुई।
23 अप्रैल, 1984	.	. फिरोजपर में एक निहंग ग्रुप और सी आर पी एफ यूनिट के बीच हुई मुठभेड़ में 6 व्यक्ति मारे गये और 8 व्यक्ति घायल।
24 अप्रैल, 1984	.	. फुलका, बटाला निवासी श्री जोगिन्दर सिंह पर गोली चलाकर घायल कर दिया गया।
24 अप्रैल, 1984	.	. संगरूर जिले के बबनपुर स्थान पर संत राम सिंह को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
25 अप्रैल, 1984	.	. जब जालंधर स्थित पंजाब होम गार्ड के डिवीजनल कमाण्डेंट जालंधर के पुराने बस स्टैंड के पास से अपनी सरकारी जीप में गुजर रहे थे तो एक हथ गोला फैंका गया । हथगोला जीप से दूर फटा पर कोई नुकसान नहीं हुआ।
26 अप्रैल, 1984	.	. जिला अमृतसर के गांव कुच्चा पुक्का के नजदीक भिकीविंड के कमीशन एजेंट श्री जोगिन्दर पाल को गोली मार कर घायल कर दिया गया।
26 अप्रैल, 1984	.	. अमृतसर में अपनी दुकान पर बैठे बिजली मैकेनिक श्री रमेश कुमार की गोली मार कर हत्या ।
26 अप्रैल, 1984	.	. मोगा स्थित गुरुद्वारा बीबी काहन कौर के समीप सीमा सुरक्षा बल के जवानों और उग्रवादियों के बीच हुई गोली-बारी में आठ व्यक्तियों की मृत्यु।
26 अप्रैल, 1984	.	. जिला फरीदकोट के गांव सामद भाई में श्री देव राज की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपनी दुकान पर बैठा था।
26 अप्रैल, 1984	.	. फिरोजपुर और कसुबेगु रेलवे स्टेशनों के बीच रेल की पटरी का कुछ हिस्सा उड़ा दिया गया ।
26 अप्रैल, 1984	.	. रेलवे स्टेशन तल्ली सेदा साहू के पास बम विस्फोट द्वारा पुल क्षतिग्रस्त।
26 अप्रैल, 1984	.	. खाई फामके और झोक तेहल सिंह रेलवे स्टेशनों के बीच रेल की पटरी के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

28 अप्रैल, 1984	.	. मोगा में श्री राम लुभाया की दुकान को आग लगाई गयी।
28 अप्रैल, 1984	.	. जिला कपूरथला के गांव हमीरा में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के खजांची को पिस्तोल दिखाकर 75000/- रुपये छीन लिये गये ।
28 अप्रैल, 1984	.	. तरनतारन रेलवे क्रासिंग के पास पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी से 53,533/- रुपये और एक वाहन छीन लिया गया ।
28 अप्रैल, 1984	.	. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के उन पांच कर्मचारियों पर बटाला के पास गोलियां चलाई गईं जो एक टेंपो में स्टाफ का वेतन ले जा रहे थे । फलस्वरूप, तीन व्यक्ति घायल हुए।
28 अप्रैल, 1984	.	. भटिंडा के मुलतानिया रेलवे क्रासिंग के पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की एक टुकड़ी पर एक बम फैंका गया । तीन जवान घायल हो गये । अन्य दो जवानों को भी चोटें आईं।
28 अप्रैल, 1984	.	. जिला फरीदकोट गांव डाला में श्री सतीश कुमार की गोली मार कर हत्या।
30 अप्रैल, 1984	.	. रिटायर्ड डी० एस० पी० ज्ञानी बच्चन सिंह और हैड कांस्टेबल मिलखा सिंह की अमृतसर में गोली मार कर हत्या । ज्ञानी की पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर और पुत्री कुमारी हरजीत कौर, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई।
30 अप्रैल, 1984	.	. श्री हरभजन सिंह और दर्शनलाल को तलवंडी भाई, फिरोजपुर स्थित नेशनल राइस मिल में टी० वी० देखते समय मार डाला गया । पांच अन्य घायल ।
1 मई, 1984	.	. पोलिटैक्निक इन्स्टीट्यूट, होशियारपुर के कुछ फर्नीचर और रिकार्ड को आग लगाई गई ।
1 मई, 1984	.	. हयातपुर, गुरदासपुर स्थित राजकीय माध्यमिक स्कूल के औषधालय और रिकार्ड रूम को आग लगाई गई ।
1 मई, 1984	.	. थिएन बांध पर निर्माणाधीन गुरुद्वारा में निशान साहिब के चोला का कुछ भाग जला ।
1 मई, 1984	.	. लुधियाना में श्री गुरचरन सिंह पर हमला जिससे वह घायल हो गये।
2 मई, 1984	.	. श्री रौनकसिंह की पटियाला स्थित आरा मशीन को आग लगाई गई।
2 मई, 1984	.	. एक प्रमुख निरंकारी, पिशोरा सिंह पर, मोटर साइकल द्वारा मोरिन्दा, रोपड़ जाते समय गोली चलाई गई जिससे वह घायल हो गये।
2 मई, 1984	.	. कांग्रेस (आई) के एक भूतपूर्व विधायक, श्री लखा सिंह को खंदूर साहेब, जिला अमृतसर स्थित उसके खेत में गोली मारी गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका गनमैन श्री चंचल सिंह मारा गया । कांस्टेबल सुरजीत सिंह घायल हो गया बाद में वह मर गया । गनमैन द्वारा जबाव में गोली चलाने से दो आक्रमणकारी भी मारे गए ।
2 मई, 1984	.	. गवर्नमेंट कालेज तरनतारन के खजांची से पिस्तौल दिखाकर 42,000/- रुपये छीन लिए गए ।
4 मई, 1984	.	. निरंकारी श्री जसवन्त सिंह पर तरन तारन में गोली चलाई गई । वह गंभीर रूप से घायल हो गया ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

5 मई, 1984	.	. दिगम्बर जैन मन्दिर, बाजार सोटीवाला घंटाघर, अमृतसर की मूर्तियों के 6 चान्दी के छत्र चुरा लिए गए। पुजारी की कलाई घड़ी भी चोर ले गये।
6 मई, 1984	.	. अमृतसर में श्री कुन्दनलाल के मकान पर एक बम फेंका गया।
7 मई, 1984		. चोगाटेवाला, जिला फिरोजपुर के निवासी श्री नगीन चन्द को गोली से उड़ा दिया गया।
7 मई, 1984	.	. चौक घंटाघर, अमृतसर के महन्त जोगिन्दर दास के चेले श्री नारायण दास पर गोली चलाई गई और वह घायल हो गया।
7 मई, 1984	.	. भट्टा मालिक श्री हरिचन्द पर अपने गांव तरसिका, अमृतसर वापस जाते समय उसे रोक कर हमला किया गया और उसे घायल कर दिया गया।
7 मई, 1984	.	. कोठी वसवासिंह, वलटोहा, जिला अमृतसर के श्री हंसराज की गोली मार कर हत्या कर दी।
8 मई, 1984	.	. डाकखाना मोहाली, रोपड़ को आग लगाने की कोशिश की गई।
8 मई, 1984	.	. रोपड़ के गांव सोहना स्थित डाकखाने को आग लगाई गयी।
8 मई, 1984	.	. जालन्धर में एक दुकान में एक हथगोला फेंका गया। पर वह फटा नहीं।
8 मई, 1984	.	. श्री परगत सिंह जब बंगला राय, जिला अमृतसर में अपने मकान में सो रहा था उसे गोली मार दी और वह घायल हो गया।
10 मई, 1984	.	. अकाल तख्त अमृतसर के भूतपूर्व जत्थेदार, ज्ञानी प्रतापसिंह को उसके तहली चौक अमृतसर स्थित मकान में गोली से उड़ा दिया गया।
10 मई, 1984	.	. मेडिकल कालेज, अमृतसर के पास श्री सोहन लाल की दुकान को आग लगा दी गई।
10 मई, 1984	.	. डा० सतपाल गर्ग पर फरीदकोट में गोली चलाई गई जिससे वह जख्मी हो गये।
11 मई, 1984	.	. डी० ए० वी० कालेज, जालंधर शहर के एक चौकीदार को गोली मार दी गई और वह घायल हो गया। अपराधियों ने कालेज के कार्यालय के रिकार्ड को भी आग लगा दी और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए।
11 मई, 1984	.	. आयकर कार्यालय मानसा की छत पर एक बम फेंका गया।
11 मई 1984	.	. अमृतसर में श्री ज्ञानसिंह की दुकान में आग लगा दी गई। एक आदमी को गोली मार दी और वह जख्मी हो गया।
12 मई, 1984	.	. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने स्वर्ण मंदिर परिसर से आने वाले एक "कर सेवा" ट्रक को तलाशी के लिए रोका। उसमें बैठे व्यक्तियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर गोलियां चलाई और भाग जाने की कोशिश की। अन्त में ट्रक को रोक लिया गया और उसमें बैठे लोग बचकर स्वर्ण मंदिर परिसर में घुस गए। उस ट्रक से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद वरामद किया।
12 मई, 1984	.	. हिन्द समाचार, जालन्धर के सम्पादक, श्री रमेश चन्द्र की गोली मार कर हत्या। उसके दोनों गनमैन भी घायल हो गए।
13 मई, 1984	.	. जिला लुधियाना के पखोवाल गांव के पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल पर गोलिया चलाई गई। एक कांस्टेबल घटनास्थल पर ही मर गया और एक अन्य कांस्टेबल घायल हो गया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

13 मई, 1984 . . अदालत बाजार पटियाला के कपड़ा व्यापारी, श्री पवन कुमार पर गोली चला कर घायल कर दिया।

13 मई, 1984 . . रेलवे स्टेशन जडोक जिला अमृतसर पर होमगार्ड स्वयंसेवक श्री गुरमीत सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई और रेलवे सुरक्षा बल के कास्टेबल शिव दत्त शर्मा और एक अन्य व्यक्ति, श्री देव राज को घायल कर दिया गया।

14 मई, 1984 . . जिला गुरदासपुर के गांव घुमान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैम्प पर चार हथगोले फेंके गए। बदमाशों ने स्टैनगन से गोलियां भी चलाई जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 6 जवान घायल हो गए।

14 मई, 1984 . . छत्तीविन्द नहर, अमृतसर के पास बाबा गुलाब दास की समाध के महन्त गोपाल दास की गोलीमार कर हत्या और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल जो अस्पताल में मर गया।

14. मई, 1984 . अमृतसर के सुल्तानविन्ड क्षेत्र में हवेली सोहन सिंह के पास एक व्यक्ति का शव मिला जिस पर गोलियों के घाव थे।

14 मई, 1984 . . बरेटा, जिला भटिंडा में श्री राजिन्दर कुमार पर गोली चलाकर घायल कर दिया गया।

14 मई, 1984 . . कुछ व्यक्तियों ने जैतो, जिला फरीदकोट के बाजार में गोलियां चलाई जिससे एक व्यक्ति मारा गया और छह अन्य व्यक्ति घायल हुए ।

14 मई, 1984 . . जिला अमृतसर के रेलवे स्टेशन राया पर रेलवे सुरक्षा बल के दो जवानों की गोली मार कर हत्या।

14 मई, 1984 . गुरुद्वारा तूत साहिब, अमृतसर के ग्रन्थी श्री निरन्जन सिंह की हत्या।

15 मई, 1984 . . सहायक उप निरीक्षक हरबश सिंह से एक रिवाल्वर और 6 कारतूस और दो कास्टेबलों से 25 कारतूसों समेत 2 राईफलें भी छीनी गई । ये अपराधी, गुरूद्वारा तरन तारन में घुस गए।

15 मई, 1984 . . जिला फिरोजपुर के गांव लधीवाली उत्तर की न्यू बैंक आफ इंडिया शाखा से 4737 रुपए लूटे गए और खजांची की कलाई घड़ी छीनी गई।

15 मई, 1984 . . गुरदासपुर में श्री रमेश कुमार और श्री तरलोचन सिंह को गोली चला कर जख्मी कर दिया गया। बाद में श्री रमेश कुमार की मृत्यु ।

16 मई, 1984 . . जिला गुरदासपुर, बटाला स्थित रोजगार कार्यालय को आग लगा दी गई।

16 मई, 1984 . . हैड कांस्टेबल राज सिंह को जो अपने स्कूटर पर श्री कमल कुमार के साथ अजनाला, जिला अमृतसर जा रहा था रास्ते में रोक लिया गया। उसका स्कूटर और कलाई घड़ी छीन ली गई । उसे गोली चलाकर घायल कर दिया गया।

16 मई, 1984 . . अमृतसर में श्री गंगा राम के खोखे में आग लगा दी गई।

16 मई, 1984 . . अड्डा झुरार खेड़ा, अमृतसर के नजदीक एक बस को आग लगाई गई।

16/17 मई, 1984 . जिला गुरदास पुर के गांव मजौली में ग्रन्थी श्री सूरत सिंह की हत्या।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

17 मई, 1984 . . डी० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कादियां के दरवाजों और फर्नीचर को आग लगाई गई।

17 मई 1984 . . जिला जालन्धर के गांव चौलांग के पास बस में यात्रा कर रहे 10 हिन्दुओं को हथियारों की नोक पर लूटा गया।

17 मई, 1984 . . भंडेर कलां, जिला जालन्धर के भट्टा मालिक श्री राम प्रकाश से 1,100 रुपये छीन लिए गए। पिस्तौल दिखाकर एक ट्रक भी हथिया लिया गया

17-18 मई, 1984 . . जिला अमृतसर के गांव वालटोहा में गुरुद्वारा के ग्रन्थी, श्री जरनैल सिंह की हत्या।

18 मई, 1984 . . जिला अमृतसर में थथी पुल के नजदीक पिस्तौल दिखाकर श्री विजय कुमार से एक ब्रीफ केस छीन लिया गया जिसमें 28,936 रुपये थे।

18 मई 1984 . . अमृतसर में माता वैष्णव मन्दिर के पुजारी, श्री टीकमदास को कृपाण से घायल कर दिया गया।

18 मई, 1984 . . कुछ व्यक्तियों ने जिला अमृतसर के गांव राम सिंह वाला के निवासी श्री रक्खा राम के घर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे उसकी माँ, उसकी पत्नी त्रिप्ता रानी और एक अन्य व्यक्ति श्री जगरात सिंह मजबी घायल हो गए। अपराधियों ने घर को आग लगा दी।

18 मई, 1984 . . अमृतसर में एक पेट्रोल पम्प के सेल्समैन से पिस्तौल दिखाकर 15,000 रुपये छीन लिए गये।

18 मई, 1984 . . गोलबाग, अमृतसर के नजदीक पैट्रोल पम्प के सैल्समैन से 5,100 रुपये छीने गए।

18 मई, 1984 . . जिला गुरदासपुर के गांव बेरी के पास निरंकारी, श्री किरपाल सिंह भाटिया की गोली मार कर हत्या।

19 मई, 1984 . . जिला अमृतसर के गांव सुधार में कोपरेटिव बैंक से पिस्तौल दिखाकर 21,665 रुपये लूटे गए।

19 मई, 1984 . . अमृतसर में श्री परवीन कुमार की दुकान में आग लगा दी गई।

19 मई, 1984 . . जिला अमृतसर के गाँव सबरनवान के पास एक पुलिस टुकड़ी पर दो व्यक्तियों ने गोलियां चलाई। पुलिस टुकड़ी ने जबाब में गोलियां चलाई और नौकरी से बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल, श्री इन्दर सिंह को गिरफ्तार किया तथा उससे एक पिस्तौल बरामद की।

20 मई, 1984 . . रौनी ब्रिज, पटियाला पर तैनात नहर विभाग के एक चौकीदार, श्री बलवन्त राम को गोली मार कर घायल कर दिया।

20 मई, 1984 . . भट्टा मालिक श्री धरम पाल और श्री मंगत राम को जिला लुधियाना के गांव जगरांव के नजदीक रास्ते में रोक लिया गया और गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया गया।

21 मई, 1984 . . पंजाब रोडवेज की बस में यात्रा कर रहे 4 हिन्दुओं को जिला फरीदकोट के गांव दारापुर के नजदीक गोली मार कर हत्या।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

21 मई, 1984	.	.	जिला अमृतसर में अनाज मंडी मरी मेघा में गोलीबारी की घटना में श्री दर्शन लाल और श्री राम रछपाल मारे गए और भारतीय खाद्य निगम के निरीक्षक, श्री ज्योति प्रसाद घायल हुए।
21 मई, 1984	.	.	श्री जोगिन्दर नाथ, अध्यक्ष, हिन्दु सुरक्षा समिति, मानसा, जिला भटिंडा की गोली मारकर हत्या।
21 मई, 1984	.	.	वटाला में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोली चलाने व हथ गोला फेंकने से श्री रतन चन्द, फोटो ग्राफर की उस समय मृत्यु हो गई और 13 अन्य व्यक्ति घायल।
21 मई, 1984	.	.	फिरोजपुर के गांव नुरपुर में हैड कांस्टेबल राकेश कुमार की गोली मार कर हत्या।
21 मई, 1984	.	.	जालन्धर जिले में सर्वश्री नन्द लाल और काला को गोली चलाकर घायल।
21 मई, 1984	.	.	जिला जालन्धर के गांव रायपुर अरायन के नजदीक सहायक उप निरीक्षक हरदयाल सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई। आक्रमणकारी, मृतक का रिवाल्वर ले गए।
21 मई, 1984	.	.	कमीशन एजेंट, श्री तरसेम लाल की हरियाना, जिला होशियारपुर में उसकी दुकान पर गोली मार कर हत्या। आक्रमणकारी 7,000 रुपये ले गए।
21 मई, 1984	.	.	बग्गापुराना, जिला फरीदकोट में श्री अमृतलाल गुप्ता की गोली मार कर हत्या।
22 मई, 1984	.	.	पंजाब रोडवेज की बस में यात्रा कर रहे दो हिन्दुओं की जिला फरीदकोट में बस स्टेंड, गुलाब पथरा पर गोली मारकर हत्या।
22 मई, 1984	.	.	श्री ललित कुमार की पटियाला में गोली मार कर हत्या।
22 मई, 1984	.	.	मेडिकल प्रेक्टिशनर, श्री धर्मपाल की जिला गुरदासपुर के गांव धाडियोला में गोली मार कर हत्या।
22 मई, 1984	.	.	श्री अशोक कुमार को घर लौटते समय राज थियेटर, अमृतसर के नजदीक गोली चलाकर घायल किया गया।
22 मई, 1984	.	.	अमृतसर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ट्रक पर एक हथगोला फैंका गया। हथगोला सड़क पर फटा। दो व्यक्ति घायल हुए।
22 मई, 1984	.	.	बटाला की सहकारी समितियों के सचिव से पिस्तौल दिखाकर 37,000 रुपये छीने गए।
22 मई, 1984	.	.	जिला अमृतसर में संगतपुरा पुल पर पिस्तौल दिखाकर बस यात्रियों को लूटा गया।
22 मई, 1984	.	.	नाभा के दुकानदार श्री सतीश कुमार से एक बैग छीन लिया गया जिसमें 50,000 रुपये थे।
23 मई, 1984	.	.	जिला पटियाला के गांव बलवाडा की अनाज मन्डी में हुई गोलीबारी में चार व्यक्ति मारे गए और तीन व्यक्ति घायल हुए।
23 मई, 1984	.	.	भटिंडा में लकड़ी के तीन खोखों को आग लगा दी गई।
23 मई, 1984	.	.	भिवानीपुर, जिला कपूरथला में श्री बाल किशन को घायल कर दिया गया और उसका स्कूटर और कलाई-घड़ी छीन ली गई।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

23 मई, 1984	.	. संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने घोषणा की कि 3 जून, 1984 से असहयोग कार्यक्रम शुरु किया जाएगा और भूमि राजस्व, नहर पानी के प्रभार, ऋणों और बिजली के बिलों का भुगतान न करना और पंजाब से अनाज के आवा-गमन को रोकना इस कार्यक्रम में शामिल होगा।
24 मई, 1984	.	. जिला लुधियाना के गांव तहारा के नजदीक हुई गोलीबारी की घटना में 8 व्यक्ति मारे गए।
24 मई, 1984	.	. अमृतसर स्थित सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की शाखा से 31,698/- रुपये लूटे गए।
25 मई, 1984	.	. हिन्दू सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री देव रतन तुली की फिरोजपुर में गोली मार कर हत्या कर दी गई।
25 मई, 1984	.	. कुछ लोगों ने जिला फिरोजपुर में गुनियाना और कसुबेगु रेलवे स्टेशनों के बीच चलती हुई रेल गाड़ी पर गोलियां चलाई। गाड़ी में ड्यूटी पर तैनात दो कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल के श्री रतन सिंह और सरकारी रेलवे पुलिस के श्री सतिन्दर सिंह घायल हो गए।
25 मई, 1984	.	. जिला फरीदकोट के बागापुराना स्थान पर श्री अशोक कुमार पर गोली चलाकर घायल किया गया।
25 मई, 1984	.	. श्री यशपाल सिंह, स्वर्णकार को मोगा में गोली चलाकर जख्मी कर दिया गया। उससे उसका स्कूटर, कलाई घड़ी और नोट-बुक छीन ली गई।
25 मई, 1984		. हरदो छनिया चौक, गुरदासपुर के पास सीमा सुरक्षा बल के एक ट्रक पर एक बम फैंका गया जिससे कांस्टेबल श्री कुलदीप राज की मृत्यु हो गई।
25 मई, 1984	.	. नाभा में श्री मेघ राज की दुकान पर एक बम फैंका गया। इसे दुकान से बाहर फेंक दिया गया जहां वह फट गया।
25 मई, 1984	.	. राजपुरा स्थित नवयुग सिनेमा के बाहर एक बम विस्फोट।
26 मई, 1984	.	. जिला गुरदासपुर के गांव महलेवान में अध्यापक श्री रतन चन्द की गोली मार कर हत्या।
26 मई, 1984	.	. जिला कपूरथला में सुलतानपुर लोधी के गुरूद्वारा हुत साहिब के पास श्री प्रीतम सिंह की गोली मार कर हत्या।
26 मई, 1984	.	. होशियार पुर जिले में उरमुर टांडा स्थित मंदिर के पुजारी श्री राम बल दास पर गोली चलाई गई परन्तु वह बच गये। अपराधियों ने मंदिर में आए दर्शनार्थी को चाकू से घायल कर दिया।
26 मई, 1984	.	. फिरोजपुर लुधियाना सेक्शन में रेलवे स्टेशन महेश्वरी के बुकिंग आफिस में आग लगाई गई।
27 मई, 1984	.	. अमृतसर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान को गोली मार कर घायल कर दिया गया।
27 मई, 1984	.	. कादियां में दुकानदार श्री यशपाल मोहन को गोली चलाकर घायल कर दिया गया।
27 मई, 1984	.	. जंडियाला गुरु, अमृतसर में उप निरीक्षक श्री मोहनसिंह को गोली चला कर जख्मी कर दिया गया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

27 मई, 1984 . . गुरूद्वारा दुख निवारण में से कुछ उग्रवादियों ने सरहिन्द रोड, पटियाला पर तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी पर गोलियां चलाई । सीमा सुरक्षा बल के दो जवान घायल हुए ।

27 मई, 1984 . . जिला होशियारपुर के गांव महावलीपुर के एक दुकानदार श्री बिहारी लाल को गोलीमार कर घायल कर दिया गया।

27 मई, 1984 . . पटियाला स्थित हरबंस सिनेमा के बाहर हुए एक बम विस्फोट में 13 व्यक्ति घायल हुए जिसमें एक महिला व एक बच्चा भी था ।

28 मई, 1984 . . जिला अमृतसर के बसेरकी नामक स्थान पर कमीशन एजेन्ट श्री दलजीत कुमार की उसकी दुकान में हत्या।

28 मई, 1984 . . अमृतसर में, सोते हुए श्री दीपा की छुरा घोप कर हत्या कर दी गई ।

28 मई, 1984 . . जिला जालंधर के गांव करनाना में श्रीगुरूचरण दास, वकील पर गोली चला कर घायल कर दिया गया।

28 मई, 1984 . . बागापुराना, फरीदकोट में श्री तेजा सिंह के घर से पिस्तौल दिखाकर लगभग 22,000 रुपये की नकदी और जेवर लूट लिए गए और उसकी पत्नी को घायल कर दिया गया।

28 मई, 1984 . . लेहरा मोहब्बत और लेहरा खान रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे पुल पर एक बम विस्फोट ।

29 मई, 1984 . . जिला गुरदासपुर के वडाला ग्रंथियान में श्री जरन सिंह की गोली मार कर हत्या । तीन अन्य व्यक्ति भी घायल हुए । उनमें से बाद में एक व्यक्ति मर गया ।

29 मई, 1984 . . अमृतसर में श्री चिमन लाल कोहली की उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गई जब वह अपने किराना स्टोर में बैठे थे । एक ग्राहक भी मारा गया ।

29 मई, 1984 . . भान सिह, तरन तारन में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर गोलियाँ चलाई गई । इसके परिणामस्वरूप एक नागरिक, श्री अर्जुन सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । दो अन्य व्यक्ति जख्मी हुए । सीमा सुरक्षा बल के लान्स नायक मोहन लाल और कांस्टेबल सतिन्दर सिंह भी घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई । सीमा सुरक्षा बल के ही श्री प्रेम प्रकाश घायल हुए ।

29 मई, 1984 . . जिला अमृतसर के गांव रसूलपुरा में श्री सन्तोख सिंह और श्री स्वर्ण सिंह गोलीबारी में घायल हो गए । अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे गोलाबारूद बरामद किया।

29 मई, 1984 पटियाला में स्वर्णकार, श्री बसुदेव की दुकान से पिस्तौल दिखाकर कई लाख रुपयों के जेवर लूट लिए गए।

30 मई, 1984 . आर्किटेक्ट, श्री कृष्ण लाल कुमार की पटियाला में हत्या ।

30 मई, 1984 . . लुधियाना स्थित एडवांस ट्रेनिंग संस्थान के निदेशक, श्री जे० सी० अरोड़ा को घायल कर दिया गया।

30 मई, 1984 . . जिला गुरदासपुर के गांव घसीटापुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी किये जाने से श्री चमन लाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी पत्नी श्रीमती दर्शना की मृत्यु हो गई।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

30 मई, 1984	.	तरन तारन स्थित गुरू अर्जुन देव सराय में से कुछ उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी पर स्टेनगन से गोलीबारी की ।
30 मई, 1984	.	जिला अमृतसर में गांव जोधपुर के दुकानदार श्री जोगिन्द्र पाल की हत्या । गुरुदेव सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया ।
30 मई, 1984	.	केनरा बैंक, धर्म सिंह मार्किट, अमृतसर के लेखाकार से पिस्तोल दिखाकर 13,877 रुपये की राशि और 55,886.90 रुपये का एक चैक छीन लिया गया।
30 मई, 1984	.	सुलतानविंड में डा० दलबीर सिंह के मकान से एक बन्दूक, एक रिवाल्वर, 3,000 रुपये और 12,000 रुपये के मूल्य के जेवरात लूट लिए गए ।
31 मई, 1984	.	जिला अमृतसर के गांव फतेहबाद में श्री जतिन्दर कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी गई और 3 अन्य व्यक्ति घायल हुए ।
31 मई, 1984	.	पटियाला के गांव रायपुर में दूध विक्रेता श्री छोटे खां और श्री अनवर खां पर गोलियां चलाई गई । श्री छोटे खां घायल हो गए ।
31 मई, 1984	.	जिला गुरदासपुर के गांव ठीकरीवाला में श्री सतपाल और श्री देशराज को गोली चलाकर घायल कर दिया ।
31 मई, 1984	.	जिला फाजिलका में रेलवे स्टेशन रोडावाली के पास गैंगमैन श्री मोहिन्दर प्रसाद को घायल कर दिया गया ।
31 मई, 1984	.	जिला भटिंडा में गांव भोखारा के पास श्री कृष्ण लाल गोयल को घायल करके उनका स्कूटर छीन लिया गया ।
31 मई, 1984	.	राजकीय उच्च पाठशाला, बरेट्टा, भटिंडा के हाल में आग लगा दी गई और कुछ रिकार्ड एवं फर्नीचर जल गया ।
31 मई, 1984	.	पटियाला में रुमालों और पालकी के साथ-साथ गुरू ग्रन्थ साहब "बीर" में आग लगा दी गई ।
1 जून, 1984	.	कुछ उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर में से सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी पर गोलियां चलाईं । सीमा सुरक्षा बल ने भी जवाब में गोलियां चलाईं । इसके फलस्वरूप स्वर्ण मंदिर परिसर के अन्दर 7 व्यक्ति और परिसर के बाहर 3 व्यक्ति मारे गए । परिसर के भीतर 16 व्यक्ति और उसके बाहर 9 व्यक्ति घायल हुए ।
1 जून, 1984	.	मलौत मंडी, जिला फरीदकोट के चुंगी निरीक्षक श्री ओम प्रकाश की हत्या। उसका मित्र घायल हो गया ।
1 जून, 1984	.	अमृतसर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया ।
1 जून, 1984	.	जिला अमृतसर के थथियान नामक स्थान पर श्रीमती परसीनकौर की उसके मकान में हत्या कर दी गई ।
1 जून, 1984	.	जिला फरीदकोट में मुक्तसर निवासी श्री जगजीत सिंह की कृपाण से हत्या कर दी गई । हत्यारों ने अबोहर रोड़, मुक्तसर निवासी श्री कश्मीरी लाल को भी घायल कर दिया ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

1 जून, 1984	.	धारीवाल में सन्तोषी माता के मंदिर के पास पार्क में हुई गोलीबारी की घटना में 5 व्यक्ति मारे गए और 9 व्यक्ति घायल हुए ।
1 जून, 1984	.	भटिंडा में श्री गोविन्द राम और श्री रतन लाल मिस्त्री नामक दो व्यक्ति घायल किये गए ।
1 जून, 1984	.	सर्भा नगर, लुधियाना के डाकपाल श्री देव प्रकाश पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया गया ।
1 जून, 1984	.	गांव बजुवान खुर्द, नकोदर में कोपरेटिव बैंक से पिस्तोल दिखाकर 68,000 रुपये लूट लिए गए ।
1 जून, 1984	.	भटिंडा में श्री प्रमोद कुमार अपनी दुकान में हुए बम विस्फोट द्वारा घायल हो गए ।
1 जून, 1984	.	पटियाला में श्री सुखमिन्दर सिंह गिल की दुकान में आग लगा दी गई ।
2 जून, 1984	.	जिला फरीदकोट के गांव लंगियाना खुर्द में श्री सोहन सिंह की हत्या कर दी गई और श्री देवराज को घायल कर दिया गया ।
2 जून, 1984	.	जिला फरीदकोट के गांव लेहनावाली में श्री श्यामलाल की गोली मार कर हत्या ।
2 जून, 1984	.	भटिंडा में श्री प्रकाश चन्द नागरा की गोली मारकर हत्या ।
2 जून, 1984	.	श्री वरीन्दर खुल्लर की जालन्धर में गोली मार कर हत्या ।
2 जून, 1984	.	ध्यानपुर, जिला गुरदासपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोलियां चलाई जाने से प्रकाश, बलदेव और गोपाल नामक 3 व्यक्ति मारे गए और 7 अन्य व्यक्ति घायल हुए ।
2 जून, 1984	.	होशियारपुर में भूतपूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश बग्गा और जनता पार्टी के एक कार्यकर्त्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई ।
2 जून, 1984	.	श्री हेम राज को भटिंडा में अपने मकान में भोजन करते समय गोली मारकर घायल कर दिया गया ।
2 जून, 1984	.	जिला अमृतसर के गांव मनोहाल के पास एक बस के यात्रियों, कंडक्टर और ड्राइवर को लूट दिया गया ।
2 जून, 1984	.	मंडी रोडावाली, सदर फाज़िलका में 12 या 13 दुकानों को आग लगा दी गई और गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया ।
2 जून, 1984	.	बेरका, जिला अमृतसर के पास पंजाब रोडवेज की एक बस को आग लगा दी गई ।
2 जून, 1984	.	श्री हरी चन्द का बस द्वारा मोगा जाते समय अपहरण ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

श्री जरनैल सिंह भिण्डरांवाले के वक्तव्यों से उद्धरण

(i) टेप रिकार्ड की गई स्पीचों के कैसेट से लिए गए उद्धरणों का अनुवाद

"सभी सिखों को चाहे वे शहरी क्षेत्रों के रहने वाले हों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हों, यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम गुलाम हैं और किसी भी कीमत पर आजादी चाहते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हथियार संभाल लो और लड़ाई के लिए तैयार रहो, तथा आदेशों की प्रतीक्षा करो।"

—o—

"इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर, सेना और पुलिस के सभी सिखों की दुनालियां उसी स्थान की तरफ होंगी।"

—o—

"उसमें यह बहुत ही साफ लिखा हुआ* है कि 12 बोर की बन्दूक के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप को 12 बोर गन के साथ पकड़ लिया जाता है और आपसे यह पूछा जाता है कि इसका लाइसेंस कहां है तो आप यह आसानी से कह सकते हैं कि यह आनन्दपुर साहिब संकल्प के अनुसार है।"

—o—

"मैं सिखों को इस चालाकी के प्रति सावधान रहने की चेतावनी देता हूं। बातचीत जारी रखें लेकिन साथ-साथ अपनी तैयारी भी पूरी रखें--तैयारी पूरी होनी चाहिए।"

—o—

"ये तो केवल 35 बनते हैं और 100 भी नहीं। 66 करोड़ को विभाजित करें तो प्रत्येक सिख के हिस्से में केवल 35 हिन्दू आते हैं, 36 भी नहीं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आप कमजोर हैं।"

—o—

"मैंने पहले यह निर्देश दिए थे कि प्रत्येक गांव में तीन युवकों का एक दल बनाया जाए, प्रत्येक के पास एक रिवाल्वर और एक मोटर साइकिल होनी चाहिए। कितने गांवों में ऐसा किया गया है?

—o—

"प्रत्येक सिखबालक को अपने पास 200 ग्रेनेड रखने चाहिए ....."

—o—

"सिखों के विरुद्ध अपराध करने वालों से बदला लेने के लिए मोटर साइकिल ग्रुप तैयार किए जाने की आवश्यकता है।"

—o—

"आप में से जो आतंकवादी बनना चाहते हों, वे अपने हाथ ऊपर उठाएं। आपमें से जो इस बात पर बिश्वास करते हैं कि वे गुरु के सिख हैं वे अपने हाथ ऊपर उठाएं, बाकी बकरियों की तरह अपने सिर झुका लें।"

—o—

"जहां तक मेरा संबंध है, हम चाहते हैं कि आनन्दपुर साहिब संकल्प की सभी मांगें स्वीकार की जाएं अर्थात् सिख एक अलग राष्ट्र (कौम) है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं।"

---

*आनन्दपुर साहिब संकल्प का संदर्भ

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

(ii) प्रैस में प्रकाशित वक्तव्य

"हथियार के बिना सिख नंगा है, बलि का बकरा है.....मोटर साइकिलें, बन्दूक खरीदें और देश द्रोहियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें।"

"इंटरनेशनल हैराल्ड ट्रिब्यून"
24 अप्रैल, 1984

"जिन्होंने यह महान कार्य* किए हैं वे सिखों के सर्वोच्च आसन अकाल तख्त की ओर से सम्मान के पात्र हैं--यदि उनके हत्यारे मेरे पास आएं तो मैं उन्हें सोने से तोलूंगा।"

('इंडिया टूडे' 30 अप्रैल, 1983)

—o—

"मैं उनसे** कहना चाहता हूं--कि वे एक अलग राष्ट्र के रूप में हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार रहें।"

(डेली मेल, 12 अप्रैल, 1984 को दिया गया साक्षात्कार)

—o—

"सिख एक अलग राष्ट्र हैं और इस तथ्य को मान्यता दी जाए। सिखों को भारत संघ में विशेष दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पंजाब राज्य को वह दर्जा दिया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू और कश्मीर को दिया गया है।"

("वीक" 27 मार्च—2 अप्रैल, 1984 को दिया गया साक्षात्कार)

—o—

"साफ-साफ बात यह है कि मैं यह नहीं समझता कि सिख भारत में या भारत के साथ रह सकते हैं।"

("संडे आब्जरवर" 3 जून, 1984 को दिया गया साक्षात्कार जो 10 जून, 1984 को समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ)

—•—

*बाबा गुरबचन सिंह और लाला जगत नारायण की हत्या का संदर्भ
**इस समय ब्रिटेन में रह रहे सिखों का संदर्भ

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अनुलग्नक—IX

29 अप्रैल 1982 को संसद द्वारा पारित एक संकल्प का पाठ

"संकल्प किया गया कि यह सदन पंजाब में हाल ही में पैदा हुई स्थिति पर अपना गहरा दुःख और चिंता प्रकट करता है और राज्य की देशभक्त एवं शांतिप्रिय जनता में दुर्भावना, अव्यवस्था तथा गलतफहमी पैदा करने के उद्देश्य से अमृतसर में कुछ बदमाशों और मतांधवादी तत्वों द्वारा की गई पूर्वनियोजित अपवित्र कार्रवाईयों की कड़ी निंदा करता है। सदन भारतीय नागरिकों के सभी वर्गों के बीच धर्मनिर्पेक्षता, सहिष्णुता और मित्रता की राष्ट्रीय नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करता है और विश्वास करता है कि पंजाब की जनता कुछ पथभ्रष्ट एवं राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों के शरारती और ग़ैर-जिम्मेदाराना कार्यों से अपने आपको विचलित नहीं होने देगी। सदन इस बात को दोहराता है कि कानून अपराधियों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए अपनी कार्यवाही शुरू करेगा और विश्वास करता है कि पंजाब में सभी समुदाय और लोकमत का प्रत्येक वर्ग परम्परागत साम्प्रदायिक सद्भावना मित्रभाव और शांति बनाये रखने के प्रयास करते रहेंगे, तथा राज्य एवं अपने देश की और अधिक भलाई के लिए साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अनुलग्नक-10

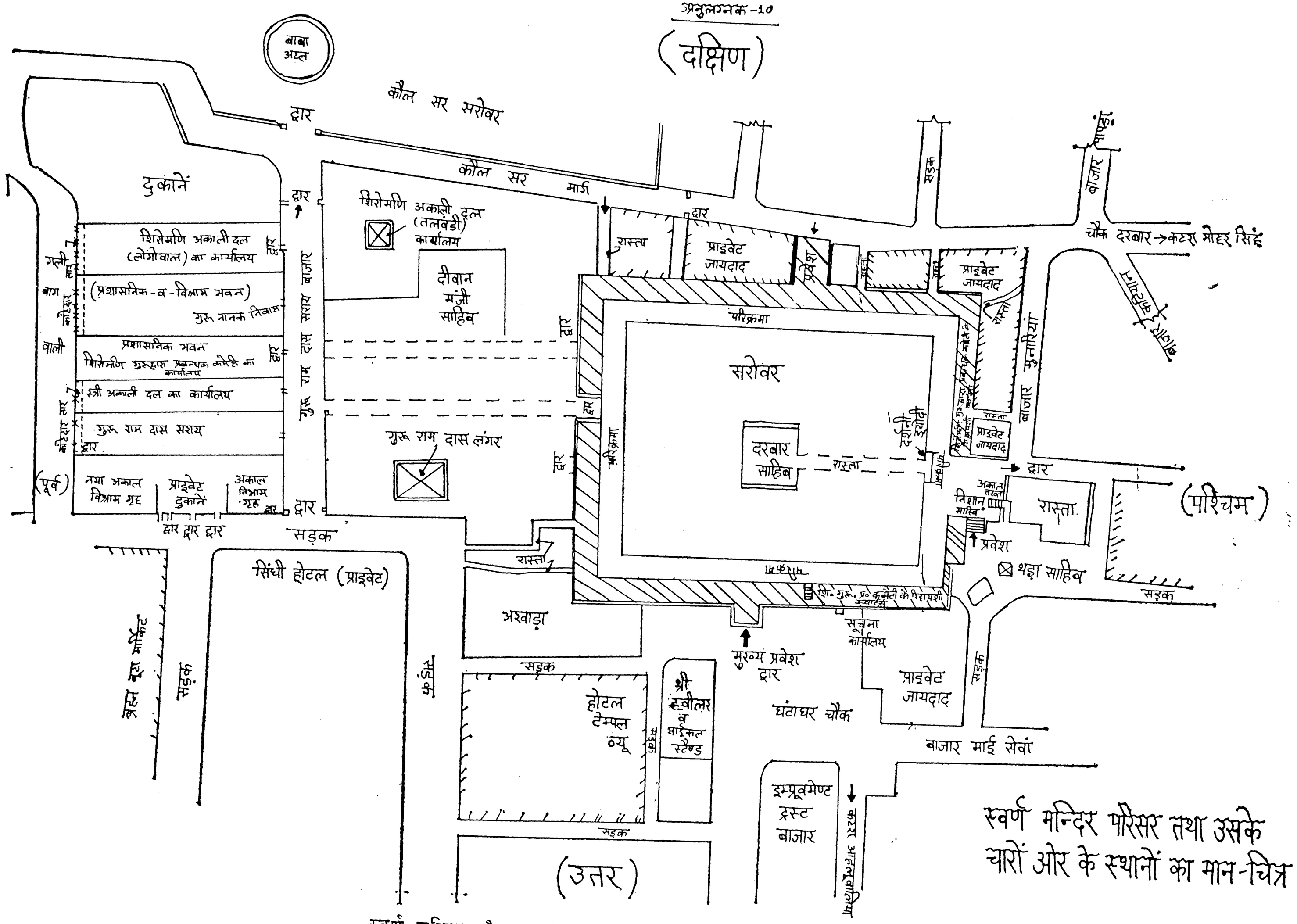

स्वर्ण मन्दिर परिसर तथा उसके चारों ओर के स्थानों का मान-चित्र

स्वर्ण मन्दिर और उसके साथ लगे भवनों का नक्शा

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अनुलग्नक-XI

30 जून, 1984 तक हताहत नागरिकों और सैनिकों तथा बरामद हुए हथियारों तथा गोला-बारूद का विवरण

	स्वर्णमंदिर क्षेत्र में	अन्य धार्मिक स्थानों पर	अन्य क्षेत्रों में कर्फ्यू उल्लघंन/घेरा डालने और तलाशी की कार्रवाई में	कुल
1	2	3	4	5
1. हताहत नागरिक/आतंकवादी				
(क) मारे गए	493	23	38	554
(ख) घायल	86	14	21	121
2. हताहत सैनिक				
(क) मारे गए				
(i) अधिकारी	4	—	—	4 अधिकारी
(ii) जे० सी० ओ० . . .	4	—	—	4 जे० सी० ओ०
(iii) अन्य रैंक	75	1	8	84 अन्य रैंक
(ख) घायल				
(i) अधिकारी	12	3	—	15 अधिकारी
(ii) जे० सी० ओ० . . .	17	2	—	19 जे०सी०ओ०
(iii) अन्य रैंक	220	19	14	253 अन्य रैंक
3. गिरफ्तार किए गए नागरिक/आतंकवादी	1592	796	2324	4712
4. बरामद हुई वस्तुएं				
(क) लाइट मशीन गनें . . .	41	—	—	41

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

1	2	3	4	5
(ख) स्टैन गनें	57	7	32	96
(ग) पायन्ट 303 राइफलें . . .	377	5	50	432
(घ) 7.62 एम एम सेल्फ लोडिंग राइफलें .	83	—	15	98
(ङ) 12 बोर गनें	88	51	204	343
(च) 7.62 एम एम चीनी राइफलें . .	52	—	—	52
(छ) अन्य प्रकार की राइफलें . .	71	21	36	128
(ज) सभी प्रकार के रिवाल्वर . .	49	15	25	89
(झ) सभी प्रकार की पिस्तौल . .	33	10	65	108
(ञ) 12 बोर की देशी पिस्तौल . .	61	17	11	89
(ट) आर० पी० जी० (एंटी टैंक हथियार) .	2	—	—	2
(ठ) देशी 2 इंच के मोरटार . .	—	—	3	3
(ड) माइन	128	—	—	128
(ढ) गोलाबारूद/विस्फोटक . . .	बहुत बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं।			
(ण) एच० एफ० ट्रांसमीटर रिसीवर . .	1			
(त) सोना	5.4 किलो			
(थ) चांदी	1.14 किलो			
(द) अमूल्य रत्न	1.442 किलो			
(ध) नकदी	30 लाख से ऊपर	—	1,53,559 रु०	31,53,559 रुपए से ऊपर
(न) ग्रेनेड मैनुफैक्चुरिंग प्लांट . . .	1			
(प) स्टैन पार्टस मैनुफैक्चरिंग शाप . .	1			
(फ) पाक मुद्रा	—	—	1,29,966 रु०	1,29,966 रु०
(ब) नकाब	—	5	—	5

प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड, नई दिल्ली—अनु. I (रात्रि) —2 एच.ए./84—6-7-34—13,000

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित
1984

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

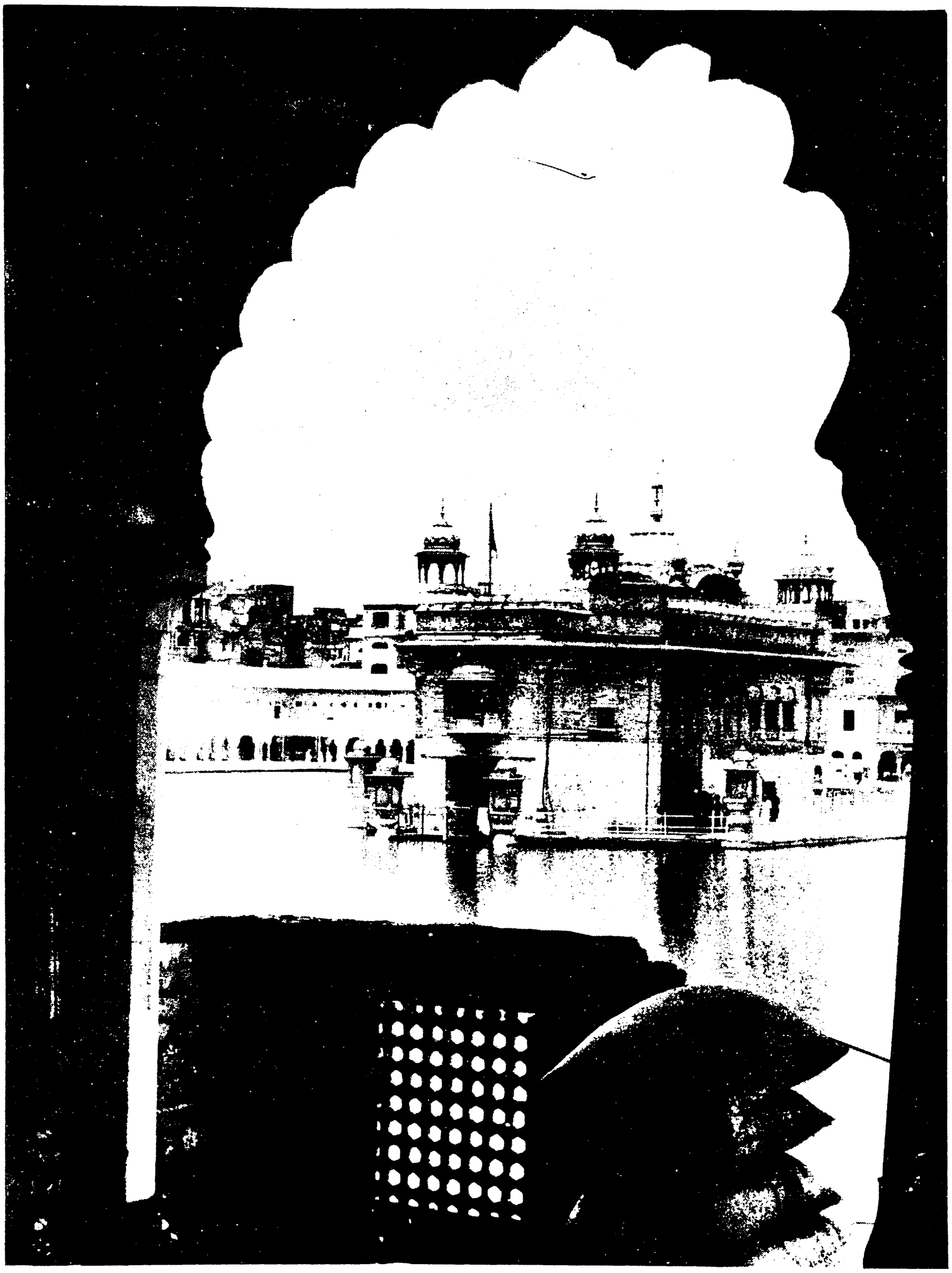

लंगर भवन (यह दुख निवारण बेरी के पीछे है) की छत पर की गई किलाबंदी
जिसका प्रभाव स्वर्ण मन्दिर क्षेत्र तक था।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

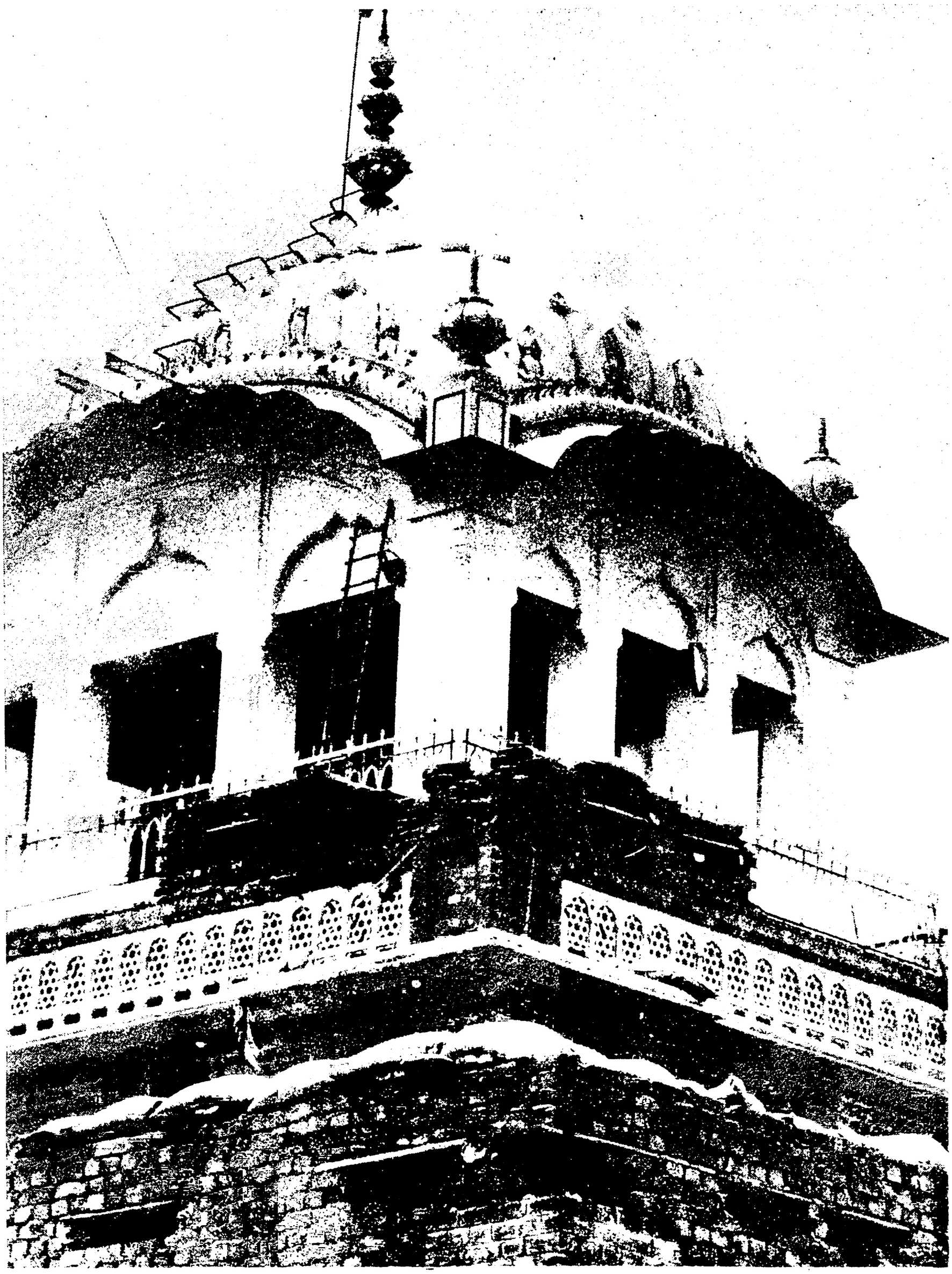

लंगर भवन के ऊपर की किलाबंदी पर देखने और गोली मारने का सुराख जिसका प्रभाव परिक्रमा तथा श्री हरमंदिर साहिब तक था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

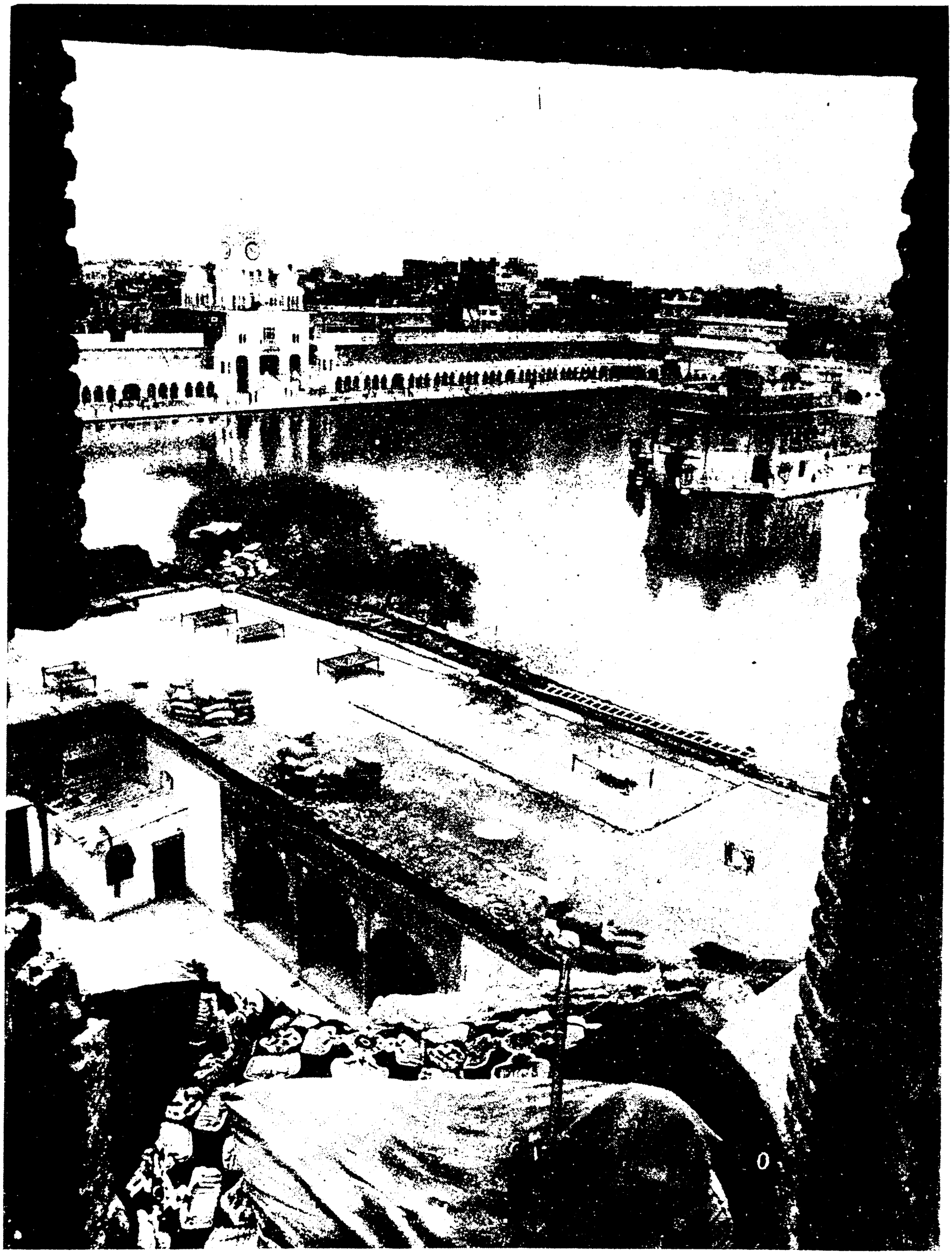

मीनार (बुंगा) पर देखने व गोली मारने का सुराख इसका प्रभाव
हरमंदिर साहिब तथा परिक्रमा तक था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

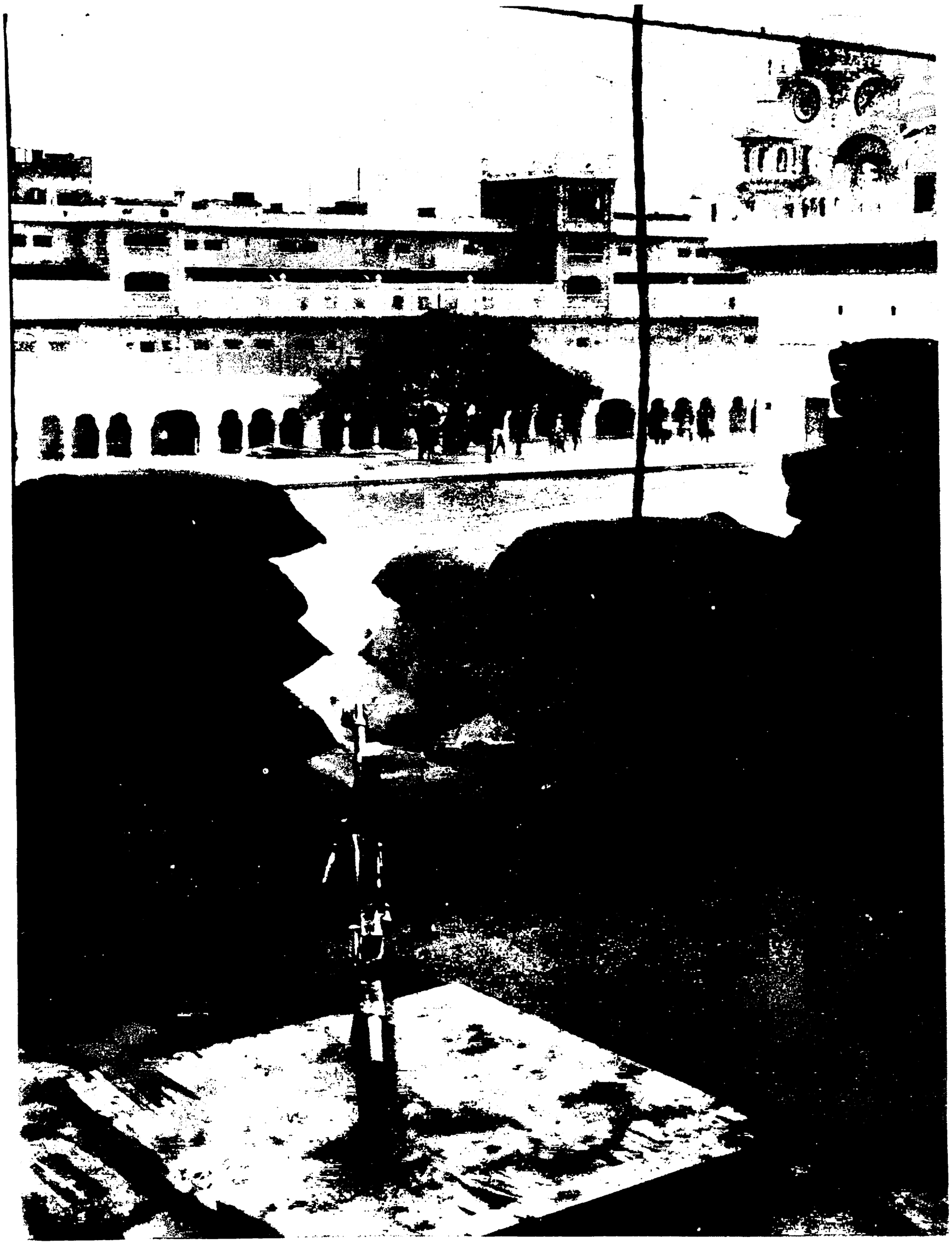

अकाल तख्त के दाहिने भाग पर लाईट मशीनगन से गोलीबारी का एक ठिकाना
जिसका प्रभाव बाबा कुदाबेर साहिब और स्वर्ण मंदिर क्षेत्र तक था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

मीनार के नीचे किलाबंदी जिसका प्रभाव रेस्ट हाउस तथा नए लंगर भवन के बीच के भाग तक था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

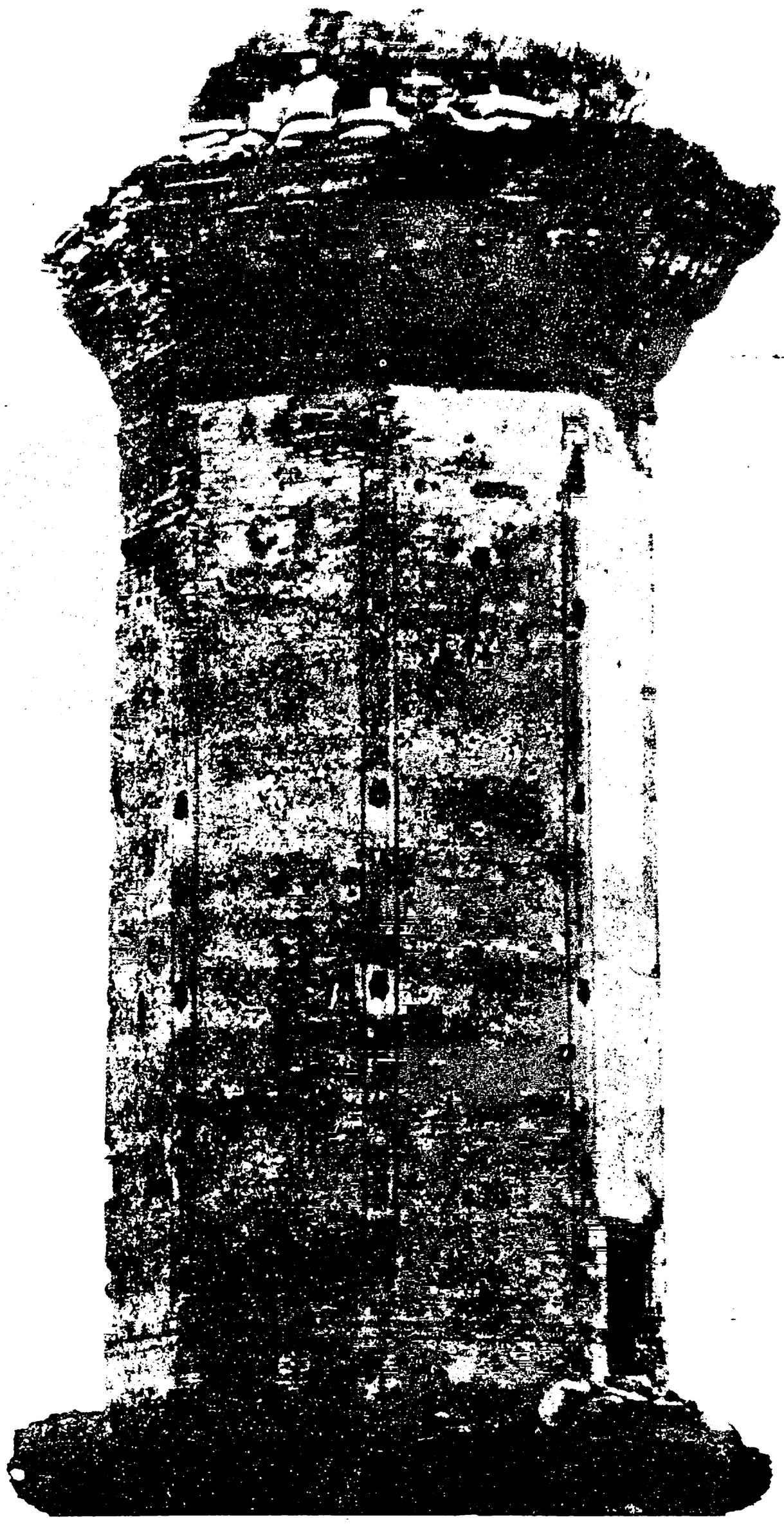

बुंगा मीनार जैसा एक टावर जिसको पूरी तरह किलेबंदी की गई थी,
जहां से भारी गोलाबारी की गई ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

स्वर्ण मंदिर के सामने के घड़ी लगे प्रवेश द्वार पर ईंटों से बहुत मजबूत किलेबंदी की गई थी और खिड़कियों तथा "जाली" को तोड़ कर सुराख किए गए थे । मंदिर जाने के सभी रास्तों पर इन सुराखों से गोली चलाई जा सकती थी ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

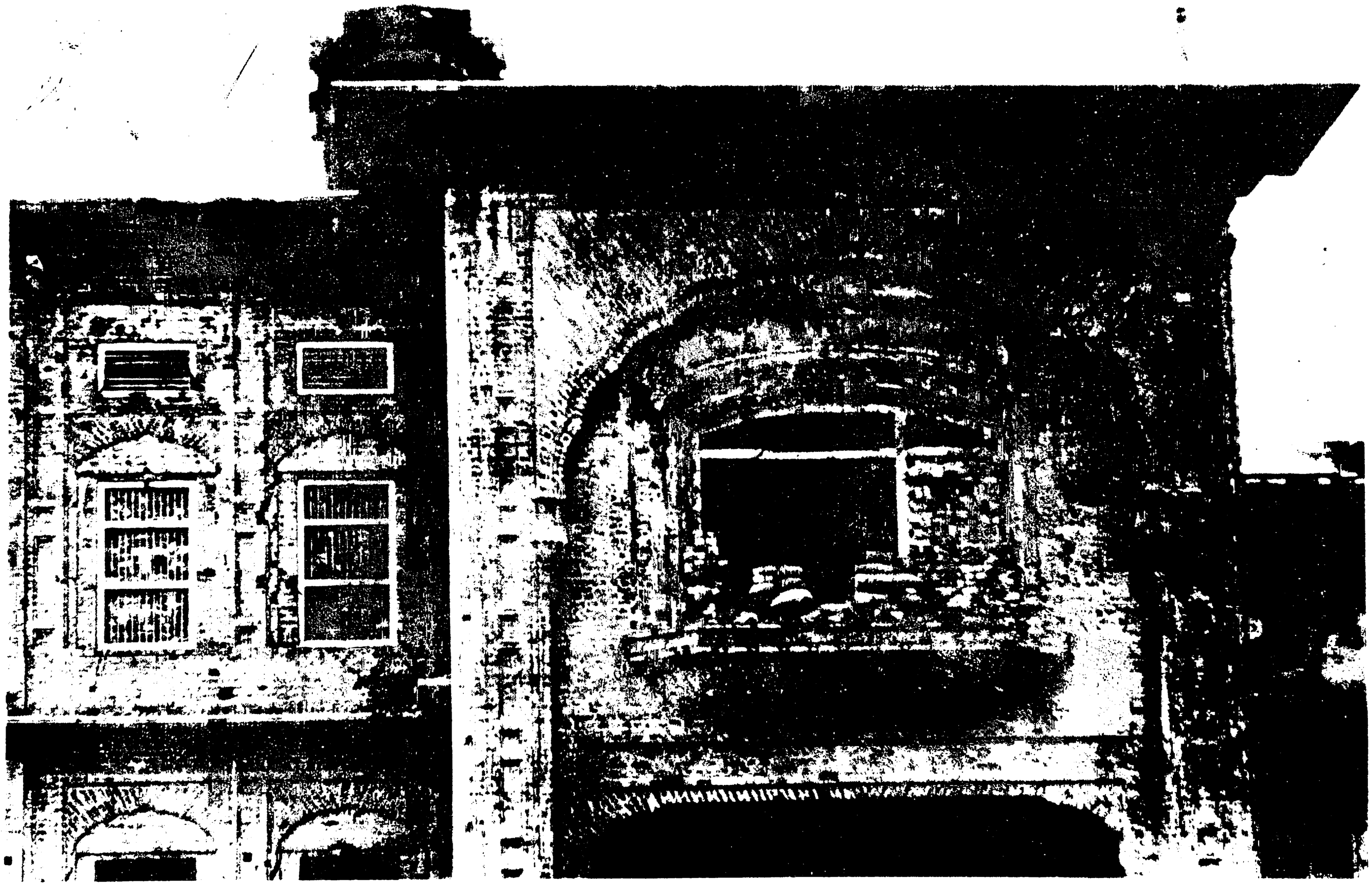

अकाल तख्त के दाहिने भाग के भवन में रेत की बोरियों तथा ईंटों की किलाबन्दी जिससे हरमन्दिर साहिब तक का 40 गज का तंग भाग प्राणघातक स्थान बन गया था । अधिकतम संख्या में जवान यहीं शहीद हुए ।

Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org

अकाल तख्त की संगमरमर की दीवारों को काट कर बनाया गया ईंट पत्थर का एक मशीनगन से गोलीबारी का ठिकाना--और विनाश के मौन दर्शक अकाल तख्त के स्तंभ ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अकाल तख्त की संगमरमर की दीवारों को काट कर भूमि पर ईंट पत्थर का छोटा किला जिसमें मशीनगनें लगा रखी थीं, वहीं से जवान बड़ी संख्या में हताहत हुए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अकाल तख्त के तहखाने के ऊपर एक रोशनदान जहां से हथियारों का प्राणलेवा उपयोग किया गया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

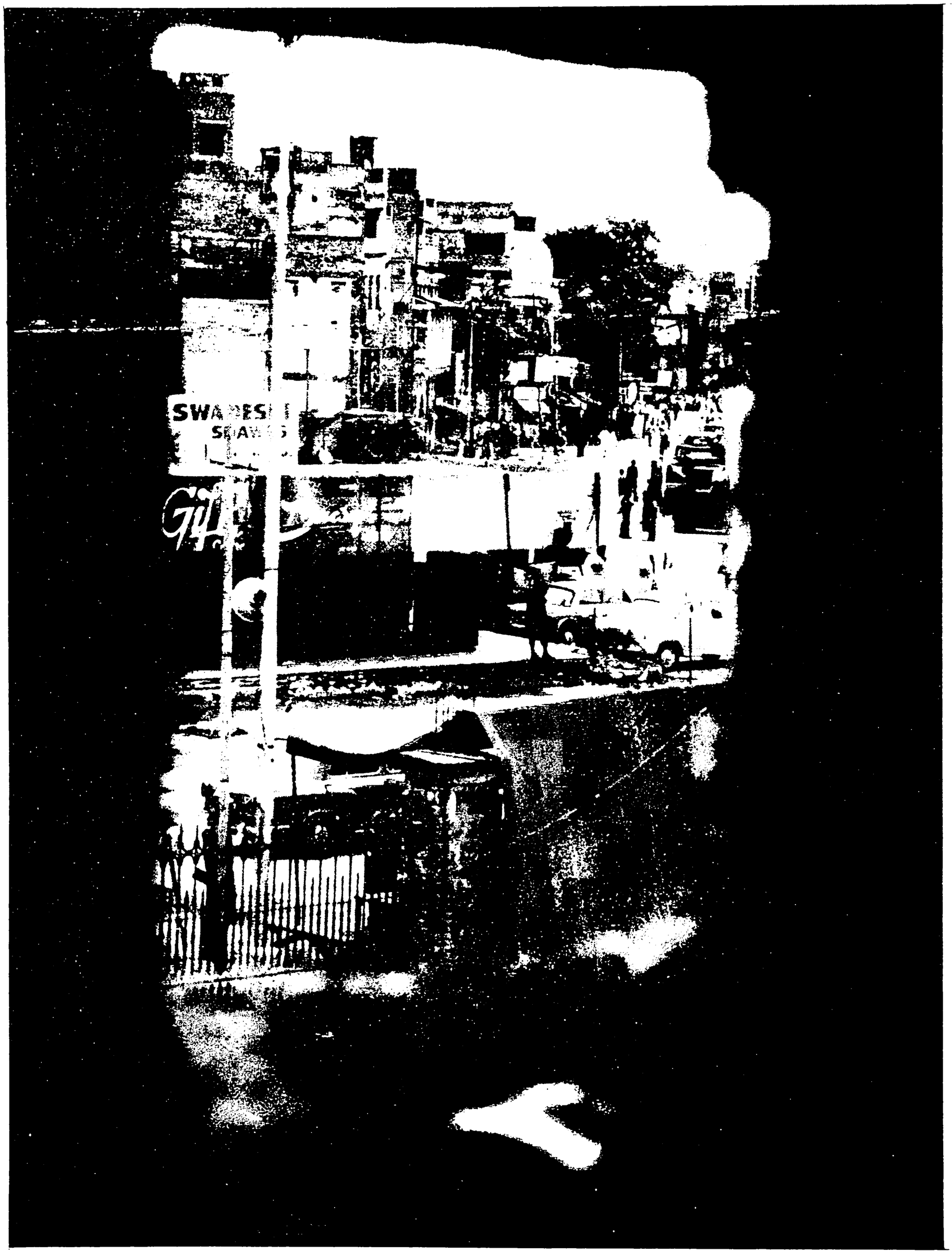

क्लाक टावर के प्रवेश के प्रथम तल पर एक गोली मारने तथा देखने का सुराख, प्रवेश के मार्ग को यह सुरक्षा दिए हुए था।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

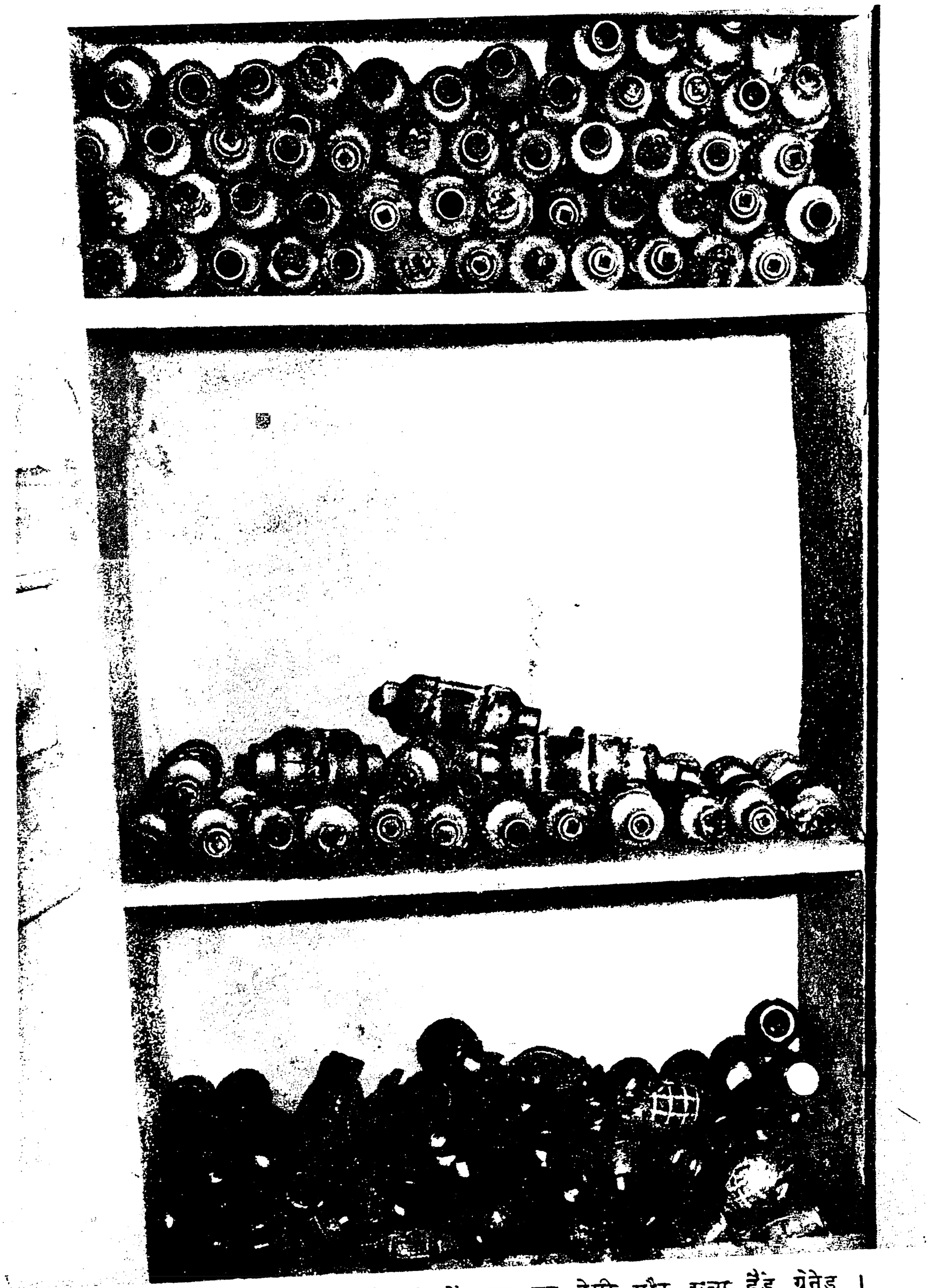

स्वर्ण मंदिर ग्रेनेड बनाने की फैक्टरी में पाए गए देसी और अन्य हैंड ग्रेनेड ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

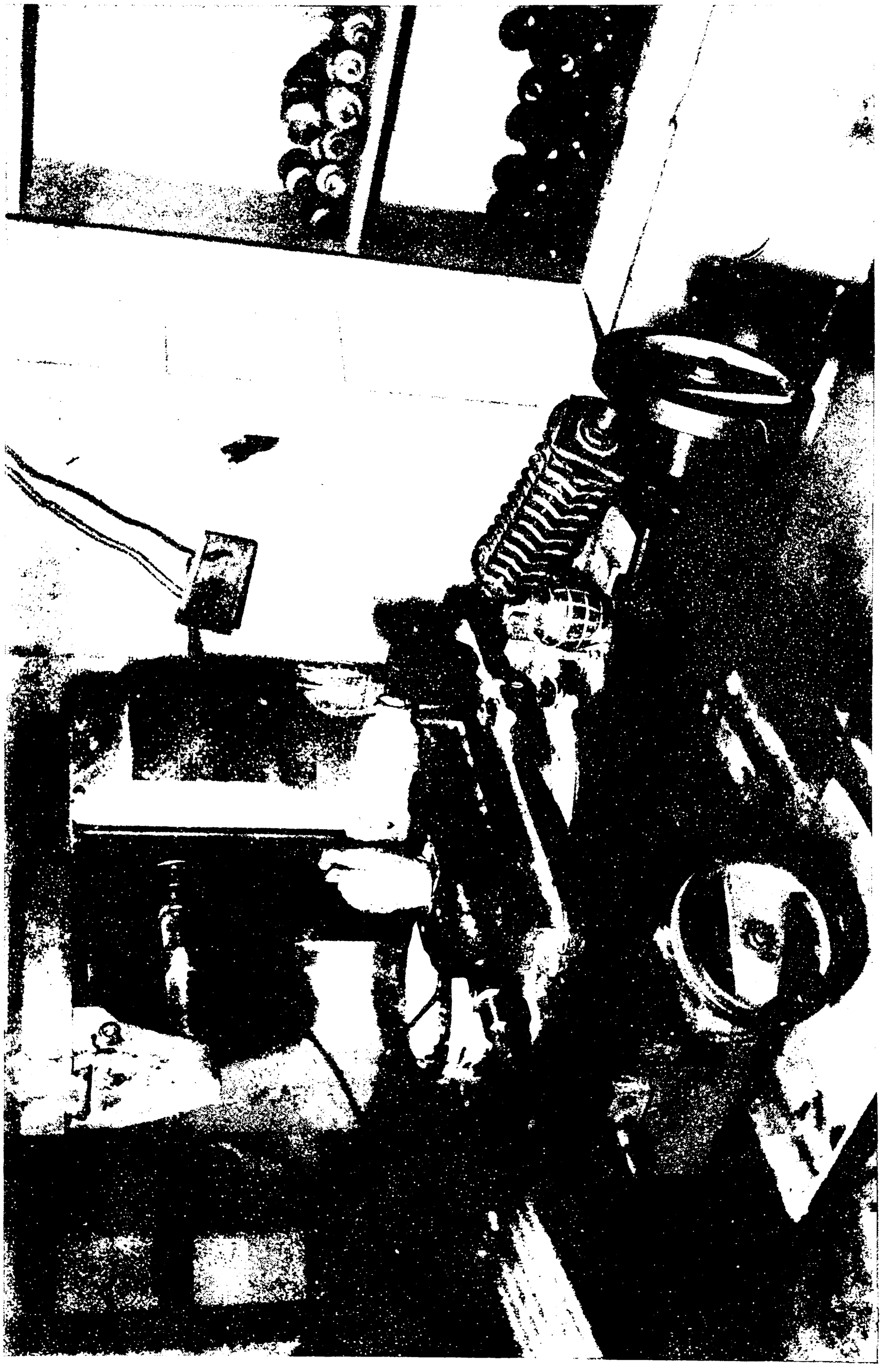

स्वर्ण मंदिर परिसर के दरवाजों में छिपाई हुई ग्रेनेड बनाने की फैक्टरी ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

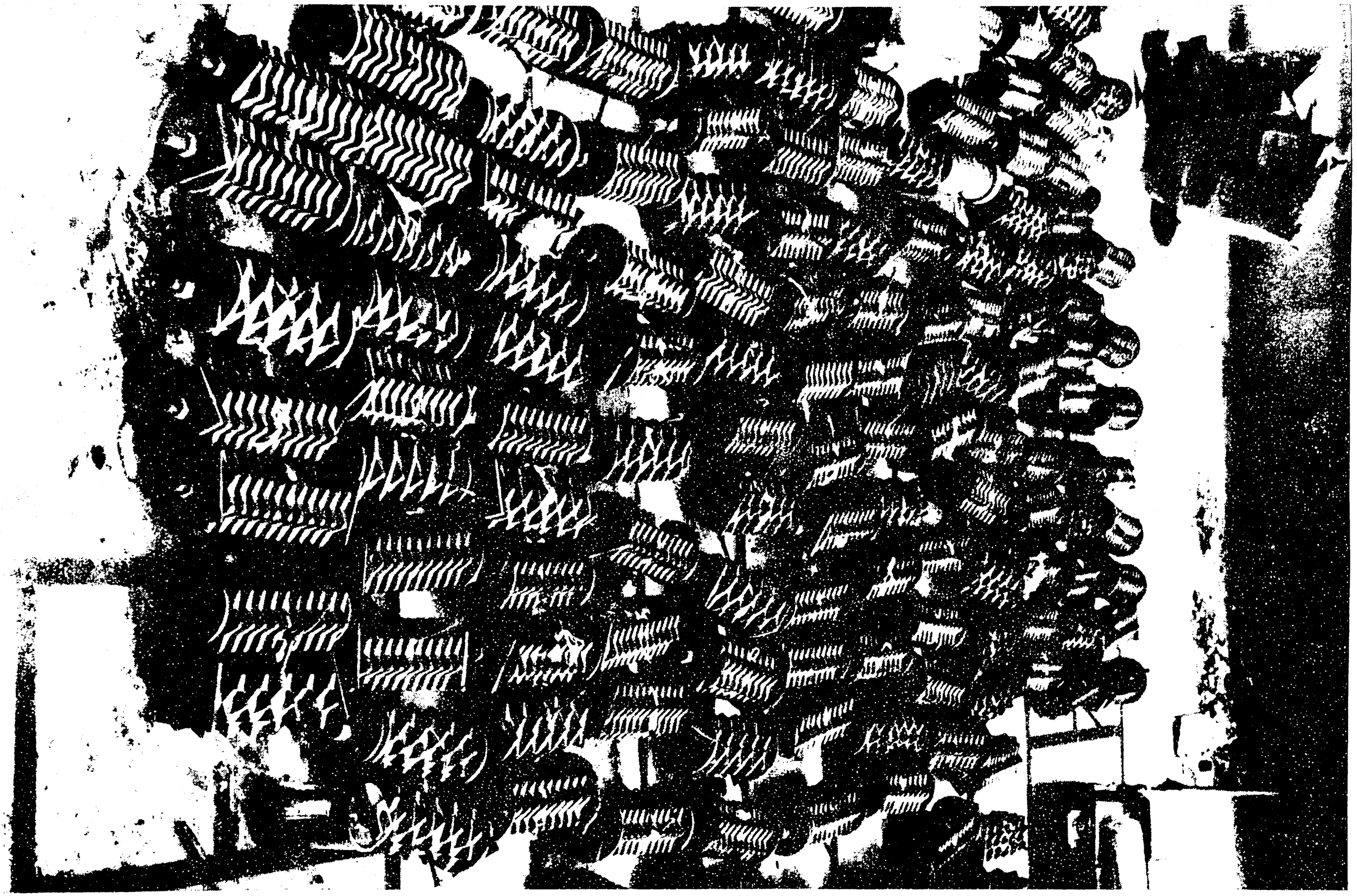

स्वर्ण मंदिर परिसर से बरामद "बटाला बम" के नाम से जानी जाने वाली देसी घातक ग्रेनेड ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

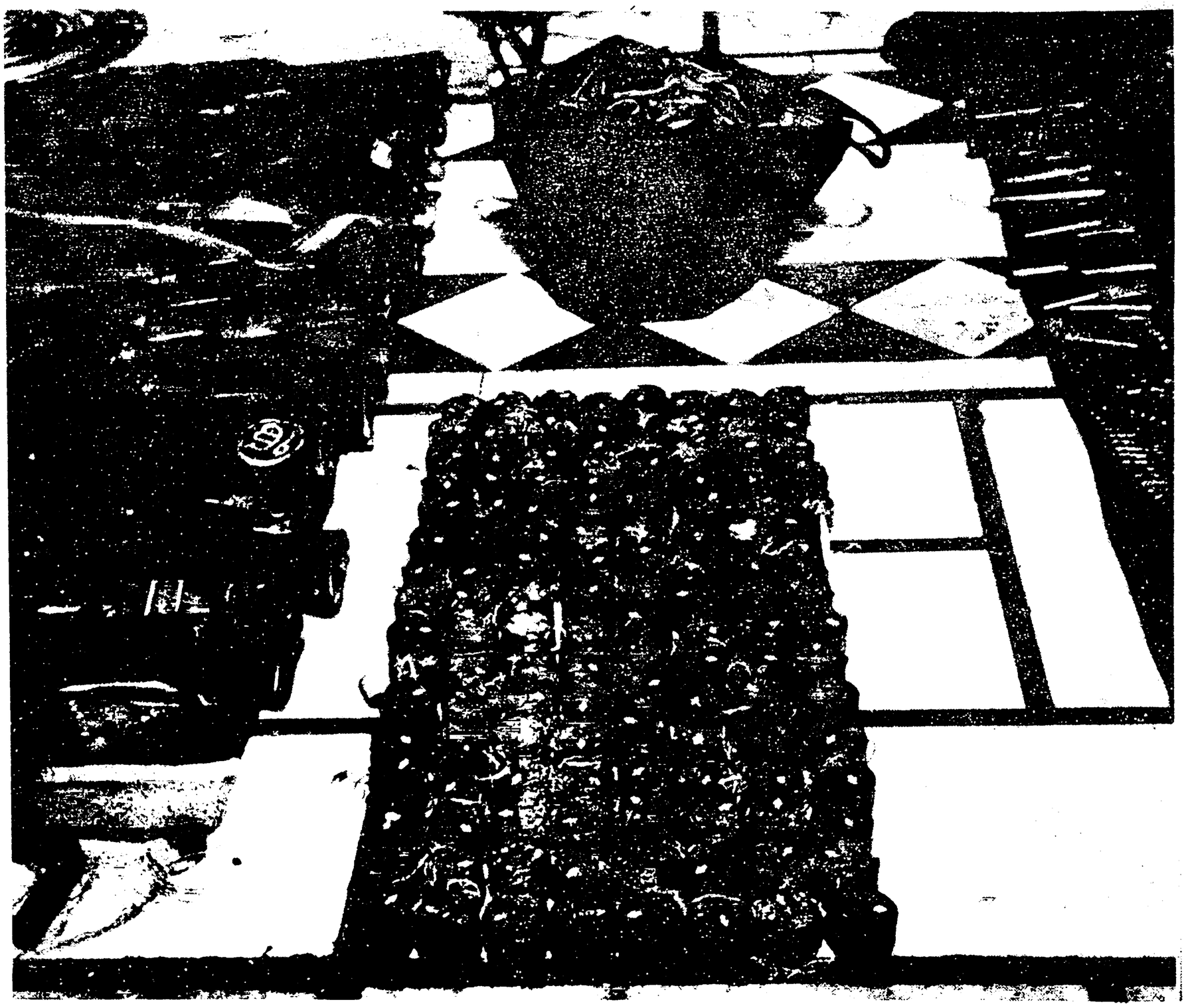

स्वर्ण मंदिर परिसर से प्राप्त और स्वर्ण मंदिर की प्रक्रिया में पड़ी पाई गई
एंटी-परसोनल माइन्ज, पिस्तौलें, स्टेन मशीन, कारबाइन और
विविध मेक की राइफलें ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

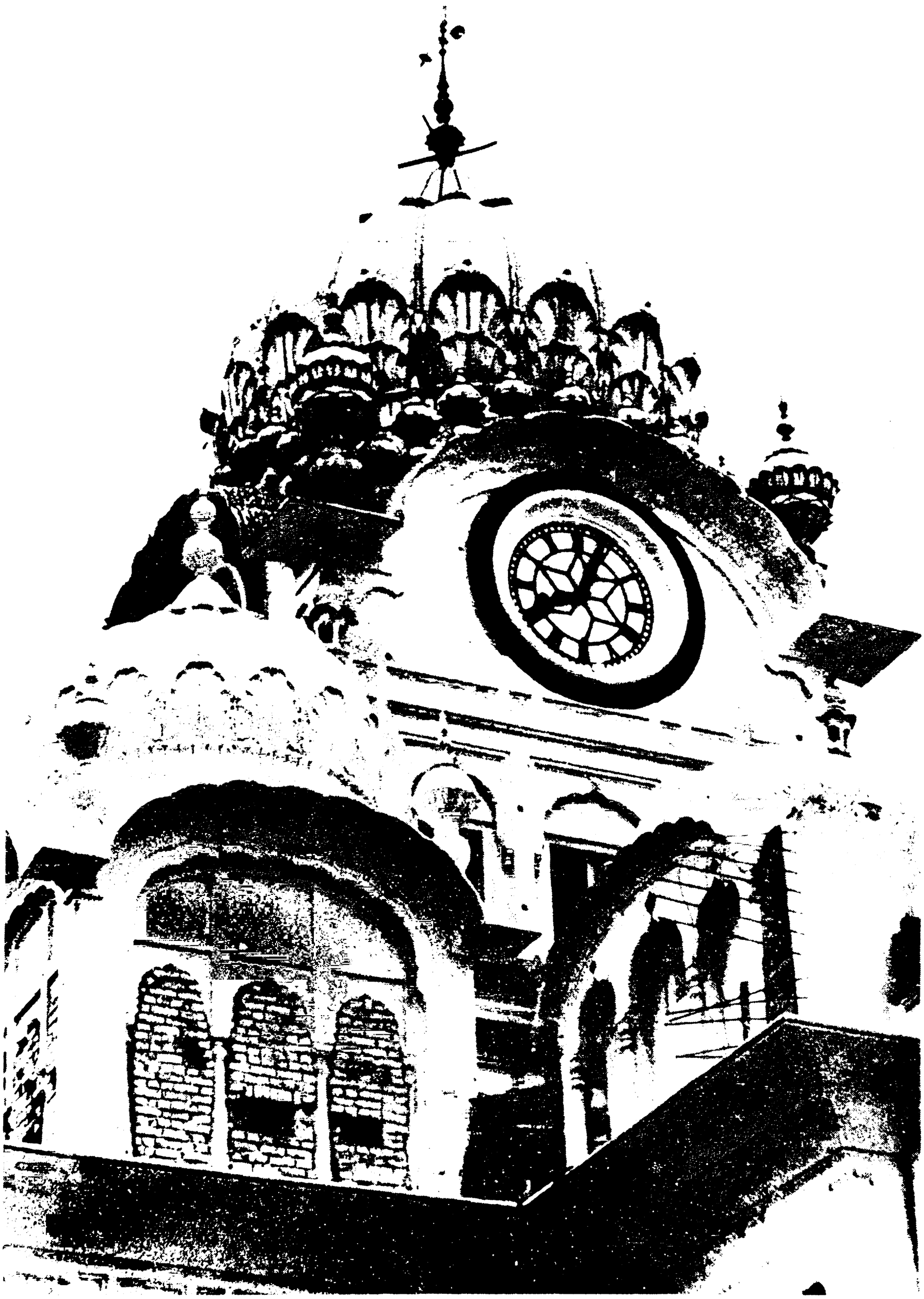

तोड़ कर बनाए गए सुराखों और जलियांवाला बाग के मुख्य प्रवेश द्वार के गुम्बद के नीचे ईटों की किलेबंदी में किए गए सुराखों से मशीनगनों और स्वःचालित राइफलों से गोलाबारी की गई थी ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

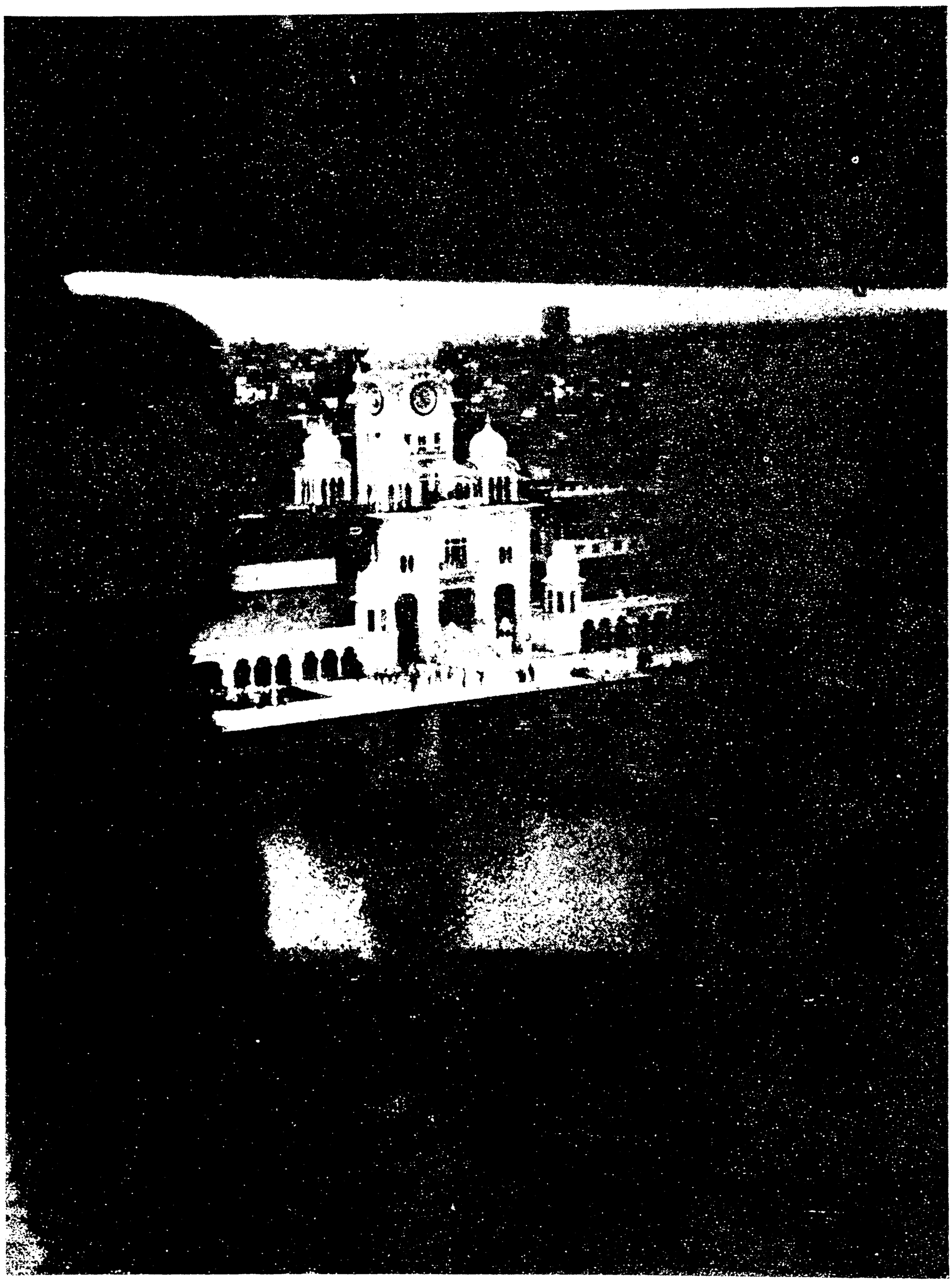

श्री हरमंदिर साहिब के प्रवेश द्वार को कवर करने
वाले खम्बों में की गई किलेबंदी ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

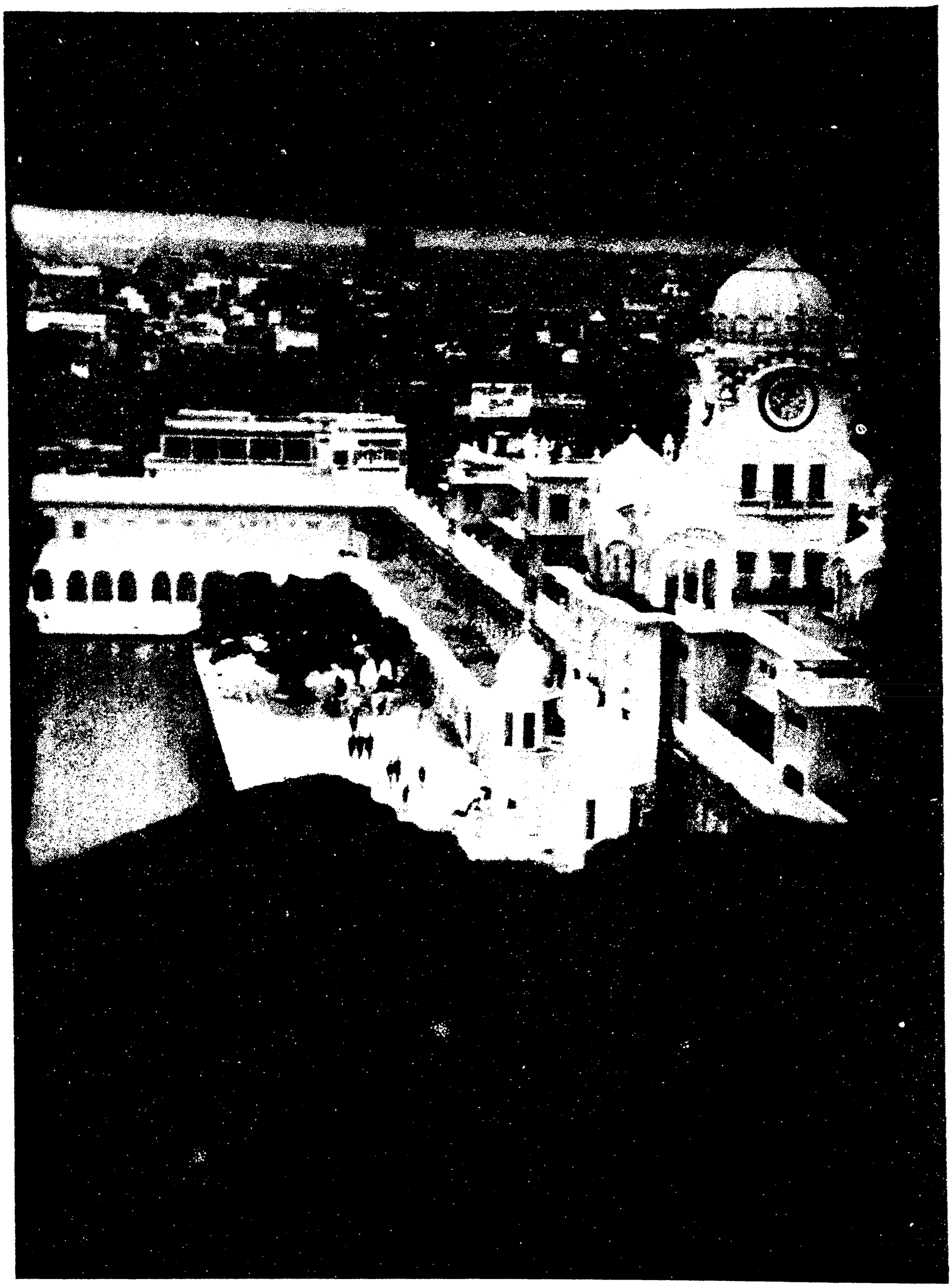

"बाबा बूढ़ा बेर साहिब" और अकाल तख्त को जाने वाली परिक्रमा के मुख्य प्रवेश द्वार को कवर करने वाले खम्बे के निकट बनाया गया बच निकलने का रास्ता ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पृष्ठ भूमि में सफेद रंग में जलियांवाला बाग के साथ निजी मकानों की छतों पर रेत की कई बोरियां और ईंटें लगा कर की गई किलेबंदी जिससे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने के सभी रास्ते कवर किए गए ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

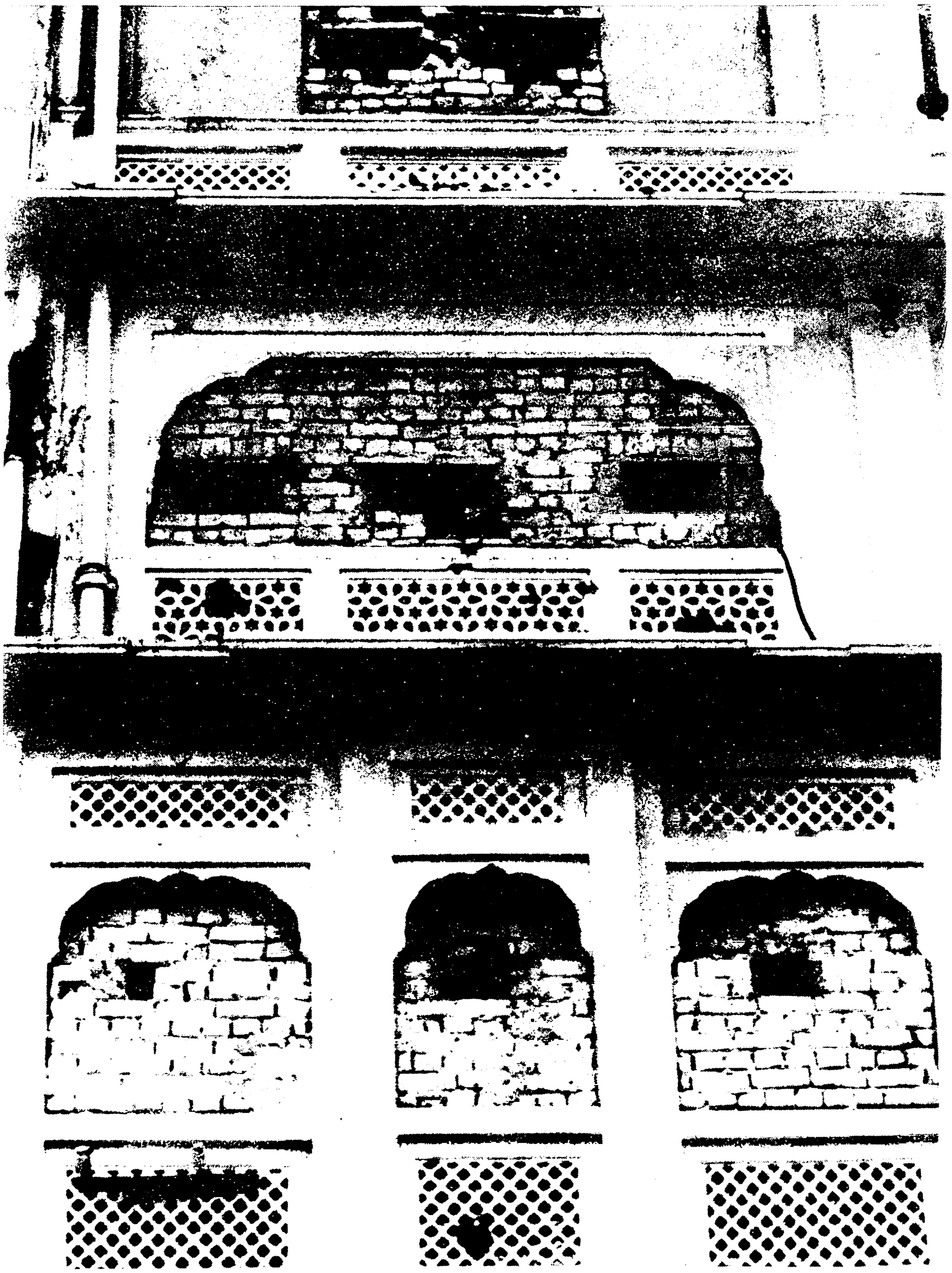

मंदिर के मुख्य घड़ी वाले प्रवेश द्वार पर की गई तिहरी किलेबंदी ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

स्वर्ण मंदिर के मुख्य द्वार पर की गई किलेबंदी ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

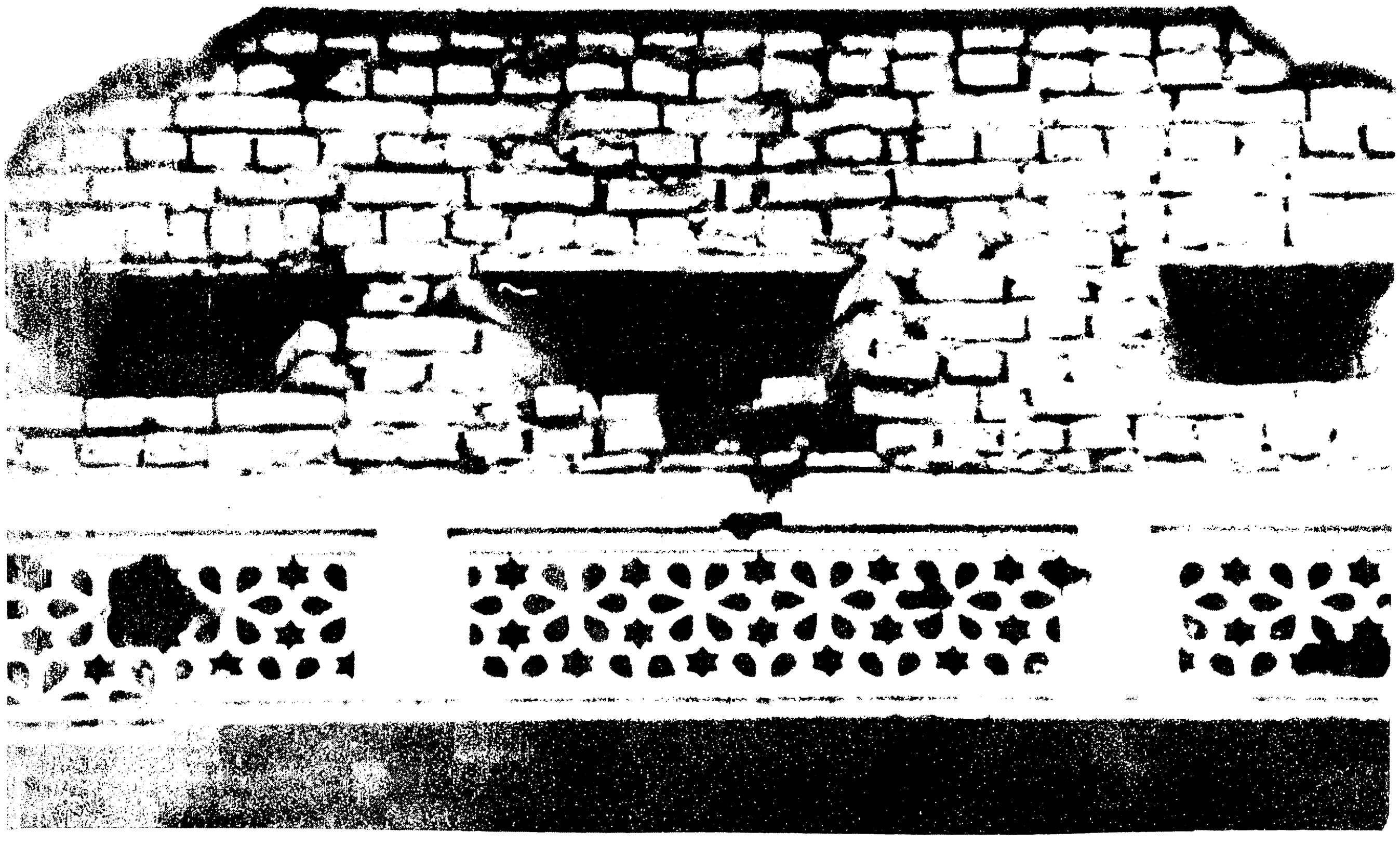

जलियांवाला बाग के मुख्य प्रवेश द्वार के मुख्य रास्ते को कवर करते हुए बनाई गई ईंटों की किलेबंदी और तोड़-कर बनाए गए छेदों का नजदीक का दृश्य ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

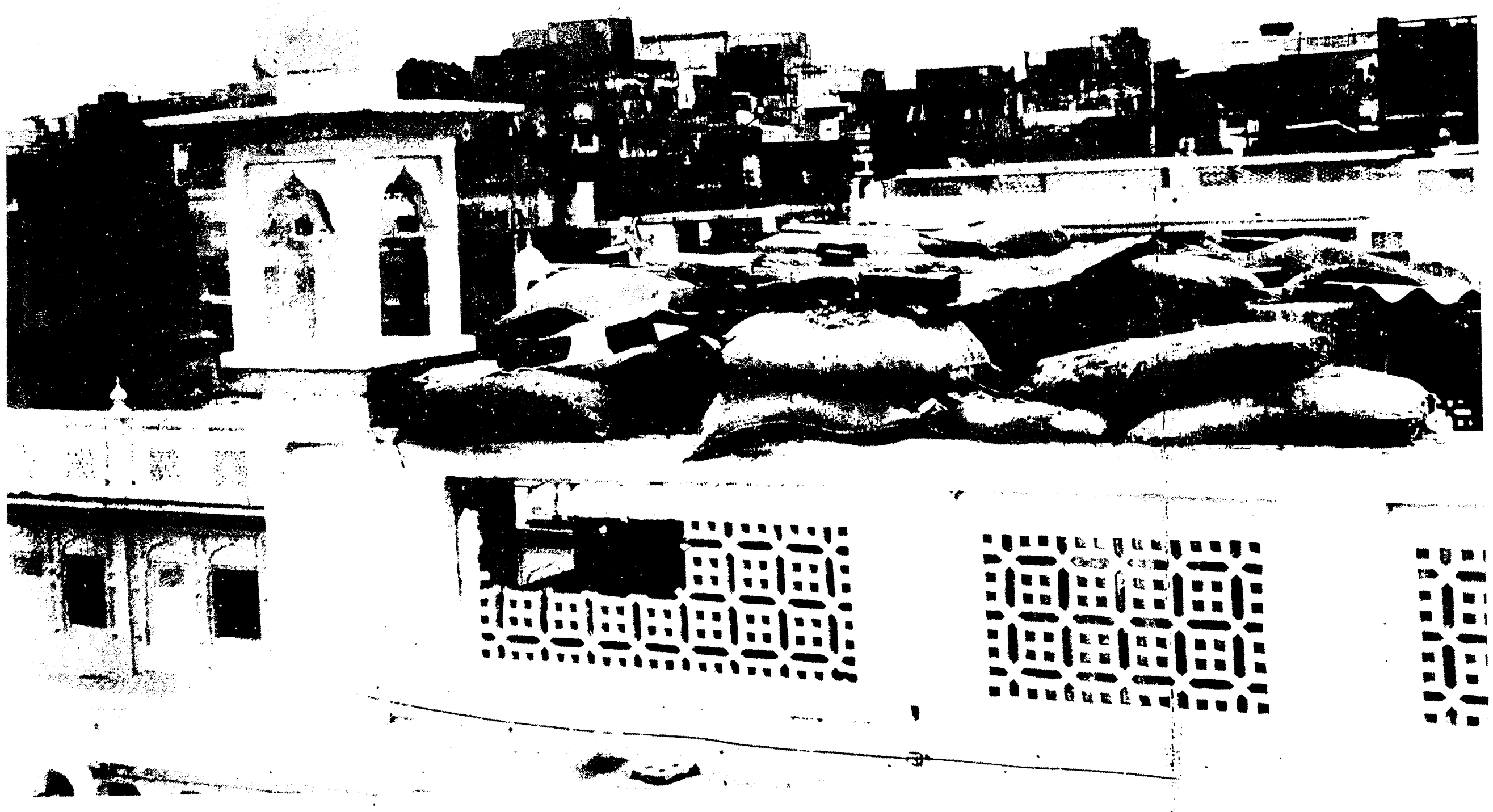

स्वर्ण मंदिर परिसर की छतों और उसके साथ लगते निजी मकानों की छतों पर की गई किलेबंदी ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

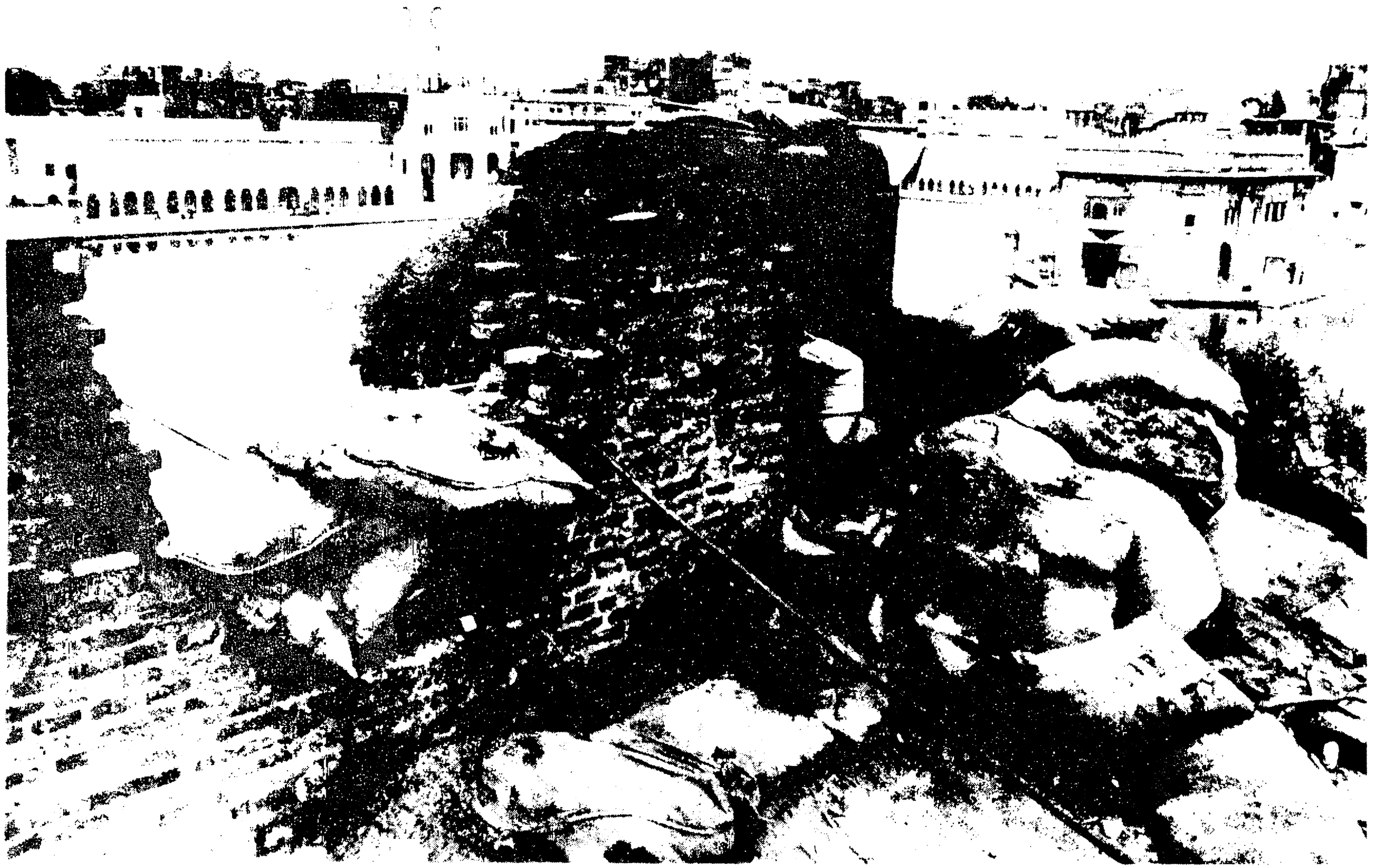

"दुख भजनी बेरी" के छत पर परिक्रमा के दोनों ओर दुहरी किलेबंदी की गई थी जिसके अंतर्गत हरमंदिर साहिब के सभी रास्ते और प्रवेश द्वार आ जाते हैं ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

सिखों का प्रदर्शन, लन्दन 10.6.1984

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

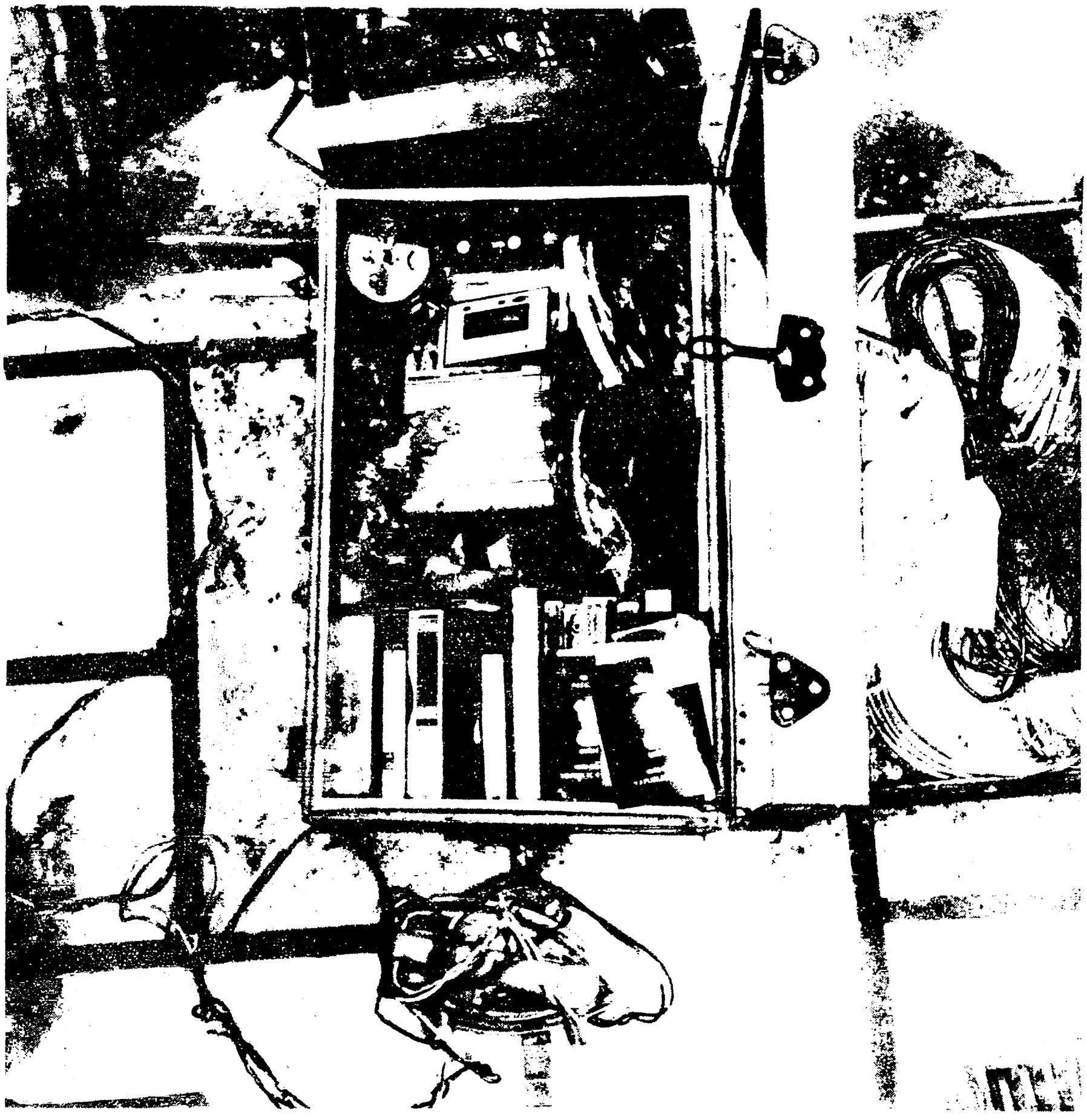

स्वर्ण मंदिर क्षेत्र में आतंकवादियों से प्राप्त कुछ पासपोर्ट, वीडियो-रिकार्डर कैसेट, फिल्म स्पूल्ज और सहायक सामग्री सहित विस्फोटक पदार्थ । आतंकवादियों के पास जापान का बना हुआ वायरलैस ट्रांसमीटर भी था ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

B-1584

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

प्रबन्धक-भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित
1984

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org